गीना देवी शोध संस्थान
द्वारा पटियाला, श्रीगंगानगर व नेपाल से प्रसारित
साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध का अंतर्राष्ट्रीय मासिक

ISSN : 2321-8037
May-June 2026
Volume 14, Issue 5-6

Impact Factor :
7.834

Gina Shodh SANGAM

AN INTERNATIONAL MULTI DISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL

UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 2018)

Editor :
Dr. Rekha Soni
Chief-Editor :
Dr. Naresh Sihag Adv.

संस्थापक सम्पादिका :
स्मृति शेष
डॉ. विश्वकीर्ति

संगम SANGAM

बहुभाषिक बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक

AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL

www.ginajournal.com

संस्थापक संरक्षक :
स्मृति शेष
श्री हरविन्द्र कमल चौधरी

वर्ष : 14 अंक : 5–6, भाग–1 मई–जून : 2026 आईएसएसएन : 2321–8037

सम्पादक :
डॉ. रेखा सोनी
टांटिया वि.वि., श्रीगंगानगर, राज.

प्रधन सम्पादक :
डॉ. नरेश सिहाग एडवोकेट
सचिव, गीना देवी शोध संस्थान,
भिवानी (हरियाणा)

अंतर्राष्ट्रीय सम्पादक मण्डल :
डॉ. लक्ष्मी जोशी
त्रिभुवन वि.वि. काठमाण्डू।
शिओंग छन श्यू, चीन।
डॉ. ऋतु शर्मा ननंन पाँडे
साहित्यकार, शिक्षाविद, नीदरलैंड।
डॉ. सुनीता शर्मा
हिन्दी साहित्यकार, कवयित्री, संपादक
एवं शिक्षाविद् मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया
डॉ. अनुरुद्ध बायन
मध्य कामरूप कॉलेज, सुभा
जिला बारपेटा, असम।
डॉ. सृष्टि चौधरी
लेक्चरर, इलेक्ट्रानिक्स एंड
कम्युनिकेशन, सरकारी पॉलिटेक्निक
कॉलेज फॉर गर्ल्स, पटियाला, पंजाब।
श्री श्रेष्ठ चौधरी,
सीनियर मैनेजर,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, साहिबजादा
अजित सिंह नगर, मोहाली, पंजाब।

कानूनी सलाहकार :
डॉ. रामफल दलाल एडवोकेट,
श्रीमती रूपिन्द्र कौर, एडवोकेट

सलाहाकार समिति (Advisory Committee)

डॉ. सुलक्षणा अहलावत
अंग्रेजी प्रवक्ता, शिक्षा विभाग
नूंह (हरियाणा)

डॉ. अरूणा अंचल
बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय,
रोहतक (हरियाणा)

डॉ. सुशीला
चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, भिवानी।

डॉ. अल्पना शर्मा
आईएएसई विश्वविद्यालय सरदारशहर

डॉ. विजय महादेव गाडे
बाबा साहेब चितले महाविद्यालय
भिलवडी (महाराष्ट्र)

डॉ. लता एस. पाटिल
राजीव गांधी बीएड कॉलेज
धारवाड़ (कर्नाटक)

डॉ. रीना कुमारी
दशमेश गर्ल्स कॉलेज,
अल्ला बक्श, मुकेरिया, पंजाब।

श्री राकेश शंकर भारती
साहित्यकार, अनुवादक, यूक्रेन।

डॉ. हेमराज न्यौपाने
काठमाण्डु, नेपाल।

डॉ. ममता तनेजा
अबोहर, पंजाब।

डॉ. प्रियंका खंडेलवाल
बराण, राजस्थान।

डॉ. संदीप
ओम विश्वविद्यालय, हिसार।

डॉ. मधुबाला
राजकीय महाविद्यालय, लाखनमाजरा।

डॉ. पीयूष कुमार द्विवेदी
जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग
विश्वविद्यालय, चित्रकूट, उत्तरप्रदेश

डॉ. हवासिंह ढाका
राजकीय महाविद्यालय, हिन्दुमलकोट,
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

डॉ. मानसिंह दहिया
संस्कृत प्रवक्ता, शिक्षा विभाग हरियाणा

डॉ. राजेश शर्मा
शिक्षा संकाय, टांटिया विश्वविद्यालय,
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

डॉ. मोहिनी दहिया
माती जीतोजी कन्या महाविद्यालय,
सूरतगढ़ (राजस्थान)

डॉ. मुद्दस्सिर अहमद भट्ट
हिन्दी विभाग,
कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर, कश्मीर

डॉ. सीहेच वी. महालक्ष्मी
सीहेच एसडीएसटी थेरेसा महिला
महाविद्यालय, एलुरू, आंध्र प्रदेश

डॉ. मोरवे रोशन के.
यूनाईटिड किंगडम।

डॉ. अनुपमा, पूर्व प्रोफेसर,
अंकारा विश्वविधालय, अंकारा, टर्की

डॉ. आर.के विश्वास
अध्यक्ष होम्योपैथिक, लखनऊ।

प्रकाशक, स्वामी एवं मुद्रक **डॉ. नरेश सिहाग**, एडवोकेट ने **मनभावन प्रिन्टर्ज**, पुराना बस स्टैण्ड रोड़, नया बाजार, भिवानी से छपवाकर 202, पुराना हाऊसिंग बोर्ड, भिवानी–127021 (हरियाणा) से जारी किया।

संगम SANGAM

बहुभाषिक बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक

AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL

(Journal of Literature, Arts, Science, Commerece, Culture, Humanities and Social Sciences)

सचिव :

डॉ. नरेश सिहाग एडवोकेट

202, पुराना हाऊसिंग बोर्ड,

भिवानी-127021 (हरियाणा)

Email : grngobwn@gmail.com

मो. 09466532152

संगम मासिक पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं/लेखों की मौलिकता का दायित्त्व स्वयं रचनाकारों/लेखकों का है। उससे सम्पादक व प्रकाशक का सहमत होना आवश्यक नहीं। किसी भी प्रकार का विवाद होने पर न्यायक्षेत्र केवल भिवानी (हरियाणा) होगा। सम्पादन और प्रबंधन के सभी पद पूर्ण रूप से अवैतनिक हैं।

Published by :

Gugan Ram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

202, Old Housing Board,

Bhiwani-127021 (Haryana) INDIA

Email : grsbohal@gmail.com

Facebook.com/bohalshodhmanjusha

Website : www.bohalsm.blogspot.com

WhatsApp : 9466532152

All Right Reserved by Publisher & Editor

Price

Individual/Institutional : 1300/-

Disclaimer :

1. Printing, Editing, Selling and distribution of this Journal is absolutely honorary and non-commercial.
2. All the Cheque/Bank Draft/IPO should be sent in the name of Gugan Ram Educational & Social Welfare Society payable at Bhiwani.
3. Articles in this journal do not reflect the Views or Policies of the Editor's or the Publisher's. Respective authors are responsible for the originally of their views/opinions expressed in their articles.
4. All dispute will be Subject to Bhiwani, Hry. Jurisdication only.

Printed by : Manbhawan Printers, Old Bus Stand Road, Naya Bazar, Bhiwani (Hry.)

Impact Factor : 7.834

ISSN : 2321-8037

Gina Shodh SANGAM

Peer Reviewed & Refereed Research Journal

International Journal of Literature, Arts, Culture, Humanities and Social Sciences

UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 2018)

Publisher : Gugan Ram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

तालिका– 2

शैक्षणिक / शोध अंक की गणना हेतु विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों के लिए कार्यप्रणाली

(आकलन शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर आधारित होना चाहिए, जैसेः प्रकाशनों की प्रति, परियोजना स्वीकृति पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा जारी उपयोग तथा पूर्णता प्रमाण पत्र, पेटेंट दर्ज कराने संबंधी अभिस्वीकृति और स्वीकृति पत्र, विद्यार्थियों को पीएचडी उपाधि प्रदान किए जाने संबंधी पत्र इत्यादि।)

क्रम सं.	शैक्षणिक / शोध क्रियाकलाप	विज्ञान / अभियांत्रिकी / कृषि / चिकित्सा / पशु–चिकित्सा विज्ञान संकाय	भाषा / मानविकी / कला / सामाजिक विज्ञान / पुस्तकालय / शिक्षा / शारीरिक शिक्षा / वाणिज्य / प्रबंधन तथा अन्य संबंधित विधाएं
1	समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध पत्रों में शोध पत्र	08 प्रति पत्र	10 प्रति पत्र
2	प्रकाशन (शोध पत्रों के अतिरिक्त)		
	(क) लिखी गई पुस्तकें, जिन्हें निम्नवत के द्वारा प्रकाशित किया गया :		
	अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक	12	12
	राष्ट्रीय प्रकाशक	10	10
	संपादित पुस्तक में अध्याय	05	05
	अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक द्वारा पुस्तक का संपादक	10	10
	राष्ट्रीय प्रकाशक द्वारा पुस्तक का संपादक	08	08
	(ख) योग्य संकाय द्वारा भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद कार्य		
	अध्याय अथवा शोध पत्र	03	03
	पुस्तक	08	08
3	आईसीटी के माध्यम से शिक्षण ज्ञान– अर्जन, शिक्षण शास्त्र और विषयवस्तु का सृजन तथा नए और नवोन्मेषी पाठ्यक्रमों और पाठ्यचर्या का विकास		
	(क) नवोन्मेषी अध्यापन का विकास	05	05
	(ख) नई पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रमों को तैयार करना	02 प्रति पाठ्यचर्या / पाठ्यक्रम	02 प्रति पाठ्यचर्या / पाठ्यक्रम

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021

www.bohalsm.blogspot.com grsbohal@gmail.com 8708822674 9466532152

अनुक्रमाणिका

क्र.	विषय	लेखक	पृष्ठ
1.	सम्पादकीय	डॉ. रेखा सोनी	07–07
2.	साहित्यिक पत्रकारिता और आधुनिक संदर्भ	डॉ. रेखा कुमारी त्रिपाठी	08–19
3.	**Constitutional Morality and Juvenile Justice : A Preventive Legal Framework for India**	**Ashwani Kumar Singh, Dr. Sandip Kumar Baghel**	**20-28**
4.	'ऊँ' सृष्टि का आदि स्वर	डॉ. शिव दर्शन दुबे	29–34
5.	रांगेय राघव के उपन्यासों में पारिवारिक संबंधों का स्वरूप	लक्ष्मण कुमार	35–40
6.	भूमंडलोत्तर हिंदी उपन्यासों में श्रमिक जीवन और संघर्ष (मुन्नी मोबाइल और अमर देसवा उपन्यास के सन्दर्भ में)	जितेन्द्र कुमार मीणा, प्रो. संजीव कुमार दुबे	41–49
7.	आधुनिक युग में टोपोलॉजिकल डेटा विश्लेषण (TDA) : गणितीय आधार, पद्धतियां और अनुप्रयोग	श्रीमती सरिता आचार्य	50–52
8.	'नागफनी' आत्मकथा में सामाजिक परिवेश	मोनिका	53–56
9.	**The Paradox of the Feminine : A Historical Analysis of Gender, Agency, and Social Stratification in Vedic India (c. 1500–500 BCE)**	**Koshinder Singh**	**57-60**
10.	**Standardization of Marking Procedures and Its Role in Fair Play, Sportsmanship, and Training Effectiveness in Physical Education and Sports**	**Ram Krishan Saran, Dr. Surjeet Singh Kaswan**	**61-66**
11.	असुर जनजाति का आर्थिक जीवन : एक अध्ययन	डॉ. प्रणय रंजन	67–72
12.	**Impact of Body Mass Index on Athletic Performance : A Physiological and Comparative Analysis**	**Shrawan Kumar Prajapat, Dr. Kamal Vijayvargia**	**73-74**
13.	**Impact of Coaching on the Personality Development of the Athlete**	**Motiram, Dr. Kamal Vijayvariga**	**75-77**
14.	**COMPARATIVE STUDY OF SPEED PERFORMANCE AMONG ATHLETES OF DIFFERENT SPORTS**	**Shiv Prakash, Dr. Kamal Vijayvargia**	**78-80**
15.	स्वामी विवेकानंद का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान	लोकेश कुमार, प्रो. डॉ० गोपेश कुमार शर्मा	81–85
16.	देवनागरी लिपि, हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति का संबंध	डॉ. अमलपुरे सूर्यकांत विश्वनाथ	86–91
17.	**VEDANTIC VIEW OF EVOLUTION**	**Pulak Chan Das**	**92-95**

18.	भारतीयार और माखनलाल चतुर्वेदी के बीच समानता बाल साहित्य के संदर्भ में	के. आर. गुरू गोविंद विश्वत, डॉ. अनुराधा पाकलपाटी	96–103
19.	क्षेत्र रक्षण से दिशा रक्षक तक : यक्ष और दिक्पालों का सांस्कृतिक इतिहास	शुभम् दुबे, प्रो. इन्दुभषण द्विवेदी	104–107
20.	वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में उपयोगिता	श्रीमती रतनी, डॉ. सुमन रानी	108–112
21.	**Indian Influence on Myanmar's Buddhist Architecture**	**Wasfi Fatima**	**113-120**
22.	**THE MEDIATION ACT, 2023 : INSTITUTIONAL CHALLENGES AND PRACTICAL IMPLEMENTATION IN PROMOTING PRE-LITIGATION MEDIATION FOR COMMERCIAL DISPUTES IN INDIA**	**Himanshu Choudhary, Dr. Sarita Bhawani Malviya**	**121-128**
23.	उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की अभिवृति एवं सामाजिक समरसता के सम्बन्ध में अध्ययन	प्रेम कुमारी, डॉ. राजेश शर्मा	129–134
24.	राजस्थान के नहरी क्षेत्र में सामाजिक एवं आर्थिक विकास : इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना के विशेष संदर्भ में	तनिषा गोयल, डॉ. श्रुति खारीवाल	135–139
25.	वैश्वीकरण के दौर में भारत में ई-शासन की चुनौतियां और संभावनाएं	डॉ. अनुभा श्रीवास्तव	140–146
26.	आधुनिक शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा की प्रासंगिकता	डॉ. प्रदीप कुमार	147–152
27.	**The Role of Technology in Teacher Professional Development : NEP 2020 and Beyond**	**Dr Sachin Kumar Singh**	**153-158**
28.	**Women's Participation and Empowerment in Panchayati Raj : An Analysis**	**Dr. Shushil Dubey, Bhaskar Kulaste**	**159-170**
29.	**A Study on Artificial Intelligence on E- Commerce And It's Impact on Digital Economy**	**Anjali Shrivastava, Dr. Sanjay Sharkar Mishra**	**171-179**
30.	नागपुरी और कुँड़ुख़ में बच्चों से संबंधित बालगीत में समानता एवं विषमता	डॉ० इन्द्र भूषण भगत	180–184
31.	धार्मिक अनुष्ठानों में वृक्ष एवं वनस्पतियों का महत्व	सुनीता कलौनी	185–189
32.	छत्तीसगढ़ में जैविक कृषि के बदलते आयाम	डॉ. सुनीता प्रधान	190–193
33.	**Bhu-Kanoon and Post COVID Land Rights Movement in Uttarakhand: Demands, Mobilisation, and Limits of Protest**	**Rakesh Joshi**	**194-199**
34.	**Mystics, Monarchs, and Messiahs : Cultural Landscapes of Early Modern Iran**	**SANJAY KUMAR**	**200-207**
35.	**Cybersecurity and National Sovereignty in the Digital Age : Challenges, Threats, and Strategic Responses**	**Rakesh Kumar Sharma**	**208-214**

सम्पादक की कलम से.....

ज्ञान, शोध और समाज के मध्य सेतु निर्माण की दिशा में

प्रिय पाठकों, शोधकर्ताओं, शिक्षकों एवं विद्वान साथियों,

गीना शोध संगम के मई–जून 2026 अंक को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए हमें अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। ज्ञान–विज्ञान के निरंतर विस्तार और बदलते वैश्विक परिदृश्य में शोध की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। आज का युग सूचना, नवाचार और अंतर्विषयी अध्ययन का युग है, जहाँ केवल जानकारी पर्याप्त नहीं है, बल्कि तथ्यों के वैज्ञानिक विश्लेषण, तर्कपूर्ण व्याख्या और समाजोपयोगी निष्कर्षों की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य को केंद्र में रखते हुए गीना शोध संगम निरंतर शोध एवं अकादमिक विमर्श को प्रोत्साहित करने का कार्य कर रहा है।

भारत की नई शिक्षा नीति 2020 ने भी बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान को विशेष महत्व दिया है। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और शोध संस्थानों में अनुसंधान गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हाल के वर्षों में भारतीय शोध प्रकाशन जगत ने तीव्र विकास किया है तथा शोधार्थियों की संख्या और शोध प्रकाशनों में निरंतर वृद्धि देखी जा रही है। गीना शोध संगम का मूल उद्देश्य केवल शोध पत्रों का प्रकाशन नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शोध संस्कृति का विकास करना है। पत्रिका बहुविषयक शोध को प्रोत्साहित करती है और साहित्य, शिक्षा, समाज विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, संस्कृति, पुस्तकालय विज्ञान, प्रबंधन, विज्ञान एवं अन्य विषयों के शोधार्थियों को एक साझा मंच प्रदान करती है। पत्रिका की समीक्षा प्रक्रिया शोध की गुणवत्ता, मौलिकता और अकादमिक विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। डबल ब्लाइंड समीक्षा प्रणाली जैसे मानकों का अनुसरण शोध प्रकाशन की निष्पक्षता और गुणवत्ता को सुदृढ़ बनाता है।

आज शोध के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती केवल सामग्री का सृजन नहीं, बल्कि उसकी विश्वसनीयता और सामाजिक प्रासंगिकता है। इंटरनेट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में जानकारी का विस्फोट हुआ है, परंतु सत्य, प्रमाणिकता और नैतिकता की कसौटी पर खरा उतरने वाला शोध ही समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। इसलिए शोधकर्ताओं का दायित्व है कि वे अपने अनुसंधान में नैतिक मानकों, संदर्भों की शुद्धता और मौलिक चिंतन को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। इस अंक में प्रकाशित शोध आलेख विभिन्न विषयों और दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें साहित्यिक समीक्षा, सामाजिक विश्लेषण, सांस्कृतिक अध्ययन, शैक्षिक विमर्श, पर्यावरणीय चिंतन तथा समसामयिक विषयों पर आधारित शोध शामिल हैं। हमें विश्वास है कि ये शोध पत्र पाठकों को नवीन दृष्टि प्रदान करेंगे तथा आगे के अनुसंधान के लिए प्रेरित करेंगे।

हम सभी शोधार्थियों और विद्वानों से आग्रह करते हैं कि वे शोध को केवल पदोन्नति या डिग्री प्राप्ति का माध्यम न मानें, बल्कि समाज, राष्ट्र और मानवता के कल्याण का साधन समझें। शोध की वास्तविक सफलता तभी है जब उसके निष्कर्ष समाज के जीवन को बेहतर बनाने में सहायक हों। ज्ञान का मूल्य तभी है जब वह मानव कल्याण से जुड़ सके।

अंत में, मैं पत्रिका के सभी लेखकों, समीक्षकों, संपादकीय मंडल के सदस्यों तथा पाठकों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके सहयोग से यह अंक संभव हो सका है। आशा है कि गीना शोध संगम का यह अंक शोध और ज्ञान की नई संभावनाओं को उद्घाटित करेगा तथा अकादमिक जगत में सार्थक संवाद को आगे बढ़ाएगा।

–संपादक

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 14, Issue 5-6
पृष्ठ : 8–19

साहित्यिक पत्रकारिता और आधुनिक संदर्भ

डॉ. रेखा कुमारी त्रिपाठी
अतिथि प्राध्यापिका (हिंदी एवं अनुवाद विभाग)
हिंदी विश्वविद्यालय, हावड़ा।

शोध सार (Abstract) :

साहित्यिक पत्रकारिता (Literary Journalism) वह विधा है जो तथ्यात्मक रिपोर्टिंग (Facts) को साहित्यिक और कथात्मक शैली (Narrative style) के साथ प्रस्तुत करती है। इसमें पत्रकार केवल समाचार नहीं देते, बल्कि घटनाओं को गहरे मानवीय अनुभवों, शोध और कलात्मक भाषा में गहराई से प्रस्तुत करते हैं, जो इसे साधारण समाचार से अलग बनाता है।

साहित्यिक पत्रिकाएँ आधुनिक संदर्भ में साहित्य, संस्कृति और सामाजिक चेतना के सेतु के रूप में कार्य कर रही हैं,जो वैश्वीकरण के युग में नई विधाओं (आलोचना, कथा, विमर्श) को मंच देकर जनमानस में साहित्यिक संस्कार विकसित कर रही हैं। वे केवल साहित्यिक रचनाएँ नहीं, बल्कि समकालीन विमर्श, डिजिटल युग में हिंदी साहित्य की चुनौतियों और अनुवाद के माध्यम से वैश्विक संवाद को भी प्रस्तुत करती हैं।

मुख्य शब्द (Keywords) : विधाएं, आलोचना और समीक्षा, संस्कृति, ब्राह्मण हंस, सरस्वती।

भूमिका :

मानव जीवन में जो सुन्दरता की अभिव्यक्ति है वही साहित्य है। साहित्य में सत्य भी होता है। साहित्य की रचना और प्रेषणीयता का आधार मानसिक वृत्तियां और जीवन की सहज अनुभूतियों से अलग नहीं होता। युग के परिवर्तित स्वरूप के साथ हर युग में जीवन मूल्य वदलते हैं और उसके साथ ही साहित्य का उद्देश्य भी बदल जाता है जब साहित्य का लक्ष्य पूंजीवादी का विरोध और श्रमिक वर्ग का समर्थन होता है, तब उसे प्रगतिशील साहित्य कहते हैं और इसी गति पर चलने वाली पत्रकारिता को प्रगतिशील पत्रकारिता कहा जाता है। वैसे साहित्य और पत्रकारिता में कोई खास बुनियादी अन्तर नहीं है केवल शैली का अन्तर होता है जो काफी चिन्तन मनन के वाद लिखा जाता है और पत्रकारिता शीघ्रता में लिखा गया साहित्य ही है, आवश्यक नहीं कि कोई साहित्यकार पत्रकार भी हो और कोई पत्रकार साहित्यकार भी हो।

पत्र–पत्रिकाओं का प्रकाशन जब शुरू हुआ उसका प्रचार–प्रसार बढ़ा तो पत्रकारों का साहित्य लोककार्य का विषय बनने लगा। पत्र–पत्रिकाओं के माध्यम से पत्रकारों ने जिस शैली में साहित्य सृजन किया वह इतनी प्रचलित हुई कि प्राचीन ढंग की साहित्यिक शैली का अन्त हो गया। महात्मा गांधी के शब्दों में 'समाचार पत्र और पत्रिकाओं का पहला उद्देश्य जनता की इच्छाओं और विचारों को समझना और उन्हें व्यक्त करना है।'[1]

क्योंकि पत्र–पत्रिकाएं आम आदमी के लिए होती हैं इसलिए पत्रकारों को अपनी भाषा सरल और रोचक वनानी पड़ती है। पत्रकार का यह सामाजिक सरोकार है कि वह भाषा की समान शैली का प्रयोग करे यह भी आवश्यक नहीं कि जिस शैली में साहित्यकार लिखते हैं कि पत्रकार भी उसमें लिखे। पत्रकार थोड़े में अधिक बात कह जाते हैं और साहित्यकार में शब्द विस्तार अधिक होता है इसलिए पत्रकार अपनी भाषा सरल और सुबोध बना सकता है इसलिए जब साहित्य को समाज के किसी शुष्क और दुरूह विषय पर लिखा जाता है तो वह सरल और सुगम हो जाता है। प्रांजल, परिष्कृत और परिमार्जित शैलियों का ही पत्रकारिता में वर्चस्व होता है। किसी समय किसी भी विषय पर बिना किसी पूर्व तैयारी के लिखने की क्षमता पत्रकार में होती है। इसलिए साहित्यकार की तरह लिखने के क्षेत्र में उनके लिए 'मूड' का कोई महत्त्व नहीं होता मूड के बिना साहित्यकार की रचना सामान्य भी हो सकती है किन्तु पत्रकार की हर प्रकार की रचना सामान्यतया स्वीकार की जाती है।

पत्रकार से कोई भी विषय अछूता नहीं है। साहित्यकार किसी खास विषय तक सीमित होता है। विरले ही साहित्यकार होते हैं जो अनेक विद्याओं में समान रूप से स्थापित हों, किन्तु पत्रकार चूंकि अनेक विषयों पर समान अधिकार से लिखता है इसलिए अपनी सुविधानुसार नये–नये शब्द गढ़ता रहता है। परम्परावादी, रूढ़िवादी साहित्यकार इस प्रवृत्ति को अनुचित मानते हैं और उसका उपहास करते हैं। कुछ साहित्यकार तो यह भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते कि पत्रकारिता का कोई साहित्यिक अवदान भी रहा है। पत्रकार और साहित्यकार में एक खास फर्क यह भी है कि साहित्यकार जिस ज्ञान को साहित्य के मानदण्डों से जकड़कर जनसाधारण के लिए अगम अगोचर बना डालता है उसे ही पत्रकार अपने ढंग से लिखकर सर्व साधारण के लिए सुलभ बना देता है। यह साहित्य और पत्रकारिता का अंतर्विरोध है। इस अंतर्विरोध को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता किन्तु उसे बहस का मुद्दा भी नहीं बनाया जा सकता। दरअसल में साहित्य और पत्रकारिता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यह भी कह सकते हैं कि पत्रकारिता साहित्य की जीवनशक्ति है। साहित्य के स्थायित्व के लिए उसमें पत्रकारिता की मौलिक विशिष्टताओं का समावेश होना जरूरी है। इसलिए जार्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि ऐसा कुछ भी साहित्य के रूप में बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह सकता जो पत्रकारिता न हो। भारतेन्दु हरिश्चंद्र के शब्दों में "साहित्यिक पत्रिकाएं पाठकों को अच्छी कविता का रसास्वादन कराने और समाज में समानता लाने का माध्यम हैं।"[2]

साहित्य और पत्रकारिता ज्ञान को सर्वसुलभ बनाने के दो महत्त्वपूर्ण साधन हैं जिनमें एक जटिल और दूसरा काफी आसान है। साहित्य में विरोधाभास का महत्त्व होता है किन्तु पत्रकारिता में नहीं होता। विरोधाभास की शैली को पत्रकारिता का दोष माना जाता है। पत्रकारों को गूढ़ कल्पना शैली से परहेज होता है। पत्रकार सत्य का पक्षधर होता है।

पत्रकारिता ने समाचारों के माध्यम से साहित्य के लिए उल्लेखनीय कार्य नहीं किया है किन्तु पत्र–पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों, कहानियों, कविताओं, संस्मरणात्मक, यात्रा, वृत्तांतों, नाटकों, समीक्षाओं आदि से साहित्य की महत्त्वपूर्ण सेवा की गई है। पत्रकारों की सबसे प्रमुख शैली होती है समाचार शैली। समाचार शैली ही पत्रकारिता पर हावी होती है। साहित्य और पत्रकारिता में एक विशेष अन्तर है। पत्रकारिता पाठकों को उलझाकर सुलझाने का कार्य नहीं करती। वह किसी घटना को सुलझे हुए रूप में प्रस्तुत कर पाठकों को विचारों में उलझा देती है। पत्रकार द्वारा लिखा गया किसी घटना का विवरण भी विचारोत्तेजक होता है।

प्रभावहीन ससुस्पष्ट और निर्जीव शैली के शिकार साहित्यकार और पत्रकार दोनों होते हैं किन्तु पत्रकार अक्सर उस शैली से मुक्त होने की कोशिश करते हैं। साहित्य बोझिल हो सकता है किन्तु पत्रकार अपने भाषा सौष्ठव के कारण इस प्रकार की बोझिलता से मुक्त होता है। कृत्रिम भाषा और शैली साहित्य में खप सकती है किन्तु पत्रकारिता के लिए यह स्वीकार्य नहीं है।

आलेख :

पत्रकारिता और शिक्षा का आपस में घनिष्ठ संबंध है, इसलिए पत्रकारिता के विकास के लिए शिक्षा का प्रचार–प्रसार आवश्यक है। उन्नीसवीं शताब्दी में भारतीय कला एवं उद्योग धन्धों को ईस्ट इंडिया कम्पनी ने नष्ट प्रायः कर दिया था, परन्तु कुछ प्रतिभाशाली अंग्रेज प्रशासकों ने भारत में शिक्षा के महत्व और उपयोगिता का अनुभव किया, जिसके परिणामस्वरूप 18वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में स्कूल और कॉलेजों की स्थापना की गयी। वर्तमान शिक्षा प्रणाली के जन्मदाता लार्ड मैकाले थे। उन्होंने अपनी शिक्षा के उद्देश्य को व्याख्यायित करते हुए कहा है– "हमें ऐसे वर्ग को बनाने के लिए भरसक प्रयत्न करना चाहिए जो हमारे और लाखों के मध्य एक कड़ी बने। यह वर्ग रक्त तथा रंग में भारतीय हो और अभिरुचि, विचार, शब्दों और बुद्धि में अंग्रेज हो।" मैकाले की इस शिक्षा नीति से भारतीय भाषाओं को आघात पहुंचा। हिन्दी के विकास में अंग्रेजी भाषा ने एक नई बाधा उत्पन्न कर दी। भाषा के विकास में गत्यावरोध के कारण हिन्दी पत्रकारिता का विकास भी शिथिल पड़ गया। साहित्यिक पत्रकारिता से सीधा सरल अर्थ रचनाधर्मिता के साथ–साथ अयतन वैचारिक चिन्तन भी है। आज स्थिति भी ऐसी है कि समाचार से अधिक लोग विचार जानना चाहते हैं यानि 'न्यूज' से अधिक 'न्यूज' में लोगों की रुचि बढ़ी है। साहित्यिक पत्रकारिता के रूप में जिस तरह की पत्रकारिता से हमारा आशय है लगभग उसके प्रतिमान में इस समय कोई पत्रिका नजर नहीं आती।

समकालीन भारतीय साहित्य, भाषा, गगनांचल, आजकल, मधुमती, हिमप्रस्थ, शीराजा, उत्तर प्रदेश, इन्द्रप्रस्थ भारती आदि पत्रिकाएं हमारे सामने अवश्य हैं। लेकिन इन सरकारी, अर्ध सरकारी पत्रिकाओं की अपनी सीमा होती है। हिन्दी में साहित्यिक पत्रिकाओं का इतिहास हमारे सामने अवश्य विपुल है जिसके अंतर्गत सरस्वती, विशाल भारत, कल्पना, ज्ञानोदय आदि। ज्यों–ज्यों देश में साक्षरता का विकास हो रहा है पत्रकारिता का विकास भी इसी के अनुरूप में हो रहा है आज अधिकांशतः पत्रकारिता सनसनीखेज खबरों पर आधारित है, सैक्स, अपराध, हिंसा ने इसी तरह की पत्रकारिता में बड़ा योगदान किया है।

समाचार–पत्रों का जन्म चाहे जिन उद्देश्यों को लेकर हुआ हो, विकास क्रम ने उनको ऐसी स्थिति में लाकर रख दिया है जिससे जनता उनमें मनोरंजन ही नहीं समाचार मात्र का विचार मात्र ही नहीं वरन् पथ प्रदर्शन की भी अपेक्षा रखती है यदि श्रेष्ठ पत्रकारों के संबंध में जिनमें साहित्यिक पत्रकारों की संख्या ही अधिक आयेगी चाहे वे भारतेन्दु हो अथवा "प्रताप" के गणेशशंकर विद्यार्थी या "हंस" के सम्पादक प्रेमचन्द हों, जनता और पाठक को उनसे काफी अपेक्षाएं थी। बालकृष्ण भट्ट के शब्दों में "साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है और पत्रिकाएं उस विकास को प्रकट करने का सबसे बड़ा साधन हैं।"[3]

साहित्यिक पत्रकारिता मात्र साध्य नहीं वह साधन भी है जिसे हम स्थायित्व का जामा पहना सकते हैं। विकाऊ टिकाऊ नहीं हो सकता और टिकाऊ होने के लिए साहित्यिक पत्रकारिता के क्षेत्र में लघु पत्रों की बहुत बड़ी भूमिका है।

पत्रकारिता सूचना का एक सशक्त माध्यम है। प्रायः समझा जाता है कि दिनभर की घटनाओं का कुछ शब्दों में आलेख पत्रकारिता का मुख्य कार्य है जिसे सामान्य जनता तक सम्प्रेषित करने में छापे जाने और यातायात के साधनों का भरपूर सहयोग होता है। इस तरह से पत्रकारिता दिनभर की घटनाओं, सूचना उसकी आख्या और सामान्यजन की जिज्ञासा तथा ज्ञान पिपासा के समाधान का भी आधार है। समाचार पत्र–पत्रिकाएं, रेडियो तथा दूरदर्शन जनता की विचारधारा और उसकी मानसिकता को अधिक सशक्त, प्रभावशाली तथा दायित्वपूर्ण बनाते हैं। लेकिन समाचार–पत्र जनता की भावना और विचारधारा के निर्माण में अधिक सहायक होते हैं। समाचार–पत्र सामान्यजन को बहुधा बड़ी सुविधा में उपलब्ध हो जाते हैं। रेडियो, दूरदर्शन तथा पुस्तकें प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध नहीं हो पाती है।

घटना ज्यों–ज्यों घटे पत्रकार उसकी सूचना तुरन्त एकत्र कर ले। यदि समाचार बासी हो गया हो तो पत्रकार के लिए उसका विशेष महत्त्व नहीं रह जाता है। अच्छे पत्र किसी समाचार को सबसे पहले छापना चाहते हैं सबसे बड़ा अखबार भी किसी समाचार को बाद में छापता है तो उसका महत्त्व नहीं रहा जाता है। दूसरी बात यह की जाती है कि यदि किसी समाचार–पत्र ने किसी समाचार को हड़बड़ी में पहली बार छपने का श्रेय प्राप्त करना चाहा तो दूसरे समाचार–पत्र स्पर्धी में उस घटना को पूरी सच्चाई के साथ विस्तार से अपने यहां शीघ्रातिशीघ्र छापने का प्रयास करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्लघ के शब्दों में "पत्रिकाओं के माध्यम से ही नए गद्य रूपों का निखार और संपादन कला का विकास संभव हो पाया है।"[4]

सामान्य जनता की सेवा की भावना का अर्थ यह है कि समाचार की दिशा रचनात्मक होनी चाहिए। किसी एक घटना का यदि पत्रकार चाहे तो सही दिशा दे सकता है चाहे तो गलत अर्थात उसे रचनात्मक अथवा विघटनात्मक जैसी चाहे वैसी दिशा दे सकता है। सामान्य जनता समाचार को पढ़ते समय उनकी इंगिति को जानने का प्रयास करती है। लेकिन अच्छे पत्रकार किसी समाचार को देते समय केवल संकेत करते हैं अपना दृष्टिकोण स्पष्टतः प्रकट नहीं करते हैं। पत्र के अग्रलेख द्वारा ही पत्र का मन्तव्य स्पष्ट होना चाहिए।

स्वतंत्रता से तात्पर्य है एक तो पत्रकारिता की स्वतंत्रता और दूसरी जनता की स्वतंत्रता। पत्रकार किसी मत अथवा तंत्र से परिचालित नहीं होता है। जो भी पत्रकार अपनी स्वतंत्र इच्छा को विस्तृत करके किसी के अधीन हो जाता है उसके प्रति लोगों का अविश्वास होना स्वाभाविक है। किसी समाज में परिवर्तन की दिशा का बोघ आज पत्र ही करते हैं। कभी–कभी किसी बुराई के विरोध में आन्दोलन का प्रारम्भ पत्र ही करते हैं। चुनावों में जनता के मत को समाचार–पत्र अधिक प्रभावित करते हैं।

समाचार ऐसी घटनाओं का विवरण है जिसमें लोगों की राय हो लेकिन अब तक यह समाचार–पत्र का विषय बनता है तो उसके कुछ बुनियादी आधार होते हैं। रोचकता उसका पहला गुण है। इस रोचकता के अतिरिक्त अखबार में छपी घटना के पीछे सच्चाई की बारीकी भी होनी चाहिए क्योंकि समाचार की तात्कालिक आवश्यकता होती है इसलिए उसे गतिशील साहित्य भी कहा गया है। अच्छे समाचारों की एक विशेषता उसका महत्त्व भी है। इसलिए समाचार इतिहास का भी विषय होता है। अखबारों में छपी महत्त्वपूर्ण घटनाएं इतिहास का विषय बनती चली जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रादेशिक, आंचलिक और स्थानीय स्तर पर भी जिन घटनाओं का महत्त्व होता है वे ही समाचार–पत्र का अंश बनते हैं इसलिए पत्रकारों का भी आवश्यक गुण है कि रोचकता, सच्चाई व साहस के साथ वे समाचार के इतिहास संदर्भ को भी जाने। हर समाचार का अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और

प्रादेशिक महत्त्व क्या होगा इसे पत्रकार को जानना चाहिए लेकिन पत्रकारिता की रचनात्मक दिशा होती है। पत्रकार अपने निजी संदर्भ को भी विस्मृत नहीं कर सकता है। हर पत्रकार के लिए आवश्यक है कि यह आंचलिक और स्थानीय समाचारों के विशेष महत्त्व को भली–भांति जाने। इन सारे गुणों को कोई अनुभवी पत्रकार प्रशिक्षण और वैयक्तिक अनुभवों से ही एकत्र कर सकता है। केवल प्रशिक्षण ही पर्याप्त नहीं है। उसका ज्ञान भी आवश्यक है। भाषा का ज्ञान पत्रकार का प्राण है। जिस पत्रकार की भाषा जितनी पैनी होगी वह पत्रकार उतना ही अधिक प्रभावशाली ढंग से समाचार प्रस्तुत कर सकता है। भाषा के सामर्थ्य के साथ ही पत्रकार को अंतर मानव ज्ञान की विभिन्न दिशाओं की भी सामान्य जानकारी होनी चाहिए। समाचार संकलन का क्षेत्र, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मानवीय रुचियों के अनेक क्षेत्रों से सम्बद्ध होता है। राजनीति में भी ग्राम और नगर से लेकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ होते हैं। सामाजिक विषयों में रचनात्मक और विघटनात्मक दोनों प्रकार के संदर्भ हो सकते हैं।

रचनात्मक समाचारों में लोगों की रुचि अपेक्षाकृत कम होती जा रही है। इसलिए पत्रकार विघटनात्मक समाचारों को ही अधिक प्रमुखता देता है कि इस प्रकार का आचरण पत्रकारिता की नैतिकता के विपरीत है। इसे महत्त्व देने से सामान्य लोगों की मानसिकता विकृत होती है किन्तु प्रायः ऐसा देखा जाता है कि सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में पत्रकार इस प्रकार के समाचारों को स्थान देकर छाप दिया करते हैं।

विशिष्ट समाचारों साहित्य, कला, नृत्य चलचित्र आदि के समाचारों को सांस्कृतिक समाचारों की श्रेणी में रखा जाता है। चूंकि साहित्य और कला के प्रति बहुत सीमित लोगों की रुचि होती है इसलिए ऐसे समाचारों से सामान्य पत्रकार कतराता है लेकिन सांस्कृतिक समाचार रचनात्मक होते हैं। ये हमेशा जनमानस का निर्माण करते हैं। विघटनकारी सामाजिक समाचारों से जनमानस में जितनी विकृति आती है, उसका परिमार्जन ऐसे सांस्कृतिक समाचार कर सकते हैं। मानवीय सुरुचि के समाचारों में प्रकृति प्रकोप, अविष्कार, पशु–पक्षी समाचार नाटकीयता आदि के समाचार आते हैं। इस तरह पत्रकारिता का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इन समाचारों के संकलन के लिए पत्रकार का कम से कम क्षेत्र विशेष के प्रारंभिक ज्ञान से सम्पन्न होना आवश्यक है जिस क्षेत्र का समाचार है यदि उस क्षेत्र से पत्रकार परिचित नहीं है तो उसके समाचारों की तथ्यात्मकता एवं उपयोगिता नष्ट हो जाएगी। सामान्यतया छोटे पत्रों में एक ही पत्रकार सब कुछ होता है लेकिन बड़े पत्रों में ऐसा नहीं होता। फिर भी अच्छा पत्रकार बनने के लिए थोड़ी बहुत जानकारी हर क्षेत्र की होनी चाहिए। जो पत्रकार इस प्रकार की योग्यता रखता है वही अपने वर्चस्व को स्थापित कर पाता है।

पत्रकार को अनुभवी होना चाहिए उसे देखना चाहिए कि कौन से लोग किस समाचार को पढ़ते हैं। सामान्य पाठकों को कौन से समाचार पसन्द हैं आज लोग सनसनीखेज और अपराध सेक्स संबंधी समाचारों की ओर अधिक लपकते हैं। फिर भी पत्रकार को पत्रकारिता की सामान्य आचार संहिता का पालन अवश्य करना चाहिए।

साहित्यिक पत्रिकाओं की विशेषता :

साहित्यिक पत्रिकाओं के मानदंड और उनमें सम्मिलित किए जाने वाले विषयों और उनकी अन्य विशेषताओं का वर्णन इस प्रकार से किया जा सकता है :

1. साहित्यिक पत्र के संपादक को साहित्यकार होना आवश्यकीय है।

2. साहित्यिक पत्र में साहित्य की सभी विधाओं का समावेश होना चाहिए। इन विधाओं के अन्तर्गत कहानी, निबन्ध, उपन्यास, नाटक, काव्य, संस्मरण, आलोचना, एकांकी, हास्य व्यंग्य, यात्रा संस्मरण, रेखाचित्र आदि सभी विषय सम्मिलित होते हैं।
3. साहित्यिक पत्रिकाओं की संपादकीय टिप्पणियां एवं अग्रलेख साहित्यिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि सामयिक विषयों से सम्बन्धित होने चाहिए।
4. समसामयकि साहित्य का परिचय एवं उसकी समालोचना साहित्यिक पत्रिकाओं की प्रमुख विशेषता मानी जाती है।
5. समय की पुकार तथा उसके साथ कदम मिलाकर चलने के लिए साहित्यिक पत्रिका द्वारा जनता में जागृति उत्पन्न करने की प्रेरणा होनी चाहिए।
6. बाल–साहित्य से संबंधित अनेक विधाओं का समावेश करना भी साहित्यिक पत्रिकाओं का ही कार्य है।
7. नये लेखकों और कवियों की रचनाओं को प्रकाशित करके उन्हें प्रोत्साहित करना और नई प्रतिभाओं को प्रकाश में लाना भी साहित्यिक पत्रिकाओं का ही प्रमुख कार्य है।
8. नारी–जीवन के उत्थान और बाल कल्याण से संबंधित विषयों को भी पत्रकारिता में उचित स्थान दिया जाना चाहिए।
9. साहित्यिक पत्रिकाओं के अन्तर्गत साहित्य की नव अंकुरित किसी भी विचारधारा को तटस्य रूप से मूल्यांकित करना चाहिए। इसमें किसी दुराग्रह अथवा पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर कोई काम नहीं करना चाहिए।
10. साहित्यिक पत्रों में विज्ञान, इतिहास, पुरातत्व, अध्यात्म आदि विषयों को भी सम्मिलित कर उचित स्थान दिया जाना चाहिए।
11. समकालीन साहित्योपयोगी, समाजोपयोगी एवं जीवनोपयोगी आवश्यक वस्तुओं आदि के विज्ञापन भी इन पत्रिकाओं में सम्मिलित होने चाहिए जिससे समाज को उचित जानकारी प्राप्त हो सके।

साहित्यिक पत्रकारिता का संदर्भ :

1931 से पूर्व यह आम धारणा थी कि हिन्दी का पहला समाचार–पत्र "बनारस अखबार" है। जिसका प्रकाशन काशी से सन् 1945 के राजा शिवप्रसाद की सहायता से हुआ था जिसके सम्पादक गोविन्द रघुनाथ थत्ते थे।

बाद में खोज से यह बात सामने आई कि "बनारस अखबार" हिन्दी प्रदेशों का पहला समाचार–पत्र नहीं है। 1931 के विशाल भारत में हिन्दी समाचार–पत्रों की प्रारंभिक कथा लिखकर श्री वंद्योपाध्याय ने इतिहासकारों की पुरानी धारणा को निर्मूल किया या उदन्त मार्तण्ड की सूचना देकर हिन्दी का उपकार किया। हिन्दी के आरंभिक समाचार–पत्रों के बारे में भी कई सूचनाएं उन्होंने दी और "विशाल भारत" मार्च, 1931 में हिन्दी का प्रथम "समाचार–पत्र" लेख लिखकर उदन्त मार्तण्ड की विस्तार से चर्चा की।

बीसवीं सदी के छठे दशक से यह विवाद प्रारम्भ हुआ कि "उदन्त मार्तण्ड" हिन्दी का पहला पत्र है अथवा नहीं परन्तु आज विद्वानों का मत यही है कि "उदन्त मार्तण्ड" हिन्दी का पहला पत्र है।

अब तक के उपलब्ध इतिहास और अनुसंधान से यही बात पुष्ट हुई है कि उदन्त मार्तण्ड ही हिन्दी का

पहला समाचार–पत्र है। उदन्त मार्तण्ड यद्यपि दीर्घकाल तक प्रकाशित नहीं हो सका। किन्तु अपने अल्पजीवन में इसे जो लोकप्रियता प्राप्त हुई उससे देश के अन्य भागों में कई व्यक्तियों को हिन्दी में अखवार निकालने की प्रेरणा मिली।

साहित्यकार और पत्रकार का दायित्व :

भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों की अवधारणा रूपायन और प्रतिष्ठा, पत्रकारिता के साथ ही साहित्यिक मेधा भी अनेक पत्रकारों की उपलब्धि है। साहित्यिक मूल्य लोकतांत्रिक मूल्यों के घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। स्वतंत्र इच्छा के द्वारा जनमानस को आत्मनिर्भर और जागरूक बनाना और मनुष्य की अस्मिता के प्रति संवेदनशील सूचना लोकतंत्र की बुनियादी पहचान है।

साहित्यकार और उसके विचारों के प्रसार का दायित्व आज पत्रकारिता पर भी है। साहित्यकार के संदर्भ में वैयक्तिक स्वतंत्रता का मूल्य महत्त्व रखता है किन्तु इसका दुराग्रह उसे पृथक् करता है अनायास वह लोकमंगल की प्रेरणा से रिक्त हो जाता है। ऐसी व्यक्तिनिष्ठ अभिव्यक्ति को साहित्य कहने में भी विवेकशील व्यक्ति को संकोच होता है।

पत्रकारिता और साहित्य के बीच गहरा संबंध है। अपना पृथक् अस्तित्त्व रखते हुए भी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब पत्रकारिता और साहित्य की तुलना की जाती है तो कहा जाता है कि पत्रकारिता तात्कालिक यथार्थ पर टिकी हुई होती है। पत्रकार अपने आसपास जो कुछ देखता है उसका स्थूल वर्णन कर देता है दूसरी ओर साहित्यकार की पकड़ सूक्ष्म होती है। पत्रकार जो कुछ लिखता है उसके तात्कालिक प्रभाव से उसका लक्ष्य सिद्ध हो जाता है जबकि साहित्य में आम बातों को शाश्वत तथ्यों एवं मूल्यों से जोड़ने की कोशिश की जाती है। इसके लिए एक विशेष प्रकार की रचनात्मक शक्तियों की आवश्यकता होती है जिसमें यह शक्ति होती है और जो सामान्य तथ्यों को भी शाश्वत सत्य से जोड़कर उन्हें स्थाई अस्तित्त्व प्रदान करता है वही साहित्यकार है। पत्रकार के लिए यह शर्त आवश्यक नहीं होती। उसके लेखन में तात्कालिक प्रभाव ही मुख्य होता है। श्रेष्ठ स्तर के साहित्य में सामयिक संस्पर्श होता है उसकी बहुलता नहीं होती।

इस सत्य से इंकार नहीं किया जा सकता है कि राष्ट्रीय भावना से अनुप्राणित प्रायः हर महान व्यक्ति कभी पत्रकार या पत्रों से जुड़ा रहा है। राजाराम मोहन राय से लेकर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू यहां तक कि आज के भारत के प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी, डॉ. राममनोहर लोहिया सभी पत्रकार रहे हैं। यही बात आधुनिक हिन्दी साहित्य के अनेक ख्यातिलब्ध श्रेष्ठ लेखकों पर भी लागू होती है। हिन्दी साहित्य के युगप्रवर्तक गद्यकार भारतेन्दु हरिश्चन्द्र भी पत्रकार थे। धर्मवीर भारती, सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन भी पत्रकार रहे। हिन्दी गद्य के विकास में इन पत्रकारों का योगदान अविस्मरणीय है।

भारतेन्दु युग के साहित्य के विशिष्ट विवेचन के प्रसंग में प्रायः यह कहा जाता है कि अधिकांश पत्रकारिता का साहित्य है जिस पर तत्कालीन प्रभाव प्रमुख है। इसलिए उसमें उन शाश्वत मूल्यों की कमी है जो साहित्य को युगसीमा से मुक्त करने वाला और उसे युग–युग को आलोक देने की शक्ति से सम्पन्न करने वाला अनिवार्य तत्त्व है। भारतेन्दु युग का साहित्य शाश्वत मानव मूल्यों और मानवीय संवेक्षा की कलात्मक भूमि से उदासीन होकर युग धर्म के प्रति अधिक सचेत था। इसलिए वह युग विशेष का साहित्य होकर रह गया। युग–युग का साहित्य न हो सका।'

साहित्य के दीर्घ जीवन के लिए उसमें पत्रकारिता का समावेश आवश्यक है जिस साहित्य को पत्रकारों का सम्बल प्राप्त नहीं होता वह अधिक दिन तक जीवित नहीं रह सकता। पत्रकार की विशेषता यह है कि वह सब कुछ अपने समय के बारे में लिखता है यही इस बात का प्रतीक है कि वह चाहे तो भविष्य के बारे में बहुत कुछ और सही–सही लिख सकता है। पत्रकार जब सामायिक संदभों से शाश्वत मूल्यों से जोड़कर कुछ लिखता है तो वही साहित्य बन जाता है। यदि पत्रकार अपने पत्रों के माध्यम से जनसाधारण में साहित्यिक चेतना न जगाये तो साहित्य के बड़े–बड़े ग्रन्थ अपठित रहकर पूर्णरूप से अनुपयोगी हो जाएं। पत्रकारिता से ही लोकरुचि का परिष्कार संभव है और बहुत हद तक पत्रकार भी साहित्य के अभावों को पूरा करते हैं।

सामयिक परिवेश से किसी न किसी रूप में प्रत्येक लेखक प्रेरणा ग्रहण करता है चाहे वह साहित्यकार हो या पत्रकार दोनों ही लेखक हैं, दोनों ही रचनाधर्मी हैं, दोनों के कार्य किन्हीं ऐसे गुणों की अपेक्षा करते हैं जो दोनों के लिए अपरिहार्य हैं–अनावृत्त, दृष्टि, चिन्तन, लेखक में प्रेषणीयता की शाक्ति देश और काल दोनों के आयामों पर अपनी–अपनी विशिष्ट परम्पराओं के अतिरिक्त उस संश्लिष्ट सांस्कृतिक परम्परा उस सामाजिक चेतना प्रवाह से भी संबद्ध है जिसमें उन्हें अपनी बात औरों के प्रति निवेदन करने की प्रेरणा और शक्ति मिलती है।

साहित्यकार जिस शाश्वत साहित्य का निर्माण करता है उसकी गतिशीलता और विकास के लिए पत्रकारिता आवश्यक है। पत्रकारिता साहित्य के मार्ग में अवरोध नहीं बनती बल्कि उसकी यथेष्ठ सहायता करती है और यदि पत्रकारिता के बारे में विस्तृत अध्ययन किया जाता है तो उसे साहित्येतर प्रयास नहीं कहा जा सकता। पत्रकारिता चूंकि साहित्य में बहुत गहरे जुड़ी है और दोनों में अन्योन्याश्रित संबंध है अतः पत्रकारिता के साहित्यिक अनुशीलन का औचित्य स्वयं सिद्ध हो जाता है।

पत्रकारिता के माध्यम से भाषा और साहित्य दोनों के विकास को बल प्राप्त होता है अतः साहित्य के इतिहास के लिए पत्रकारिता के विकास के क्रमबद्ध इतिहास का ज्ञान होना भी आवश्यक है। पत्रकारिता से हिन्दी गद्य की भाषा और शैली का ययेष्ठ परिमार्जन हुआ है। हिन्दी साहित्य की भूमिका का निर्माण करने में भी समाचार–पत्रों का योगदान सराहनीय है। हिन्दी भी साहित्यिक पत्रकारिता ने हिन्दी के कितने ही दिग्गज रचनाकारों को जन्म दिया। मतवाला का प्रकाशन हिन्दी पत्रकारिता के साहित्यिक पक्ष के अभ्युदय का संकेत था। इसी पत्र ने हिन्दी साहित्य को निराला जैसा कवि दिया।

हिन्दी पत्रकारिता का उद्‌भव एक ऐसे युग में हुआ था जिसमें पत्रकारों का दायित्व बहुत बड़ा था और एक ओर उन्हें सरकारी दमन नीति से संघर्ष करना था और दूसरी ओर अपने देशवासियों की अल्पज्ञता और रुढ़िवादिता से उन्हें उठाकर जागृत करना था। उस समय आज की तरह प्रचार एवं प्रसार के यथेष्ठ साधन नहीं थे। मुद्रण से लेकर प्रसार तक की सारी जिम्मेदारी सम्पादक की होती थी। उस काल में भी कुछ ऐसे हिन्दी पत्र प्रकाशित किये गये जिनमें हिन्दी पत्रकारिता तो विकसित और सुदृढ़ हुई ही खड़ी बोली के विकास को भी गति मिली और पत्रकारिता के माध्यम में निर्मित साहित्य राष्ट्रीय भूमिका के सफल निर्वाह की स्थिति में पहुंच गया। हिन्दी पत्रकारिता की कहानी वास्तविक रूप से भारतीय राष्ट्रीयता की कहानी है।

पत्रकारिता का तिलक युग :

तिलक युग की पत्रकारिता में मुख्य ध्यान भाषा के महत्त्व को स्थापित करना तथा उसके विकास और परिमार्जन के लिए प्रयास करना था। इसी युग में अन्य प्रमुख पत्र थे "भारत मित्र" और "नृसिंह" इन पत्रों ने लिपि

और भाषा के लिए तो काम किया ही अन्य अनेक राष्ट्रीय समस्याओं में भी गहरी रुचि ली। इन पत्रों ने हिन्दी भाषा के प्रश्न को राष्ट्रीय प्रश्न का रूप दे दिया। इस युग में दुर्गाप्रसाद मिश्र,अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी और बाबूराव विष्णु पराड़कर जैसे महान पत्रकार हुए। श्री लक्ष्मीनारायण गर्दे भी इसी युग के पत्रकार हैं। इन पत्रकारों ने अपनी लेखनी से हिन्दी भाषा के राष्ट्रीय महत्त्व का उद्‌घाटन किया और राष्ट्रीय मुक्ति के आन्दोलन को गति और स्वर प्रदान करने में योगदान दिया।

गांधी युग की पत्रकारिता :

हिन्दी पत्रकारिता की कहानी का सही अर्थों में आरम्भ गांधी युग की पत्रकारिता से होता है। हंस, विशाल भारत, मतवाला, सुधा आदि पत्र–पत्रिकाओं का प्रकाशन भी गांधी युग में ही हुआ। उन दिनों हिन्दी का गद्य अपने परिष्कृत रूप में प्रकाश में आ रहा था। उन्हीं दिनों काशी में "हंस" और "माधुरी" के द्वारा नई संचेतना तथा गद्य का नया रूप प्रकाश में आ रहा था। तत्कालीन पत्रकार अपना सर्वस्व बलिदान कर हिन्दी भाषा, साहित्य और हिन्दू संस्कृति के उन्नयन की कामना करते थे वे अपने सिद्धान्तों के प्रति इतने निष्ठावान होते थे कि प्रतिकूल परिस्थितियों के भयंकर आघात से भी अपने आदर्श से विचलित नहीं होते थे। गांधी युग के मूर्धन्य पत्रकार थे आचार्य शिवपूजन सहाय। सहाय जी ने "आज" के माध्यम से हिन्दी साहित्य की बहुत सेवा की वे पत्रकार के साथ–साथ साहित्यकार भी थे और उनकी प्रेरणा और प्रोत्साहन से अनेक साहित्यिक प्रतिभाओं का जन्म हुआ। आजीवन सम्पादन करते रहने पर भी उनकी सृजनशक्ति अकुंठित थी। हिन्दी से उन्हें अनन्य प्रेम था और उसकी समृद्धि के प्रति पूर्ण आश्वस्त थे। वे हिन्दी को विश्व फलक पर देखना चाहते थे और हिन्दी को पूरे विश्व के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली भाषा के रूप में देखना चाहते थे, संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा देखना चाहते थे।

हिन्दी को राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने में पत्रकारिता के अविस्मरणीय योगदान की अनदेखी असंभव है। साहित्यकारों, पत्रकारों द्वारा सम्पादित दैनिक और साप्ताहिक में लगभग तीन–चार दशक तक हिन्दी के प्रमुख, इतिहासकारों की कृतियां स्थान पाती रही हैं और इन कृतिकारों ने लेखकीय जीवन के प्रारंभ और उनके संबंध में पराड़कर जी की प्रेरणा को मुक्त कण्ठ से सहज स्वीकारा है। "आज" में लिखने वाले हिन्दी सेवियों की लम्बी सूची है जिसमें आचार्य नरेन्द्रदेव, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्राकुमारी चौहान, हजारीप्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, रामेश्वर शुक्ल अंचल, विनोदशंकर व्यास, अन्नपूर्णानन्द, वेढब बनारसी, डॉ. भगवानदास, लक्ष्मीनारायण ईश, किशोरीप्रसाद वाजपेयी, उदित मिश्र, मुकुन्दलाल श्रीवास्तव, हरिवंशराय बच्चन, शिवप्रसाद मिश्र रुद्र आदि।

हिंदी गद्य के विकास में साहित्यिक पत्रिकाओं का योगदान सराहनीय है हिंदी के प्रति उसने निर्भीकता की नीति अपनाई।

साहित्यिक पत्र ब्राह्मण :

हिंदी साहित्य पत्रिकाओं में सन् 1883 में प्रसिद्ध साहित्यिक पत्र 'ब्राह्मण' का प्रकाशन कानपुर से आरंभ हुआ। पं० प्रतापनारायण मिश्र इसके संपादक थे। यह एक मासिक पत्र था। इसके ग्राहकों की संख्या दो सौ थी, उसकी आर्थिक स्थिति अत्यन्त दयनीय थी, फिर भी 1887 तक कानपुर से ही यह प्रकाशित होता रहा। बाद में इसको प्रकाशित करने का भार खड्‌ग विलास प्रेस, बांकीपुर के बाबू रामदीन सिंह ने उठाया। इसका प्रथम अंक 15 मार्च, 1883 को प्रकाशित हुआ था। मिश्र जी का अधिकांश साहित्य इसी पत्र के माध्यम से हिन्दी संसार के सम्मुख प्रकाशित हुआ। मिश्र जी की संपादनकला के कारण 'ब्राह्मण' अपने समय में प्रसिद्धि के शिखर पर था।

इस पत्र ने गद्य शैली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रतापनारायण मिश्र की भाषा अत्यन्त सरल और सुबोध थी। इसमें प्रकाशित निबंधों की भाषा में हास्य, सत्यकथन, साहस तथा देश प्रेम कूट–कूट कर समाया रहता था। इसमें रातनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, भाषा विषयक तथा विभिन्न प्रकार के निबंध प्रकाशित होते थे। मिश्र जी की अधिकांश रचनाएं उपदेश प्रधान होती थीं। जैसे "कन्नौजियों की तरह डंडेबाजी से नारियां केवल डर सकती हैं, प्रीति न करेंगे। अग्रवालों, खत्रियों की भांति निरी स्वतंत्रता सौंप देने से भी वे सिर चढ़ेंगी। अतः भय और प्रीति दोनों दिखाना, स्वतंत्र परतंत्र दोनों बनाये रखना। मौके मौके से उन्हें अनुमति और शिक्षा भी देते रहना और कभी–कभी उनकी सलाह भी लेते रहना। बस इन उपायों से संभव है कि भारतकन्यायें पुनः 'पतिव्रता' की ओर झुकने लगेंगी।" हिन्दी पत्रकारिता का साहित्य क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। पुस्तकों के अलावा पत्र–पत्रिकायें साहित्यिक रचनाओं और साहित्यकारों को प्रकाश में लाने का प्रमुख माध्यम रही है। हिन्दी पत्रकारिता के प्रारंभिक स्वरूप पर साहित्य का बहुत गहरा प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित है परन्तु बड़े दुःख की बात है कि अब हिन्दी पत्रकारिता और साहित्य की दूरी बढ़ती जा रही है। साहित्य की विविध विद्याओं के विकास के साथ ही भाषा के परिमार्जन, नये शब्दों के निर्माण, व्याकरण संबंधी मानदण्ड तथा साहित्य की आलोचना के मानदण्ड स्थिर करने की दिशा में हिन्दी के पत्रों का योगदान कम महत्त्वपूर्ण नहीं है।

हिन्दी पत्रकारिता आज भी बहुत हद तक अंग्रेजी के सहारे चल रही है। बड़े हिन्दी समाचार–पत्रों में हिन्दी संवाद समितियों के टेलीप्रिन्टों की कमी है। आज हिन्दी पत्रकारिता में जो कुछ लिखा पढ़ा जा रहा है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अंग्रेजी में अनूदित है। बड़े हिन्दी अखबारों के सामने नितान्त दयनीय है उनमें काम करने वाले सम्पादकों से लेकर छोटे कर्मचारी तक उन सुविधाओं से वंचित हैं जो अंग्रेजी अखबार में काम करने वाले लोगों को प्राप्त हैं उनके पीछे समाचार–पत्रों के मालिकों की विवशता है। सर्वेक्षणों से यह सिद्ध हो गया है कि औसतन एक हिन्दी अखवार अंग्रेजी अखबारों की अपेक्षा लोगों द्वारा पढ़ा जाता है। हिन्दी भाषियों की संख्या सर्वाधिक है फिर भी आज हिन्दी पत्रकारिता काफी पिछड़ी हुई है। इसका सीधा परिणाम हुआ है कि हिन्दी पत्रकारिता से साहित्य की दूरी बढ़ती जा रही है।

हिन्दी समाचार–पत्रों को आज भी अपेक्षित सम्मान नहीं मिला है। हम अंग्रेजी का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं। हिन्दी का पत्रकार कहने में हीन भावना भी कई पत्रकारों में महसूस होती है। राष्ट्रीय स्तर की साप्ताहिक पत्र–पत्रिकाएं भी विदेशी अखबारों और पत्र–पत्रिकाओं की नकल कर रही हैं। उनके पास जो थोड़ी बहुत मौलिकता है भी वह इस नकल से दब जाती है। अंग्रेजी मानो हमारी विवशता बन चुकी है। दैनिक अखबारों को मिलने वाले समाचार मुख्यतः अंग्रेजी के होते हैं। हिन्दी में उनके अनुवाद की व्यवस्था करनी होती है। इन पत्रों के सम्पादक और उपसम्पादक मात्र अनुवादक बनकर रह जाते हैं। इस अनुवाद कार्य पर बहुत धन व्यय करना होता है। अच्छे अनुवादक प्राप्त करने की समस्या अलग है। आज स्थिति यह है कि हिन्दी पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करने के लिए हिन्दी का अच्छा ज्ञान तो होना ही चाहिए अंग्रेजी का भी उससे कहीं अधिक ज्ञान होना चाहिए। बहुत से प्रतिभाशाली साहित्यकार इसी कारण हिन्दी पत्रकारिता से दूर भागते हैं।

हिन्दी अखबार अंग्रेजी अखवार के तौर–तरीकों की नकल तो करते ही हैं उनमें प्रकाशित सामग्री भी ले लेते हैं। हिन्दी का पाठक बहुत कुछ बासी सामग्री ही पाता है हिन्दी पत्रों के पाठकों में वस्तुतः जागरूकता का अभाव था। इसका कारण उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति है अंग्रेजी पत्रकारिता आगे–आगे और हिन्दी

पत्रकारिता उसके पीछे–पीछे चल रही है। अंग्रेजी पत्रकारों के साहस का हिन्दी वाले लाभ उठाते हैं। हिन्दी पत्रकारों में मौलिक साहस का अभाव है। हिन्दी पत्रकारिता की दुर्दशा का एक कारण यह भी है।

हिन्दी पत्रकारिता के अंग्रेजी के चुंगल से मुक्त कराने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है। इन संगठनों में विभिन्न मतों तथा भाषाओं के लोग शामिल हैं अतः इनसे किसी प्रकार की आशा करना व्यर्थ है। हिन्दी पत्रकारों को हिन्दी पत्रकारिता के स्तरोन्नयन के लिए अलग प्रयास करना होगा। इसके लिए रचनात्मक कार्य दृष्टि की जरूरत है।

वर्तमान स्थिति में अंग्रेजी को बिल्कुल छोड़कर चल पाना तो हिन्दी पत्रकारों के लिए संभव नहीं है किन्तु अंग्रेजी से अलग होने का धीरे–धीरे प्रयास किया जाना चाहिए। इसमें हिन्दी की परामुखपेक्षी स्थिति में काफी सुधार हो सकता है। हिन्दी के संवाददाताओं के सामने भी कम समस्यायें नहीं हैं। बड़े अधिकारी और अन्य लोग प्रायः हिन्दी अखवारों के संवाददाताओं की अपेक्षा फटफट अंग्रेजी बोलने वाले पत्रकारों से ज्यादा जल्दी घुल–मिल जाते हैं। इसलिए न चाहते हुए भी हिन्दी के संवाददाताओं को समाचार संकलन के लिए अंग्रेजी का सहारा लेना पड़ता है। इसके लिए जरूरी है कि सरकारी स्तर पर भी हिन्दी के समाचार–पत्रों को यथेष्ट महत्त्व प्रदान किया जाए।

यह सन्तोष की बात है कि कुछ पत्र हिन्दी पत्रकारिता के क्षेत्र में मौलिक चीजें ला रहे हैं कुछ नया कर दिखाने का जोखिम भी उठा रहे हैं इसका कहीं–कहीं विरोध भी किया जाता है पर यदि हिन्दी पत्रकारिता को अंग्रेजी के चंगुल से मुक्ति दिलानी है तो हिन्दी पत्रकारिता के क्षेत्र में नये परिवर्तनों को स्वीकार करना ही होगा। अतः यह स्पष्ट है कि साहित्य से पत्रकारिता को जोड़े रखने के लिए हिन्दी पत्रकारिता को अपनी स्वयं की मातृभूमि की तलाश करनी पड़ेगी। बाबू श्यामसुंदर दास के शब्दों में "पत्रिकाएं साहित्य की उन्नति का थर्मामीटर हैं, जो बताती हैं कि समाज में चेतना कितनी बढ़ी है।"[5]

साहित्य और हिन्दी पत्रकारिता का संबंध अटूट है। इससे स्पष्ट है कि पत्रों और पत्रिकाओं ने साहित्य की विधाओं के जो आधारभूत प्रतिमान स्थापित किये हैं वे हिन्दी भाषा, साहित्य और पत्रकारिता के स्तम्भ हैं। भारतेन्दु, प्रसाद, प्रेमचंद, आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय, रघुवीर सहाय, कमलेश्वर, राजेन्द्र यादव, मनोहर श्याम जोशी, अशोक वाजपेयी आदि साहित्य मर्मज्ञ, विद्वान महान साहित्यकार के साथ–साथ पत्रकारिता के भी अलोक स्तम्भ थे।

निष्कर्ष :

मानव–समाज का कल्याण वर्तमान साहित्यिक पत्रकारिता से ही सम्भव है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निर्भीकतापूर्वक सम्पादन नीतियों का पालन करना आवश्यक है। सम्पादक की सफलता इसी में है कि वह परिश्रमपूर्वक इस उत्तरदायित्व को सतत निभाने की चेष्टा करता रहे। हिंदी–पत्रकारिता का श्रीगणेश कला और साहित्य की सेवा–भावना को लेकर हुआ था। व्यवसाय से उसका विशेष सम्बन्ध नहीं था। परन्तु पाश्चात्य पत्रकारिता की अधानुकृति के कारण भारतीय सम्पादकों को भी व्यवसाय–चक्र में उलझ जाना पड़ा। परन्तु पाश्चात्य सम्पादक जहाँ अपनी व्यावहारिक नीति के कारण उत्तरोत्तर सफल होता रहा, वहाँ एतत्देशीय सम्पादक अपनी एकांगिकता के कारण निंरतर कृतकार्य नहीं रहा। इस नाते बहुत कुछ हमारे यहाँ परिश्रमशील, जिज्ञासु और तथ्यान्वेषी सम्पादकों की बड़ी कमी रही। यद्यपि स्वतंत्र भारत में 'प्रेस स्वातन्त्र्य' संविधान–द्वारा मान्य है,

तथापि सरकार राष्ट्रीय हितों के लिए पत्रकारिता पर अनेक प्रकार के मर्यादित नियंत्रण रखती है। भारत में यद्यपि आजकल पत्रकारिता जन–सामान्य प्रचलित होकर एक प्रतिष्ठित व्यवसाय का रूप ले चुकी है, तथापि उसकी नैतिकता जन–समर्थित भावनाओं का सही अर्थों में सफल प्रतिनिधित्व आज नहीं कर पा रही है। सन् 1650 ई. में अखिल भारतीय सम्पादक सम्मेलन के अवसर पर जवाहरलाल नेहरू ने पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए कहा था– 'जीवन में जो कुछ निकृष्ट है उसका क्रमशः बढ़ते जाना रोकने में सहायता करना पत्रकारों का कर्तव्य है। पत्रकारों को अधिक ऊँचे दर्जे की तथा अधिक उज्ज्वल सामाजिक चेतना के निर्माण में ही सहायता नहीं करनी है वरन् जीवन की छोटी–छोटी बातों में सामाजिक व्यवहार करना सिखाने में भी।' हिन्दी पत्रकारिता को सम्बोधित करते हुए नेहरू ने जिस बात का संकेत किया था, उसके प्रति आज का सम्पादक आस्थावान् होता जा रहा है, यह एक शुभ लक्षण है।

स्वतंत्र भारत में पत्रकारिता और सम्पादन–कला का दिनोंदिन विकास हो रहा है। निःसंदेह आज की पत्रकारिता सर्वतोभावेन राष्ट्रीय विचारों और भावों का प्रतिनिधित्व करती हुई निरंतर अग्रसर होती जा रही है।

संदर्भ सूची :

1. गांधी महात्मा, हिंद स्वराज, प्रथम संस्करण 1909, स्थान – दक्षिण अफ्रीका।
2. हरिश्चंद्र भारतेंदु, कविवचनसुधा पत्रिका, प्रथम संस्करण – 1868, स्थान– बनारस।
3. भट्ट बालकृष्ण, हिंदी प्रदीप, प्रथम संस्करण – 1881, स्थान – इलाहाबाद।
4. शुक्ला आचार्य रामचंद्र, हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रथम संस्करण 1929, स्थान माइंस वाराणसी।
5. दास बाबू श्यामसुंदर, साहित्यालोचन, प्रथम संस्करण 1922, स्थान – वाराणसी।
6. पंत, नवीन चंद्र, पत्रकारिता के मूल सिद्धांत, प्रकाशक– कनिष्का पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, स्थान– नई दिल्ली, प्रथम संस्करण प्रथम संस्करण–1995, द्वितीय संस्करण– 2001।
7. सिंह जोगेंद्र, हिंदी पत्रकारिता की दिशाएं, प्रकाशक – आकाश गंगा पब्लिकेशन, स्थान – शाहदरा दिल्ली, संस्करण– 2004।
8. शर्मा डॉक्टर ठाकुरदत्त 'आलोक', हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार, प्रकाशक– वाणी प्रकाशन, स्थान– नई दिल्ली, प्रथम संस्करण 2000।
9. त्रिपाठी, डॉ रमेश चंद्र, पत्रकारिता के सिद्धांत, प्रकाशक– अशोक प्रकाशन, स्थान– नई दिल्ली, नवीन संस्करण–2010
10. मिश्रा, डॉ कृष्ण बिहारी, हिंदी पत्रकारिता, प्रकाशक– वाणी प्रकाशन, स्थान स्थान– कोलकाता, संस्करण– पुस्तक का नवीनतम संस्करण 2 दिसंबर 2022 और 1 जनवरी 2023।

ईमेल – rekhatripathi1272@gmail.com

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 14, Issue 5-6
पृष्ठ : 20-28

Constitutional Morality and Juvenile Justice : A Preventive Legal Framework for India

Ashwani Kumar Singh, Research Scholar
Dr. Sandip Kumar Baghel, Associate Professor
Department of Law, Nehru Gram Bharati (Deemed to be University)

Abstract :

The principle of constitutional morality has increasingly shaped the trajectory of Indian constitutional jurisprudence, serving as a normative compass for interpreting rights and obligations within a democratic framework. In the domain of juvenile justice, this principle assumes heightened importance due to the inherent vulnerability and developmental needs of children in conflict with law. This paper examines the intersection between constitutional morality and juvenile justice in India, arguing that a preventive legal framework rooted in constitutional values is essential for addressing juvenile delinquency effectively. While the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 provides a comprehensive statutory mechanism, its implementation reveals significant gaps that undermine its reformative intent. The study adopts a doctrinal and analytical methodology, drawing upon constitutional provisions, judicial pronouncements, and scholarly literature. It highlights the tension between reformative and punitive approaches and concludes that embedding constitutional morality into juvenile justice policies can transform the system into a preventive and child-centric framework.

Keywords :

Constitutional Morality; Juvenile Justice; Preventive Framework; Child Rights; Rehabilitation; Indian Constitution; Juvenile Delinquency.

1. Introduction :

Juvenile delinquency represents a multifaceted socio-legal challenge in India, requiring responses that extend beyond traditional criminal law paradigms. The increasing involvement of minors in criminal activities has intensified debates regarding the adequacy and orientation of the juvenile

justice system. However, addressing juvenile delinquency solely through punitive mechanisms undermines the broader constitutional vision of justice and human dignity.

The Indian Constitution envisions a transformative society rooted in justice, equality, and liberty. Within this framework, children are recognized as a vulnerable group deserving special protection. The concept of constitutional morality reinforces this vision by requiring that laws and policies reflect the underlying values of the Constitution rather than merely adhering to its text[1].

In the realm of juvenile justice, constitutional morality necessitates a shift toward preventive and reformative approaches. Children in conflict with law are often products of socio-economic deprivation, lack of education, and adverse environmental conditions. Therefore, the legal system must focus on addressing these root causes rather than emphasizing punishment.

Despite the progressive framework established by the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, concerns remain regarding its implementation and its alignment with constitutional values. The provision allowing juveniles aged 16–18 to be tried as adults in certain cases reflects a tension between societal demands for justice and the constitutional mandate for child protection[2].

This paper examines whether the current juvenile justice system in India embodies constitutional morality and explores how it can be restructured to emphasize prevention and rehabilitation.

2. Objectives of the Study :

The study is guided by the following objectives :

- To analyze the concept of constitutional morality within Indian constitutional jurisprudence.
- To examine constitutional provisions relating to child rights and juvenile justice.
- To critically evaluate the legal framework governing juvenile justice in India.
- To identify gaps in implementation and preventive mechanisms.
- To propose a preventive legal framework grounded in constitutional morality.

3. Review of Literature :

The concept of constitutional morality has been widely discussed in Indian legal scholarship. M.P. Jain emphasizes that the Constitution is a dynamic instrument aimed at achieving social transformation and justice[3]. Similarly, Upendra Baxi highlights the role of constitutional morality in promoting human rights and limiting state arbitrariness?.

In the context of juvenile justice, Ved Kumari provides a comprehensive analysis of the evolution of child protection laws in India, emphasizing the transition from welfare-based approaches to rights-based frameworks?. Her work underscores the importance of aligning domestic laws with

international standards such as the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC). Scholars such as Asha Bajpai have critically examined the implementation of juvenile justice laws in India, pointing out systemic deficiencies in institutions such as Juvenile Justice Boards and Child Welfare Committees?. These deficiencies hinder the realization of reformative and preventive objectives. Recent studies have focused on the punitive shift in juvenile justice law, particularly following amendments that allow juveniles to be tried as adults in certain cases. Critics argue that such provisions contradict the principles of rehabilitation and the best interests of the child?.

Overall, the literature reveals a gap between the normative framework of juvenile justice and its practical implementation, highlighting the need for a preventive approach grounded in constitutional morality.

4. Research Methodology :

This study adopts a **doctrinal and analytical research methodology**, focusing on the examination of primary and secondary legal sources.

4.1 Nature of Study :

The research is qualitative in nature, relying on textual analysis of constitutional provisions, statutes, and judicial decisions.

4.2 Sources of Data :

- **Primary Sources** : Constitution of India, statutes (especially the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015), and judicial pronouncements.
- **Secondary Sources** : Books, research articles, law commission reports, and international conventions.

4.3 Method of Analysis :

The study employs :

- Doctrinal analysis of legal provisions
- Comparative insights from international frameworks
- Critical evaluation of policy implementation

4.4 Scope and Limitations :

The study is limited to the Indian legal framework, with selective references to international standards. Empirical data is not extensively used, as the focus is on legal analysis.

5. Constitutional Analysis : Embedding Morality into Juvenile Justice :

The Indian Constitution is not merely a legal document but a transformative charter aimed at establishing a just social order. The doctrine of constitutional morality plays a pivotal role in ensuring that laws and policies align with the core values of justice, dignity, equality, and liberty. In the context

of juvenile justice, this doctrine requires a fundamental reorientation of legal responses from punishment to prevention and rehabilitation.

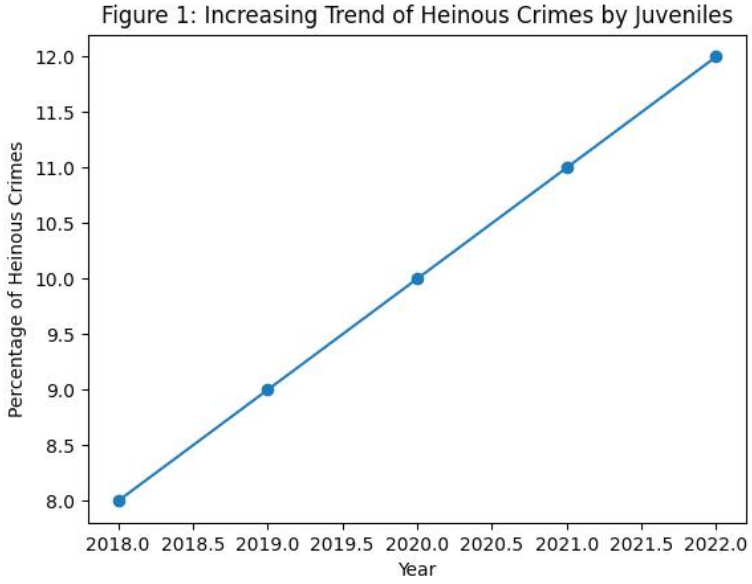

The constitutional framework explicitly recognizes the need for special protection of children. Article 15(3) empowers the State to make special provisions for children, while Article 21 guarantees the right to life and personal liberty, which has been judicially expanded to include the right to live with dignity and access to opportunities for development?. Furthermore, Directive Principles such as Article 39(e) and (f) mandate the State to ensure that children are protected against exploitation and are given opportunities to develop in a healthy manner?.

Constitutional morality requires that these provisions be interpreted in a manner that prioritizes the best interests of the child. This principle is also reflected in international instruments such as the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC), to which India is a signatory[1]?.

The UNCRC emphasizes rehabilitation, reintegration, and the avoidance of punitive measures that may harm the child's development.However, the current juvenile justice framework in India reveals a tension between constitutional morality and societal demands for retribution.

The provision allowing juveniles aged 16–18 to be tried as adults in cases of heinous offences raises serious constitutional concerns. It challenges the principles of equality and non-discrimination by subjecting children to differential treatment based on the nature of the offence rather than their age and developmental status.

From the perspective of constitutional morality, such provisions risk undermining the fundamental premise that children are inherently reformable and deserving of a second chance. The Constitution envisions a system that nurtures and rehabilitates rather than stigmatizes and punishes.

TABLE 1 : Constitutional vs Practical Reality Gap

Constitutional Provision	Intended Protection	Ground Reality	Gap Identified
Article 21	Right to dignity	Institutional abuse cases	Weak enforcement
Article 15(3)	Special protection for children	Limited policy reach	Policy-implementation gap
Article 39(f)	Healthy development	Poor rehab homes	Infrastructure failure
UNCRC Principles	Best interest of child	Punitive approach in heinous crimes	Legal inconsistency

6. Judicial Approach: Evolution of Juvenile Justice Jurisprudence :

The Indian judiciary has played a significant role in shaping the contours of juvenile justice through progressive interpretations of constitutional provisions. Courts have consistently emphasized the importance of a child-centric approach and the need for reformative justice.

In *Sheela Barse v. Union of India*, the Supreme Court highlighted the necessity of protecting children in custodial institutions and ensuring humane treatment[11]. The Court recognized that children in conflict with law require care and protection rather than punishment.

Similarly, in *Pratap Singh v. State of Jharkhand*, the Court clarified the determination of juvenility and reinforced the principle that age must be assessed in a manner that benefits the child[12]. This judgment underscored the importance of safeguarding the rights of juveniles within the legal system.

In *Salil Bali v. Union of India*, the Supreme Court upheld the constitutional validity of maintaining the age of juvenility at 18 years, emphasizing that international standards and child psychology support a reformative approach[13]. The Court rejected arguments advocating for a lower age threshold, reaffirming the commitment to child rights.

More recently, judicial discourse has grappled with the implications of trying juveniles as adults. While courts have acknowledged societal concerns regarding heinous crimes, they have also stressed the need for careful assessment of the child's mental and physical capacity before transferring cases to adult courts.

The judiciary's approach reflects an attempt to balance competing interests; however, it also reveals inconsistencies in the application of constitutional morality. While progressive in principle, judicial decisions sometimes accommodate punitive tendencies, thereby diluting the reformative ethos of juvenile justice.

7. Issues and Challenges in the Existing Framework :

Despite a robust constitutional and statutory framework, the prevention of juvenile delinquency in India faces numerous challenges.

7.1 Shift Towards Punitive Approach :

One of the most significant challenges is the increasing inclination toward punitive measures. Public outrage in cases involving heinous crimes has influenced legislative changes that prioritize deterrence over rehabilitation. This shift undermines the foundational principles of juvenile justice and contradicts constitutional morality[1]?.

7.2 Implementation Gaps :

The effectiveness of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 is hindered by inadequate implementation. Juvenile Justice Boards and Child Welfare Committees often suffer from lack of resources, training, and infrastructure. This results in delays, procedural lapses, and suboptimal outcomes for children[1]?.

7.3 Socio-Economic Factors :

Juvenile delinquency is closely linked to socio-economic conditions such as poverty, lack of education, family disintegration, and substance abuse. The legal framework, however, often fails to address these root causes effectively, focusing instead on post-offence responses[1]?.

7.4 Lack of Preventive Mechanisms :

Preventive strategies, such as community-based interventions, early identification of at-risk children, and educational programs, are largely underdeveloped in India. The absence of a comprehensive preventive framework limits the ability of the legal system to address juvenile delinquency proactively.

This systemic inadequacy results in delayed intervention, allowing minor behavioural issues to escalate into serious criminal conduct. Consequently, the juvenile justice system remains predominantly reactive rather than anticipatory, thereby undermining its reformative and constitutional objectives.

7.5 Institutional Deficiencies :

Observation homes and special homes, which are intended to facilitate rehabilitation, often operate under poor conditions. Reports indicate issues such as overcrowding, lack of trained staff, and inadequate rehabilitation programs[1]?. These deficiencies compromise the effectiveness of the juvenile justice system.

8. Towards a Preventive Legal Framework :

A preventive legal framework grounded in constitutional morality requires a paradigm shift in

the approach to juvenile justice. Such a framework should focus on addressing the underlying causes of delinquency and promoting holistic child development.

8.1 Strengthening Constitutional Values :

The integration of constitutional morality into juvenile justice policies necessitates a reaffirmation of core values such as dignity, equality, and social justice. Laws and policies must be interpreted and implemented in a manner that prioritizes the best interests of the child.

8.2 Community-Based Interventions :

Preventive strategies should emphasize community participation and support systems. Programs aimed at strengthening families, improving access to education, and providing vocational training can significantly reduce the risk of juvenile delinquency.

8.3 Reforming Legal Institutions :

Institutional reforms are essential for ensuring effective implementation of juvenile justice laws. This includes capacity building for members of Juvenile Justice Boards, improving infrastructure, and ensuring accountability mechanisms.

8.4 Diversion and Restorative Justice :

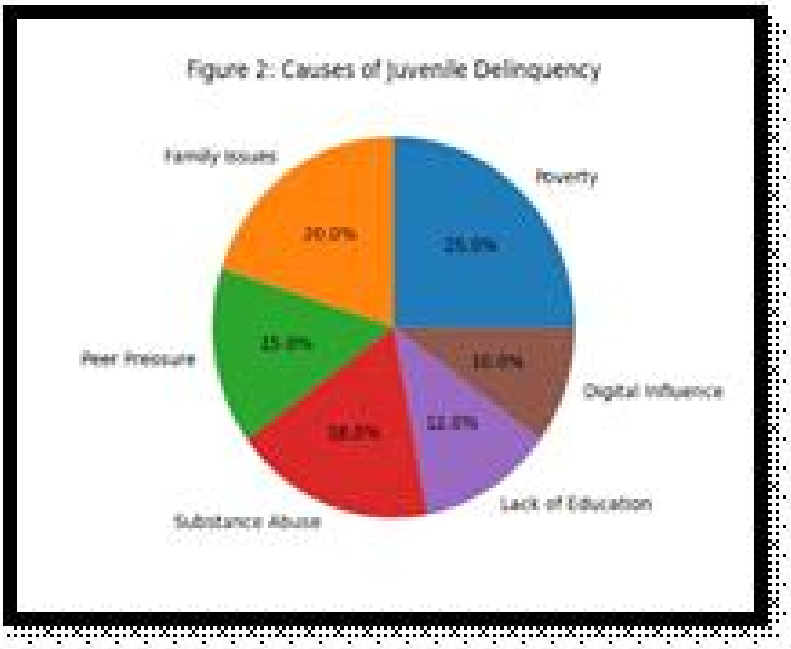

The adoption of diversion and restorative justice mechanisms can help prevent the stigmatization of juveniles. By focusing on reconciliation and rehabilitation, these approaches align with constitutional morality and promote long-term social integration. Juvenile justice must be integrated with broader social policies related to education, health, and child welfare. A holistic approach can address the root causes of delinquency and create an enabling environment for prevention.

TABLE 2 : Preventive vs Punitive Approach Comparison

Aspect	Preventive Approach	Punitive Approach
Objective	Rehabilitation	Deterrence
Focus	Root causes	Offence
Outcome	Social reintegration	Stigmatization
Constitutional Alignment	High	Low
Long-term Impact	Reduces crime	May increase recidivism

9. Findings and Discussion :

The analysis reveals that while India's juvenile justice framework is grounded in progressive principles, its practical implementation falls short of constitutional expectations. The tension between reformative and punitive approaches reflects a deeper conflict between constitutional morality and societal perceptions of justice.

The study finds that :

- Constitutional provisions strongly support a preventive and rehabilitative approach.
- Judicial interpretations generally align with child-centric principles but exhibit inconsistencies.
- Legislative changes have introduced elements that undermine the reformative ethos.
- Implementation gaps and institutional deficiencies hinder effective prevention.

These findings highlight the need for a comprehensive re-evaluation of juvenile justice policies in light of constitutional morality.

10. Suggestions and Policy Recommendations :

- **Reaffirm Reformative Justice** : Amend provisions that allow juveniles to be tried as adults, ensuring alignment with constitutional principles.
- **Strengthen Preventive Measures** : Develop national policies focusing on early intervention and risk assessment.
- **Enhance Institutional Capacity** : Invest in infrastructure, training, and monitoring of juvenile justice institutions.
- **Promote Awareness** : Educate society about the importance of rehabilitation and child rights.
- **Integrate Multi-Sectoral Approaches** : Coordinate efforts across legal, educational, and social sectors.

11. Conclusion :

The principle of constitutional morality provides a powerful framework for reimagining juvenile justice in India. By emphasizing dignity, equality, and social justice, it calls for a shift from punitive responses to preventive and reformative strategies.

While the existing legal framework reflects progressive intentions, its implementation reveals significant challenges. Addressing these challenges requires a holistic approach that integrates constitutional values into every aspect of juvenile justice.

Ultimately, the prevention of juvenile delinquency is not merely a legal objective but a constitutional imperative. A system grounded in constitutional morality can ensure that children in conflict with law are not defined by their mistakes but are given opportunities to reform, rehabilitate, and contribute meaningfully to society.

References :

- *Bhatia, G. (2019). The Transformative Constitution: A Radical Biography in Nine Acts. HarperCollins India.*
- *Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015.*
- *Jain, M. P. (2016). Indian Constitutional Law (8th ed.). LexisNexis.*
- *Baxi, U. (2002). The Future of Human Rights. Oxford University Press.*
- *Kumari, V. (2010). The Juvenile Justice System in India: From Welfare to Rights. Oxford University Press.*
- *Bajpai, A. (2017). Child Rights in India: Law, Policy, and Practice. Oxford University Press.*
- *UNICEF. (2013). The State of the World's Children. United Nations.*
- *Bhagwati, P. N. (1985). Judicial activism and public interest litigation. Columbia Journal of Transnational Law.*
- *Basu, D. D. (2018). Introduction to the Constitution of India. LexisNexis.*
- *United Nations. (1989). Convention on the Rights of the Child.*
- *Sheela Barse v. Union of India, AIR 1986 SC 1773.*
- *Pratap Singh v. State of Jharkhand, (2005) 3 SCC 551.*
- *Salil Bali v. Union of India, (2013) 7 SCC 705.*
- *Singh, M. (2016). Juvenile justice and the debate on lowering age. Journal of Indian Law Institute.*
- *National Commission for Protection of Child Rights. (2018). Report on Juvenile Justice System in India.*
- *Ministry of Women and Child Development. (2020). Child Protection Report.*
- *Human Rights Watch. (2016). Children in Conflict with Law in India.*

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
ISSN : 2321-8037
SANGAM
Vol. 14, Issue 5-6
पृष्ठ : 29-34

'ऊँ' सृष्टि का आदि स्वर

डॉ. शिव दर्शन दुबे

सृष्टि के आरम्भ से ही ऊँ मानव के लिये सर्वोच्च सार्थक स्वर के रूप में प्रतिष्ठित है। सृष्टि का प्रादुर्भाव जिस शब्द अथवा नाद से हुआ वह स्वीकृत रूप से स्वयं प्रणव अर्थात् ओ३म् ही है।

ओ३म् अन्तरिक्ष की आदि ध्वनि है तथा विभिन्न मंत्रों (व पन्थों) में ओ३म् सर्वाधिक पवित्र स्वर व शब्द के रूप में मान्य है।

ओ३म् स्वयं मंत्र है तथा बल व षक्ति का अनन्त स्रोत है व इसी कारण वह निर्विवाद रूप से किसी भी बीज मंत्र अथवा स्तोत्र की तीव्रता व प्रभावोत्पादकता तथा साधक को लक्ष्य व सिद्धि के प्राप्त करने की क्षमता से मण्डित है।

ओ३म् एक मांत्रिक पद है। सृष्टि का समस्त स्वर विज्ञान ओ३म् में ही समाहित है। ओउम् एक वर्ण के रूप में अलौकिक विशेषता लिये है। जहाँ किसी एक वर्ण में एक ही मात्रा का अधिकार होता है, वहीं ओ३म् की संरचना में 3 मात्राओं का स्वर अंकित होता है। प्रणव अर्थात् ओ३म् की प्रथम मात्रा अ है। समस्त व्यंजनाक्षरों का पितृ यही अ है। स्वर श्रृंखला में द्वितीय स्थान पर उ प्रकट होता है। यह उ नितान्त मध्यवर्ती स्वर है। तृतीय और अंतिम स्थान पर 'म' वर्ण होता है जो स्वर अर्थात मात्रा ही है। यह 'म' समस्त अनुस्वारों का स्वामी है। ध्यातव्य तथ्य यह है कि वर्ण माला में 'म' वर्ण के पश्चात अन्य अनुस्वार का अस्तित्व नहीं है। डा0 रामगोपाल चतुर्वेदी ने अपने ग्रन्थ ऊँ विज्ञान[1] में विस्तृत रूप से यह स्पष्ट किया है कि 'म' के पश्चात् वर्णमाला में अन्य कोई अनुस्वार नहीं है। 'म' के पश्चात् आगामी समस्त वर्ण स्वतंत्र वर्ण नहीं हैं।

ध्वनि, नाद, स्वर, वाक् तथा शब्द एक ही अनुभूति के पृथक–पृथक संस्कार हैं। नाद के सम्बन्ध में तांत्रिकों द्वारा दो अपरिभाषेय शब्दों की संकल्पना की गई है।

प्रत्येक ध्वनि को शब्द नहीं कह सकते किन्तु प्रत्येक शब्द एक ध्वनि है। अर्थात् शब्द की परिभाषा में वही ध्वनि आती है, जो अर्थवान है। शब्द आकाश का गुण है। शब्द वाक् की अभिव्यक्त स्थिति है। वाक् आकाश तत्व का बल है। ओ३म् उसकी शक्ति है, किन्तु बल की अनुभूति को आनन्द की संज्ञा दी गई है।

प्रत्येक व्यक्ति, सदैव, आनन्द की कामना के साथ जीवित रहता है। शारीरिक शक्ति का संचय, सम्पत्ति का संचय, सन्तान की प्राप्ति, ज्ञान का संचय, सत्ता की प्राप्ति भी बल हैं। सन्दर्भ के अनुसार ज्ञान, सत्ता, संतति, शक्ति, वित्त तथा सामर्थ्य भी बल ही हैं तथा ये आनन्द के स्रोत भी हैं। बल का आधान होने से आनन्द की निष्पत्ति को रस की संज्ञा दी गई है। किसी तत्व की सत्ता तथा उसकी अनुभूति ही क्रमशः उस तत्व का बल तथा रस हैं। इस प्रकार बल तथा शक्ति में यही भेद है कि जो अव्यक्त अवस्था में बल है, व्यक्त होने पर

उसे ही शक्ति कहा जाता है।

आकाश के गुण 'शब्द' के सन्दर्भ में वाक् शब्द का बल है तथा ध्वनि उसकी शक्ति है। तन्त्र शास्त्र में शब्द को नाद तथा स्फोट के दो रूपों में लक्ष्य किया जाता है। इनमें से नाद बल है तथा स्फोट शक्ति है।

वायु तरंगें अपनी गतिमानता के बल पर श्रोतेन्द्रिय का स्पर्श करने में सफल होती हैं। वायु–तरंगों का कम्पन जब श्रोतेन्द्रिय का स्पर्श करके उसका उद्दीपन करती हैं तो ध्वनि अस्तित्व में आती हैं। श्रोतेन्द्रिय इसे स्वर के रूप में ग्रहण कर लेती है। यह ध्वनि की उत्पत्ति की प्रक्रिया है जो निरन्तर चलती रहती है।

सृष्टि का सर्वप्रथम तत्व आकाश है तथा शब्द इसका गुण है। आकाश बल है और प्राण आकाश की शक्ति है। प्राण बल है और उसकी शक्ति वाक् है। वाक् बल है और स्वर उसकी शक्ति है। इन तीनों प्राण, वाक् तथा स्वर का स्रोत सूर्य्य पिण्ड है। जिस सीमान्त तक सूर्य्य–रश्मियों की गति होती है उसी क्षेत्र में वाक्, प्राण, स्वर तथा शब्द चारों की परस्पर संव्याप्ति रहती है।

सृष्टि के प्रादुर्भाव के सम्बन्ध में आदि में एक घनघोर तिमिर की संकल्पना की गई है। इस तमोभूत अवस्था को **मार्कण्डेय पुराण**[2] में सूर्य्य के लोप की अवस्था बताया गया है, जिसमें सूर्य्य के अभाव में मृत्यु, प्राण को प्रकट होने से रोक रही थी। सूर्य्य ने युगों तक इस मृत्यु से संग्राम किया। मृत्यु का प्राण–शक्ति पर अन्तिम प्रहार था, मधु और कैटभ का ब्रह्मा पर आक्रमण। ब्रह्मा, ब्रह्म की सृजन–शक्ति का नाम है। इसी अवस्था में सूर्य्य का जागरण हुआ और मधु–कैटभ परास्त हुए।

यह मृत्यु पर प्राण की विजय थी एवं यही सृष्टि में सूर्य्य के प्रादुर्भाव का क्षण था। सूर्य्य के इस प्रादुर्भाव से सृष्टि में प्राण का संचार हुआ और प्राण में वाक् का बोध एवं वाक् में स्वर का प्रवेश हुआ।

सूर्य्य के व्याप्त होने का सम्पूर्ण क्षेत्र प्राण, वाक् और स्वर का संयुक्त मंच बन गयी। वैदिक परिभाषा में उसी क्षेत्र को साम कहा गया है।

छान्दोग्योपनिषद्[3] में इसी अर्थ में स्वर को साम का आश्रय कहा गया है।

सृष्टि के प्रादुर्भाव वाली, घनघोर तिमिर वाली, सूर्य्य के अभाव व लोप वाली अवधि में सृष्टि की सम्पूर्ण ऊर्जा एक केन्द्र में संपुटित थी। इस केन्द्र का ज्यामितिक नाम बिन्दु है।

सृष्टि की वह संकलित ऊर्जा अपने अन्तर में उत्तप्त होती रही। इसी चरम उत्तप्त स्थिति में आने पर बिन्दु का विस्फोट हो गया। इसके परिणाम स्वरूप सूर्य्य की ब्रह्माण्ड में स्थापना हो गयी। विस्फोट शब्द इसके लिए प्रचलन से आ गया है किन्तु मूलतः इसमें 'वि' तो स्फोट का उपसर्ग है। मूलतः शब्द स्फोट ही है।

विस्फोट के घटित होने के लिए आकाश आवश्यक है। विस्फोटक वस्तु से संघटित वस्तु को छिन्न–भिन्न करके विस्फोट स्वयं अपनी स्फोट शक्ति से अवकाश का निर्माण करता है। मूल तत्व के केन्द्रक बिन्दु में, अग्नि के जागरण से बिन्दु में आवेग होकर स्फोट होता है। इस स्फोट से निर्मित अवकाश ही आकाश है। सर्वप्रथम आकाश के निर्माण के पश्चात् विश्व योनि के पट खुल जाने से सृष्टि प्रसव की स्थिति में आ जाती है।

इसके पश्चात् सृष्टि के विकास एवं संवर्धन का क्रम अस्तित्व में आया। बिन्दु के विस्फोट का यह क्षण प्रकृति तथा पुरूष, रवि तथा प्राण, भूत तथा देव, सोम तथा अग्नि व माया तथा ब्रह्म के द्विभाजन का क्षण है।

इस द्विभाजन से बिन्दु वृत्त या अण्ड का रूप लेता है और ब्रह्म अब ब्रह्माण्ड बन जाता है। इसी अण्ड से सृष्टि का प्रसव होता है। विश्व–भग से संलग्न सृजन की भक्ति का भगवान नाम सार्थक है।

सर्वप्रथम अवकाश अर्थात् आकाश की सृष्टि होना ही सृष्टि का प्रारम्भ है। आकाश के इस गुण को शब्द की संज्ञा दी गई है तथा आकाश की इस मौलिक शक्ति को ही वाक् के रूप में पहचाना गया है।

वस्तुतः सामवेद मंत्रों का संकलन है तथा सामगान उन्हीं मत्रों पर किया गया एक स्वरबद्ध गायन है। सामवेद तथा सामगान के मध्य यही एक सूक्ष्म किन्तु महत्वपूर्ण भेद है। साम, ऋचा–विशेष पर गायन की एक विद्या–विशेष का नाम है। साम न केवल मंत्र है एवं न केवल गान वरन मंत्र एवं गान दोनों का मिश्रण है। छान्दोग्योपनिषद् के प्रथम अध्याय के आठवें एवं नौवें खण्डों में शालावान के पुत्र शिलक तथा चिकितायन के पुत्र दाल्भ्य के मध्य प्रश्नोत्तर शैली में सम्वाद हुआ जिसका निष्कर्ष यह निकला कि साम की नियति स्वर है। स्वर का आधार प्राण है। प्राण का आधार अन्न है तथा अन्न का उपादान जल है एवं अन्ततः स्वर्गलोक से मृत्युलोक (पृथ्वी) तक जल की ही प्रतिष्ठा है, अर्थात स्वर्ग लोक से भू–लोक तक का सम्पूर्ण अन्तरिक्ष जलीय अथवा एक द्रव की स्थिति में है। स्वर्ग लोक में सूर्य्य का प्रकाश संव्याप्त है वहीं स्वर भी संव्याप्त है।

निष्कर्ष यह है कि जहाँ तक सूर्य्य के प्रकाश की व्याप्ति है, वहाँ–वहाँ स्वर भी सर्वत्र व्याप्त है। यही स्वर साम का रस है।

इसका नैसर्गिक पक्ष यह है कि प्रकृति के विकास में सक्रिय 5 भूतों में आकाश ही प्रथम और आदि तत्व है और शब्द उसका गुण है।

वेदों में इसी शब्द ब्रह्म की उपासना की गई है। पवित्र ग्रन्थ बाइबिल में भी सन्त जॉन की कथा में Word is God and God is Word यह वाक्य मान्य हैं। गॉड के रूप में वर्ड (शब्द) प्रणव अर्थात् ओ३म् ही है।

ओ३म् एक वर्ण है और एक स्वर भी। इससे भी परे ओ३म् एक शब्द भी है। सृष्टि की सम्पूर्ण ऊर्जा के केन्द्र का ज्यामितिक नाम बिन्दु है।

तन्त्र शास्त्र में शब्द को ही नाद कहा गया है। बिन्दु एवं नाद से ही तन्त्र ने सृष्टि की व्याख्या की है। अतः नाद ही बिन्दु का लक्ष्य है। नाद से स्फोट होकर सृष्टि की संकलित ऊर्जा विसर्जित होने लगती है।

बिन्दु, नाद का आन्तरिक संकोचन है, नाद बिन्दु का प्रसारण है। इस संकोचन एवं प्रसारण को श्रुति में समंचन प्रसारण की संज्ञा दी गई है। वेद का एति च प्रेति च विज्ञान, इसी सिद्धान्त का नाम है।

इस सिद्धान्त से, प्राण शक्ति अपने केन्द्रक में, मूर्च्छा भंग हाने पर चैतन्य और सक्रिय हो जाती है। इस प्रकार शक्ति एवं शक्तिमान, पुरूष एवं प्रकृति और माया तथा ब्रह्म एक में ही दो की पृथक–पृथक अवधारणा सम्भव हो जाती है।

मानव के हृदय–बिन्दु में स्पन्दित प्राण, विश्व–प्राण के स्पन्दन का लघ्वान्तरण है। मानव हृदय में जिस प्रकार, प्रथम श्वसन क्रिया से अन्तिम श्वास तक वही एक प्राण स्पन्दित रहता है, उसी सादृश्य से विश्व का प्रथम स्पन्दित प्राण, प्रलय के क्षण तक सूर्य्य से स्पन्दित रहेगा।

बिन्दु द्वारा स्फोट की अवस्था के प्राप्त कर लेने पर दो समसामयिक एवम् समविस्तीर्ण परिणाम हुए। अवकाश अर्थात् आकाश का प्रादुर्भाव हुआ एवं स्फोट की ध्वनि शब्द के रूप में सम्पूर्ण खगोल में व्याप्त हो गई। वैदिक–दर्शन में आकाश नितान्त शून्य नहीं है, वरन् वह एक मौलिक एवं प्राथमिक पदार्थ है तथा अन्य पदार्थ वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी इसी आकाश के आगामी अवतार हैं। देव्यथर्वशीर्ष में इस शून्यता को साक्षी अर्थात् दृष्टा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। पंच महाभूतों में आकाश, प्रथमातिप्रथम भूत है एवं सृष्टि की समस्त

भौतिक कृतियाँ उसी आकाश में तथा इसी आकाश के कारण हैं।

अवकाश तत्व के संघटक परमाणुओं के प्रचण्ड वेग से उत्पन्न कम्पन ही शब्द ब्रह्म कहलाता है। यही सृष्टि का नैसर्गिक नाद है।

ऊर्जा का स्राव नाद उत्पन्न करता है। जैसा कि पर्वत से किसी प्रपात के स्राव में एक सहज ध्वनि होती है, वही सहज ध्वनि, निसर्ग के सम्बन्ध मे अनहद नाद है। इस ध्वनि पर यह स्वर आरूढ़ होकर उन्हें शब्दों का रूप प्रदान करते हैं। ध्यातव्य है कि ओ३म् एक निरपेक्ष स्वर है, जिसमें स्वर, व्यंजन तथा लय की स्थिति तीनों ही संव्याप्त है।

तैत्तिरीयोपनिषद्[6] में ओमिति ब्रह्म अर्थात् ओ३म् को सृष्टि की आदि तथा अनन्त सत्ता के रूप में लक्ष्य किया गया है।

ओउम् की प्रथम मात्रा अ, को पृथ्वीवाचक मानते हुए **माण्डूक्योनिषद्**[7] में जागृति स्थानो वैश्वानरः अकारः प्रथमा मात्राः आप्ते आदिमत्वात् का जो वचन है उसमें जागृति स्थान पद का सन्देश यह है कि जगत् का उपादान, आदि तत्व, इस जगत् में व्याप्त होने के कारण, जगत् से अभिन्न है। इस जगन्मूल सत्ता का नाम ब्रह्म अथवा आत्मा है। सम्पूर्ण शरीर में जीव अर्थात् चेतन सत्ता की व्याप्ति के अतिरिक्त, स्वयं जीवात्मा के चैतन्य बोध की विशिष्ट तथा भिन्न–भिन्न तीन अवस्थायें हैं– जागृति, स्वप्न तथा सुषुप्ति। इन तीनों अवस्थाओं को धारण करके भी उन तीनों से परे अपना अस्तित्व रखने वाली चतुर्थ अवस्था तुरीय है। इन तीनों अवस्थाओं का उदय तथा लय इसी आदितम (अथवा अन्तिम) अवस्था तुरीय में होता है।

ओ३म् के तीन वर्णों में से प्रथम अर्थात अ अर्थात अकार जो अनुत्तर भी कहलाता है, जीव की शक्ति का द्योतक है तथा जीवन का अस्तित्व पृथ्वी लोक में होने के आधार परअका अर्थ पृथ्वी लोक सिद्ध होता है। प्रणव की प्रथम मात्रा अ जगत के समस्त शब्दों (सभी संज्ञाओं) में व वागार्थ की द्योतना करने वाली समस्त ध्वनियों में परिव्याप्त है। स्वर अ के सभी रूप व व्यंजन 'अ' के आधार पर टिके हैं। **अकारोवै सर्ववाक्**[8]

श्रीमद्भगवद्गीता[9] में **भगवान कृष्ण**[9] का कथन है कि मैं अक्षरों में अ हूँ।

अक्षराणाम् अकारोऽस्मि।

ओम्कार की तृतीय मात्रा 'म' खगोल की सौर सत्ता का प्रतिनिधित्व करती है। निष्कर्ष स्वरूप तीसरी मात्रा मध्य अथवा नामिस्थानीय अन्तरिक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। ओम्कार के अ उ म का सम्बन्ध स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण शरीर से है।

छान्दोग्योपनिषद्[10] में ओम्कार की तीन मात्राओं में अ से भू, उ से भुवः, तथा म से स्वः, तीनों लोकों का अर्थ घटित होना बताया गया है। भू से समस्त विश्व व स्थूल समुदाय अभिहित हुआ है। भुवः से अन्तरिक्ष अभिप्रेत हुआ है स्वः से सूर्य्यधाम निर्दिष्ट है।

प्रश्नोपनिषद् में अ को पृथ्वी की गरिमा प्रदान की गई है। उ की मात्रा को चन्द्रलोक की गरिमा प्रदान की गयी है तथा अन्ततः म की मात्रा में एक अद्वितीय, आनन्दमय पुरुष की कल्पना की गयी है। इसी उपनिषद् के पांचवें प्रश्न के पांचवें मंत्र में इस पुरुष को सूर्य्य का तेज माना गया है। **तेजसि सूर्ये सम्पन्नः।**

छान्दोग्योपनिषद्[11] में प्रायः सूर्य्य तथा स्वर को समान माना गया है। अतः सूर्य्य यदि आदि प्राण है तो वह सृष्टि का आदि स्वर भी है। यह त्रिलोकी स्वयं एक त्रि–मात्रिक सत्ता है, इसकी प्रथम मात्रा 'अ' पृथ्वी है,

द्वितीय मात्रा 'उ' अन्तरिक्ष है, जिसे प्रश्नोपनिषद् में चन्द्रलोक कहा गया है, जिसमें पित्र–निवास करते हैं तथा 'म' की मात्रा विष्णु के रूप में सूर्य्य है। वर्णमाला में 'अ', प्रत्येक व्यंजन का स्वामी है तथा यह किसी भी स्वर को ग्रहण करने में सक्षम है। इस प्रकार स्वर का सर्वाधिक भार 'अ' पर ही रहता है।

वैश्विक सन्दर्भ में सूर्य्य रश्मियाँ अन्तरिक्ष के माध्यम से पृथ्वी पर पदार्पण करती हैं। अतः सूर्य्य रश्मियों के छन्दबद्ध लय का सम्पूर्ण आघात पृथ्वी सहती है। इस पृथ्वी को, ओ३म् की प्रथम मात्रा 'अ' माना गया है। अन्तरिक्ष (उच्चता का द्योतक) उ है तथा सूर्य्य के रूप में अन्तिम मात्रा म को प्रतिष्ठित किया गया। इस प्रकार यह त्रिलोकी ओ३म् के अक्षर में समाविष्ट हो गई। छान्दोग्योपनिषद् में अ के इस अक्षर को उरग्रन्थि की संज्ञा दी गई है। सामवेद के उपनिषद् छान्दोग्योपनिषद् का 'ओ३म्' से ही प्रारम्भ होता है।

ओमित्येतवक्षरमुद्गीथमुपासीत्।

इसका अर्थ है कि ओ३म् अक्षर है एवं उद्गीथ भी। इसीलिए वह उपासना का विषय है।

यज्ञ के समय उद्गाता, ओ३म् का उच्चारण सर्वप्रथम करके ही साम गान करता है। इति शब्द के प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि ओ३म् का स्वर आदि भी है और यही अन्त भी है।

इस मंत्र में अक्षर शब्द का प्रयोग ओ३म् की अनवरत्ता सिद्ध करता है। अक्षर शब्द यहाँ वर्ण के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है।

वर्ण ही स्वर का वाहक होता है। वर्ण के आश्रय के बिना स्वर, व्यक्त नहीं हो सकता है। **भगवान शंकराचाय**[12] ने इस मंत्र के भाष्य में कहा है– अंततः यह वर्ण रूप अक्षर उद्गीथ भक्ति का अवयव होने के कारण उद्गीथ शब्द वाच्य है, इसकी उपासना करें।

छान्दोग्योपनिषद्[13] में ही ओ३म् स्वर की उपासना आदित्य की दृष्टि से की जाती है। अर्थात ओ३म् तथा आदित्य एक ही है। आदि से विद्यमान सत्ता ही आदित्य है। इस आदित्य का स्वर ओ३म् है। इसीलिए यह ओ३म् आदि स्वर हैं। आदि स्वर के रूप में ओ३म् की मान्यता अविरोध की स्थिति है। अध्यावस्था में विरोध का निषेध होता है। व्यवहार में ओ३म् शब्द स्वीकारोक्ति तथा अनुमोदन के रूप में होता है। ईसाई धर्म में प्रयुक्त शब्द AMEN (आमेन) ओ३म् का ही मंत्र रूप है।

इसी प्रकार इस्लाम में प्रयुक्त होने वाला शब्द आमीन उसी रूप में विद्यमान है। यह आमेन तथा आमीन दोनों ही शब्द तथास्तु के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं जो अनुमोदन का सूचक हैं।

सृष्टि का आदि होने के कारण सूर्य्य आदित्य है। सृष्टि के आदि में ओ३म् की ध्वनि प्रकट हुई। ओ३म् सृष्टि का आदि स्वर है।

ओ३म् की यह ध्वनि सृष्टि के प्रारम्भ की सूचना तथा स्वीकृति दोनों ही रूप में है। इसी कारण ओ३म् का प्रयोग सदैव प्रारम्भ अथवा स्वीकृति के अर्थ में होता है। ओ३म् को सृष्टि के प्रारम्भ का स्मृति चिन्ह मानकर सभी मांगलिक कार्यों का समारम्भ ओ३म् शब्द से ही किया जाता है। वेद का प्रवचन, शास्त्र वर्णित यज्ञ, दान, व्रत आदि की समस्त क्रियायें 'ओ३म्' के उच्चारण से ही प्रारम्भ की जाती हैं।

अध्ययन के निमित्त उद्यत ब्रह्माचारी ओ३म् के उच्चारण से ही यज्ञ कर्म की अनुमति प्रदान करता है। वह ओ३म् नाम के उच्चारण से ही वेदाध्ययन में प्रकृत्त होता है। **छान्दोग्योपनिषद्**[14] में ओ३म् को इसी कारण अनुज्ञा अक्षर कहा गया है।

ओम्कार को छान्दोग्योपनिषद् में प्रणव नाम से आख्यात् किया गया है। प्रणव, आदित्य व उद्गीथ तीनों में अभिन्नता है अर्थात् यह तीनों एक ही हैं, इस तथ्य को मुक्त कंठ से स्वीकार किया गया है।

ओम्कार स्वर है तो ओ३म् आदित्य का स्वर होकर आदि स्वर है एवं सूर्य्य का यह स्वर नैसर्गिक स्वर है।

निष्कर्ष :

स्पष्ट है कि 'ओ३म्' (ॐ) सम्पूर्ण सृष्टि की आदि एवं नैसर्गिक ध्वनि है। आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टिकोण से 'ओ३म्' की सत्ता आदि व अनादि स्वर के रूप में मान्य है।

संदर्भ :

1.
2. दुर्गा सप्तशती, प्रथम चरित्र
3. 1/8/1–8 से 1/9/1–2 पर्यन्त
4.
5.
6. 1/8
7. मंत्र सं0 9
8. ऐतरेय आरणयक 2/3/6
9. 10/33
10. 2/23/2–3
11. 1/3/2
12. छान्दोग्योपनिषद, शांकर भाष्य, गीता प्रेस, गोरखपुर।
13. 1/3
14. 1/1/8

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 14, Issue 5-6
पृष्ठ : 35–40

रांगेय राघव के उपन्यासों में पारिवारिक संबंधों का स्वरूप

लक्ष्मण कुमार
शोधार्थी– हिन्दी विभाग, प० दी० द० उ० राज० बालिका महाविद्यालय सेवापुरी वाराणसी (mgkvp)

शोध सार :-

पारिवारिक संबंध सिर्फ पति और पत्नी का संबंध नहीं है बल्कि यह घर के संयुक्त सदस्य की अवधारणा भी है। जहाँ लोग मेल-मिलाप के साथ रहते हैं। एक पुरुष और एक महिला के बीच विवाह को प्राचीनकाल से ही परिवार निर्माण का आधार माना गया है। मनुष्य जीवन में पारिवारिक संबंधों का अपना विशिष्ट महत्व है, परिवार छोटे भी होते है और बड़े भी ,संख्या के हिसाब से परिवार का कोई एक निश्चित अवधारणा नहीं रहा है, मात-पिता, पिता–पुत्र, भाई-बहन, दादा-दादी, चाचा-चाची, पति-पत्नी जैसे अनेक संबंध परिवार की अवधारणा के अंतर्गत आते हैं। बदलते दौर के साथ पारिवारिक संबंधों में अनेक बदलाव हुए हैं, प्राचीन समय से पितृसत्तात्मक समाज में घर का मुखिया पुरुष अर्थात पिता को हीं माना जाता रहा है, घर के पारिवारिक संबंधों में पुरुषों का वर्चस्व स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा रहा है। इस वर्चस्व के कई कारण है, एक तो धर्म ने स्त्रियों को बांध कर रखा, वे उन्हें आदर्श स्त्री, सती स्त्री के रूप में उनकी आजादी पर पाबंद लगा कर रखा,दूसरा स्त्रियों को आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिली, वो सदैव पुरुषों के दया की पात्र बन कर रही। स्त्रियाँ सदियों से धर्म के अनुरूप अपने को ढाल कर चलते आई है, भारतीय समाज में स्त्रियों को धर्म के अनुरूप नहीं चलने पर बहुत से ताने सुनने पड़ते हैं। लोकतंत्र सिर्फ देश के लिए हीं नहीं बल्कि पारिवारिक संबंधों के बेहतरी के लिए भी महत्वपूर्ण है। आज पारिवारिक संबंधों में महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं, परिवार का हर सदस्य अपनी बात लोकतान्त्रिक तरीके से रख पाता है, जहां हरेक परिवार के सदस्य की बात सुनी और समझी जाती है। लोकतान्त्रिक पारिवारिक संबंधों का उदाहरण पहले की अपेक्षा ज्यादा देखने को मिल रहा है। रांगेय राघव के उपन्यासों में पारिवारिक संबंधों के भिन्न–भिन्न रूप दिखाई पड़ते हैं। उनके यहाँ अन्तर्जातीय प्रेम के कारण पारिवारिक संबंधों का विच्छेद, स्त्री के विवाह के बाद अपने ही घर में वह पराई मानी जाती है, पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा से दूसरी पत्नी को लाने से संबंधों पर प्रभाव, भाई-बहन के बीच का संबंध, सौतेली माँ और पुत्र के संबंध और पति-पत्नी के बीच का संबंध जैसे कई पारिवारिक संबंधों का अलग-अलग रूप देखने को मिलता हैं। रांगेय राघव ने समाज को बहुत हीं करीब से देखा और

समझा है। रांगेय राघव खुद भी लोकतंत्र के हिमायती रहें हैं, उनके यहाँ पारिवारिक संबंधों का यथार्थ रूप मौजूद है।

बीज शब्द :- परिवार, संबंध, समाज, लोकतंत्र, पितृसतात्मक, प्रेम, एकता।

मूल आलेख :-

परिवार एक ऐसी सामाजिक संस्था है जिसका निर्माण व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों से होता है। "परिवार वह समूह है जो कि विवाह, रक्त संबंध अथवा गोद लेने आदि से बंधा हुआ है। इसमें एक घर बनाकर पति-पत्नी, माता-पिता, बहन-भाई अपनी अपनी सामाजिक पृष्ठभूमियों में रहते हुए एक-दूसरे को अन्तः प्रभावित करते हैं तथा स्वयं भी इसी प्रकार प्रभावित होते हैं तथा संगठित होकर एक सांझे की संस्कृति का निर्माण करते हैं।"[i] पर समय के साथ परिवार का स्वरूप बदलता चला गया है।

रांगेय राघव के उपन्यासों को पढ़ते हुए लगा की पारिवारिक संबंधों का भिन्न-भिन्न स्वरूप उनके यहाँ विद्यमान है। समाज में कई तरह के परिवार होते हैं, छोटा परिवार, बड़ा परिवार, गरीब परिवार, अमीर परिवार परंतु सभी संबंधों से बंधे होते हैं, और इन संबंधों की मजबूती एकता, प्रेम से और प्रगाढ़ होती है। पर कई बार पारिवारिक संबंधों में खटास या मनमुटाव हो जाता, जो परिवार को अलग-थलग कर देता है। 'राह न रुकी' एक ऐतिहासिक उपन्यास है। जहाँ पत्नी–पति पर एकाधिकार चाहती है जिस कारण पारिवारिक संबंधों की कड़ी कमजोर होती है। कवि शिष्य की पत्नी चाहती है उसका पति सिर्फ उससे प्रेम करे बाँकी किसी भी परिवार के सदस्य के साथ नहीं। आचार्य राजपुत्री को बताता है "वह बेचारा मुझसे पूछता था, 'अब ऐसे में करूँ तो क्या करूँ? भाई-बहिनों को निकाल दूँ? क्या मेरा उत्तरदायित्व केवल इस स्त्री के ही प्रति है या औरों के भी? घर में कभी भाई- बहिनों में हँसता-बैठता हूं तो तुरंत अलग मुँह ढककर पड़ रहती है। किसी की प्रशंसा करता हूं तो बाद में रोकर कहती है कि मेरा तो जीवन ही नष्ट हो गया। मुझे क्या पता था कि पति ही मेरी ओर से ऐसे उदासीन हो जाएँगे।'"[ii] पति पर पूर्ण रूप से अधिकार के नाम पर उसे अन्य पारिवारिक सदस्यों के कर्तव्य से विमुख करने की मंशा या पति के व्यक्तिगत जीवन को दबाब द्वारा प्रभावित करना पारिवारिक संबंधों के टूटने का कारण होता है। इसी उपन्यास में यह भी दिखाई पड़ता है की शेफालिका से पुत्री की अपेक्षा पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा पूर्ण न होने पर मकरंद दूसरी शादी करना चाहता है. जो शेफालिका को स्वीकार्य नहीं था, जिस कारण पारिवारिक रिश्तों में खटास आती है। " स्त्री ने फूत्कार किया, "कि यह मेरे जीवित रहते दूसरी स्त्री को लाना चाहता था। मैंने देखा, मेरे सामने सौत खड़ी थी। सौत!! वह मुझे मार डालती। वह मेरी शय्या पर सोती! और मैं उसके पांव दबाती! जैसे मेरी माँ की छाती पे आकर सौत ने मूंग दली थी। मेरी पवित्र माता पति को देवता समझती थी! किन्तु सौत, हाँ, मेरी सौतेली माँ ने उसे विष दे दिया! वह तड़प-तड़पकर पानी-पानी कहती चिल्ला–चिल्लाकर प्यासी मर गई। मैं सौत देखती क्या?।.."[iii] नारी-सुलभ ईर्ष्या, नारी का नारी पर अत्याचार, नारी का नारी पर अधिकार की

आशंका और उसके मूल में थी यह भावना कि यह पुत्रवती नहीं हो सकती। इसी उपन्यास में पति–पत्नी के प्रेम और विशास का एक रूप दिखाई पड़ता है। अंग देश का राजा दधिवाहन अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता है जब उनकी पत्नी कहती है, पुत्री का विवाह करने के बाद आप एक और विवाह कर लें, शायद वह स्त्री आपको पुत्र दे सके। राजा कहता है "निष्ठुर! कैसे कह सकीं तुम! क्या राज्य मेरे हृदय से भी बड़ा है? उत्तराधिकारी की तृष्णा क्या मेरे प्यार से भी बड़ी है? तुम मेरी पत्नी हो धारिणी! तुम्हारे रहते क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ।" [iv] राजा की संवेदनशीलता और प्रेम ने पारिवारिक संबंधों का निर्वहन किया।'कब तक पुकारूँ' में पुत्र द्वारा अन्तर्जातीय प्रेम करने के कारण माँ और बेटे के संबंध में तनाव देखने को मिलता है । नरेश निम्न जाति (नट) की बेटी से प्रेम करता है पर वह ठाकुर परिवार से होने से उसकी माँ नाराज रहती है। " उसी समय द्वार पर से नरेश निकला। उदास-सा, डरा हुआ-सा । मैंने और भाभी ने देखा और दोनों ने एक-दूसरे की ओर प्रश्न-भरी सांकेतिकता से काम लिया। मैंने धीरे से कहा–"भाभी, हर्ज ही क्या है, लड़के का ब्याह उसी से कर दो न?" "ठीक है'', भाभी ने मेरा पिया हुआ प्याला हाथ से वापस ले लिया और कहा, "नटनी से छोरे का ब्याह कर दो और मुझे जहर की पुड़िया लाकर दे दो।"[v] भारतीय समाज में जाति के विरुद्ध प्रेम या विवाह करना आज भी परिवार में तनाव का कारण होता है, मर्यादा और सम्मान की झूठी शान कई बार पारिवारिक संबंधों को विच्छेद कर देता है। इस कथन में लेखक का लोकतान्त्रिक सोच भी दिखाई पड़ता है, लेखक नरेश की तरफदारी करते हुए कहता है उसी से विवाह कर देने में क्या हर्ज है। नरेश की माँ चंदा को मारती-पीटती है, कई लोग नरेश को पकड़े हुए थे, नरेश बुरी तरह चिल्ला रहा था "तुम कौन हो मुझे पकड़ने वाले! मैं नहीं चाहता। मैं यहाँ नहीं रहूँगा। मैं किसी ठाकुर का बेटा नहीं हूँ। मैं आदमी हूँ।"[vi] ये वाक्य मनुष्य के मनुष्यता और परिवार के खोखलेपन को दिखाता है। यहाँ पारिवारिक संबंधों में विच्छेद का एक कारण उच्च जाति का अपनी जाति के प्रति श्रेष्ठताबोध का अभिमान है।

बेटी के विवाह के उपरांत अपने हीं घर में अपने प्रति संबंधों में बदलाव दिखाई पड़ता है। 'मेरी भव बाधा हरो' में विवाह के बाद अपने ही घर में बेटी को पराया मान लिया जाता है उसका अधिकार सिर्फ घर से ही नहीं बल्कि ऐसा लगता है माँ-पिता से भी खत्म हो गया हो। सुशीला भाभी की हार देखती है तो उसकी भी इच्छा होती है लेने की अपने काका (पिता) से कहती है, पर पिता "बोले, 'बेटी! हम तो तेरे लिए जो कर सकते थे कर चुके। अब तू पराई हुई । अब तो जो करे तेरे लिए वह करे। 'सुना तुमने! जीजी आई थी अपना जड़ाऊ हार पहने तो यही काका जी बोले थे, 'एक उसने दिया है तो क्या एक हम नहीं दे सकते!' एक ही घर की लड़कियां हैं हम दोनों। मैं क्या कुछ नहीं समझती? पहले साल तो ठीक चला था। पर इधर तो जाने कैसे सब की आंखें पलट गई। फिर एक लंबी सांस छोड़कर कहा, "सबके दीन फिरते है ।"[vii] सुशीला कहती है "बताओ! जिस घर में कभी मैं ही सब कुछ थी,अब वहाँ पराए घर से आई भाभी ही सब कुछ है। मेरी तो कोई कुछ पूछता ही नहीं। खास माँ भी नहीं। वह भी नहीं जिसने मुझे जन्म दिया।"[viii] बेटे और बहु का सम्मान तो घर में रहता है पर बेटी का हक, सम्मान विवाह से पूर्व वाला नहीं रहता। लोई का ताना' में

कबीर की माँ पारिवारिक रिश्तों की अहमियत को रेखांकित करते हुए कहती है " 'बेटा! इस दुनिया में कोई किसी का सहारा नहीं होता, पर घर वाले ही उन सबके मुकाबले में अपने होते हैं। मरे की मिट्टी तो अपना धरम संभालता है, पर जीती मिट्टी के लिए भी तो करने वाला कोई होना चाहिए। तू बाहर से आता है, उस वक्त दो बात पूछने को न होगा, तो तुझे यह घर काटने को दौड़ेगा लगेगा कबीर। आदमी चाहता है कि कोई उसके सुख-दुख में सवाल–जबाव करे। तू रूठे कोई मनाए। कोई और मान करे, तो तू उसे समझाए। बेटा, आपस की प्रीत से ही यह दुनिया हल्की होकर चलती है।" [ix]'भारती का सपूत' में सौतीली माँ और उसके सौतेले पुत्र (भारतेन्दु) का प्रेम आग्रह दिखाई देता है जहाँ वह चाहता है कि उसकी सौतेली माँ बिना उसके कुछ कहे उसकी इच्छाओं की पहचान कर ले। जिस कारण उन दोनों में दूरी बन जाती है। "गोकुल जाकर- अम्मां! अम्मां!' कहता उसके पावों से चिपट गया था। उसने गोद में उठा लिया था। परन्तु हरिश्चंद्र खड़ा रहा था। उसने कहा, 'यह तो मां नहीं है।' 'नहीं बेटा माँ ही है। 'स्त्री ने समझाया था।' माँ तो पास बुलाकर गोदी में बिठाती थी, इन्होनें तो नहीं बिठाया।..... बालक का अहम अपने लिए ममता का समर्पण चाहता था, क्योंकि वह अत्यंत भावुक था। और नई स्त्री का हृदय समझा कि यह बालक घमड़ी है"[x] अंत तक दोनों के बीच दूरी बनी रही। इसी उपन्यास में पति और पत्नी के बीच अविश्वास और पति के चरित्र पर संदेह रूप देखा जा सकता है, भारतेन्दु का अपनी पत्नी से भी नहीं बन पाया वह उन पर हमेशा संदेह किया करती थी, जो उन्हें मानसिक पीड़ा देती। "मन्नो बीबी ने आँख मलकर कहा, 'क्या वक्त हुआ? तब घड़ी देखी। रात का एक बजा था। 'सोई नहीं? कवि ने पूछा। तब नारी का अंतस घूमड़ने लगा। वही शाश्वत समस्या। कवि के मन की कचोट जागी। 'कहाँ गए थे? 'मन्नो बीबी ने पूछा। 'घूमने।' हरिश्चंद्र ने धीरे से कहा। 'घूमने, कि पराई औरतों के चक्कर काटने।' उसने तीखी आवाज से कहा। 'रईस हो। होगी कोई मुँहजली जिसने पैसे के लिए जाल डाला होगा। मर्द को क्या? वह आज तक किसका होकर रहा है।' मन्नो बीबी की चोट से हरिश्चंद्र का मन झनझना उठा। कहा कुछ नहीं। आँखें नीची करके सोचने लगे।"[xi] भारतेन्दु के परिवार में प्रेम और विश्वास की जड़ें गहरी नहीं जान पड़ती। 'चीवर'में भाई-बहन के बीच आत्मिक प्रेम और स्नेह का बहुत ही मार्मिक और करुणामय रूप देखने को मिलता है। हर्षवर्धन की छोटी बहन विधवा होने के बाद सती होने की तैयारी करती है उसी वक्त हर्षवर्धन उसे बचाता है "महाराजाधिराज झपटकर आगे बढ़े। वे धूलिधूसरित थे। उन्होनें राज्यश्री को अंक में भर लिया लिया। राज्यश्री भूल गई कि वह सब कुछ छोड़ रही थी। दोनों रोने लगे। हृदय की समस्त वेदना अब घुमड़ने लगी। बड़े भाई के वक्ष पर छोटी बहन का दुख: पानी बन–बनकर बहने लगा।"[xii] "अब मेरा वहाँ कौन है? 'क्यों, मैं तेरा कोई नहीं, राज्यश्री? सत्य कह न! तू डरती है कि वहाँ तू दासी बनेगी? हर्ष ने रोते हुए कहा : मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, राज्यश्री! गुरुदेव, महाकवि बाणभट्ट और स्थाणवीश्वर के इन पराक्रमी वीरों के सम्मुख प्रतिज्ञा करता हूँ कि हर्ष राज्यश्री की मर्यादा को अक्षुण्ण रखेगा। राज्यश्री राज्य की स्वामिनी होगी, हर्ष उसका सेनापति होकर समस्त कार्य करेगा।"[xiii] विधवा बहन के लिए ऐसा प्रेम, प्रतिज्ञा और सम्मान अद्भुत है। पारिवारिक संबंध का बंधन सभी बंधनों से मजबूत और उदात्त

होता है। रांगेय राघव ने पारिवारिक संबंधों के बीच खाई पैदा करने वाले कई कारणों को रेखांकित किया है साथ कई संबंधों के औदात्य स्वरूप को दिखाया है।

निष्कर्ष :-

रांगेय राघव हिन्दी साहित्य के मूर्धन्य लेखक हैं। उन्होंने अड़तीस उपन्यासों की रचना की है। पारिवारिक संबंधों के विविध रूप उनके उपन्यासों में देखे जा सकते है। रांगेय राघव के उपन्यासों में पारिवारिक संबंधों के कई रूप हैं, विधवा बहन का सती होने से बचाना और भाई का बहन के प्रति कर्तव्य निभाना, पति पर पत्नी का एकाधिकार के कारण संबंधों में विच्छेद, विवाह के बाद पुत्री का अपने हीं घर में पराई होना, सौतेली माँ और पुत्र का संबंध, अन्तर्जातीय प्रेम के कारण बेटे और माँ के संबंधों में अलगाव, पत्नी द्वारा पति पर संदेह करना जैसे कई पारिवारिक संबंधों को लेखक ने दिखाए हैं। रांगेय राघव ने समाज में पारिवारिक संबंधों को बहुत हीं करीब से देखा था, कब तक पुकारु' उपन्यास में लेखक के विचार भी सामने आते है, लेखक पारिवारिक संबंधों में लोकतंत्र को महत्वपूर्ण मानते हैं, पारिवारिक संबंधों का आधार है प्रेम और एकता जिसके बिना बेहतर संबंधों का निर्वहन मुमकिन नहीं। एक दूसरे के प्रति कर्तव्यनिष्ठता संबंधों को प्रगाढ़ बनाती है। शोधार्थी ने राह न रुकी, कब तक पुकारूँ, मेरी भव बाधा हरो, लोई का ताना, भारती का सपूत, चीवर उपन्यास के माध्यम से पारिवारिक संबंधों के भिन्न-भिन्न स्वरूप को दिखाने का प्रयास किया है।

संदर्भ ग्रंथ :-

---

[i] राजेश कुमार, शैलेष मटियानी के उपन्यासों में युगबोध, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, पृष्ठ संख्या 78 (अप्रकाशित शोध)

[ii] रांगेय राघव, राह न रुकी, अनन्य प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण 2023, पृष्ठ संख्या 19

[iii] रांगेय राघव, राह न रुकी, अनन्य प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण 2023, पृष्ठ संख्या 29

[iv] रांगेय राघव, राह न रुकी, अनन्य प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण 2023, पृष्ठ संख्या 41

[v] रांगेय राघव, कब तक पुकारूँ, अनन्य प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण 2023, पृष्ठ संख्या 37

[vi] रांगेय राघव, कब तक पुकारूँ, अनन्य प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण 2023, पृष्ठ संख्या 404

[vii] रांगेय राघव, मेरी भव बाधा हरो, अनन्य प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण 2023, पृष्ठ संख्या 27

[viii] रांगेय राघव, मेरी भव बाधा हरो, अनन्य प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण 2023, पृष्ठ संख्या 27

[ix] रांगेय राघव, लोई का ताना, अनन्य प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण 2023, पृष्ठ संख्या 56

[x] रांगेय राघव, भारती का सपूत, अनन्य प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण 2023, पृष्ठ संख्या 23

[xi] रांगेय राघव, भारती का सपूत, अनन्य प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण 2023, पृष्ठ संख्या 66

[xii] रांगेय राघव, चीवर, अनन्य प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण 2023, पृष्ठ संख्या 75

[xiii] रांगेय राघव, चीवर, अनन्य प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण 2023, पृष्ठ संख्या 76

फोन न० – 7903619102

Gamil id – laxmankumarsharma9966@gmail.com

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 14, Issue 5-6
पृष्ठ : 41-49

भूमंडलोत्तर हिंदी उपन्यासों में श्रमिक जीवन और संघर्ष

(मुन्नी मोबाइल और अमर देसवा उपन्यास के सन्दर्भ में)

जितेन्द्र कुमार मीणा, शोधार्थी,
प्रो. संजीव कुमार दुबे, शोध निर्देशक,
हिन्दी अध्ययन विभाग, भाषा, साहित्य एवं संस्कृति अध्ययन संकाय,
गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कुंढ़ेला, वड़ोदरा, गुजरात, भारत।

शोध सार –

भूमंडलीकरण की प्रक्रिया शुरू होने के बाद का दौर श्रमिक वर्ग के नई कठिनाईयों और चुनौतियों से भरा रहा है। भूमंडलीकरण ने जहाँ आर्थिक अवसरों के द्वार खोले, वहीं असमानता, शोषण और अस्थिरता भी बढ़ाई, जिसका सीधा प्रभाव श्रमिक वर्ग पर पड़ा। हिंदी उपन्यासकारों ने इस यथार्थ की गंभीरता को समझते हुए अपनी रचनाओं में श्रमिकों के जीवन को केन्द्र में रखा है। भूमंडलीकरण के चलते ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ते प्रभाव और श्रमिकों के बड़े पैमाने पर पलायन को उपन्यासों में संवेदनशीलता के साथ चित्रित किया गया है। अब मजदूर केवल खेतों या कारखानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि निर्माण स्थलों, महानगरों की झुग्गियों, और असंगठित क्षेत्रों में उसकी उपस्थिति को गहराई से दिखाया गया है।

बीज शब्द – भूमंडलीकरण, पलायन, आर्थिक मंदी, कॉर्पोरेट कल्चर, सांस्कृतिक जीवन, कोरोना महामरी, अस्थिर रोजगार, सामाजिक सुरक्षा।

मूल आलेख –

आजादी के 75 वर्ष बाद भी भारत का श्रमिक वर्ग आज भी अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए सुखी जीवन की आकांक्षा संजोए हुए है। स्वतंत्रता से पूर्व और पश्चात् अनेक श्रमिक संघों की स्थापना हुई है और यह प्रक्रिया अभी भी चल रही है। किन्तु इसके बावजूद श्रमिक वर्ग अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए ही अनवरत संघर्षरत है। पूँजी और सत्ता की जुगलबंदी से श्रमिकों के जीवन में अनेक दुश्वारियाँ उत्पन्न हुईं हैं कि उनका अस्तित्व ही खतरे में नजर आ रहा है। देश की तरक्की और विकास होने के बावजूद भी आम श्रमिक तबका अपने को निस्सहाय महसूस कर रहा है।

आर्थिक उदारीकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था में आए बदलावों का श्रमिक जीवन पर बहुआयामी प्रभाव पड़ा है। पूँजीपति वर्ग ने पूँजी के बल पर बड़े–बड़े उद्योगों का विकास तो कर लिया है, लेकिन श्रमिक वर्ग को नियमानुसार कोई लाभ नहीं देना चाहते हैं। उनकी मजबूरियों, मेहनत का दोहन करके आर्थिक लाभ अर्जित करने के बावजूद श्रमिकों के जीवन को ऊपर उठाने की कोशिशों में उनकी कोई भूमिका नहीं है। इस लेख में

भूमंडलोत्तर हिन्दी उपन्यासों में श्रमिक वर्गों के जीवन और संघर्ष को 'मुन्नी मोबाइल' और 'अमर देसवा' उपन्यासों के परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास किया गया है।

भूमंडलोत्तर उपन्यासों में अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानें जानें वाले बाजार तथा उसके अंगों की गहरी अभिव्यक्ति दर्ज हुई है। यह अभिव्यक्ति कई जगह विवशता लिए हुए है तो कई जगह प्रतिरोध। बाजार के अंग जैसे महानगर, सेल्समैन, ब्रांड, कॉर्पोरेट कल्चर, सेलिब्रिटी, विज्ञापन आदि का ताना–बना अपने आप में समाज के आर्थिक पक्ष की अभिव्यक्ति है। वर्तमान महानगरीय समाज जिस आर्थिक जीवन–यथार्थ से गुजर रहा है 'मुन्नी मोबाइल' उपन्यास में उस यथार्थ को दिखाया है। ''आनंद भारती का अंदेशा सही निकला था कि आर्थिक मंदी ने जरूर अस्मिता की नौकरी पर खतरा खड़ा किया है। मामला पैसों का था। दोनों के जाने के बाद आनंद भारती सोचने लगे कि दिल्ली और उसके आसपास बसे गुड़गाँव और नोएडा में करीब सात–आठ सौ कॉल सेंटर हैं जिनमें हजारों नौजवान काम करते हैं। बड़ी संख्या में नौकरी का संकट खड़ा हुआ है। न जाने कितनों पर ईएमआई भारी पड़ रही होगी।''[1] वैश्वीकरण के दौर में उभरे कॉल सेंटर जैसे कार्यक्षेत्रों ने शहरी युवाओं को आकर्षक रोजगार के अवसर तो दिए, परंतु ये अवसर असुरक्षित भी सिद्ध हुए। आर्थिक मंदी का सीधा प्रभाव अस्मिता जैसे कर्मचारियों की नौकरी पर पड़ता है। यह स्पष्ट होता है कि भूमंडलीकरण के तहत श्रम बाजार पूरी तरह वैश्विक पूँजी के उतार–चढ़ाव पर निर्भर है।

भूमंडलोत्तर हिंदी उपन्यासों में यह प्रवृत्ति सामने आती है कि श्रमिक वर्ग अब केवल पारंपरिक मजदूर नहीं रहा, बल्कि वह कॉरपोरेट ढांचे में काम करने वाला कर्मचारी भी है, जिसकी समस्याएँ भिन्न होते हुए भी उतनी ही गंभीर हैं। भूमंडलीकरण के प्रभाव और उसकी अवधारणा को पुष्पपाल सिंह इस तरह से स्पष्ट करते हैं–''भूमंडलीकरण के दो पक्ष हैं–आर्थिक और सांस्कृतिक किन्तु ये दोनों कोई बिलकुल अलग–अलग संभाग (कम्पार्टमेंट्स, वाटर टाइट कम्पार्टमेंट्स) नहीं हैं, दोनों एक–दूसरे से प्रभावित और संग्रन्थित हैं। वैश्वीकरण के आर्थिक पक्ष से उपभोक्तावाद या बाजारवाद जुड़ा हुआ है।''[2] इन अलग–अलग पक्षों को जोड़ने का विचार व्यापार और पूंजी का विस्तार था। लेकिन बाजार और उपभोक्तावाद ने अर्थ के प्रभाव से सांस्कृतिक मूल्यों को बहुत प्रभावित किया है।

'मुन्नी मोबाईल' उपन्यास में भूमंडलीकरण के बाद उभरे शहरी श्रमिक जीवन की जटिलताओं और अंतर्विरोधों को स्पष्ट रूप से चित्रित किया गया है। विशेष रूप से कॉल सेंटर संस्कृति के माध्यम से यह दिखाया गया है कि आर्थिक उदारीकरण ने युवाओं को रोजगार तो दिया, परंतु उनके जीवन में अस्थिरता, अलगाव और सांस्कृतिक विखंडन भी पैदा किया। लेखक कहते हैं–''इसको खाने के बाद एक काल्पनिक दुनिया के दर्शन होते हैं। डिस्को में भी यह आसानी से मिल जाती है। डिस्को में महीने में एक–दो पार्टी कॉल सेंटर के युवाओं की होना आम बात है। विदेश से आने वाले इंसेन्टिव को कंपनी वाले इन्हीं डिस्को में खर्च करते हैं। कभी दिल्ली में डिस्को इसलिए बंद हो गये थे कि उनमें जाने वाले नहीं मिलते थे। पाँच सितारा होटलों में नाम के लिए ही एक–दो डिस्को बचे थे। पर बड़ी संख्या में कॉल सेंटरों के उदय के बाद राजधानी दिल्ली और उसके आसपास डिस्को कुकुरमुत्ते की तरह उग आये थे। इनमें लास्ट चांस, मोजोस, दि डेक, ओडीसी, नशा, तन्त्रा, एलीवेट काफी चलने वाले डिस्को माने जाते हैं। लन्दन और दिल्ली के इन डिस्को में अब कोई खास अन्तर नहीं रह गया था। सब कुछ वैसा ही था। इन्हीं डिस्को में किसी भी स्ट्रेंजर लड़के–लड़की से मुलाकात हो सकती है।

नशे में दोनों एक साथ रात भी गुजार लेते हैं। ऐसे सहयात्रियों को कॉल सेंटर की दुनिया में 'वन नाइट स्टैंड' कहा जाता है। इसके बाद दोनों अपनी दुनिया में अपरिचितों की तरह चल देते हैं।''[3] डिस्को संस्कृति का विस्तार केवल मनोरंजन का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह उस उपभोक्तावादी जीवनशैली को दर्शाता है जिसमें श्रमिक वर्ग, विशेषकर युवा, अपने तनाव और थकान से राहत पाने के लिए कृत्रिम साधनों का सहारा लेते हैं। इस संदर्भ में काल्पनिक दुनिया का उल्लेख नशे और पलायनवाद की ओर संकेत करता है। यह दर्शाता है कि कार्य के दबाव, अनियमित समय–सारणी और लक्ष्य–आधारित जीवन ने युवाओं को वास्तविक जीवन से दूर कर दिया है। कॉल सेंटर के कर्मचारी, जो वैश्विक पूंजीवाद के एक अहम हिस्से हैं, अपनी पहचान और सामाजिक संबंधों में अस्थिरता का अनुभव करते हैं।

भूमंडलीकरण के बाद कॉल सेंटर जैसी नई कार्य संस्कृति ने भारतीय समाज की पारंपरिक संरचनाओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। इन कार्यस्थलों पर लड़के और लड़कियाँ साथ काम करते हैं, जिससे आपसी संवाद, मित्रता और संबंधों के नए रूप विकसित होते हैं। यह स्थिति पारंपरिक सामाजिक मान्यताओं से अलग है, जहाँ स्त्री–पुरुष संबंधों पर कड़े नियंत्रण होते थे। लेखक इस परिवर्तन को रेखांकित करते हुए दिखाते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता और पेशेवर माहौल ने युवाओं को व्यक्तिगत निर्णय लेने की अधिक स्वतंत्रता दी है।

परिणामस्वरूप, संबंधों में खुलापन और आत्मनिर्भरता बढ़ी है, लेकिन इसके साथ ही पारंपरिक मूल्यों और आधुनिक जीवनशैली के बीच टकराव भी उत्पन्न हुआ है। कॉल सेंटर की संस्कृति केवल रोजगार का नया क्षेत्र नहीं है, बल्कि यह सामाजिक बदलाव का एक माध्यम बनकर उभरी है, जिसने भारतीय संस्कृति, पारिवारिक संरचना और नैतिक दृष्टिकोण को नई चुनौतियों के सामने खड़ा कर दिया है। ''कॉल सेंटर में 40 प्रतिशत लडके लडकियां आपस में ही शादी कर लेते हैं। पर सफल वैवाहिक जीवन का रिकार्ड काफी खराब है। लंबे समय तक शादी नहीं चलती है। ऐसे में कोर्ट कचहरी और आपस में लात–जूता भी होता है। कुछ शादियां सफल भी होती हैं। आमतौर पर कॉल सेंटर में काम करने वाले युवा शादियों से भागते हैं। आजाद रहना चाहते हैं। वे आज में जीना चाहते हैं। भविष्य उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। अमेरिकी उधार की सस्कृति में जीना चाहते हैं। सबके पास कई–कई क्रेडिट कार्ड हैं। महंगे–से–महंगे मोबाइल, लम्बी कार, फ्लैट सब उधार में खरीद लिए हैं। लड़कियों पर पैसा भी खुल कर लुटाते हैं। कर्ज चुकाते वक्त इसकी टोपी उसके सिर उसकी टोपी दूसरे सिर पर रखते हैं। एक कार्ड से लोन लेकर दूसरे बैंक का कर्ज उतार देते हैं। दूसरे की बारी आती है तो तीसरे से उसकी इएमआई जाती है। बड़ी संख्या में कर्ज के मकड़जाल में कॉल सेंटर में काम करने वाले युवा फंसे हैं। अब जब आर्थिक मंदी की मार चली है तो हर कॉल सेंटर में हफ्ते में एक आध बार उनके विदेशी मालिक छंटनी का फरमान भेज रहे हैं।''[4] कॉल सेंटर, जो वैश्विक पूंजीवाद का एक महत्वपूर्ण अंग हैं, युवाओं को आकर्षक वेतन और आधुनिक जीवनशैली का सपना दिखाते हैं, परंतु इसके पीछे गहरी आर्थिक और मानसिक अस्थिरता छिपी होती है।

भूमंडलीकरण के दौर में विकसित हो रहे कॉल सेंटर के लिए गिरीश मिश्र लिखते हैं–''हाई स्कूल या विश्वविद्यालय से निकलते ही कॉल सेंटर पर नौकरियां मिल जाती हैं। बशर्ते कि वे तेज–तर्रार और फर्राटेदार अंग्रेजी बोल सकते हैं। उन्हें क्रयशक्ति प्राप्त होने के साथ वे नवीनतम प्रौद्योगिकी से वाखिफ हो जाते हैं। वे बढ़िया कपड़े पहनने लगते हैं, महंगे रेस्तरां में खाने–पीने लगते हैं। साथ ही ऐसा वातावरण पैदा हो जाता है

जहाँ लड़के–लड़कियों के मेल–मिलाप में कोई बाधा नहीं आती।''[5] युवाओं को आकर्षित करने का एक अच्छा कार्य है काल सेंटर। 'अमेरिकी उधार की संस्कृति' का उल्लेख भूमंडलीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाता है।

भूमंडलीकरण के बाद शहरी जीवन, विशेषकर श्रमिक वर्ग की अस्मिता, असुरक्षा और विस्थापन की त्रासदी अनेक जगह दिखाई देती है। साहिबाबाद में रहने वाली मुन्नी का खुद को दिल्ली का बताना केवल भौगोलिक पहचान का प्रश्न नहीं, बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ है। ''कहने को तो वह साहिबाबाद गाँव में रहती है, लेकिन बिहार के रिश्तेदारों को यही पता है कि वह देश की राजधानी दिल्ली में रहती है। मुन्नी तो मुन्नी, नेशनल कैपिटल रीजन–गुड़गाँव, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा में रहने वाले अपने को दिल्ली का ही मानते हैं। वे अपनी पहचान न तो उत्तर प्रदेश से जोड़ना चाहते हैं और न ही हरियाणा से। असल में वे यहाँ मजबूरी में रहते हैं। रहना तो वे दिल्ली में ही चाहते थे, लेकिन महंगी दिल्ली में मकान खरीदने का सपना उनका पूरा नहीं हुआ। अब आने वाले समय में इस रीजन में भी मिडिल क्लास के लिए मकान खरीदना मुश्किल होगा।''[6]

नेशनल कैपिटल रीजन में रहने वाले लोगों का भी अपने–अपने राज्यों से दूरी बनाकर दिल्लीवाला कहलाना इस बात का संकेत है कि महानगर एक प्रतीक बन चुका है–सफलता, अवसर और आधुनिकता का। देवेश और डा. आशा लिखते हैं–''एनसीआर मूल रूप से कृषि आधारित रोजगारों वाला क्षेत्र रहा है। एनसीआर के लिए चयनित इस क्षेत्रों में जबसे विकास का कार्यक्रम आरम्भ हुआ तबसे बड़ी मात्रा में यहाँ जमीनों की बिक्री होने लगी तथा भविष्य को देखते हुए लोगों नें भविष्य के विकसित इन नगरों में घर बनाए। जमीनों की कीमते बढ़ीं और जमीनें बेचने वाले रातोंरात करोड़पति होते गए। योजना और विकास कार्य के लिए प्रयोग में आने वाली जमीन के बदले में सरकार ने मुआवजे दिए। इन मुआवजों और जमीन बेचकर प्राप्त किये गए पैसों की भी इन क्षेत्रों की सामाजिकता के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रही है।''[7] भूमंडलीकरण ने लोगों के मन में अधिक की लालसा पैदा की है। श्रमिक वर्ग चाहता तो आधुनिक सभी सुविधाएं हैं लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। उसे भोजन, स्वास्थ्य और आवास की समस्याओं से ही निजात नहीं मिलती है। शेष के बारे में वह सिर्फ सोचकर ही रह जाता है। लेकिन इस नए दौर ने उनके मन में सपने तो भर दिए हैं। महानगरीय जीवन के प्रति आकर्षण तो उनमें पैदा हो गया है।

''एक सुबह आनंद भारती चाय की चुस्कियों के बीच अखबार पढ़ रहे थे। उनके सामने वह आकर खड़ी हो गई। वह कुछ कहना चाहती थी। आनंद भारती ने उसे तवज्जो नहीं दी। उनके सामने पड़े अखबारों को सरकाते हुए वह बोली–'साहब, एक बात कहनी है।'

'बोलो।'–आनंद भारती ने अखबार में नजर गड़ाये हुए जवाब दिया।

'साहब, अन्दर वाले कमरे में कंप्यूटर इतने दिन से बंद पड़ा है...'

'तो क्या हुआ।'–आनंद भारती ने उसकी बात काटते हुए जवाब दिया।

'रेखा कंप्यूटर सीखने जाती है। उसे एक कंप्यूटर चाहिए। आप दे दें। जो पैसे होंगे हम दे देंगे।'

'ठीक है। दे दूंगा।''[8]

भूमंडलीकरण ने श्रमिक से लेकर आधुनिक धनाड्य वर्ग तक सभी को प्रभावित किया है। श्रमिक वर्ग

भूमंडलीकरण के प्रभाव के कारण भौतिक संसाधनों की ओर अग्रसर हुआ है। वह अपने यहां वे सारी सुविधाएं चाहता है जो धनाड्य वर्ग के यहां काम करते हुए देखी है या टीवी की ऐड में जो चीज दिखाई देती हैं। वह इन सभी चीजों को बड़ा बनने का पैमाना भी मानता है। इसीलिए मुन्नी अपनी बेटी के लिए कंप्यूटर की मांग करती है। आधुनिक उपकरणों की मांग के पीछे भूमंडलीकरण की यही सोच का दबाव श्रमिक वर्ग पर दिखाई देता है। श्रमिक वर्ग को इस तरह से अपने शिकंजे में जकड़ लिया है कि उसे अपनी आमदनी से अधिक की वस्तुएं खरीदने के लिए विवश होना पड रहा है। देवेश और डा. आशा लिखते हैं–''बीसवीं शताब्दी के अंतिम दशक की और देखें तो उदारवादी आर्थिक दृष्टिकोण अपनाकर भारत ने अपनी जनता को बाहरी अनुभवों को महसूस करने का एक स्पेस दिया। बाहरी तकनीकी, भोज्य, ब्रांड्स, सूचनाओं ने भारतीय मानस के मन को आमूलचूल रूप से बदला। मुन्नी के जीवन के विभिन्न उतार–चढ़ावों में हम यह बदलाव स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। मुन्नी के व्यक्तिगत जीवन में हुए बड़े बदलावों में प्रमुख है मोबाइल फोन का मिल जाना। इच्छा से उपजी यह जरूरत मुन्नी को लगातार मोबाइल पाने के लिए कोशिश करने को मजबूर करती है। मोबाइल हाथ आने के बाद मुन्नी के लिए दुनिया कुछ अलग हो जाती है। तकनीकी के विकास ने मनुष्य के जीवन को एकाएक बदल कर रख दिया है। कठिन से कठिन कार्य सरलता से कर लेने की शक्ति तकनीकी ने मनुष्य को दे दी है। इसके चलते मानव के भीतर भी बदलाव हो रहा है। उसकी इच्छाओं, नजरियों, जीवन शैली आदि सभी को तकनीकी ने प्रभावित किया है। 'मुन्नी मोबाइल' में वर्णित समाज के लिए भी यह बात सही साबित होती है।''[9]

भूमंडलीकरण ने श्रमिकों को आधुनिकता और उपभोग की चमक–दमक तो दी, लेकिन साथ ही उन्हें कर्ज, असुरक्षा, अस्थिरता और मानसिक तनाव के गहरे संकट में भी धकेल दिया। इसलिए श्रमिक अपने लाभ के लिए तुरंत रोजगार बदल रहा है। अमर देसवा उपन्यास में लेखक लिखते हैं–''तुमको उस जाली आदमी से क्या काम निकल आया?' अमृत को हैरानी हुई।

'सेल्स के चक्कर में।'

'पर तुम तो खेती–किसानी के सामान के सेल्समैन हो न?'

'लो! वह तो कब का छोड़ दिया मैंने।' रजत ने सफाई दी।

'तो?' अमृत को हैरानी हो रही थी कि अब क्या शुरू किया है उसने?

रजत ने समझाया, 'महामारी की मन्दी में मैं जल्दी ही समझ गया था कि इसमें अब कोई फायदा नहीं। पाँच या बहुत हुआ तो दस परसेंट कमीशन मिलता था। पर दवाई और मेडिकल के सामान में आग लगी थी। तो धंधा वही रखा बस माल बदल लिया।'

'इसमें कितना कमीशन है?' अमृत को जिज्ञासा हुई।

'बेचने पर है वकील साहब।''[10]

रजत का पेशा बदलना इस बात का संकेत है कि वैश्विक आर्थिक परिवर्तनों ने पारंपरिक रोजगार के स्वरूप को कमजोर कर दिया है। पहले वह खेती–किसानी के सामान का सेल्समैन था, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा अपेक्षाकृत स्थिर कार्य माना जा सकता था। लेकिन महामारी और उससे उत्पन्न आर्थिक मंदी ने इस क्षेत्र में लाभ की संभावनाओं को कम कर दिया। भूमंडलीकरण के प्रभाव में बाजार की प्राथमिकताएं तेजी से बदलती हैं। श्रमिकों को अपने अस्तित्व के लिए बाजार की मांग के अनुसार स्वयं को ढालना पड़ता है। यह

बदलाव स्वैच्छिक कम और परिस्थितिजन्य अधिक है। वह अधिक कमीशन पाने के लिए क्षेत्र बदलता है, जो यह दिखाता है कि श्रमिक अब सुरक्षा या स्थायित्व के बजाय तात्कालिक लाभ और अवसरों पर निर्भर हो गए हैं। आय निश्चित नहीं है, बल्कि पूरी तरह प्रदर्शन और बाजार की स्थिति पर निर्भर है। यह पूंजीवादी व्यवस्था की उस प्रवृत्ति को दर्शाता है जिसमें श्रमिकों का शोषण अप्रत्यक्ष रूप से होता है और उन्हें असुरक्षित परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। भूमंडलीकरण के बाद श्रमिक वर्ग को लगातार अपने कौशल, पेशे और पहचान को बदलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उनका संघर्ष केवल जीविका कमाने का नहीं, बल्कि बदलती आर्थिक व्यवस्था में अपने अस्तित्व को बनाए रखने का भी है। ओमप्रकाश कहते हैं–''भारत में विदेशी हुकूमत के आगमन से देश के पुराने छोटे–मोटे उद्योग धंधे नष्ट हो गए थे। उनकी जगह पर विदेशी औद्योगिकीकरण का विकास हुआ। शिल्पकार, बढ़ई, नाई आदि लोगों को भूमि पर निर्भर रहना पड़ा।''[11]

भूमंडलीकरण के बाद बदलते आर्थिक परिवेश ने मानवीय संबंधों की संवेदनात्मकता को कमजोर कर दिया है। अब रिश्ते भावनात्मक जुड़ाव के बजाय व्यावसायिक हितों और लाभ–हानि के आधार पर निर्मित हो रहे हैं। ''दोपहर को रज्जाक ने बाइक स्टार्ट की और मार्केटिंग के लिए निकल गया। पर इशा की हिदायतों के साथ कि किसी से झगड़ना नहीं, किसी से भी यारी नहीं करनी और बैठकी तो लगानी ही नहीं है। बड़बड़ बोलना भी नहीं है, सीधे माल बेचो–पेमेंट लो और किसी प्रोफेशनल की तरह चलते बनो। पर इशा को क्या पता था कि मार्केटिंग और सेल्स का पूरा धंधा ही बोलने पर निर्भर है। जिसके पास भाषा की जादूगरी नहीं वह बाजार का आदमी नहीं। भाषा भी एक इनवेस्टमेंट है। रजत यह बात समझ रहा था और इसी डर से उसने इशा को यह भी नहीं बताया कि महन्त ने अभी एक ही माह का पेमेंट दिया है और आज फिर बुलाया है दूसरी किस्त के पेमेंट के लिए।''[12] इशा की हिदायतें यह दर्शाती हैं कि बाजारवादी सोच ने सामाजिक व्यवहार को भी अनुशासित और सीमित कर दिया है। यहां भूमंडलीकरण के प्रभाव को लेखक बहुत स्पष्ट करते हैं कि इस बदलते हुए वातावरण ने किसी से संवेदनात्मक करुणात्मक लगाओ को भी समाप्त कर दिया है यानी कि सिर्फ और सिर्फ अपने काम से कम रखने वाले उद्देश्य के व्यापारिक दृष्टिकोण के आधार पर रिश्ते कायम हो रहे हैं यहां रजत का अनुभव यह बताता है कि सेल्स और मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में भाषा एक महत्वपूर्ण पूंजी बन चुकी है।

भूमंडलीकरण के दौर में श्रमिक केवल आर्थिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक असुरक्षा से भी जूझ रहा है, श्रम का मूल्य बाजार की परिस्थितियों पर निर्भर हो गया है। 'अमर देसवा' में उपन्यासकार लिखते हैं–''एक माह तो बैठकी में ही निकल गया। मजूरी करके भी जिन परिवारों का पेट नहीं भर रहा था उन्हें आटे–दाल का भाव सताने लगा। विजय के पिता ने तो वह भी सँभाल लिया। बात बिगड़ी किराए को लेकर। मकान मालिक ने दो महीने के बाद टोक दिया था। विजय के पिता ने एक और माह की मोहलत माँगी पर अगले माह में भी वह किराया नहीं जुटा पाया। उसे उम्मीद थी कि उसकी फैक्टरी आधी क्षमता के साथ जल्दी ही चालू होगी। वह मैनेजर से मिल भी आया था। मैनेजर ने एक दिन बीच लगाकर काम देने का आश्वासन दिया। इससे तनख्वाह तो पक्की आधी हो जानी थी पर ना की जगह कुछ तो हाँ थी। पिता उम्मीद में वक्त काटने लगा पर फैक्टरी का काम चालू नहीं हुआ। वह फिर मैनेजर से मिला तो पता चला कि मार्केट में अभी कोई डिमांड ही नहीं है तो माल बनाकर सप्लाई किसे करेगी फैक्टरी। माँग और पूर्ति के इस बेरहम खेल से अनजान पिता मैनेजर को ही शक की निगाह से देखने लगा था। इधर मकान मालिक रोज दरवाजा खटखटाने लगा।''[13]

वैश्विक कोरोना महामारी में आर्थिक व्यवस्था की शिथिलता से श्रमिक वर्ग की आय पर सीधा असर पड़ता है। विजय के पिता का संघर्ष इस व्यवस्था की कठोर सच्चाई को उजागर करता है। वे काम मिलने की आशा में मैनेजर से बार–बार संपर्क करते हैं, लेकिन बाजार में मांग की कमी के कारण फैक्टरी का काम शुरू नहीं हो पाता। यहाँ माँग और पूर्ति का सिद्धांत, जो भूमंडलीकरण की अर्थव्यवस्था का आधार है, श्रमिकों के लिए बेरहम साबित होता है। श्रमिक इस जटिल आर्थिक तंत्र को पूरी तरह समझ नहीं पाते और परिणामस्वरूप वे अपने ही नियोक्ता पर संदेह करने लगते हैं।

प्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक सुकोमल सेन अपनी पुस्तक 'भारत का मजदूर वर्ग उद्‌भव और विकास' लिखते हैं–''ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के औपनिवेशिक शासन और शोषण ने भारत की परंपरागत उत्पादन व्यवस्था और स्वावलंबी समाज व्यवस्था को मटियामेट कर दिया। ब्रिटिश सेना द्वारा अधिकृत इलाकों में पुरानी आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक श्रम–विभाजन को भी चकनाचूर कर दिया गया। इलाके पर कब्जा करने के साथ ही उस इलाके का अतिरिक्त उत्पादन भी साम्राज्यवादियों को प्राप्त हो गया।''[14] औपनिवेशिक शासन प्रणाली ने भारतीय मूल संरचना को बहुत प्रभावित किया है। जिसका सबसे अधिक प्रभाव श्रमिक, किसान और गरीब वर्ग पर पडा है। श्रमिक वर्ग के पास न तो स्थायी रोजगार है और न ही सामाजिक सुरक्षा, जिससे उनका जीवन लगातार अनिश्चितताओं से घिरा रहता है।

''पिता क्या सोचकर आया था और क्या होकर रह गया। कई बार यह भी सोचा कि वापस अपने घर लौट जाए। पर घर लौटकर वह करता ही क्या? कायदे के काम की गारंटी और कहीं दिख नहीं रही थी और यहाँ कमोबेश एक बँधी–बंधाई आमदनी थी। काम भी बहुत वजनी नहीं था। जिन्दगी सँभालने वाले कुछ भरोसेमन्द साथियों का साथ भी तो था।

वह जैसे–तैसे बच्चों को पालने लगा। बच्चे स्कूल जाने लगे। पिता ने सोचा कि विजय दसवीं कर लेगा तो कुछ कमा लेगा कायदे का। पिता वाली फैक्टरी बहुत बड़ी नहीं थी और उसका भविष्य भी कुछ बढ़िया नहीं दिख रहा था। पर उसी में विजय को घुसाने की जुगत में था वह। बस दसवीं कर जाए विजय। इसी उधेड़बुन में पिता पित्तमारू जिन्दगी काट रहा था।''[15] खदानों और फैक्टरियों का एक साथ बंद हो जाना इस बात का संकेत है कि उत्पादन और श्रम पर आधारित पूरी व्यवस्था कितनी नाजुक हो गई है। श्रमिक वर्ग के पास न तो स्थायी रोजगार की सुरक्षा है और न ही किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था। जैसे ही काम बंद हुआ, उनके सामने जीवनयापन का संकट खड़ा हो गया। इसीलिए कई मजदूर तुरंत अपने–अपने गाँवों की ओर लौटने लगे। यह पलायन केवल भौगोलिक नहीं, बल्कि आर्थिक और मानसिक असुरक्षा का भी प्रतीक है। पुष्पेश पंत लिखते है–''21वीं शताब्दी के पहले दशक की समाप्ति तक भूमंडलीकरण का कुरूप और भयंकर चेहरा अच्छी तरह साफ हो गया है। इसका एक पहलू वह है जिसमें विश्वभर में परिष्कृत टैक्नोलॉजी पर आधारित औद्योगीकरण तो तेजी से बढ़ा है पर इसके साथ–साथ दुनियाभर में कृषि का ह्रास भी उसी गति से हुआ है।''[16] संकट के समय श्रमिकों को अपने स्तर पर ही समाधान ढूँढ़ना पड़ता है। वो शहरों से अपनी पारंपरिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ओर पलायन करता है।

'मुन्नी मोबाइल' के समाज पर नवउदारवाद, भूमंडलीकरण तथा आधुनिकता जैसी अवधारणाओं का प्रत्यक्ष

अथवा परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ रहा है। इसके चलते यह समाज लगातार परिवर्तित हो रहा है। आधुनिक बनने की इच्छा पालने वाला यह समाज न तो गाँव रहता है और न शहर ही बन पाता है। अपराध इसका अनिवार्य अंग बन गया है। राजनीतिक समीकरण पारंपरिक आधारों पर ही तय हो रहे हैं परंतु उनमें प्रवासियों की भूमिका बढ़ गई हैं। प्रौद्योगिकी के विकास से सब कुछ सहज प्राप्त कर लेने की भावना भी यहाँ बढ़ गई है। अतिरिक्त की इच्छा मनुष्य को गैर जरूरी समाज भी जमा करने को मजबूर कर रही है। इस तरह तकनीकी के विकास को भी यह समाज ठीक प्रकार संभाल नही पा रहा है।''[17]

महामारी जैसे संकट ने इस असमानता को और अधिक उजागर किया। फैक्ट्रियों का बंद होना, मजदूरों का पलायन, बेरोजगारी और भूख—ये सब इस बात के प्रमाण हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में श्रमिकों के लिए कोई ठोस सुरक्षा तंत्र मौजूद नहीं है। आटे—दाल का भाव जैसी स्थितियाँ यह दर्शाती हैं कि उनका संघर्ष केवल आर्थिक नहीं, बल्कि अस्तित्व का संकट बन चुका है। इसके साथ ही, उपभोक्तावाद और बाजारवादी सोच ने मानवीय संबंधों को भी प्रभावित किया है। रिश्ते अब संवेदनाओं के बजाय लाभ और उपयोगिता पर आधारित हो गए हैं। श्रमिकों को प्रोफेशनल बनने के दबाव में अपने सामाजिक और भावनात्मक पक्ष को दबाना पड़ता है, जिससे उनके जीवन में अकेलापन और तनाव बढ़ता है।

उपन्यास 'अमर देसवा' और 'मुन्नी मोबाइल' के प्रस्तुत संदर्भों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि भूमंडलीकरण के बाद श्रमिक जीवन गहरे संकट, असुरक्षा और निरंतर संघर्ष का पर्याय बन गया है। इन कृतियों में चित्रित परिस्थितियाँ केवल व्यक्तिगत कहानियाँ नहीं हैं, बल्कि वे उस व्यापक सामाजिक—आर्थिक यथार्थ को सामने लाती हैं, जहाँ श्रमिक वर्ग बाजार की शक्तियों के सामने लगभग असहाय हो चुका है। भूमंडलीकरण अवसरों के विस्तार का भ्रम तो पैदा किया, लेकिन रोजगार की स्थिरता को कमजोर कर दिया। श्रमिक अब स्थायी काम के बजाय अस्थायी और अनिश्चित कार्यों पर निर्भर हैं।

'अमर देसवा' के प्रसंगों में यह स्थिति बार—बार सामने आती है, जहाँ पात्र बाजार की मांग के अनुसार अपने पेशे बदलने को मजबूर हैं। उनकी आय निश्चित नहीं है, बल्कि कमीशन, अवसर और परिस्थितियों पर निर्भर करती है। इससे उनके जीवन में अस्थिरता और मानसिक दबाव दोनों बढ़ते हैं। दूसरी ओर, 'मुन्नी मोबाइल' में भी शहरी जीवन और उपभोक्तावादी संस्कृति के बीच श्रमिकों और निम्नवर्गीय लोगों की संघर्षपूर्ण स्थिति उभरकर आती है। यहाँ तकनीक और बाजार का विस्तार तो दिखता है, लेकिन उसके लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक समान रूप से नहीं पहुँचते। बल्कि यह असमानता को और गहरा करता है, जहाँ कुछ लोग संसाधनों पर कब्जा जमा लेते हैं और बाकी लोग हाशिए पर चले जाते हैं।

निष्कर्ष –

अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि इन उपन्यासों में चित्रित श्रमिक जीवन भूमंडलीकरण की उस सच्चाई को उजागर करता है, जहाँ विकास और प्रगति के दावों के बीच सबसे कमजोर वर्ग की उपेक्षा होती है। उनका संघर्ष केवल रोजगार पाने का नहीं, बल्कि बदलती आर्थिक और सामाजिक संरचनाओं में अपने अस्तित्व, सम्मान और मानवीयता को बचाए रखने का भी है। यही इन कृतियों का केंद्रीय संदेश है, जो समकालीन समाज की गहरी विडंबनाओं को सामने लाता है।

सन्दर्भ –

1. सौरभ, प्रदीप, मुन्नी मोबाइल, वाणी प्रकाशन, दिल्ली–2016, पृ. स.–109
2. पुष्पपाल सिंह, भूमंडलीकरण और हिंदी उपन्यास, पृ.–17 राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, 2012
3. सौरभ, प्रदीप, मुन्नी मोबाइल, वाणी प्रकाशन, दिल्ली–2016, पृ. स.–111
4. सौरभ, प्रदीप, मुन्नी मोबाइल, वाणी प्रकाशन, दिल्ली–2016, पृ. स.–111
5. गिरीश मिश्र, भूमंडलीकरण का संक्षिप्त इतिहास, पृ.–173 ग्रन्थ शिल्पी, दिल्ली, 2017
6. सौरभ, प्रदीप, मुन्नी मोबाइल, वाणी प्रकाशन, दिल्ली–2016, पृ. स.–15
7. देवेश और डॉ. आशा https://www.apnimaati.com/2022/12/blog&post_15.html
8. सौरभ, प्रदीप, मुन्नी मोबाइल, वाणी प्रकाशन, दिल्ली–2016, पृ. स.–105
9. देवेश और डॉ. आशा https://www.apnimaati.com/2022/12/blog&post_15.html
10. कुमार, प्रवीण, अमर देसवा, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली–2022, पृ. स.–39
11. ओमप्रकाश https://www.apnimaati.com/2022/03/blog&post_24.html
12. कुमार, प्रवीण, अमर देसवा, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली–2022, पृ. स.–47
13. कुमार, प्रवीण, अमर देसवा, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली–2022, पृ. स.–101
14. सुकोमल सेन, भारत का मजदूर वर्ग–उद्‌भव और विकास, पृ.–29 ग्रंथ शिल्पी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2012
15. कुमार, प्रवीण, अमर देसवा, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली–2022, पृ. स.–100, 101
16. पुष्पेश पंत, 21वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, पृ.–17 एमसी ग्राव हिल एजूकेशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई, 2019
17. देवेश और डॉ. आशा https://www.apnimaati.com/2022/12/blog&post_15.html

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
ISSN : 2321-8037
SANGAM
Vol. 14, Issue 5-6
पृष्ठ : 50–52

आधुनिक युग में टोपोलॉजिकल डेटा विश्लेषण (TDA) : गणितीय आधार, पद्धतियां और अनुप्रयोग

श्रीमती सरिता आचार्य
सा. प्रा. गणित, श्री उमा कन्या महाविद्यालय हाटपीपल्या जिला देवास (मध्य प्रदेश)

सारांश (Abstract)

परंपरागत सांख्यिकी और मशीन लर्निंग मॉडल अक्सर डेटा की 'ज्यामितीय आकृति' (Geometric Shape) को अनदेखा कर देते हैं। यह शोध–पत्र 'टोपोलॉजिकल डेटा एनालिसिस' (TDA) की अवधारणा का अन्वेषण करता है, जो बीजगणितीय टोपोलॉजी (Algebraic Topology) के सिद्धांतों को बड़े और शोर–युक्त (noisy) डेटासेट पर लागू करता है। इस लेख में हम पर्सिस्टेंट होमोलोजी (Persistent Homology) की गणितीय रूपरेखा और इसके भविष्य के अनुप्रयोगों पर चर्चा करेंगे।

1. प्रस्तावना (Introduction)

टोपोलॉजी, जिसे अक्सर 'रबड़ शीट ज्यामिति' कहा जाता है, गणित की वह शाखा है जो उन गुणों का अध्ययन करती है जो निरंतर विरूपण (Continuous Deformation) के तहत अपरिवर्तित रहते हैं। ऐतिहासिक रूप से, टोपोलॉजी का उपयोग केवल सैद्धांतिक गणित में किया जाता रहा है। हालांकि, 21वीं सदी में 'डेटा का आकार मायने रखता है' (Shape of Data Matters) के सिद्धांत ने टोपोलॉजी को एक व्यावहारिक उपकरण के रूप में स्थापित किया है।

जब डेटा उच्च–आयामी (High-dimensional) होता है, तो पारंपरिक यूक्लिडियन ज्यामिति (Euclidean geometry) विफल होने लगती है। यहीं पर टोपोलॉजी की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।

2. गणितीय पृष्ठभूमि (Mathematical Foundations)

TDA का आधार बीजगणितीय टोपोलॉजी है। किसी डेटासेट में अंतर्निहित संरचना को समझने के लिए, हम उसे 'सिम्पलिसियल कॉम्प्लेक्स' (Simplicial Complex) में परिवर्तित करते हैं।

2.1 सिम्पलिसियल कॉम्प्लेक्स (Simplicial Complex)

एक सिम्पलिसियल कॉम्प्लेक्स सरल ज्यामितीय आकृतियों 'बिंदु (0–simplex), रेखाखंड (1–simplex), त्रिभुज (2–simplex), और चतुष्फलक (3–simplex)' का एक संग्रह है।

2.2 होमोलोजी (Homology)

होमोलोजी का मुख्य उद्देश्य 'छेद' (holes) या रिक्त स्थानों की गणना करना है।

- **\beta_0 (Betti number 0)** : जुड़े हुए घटकों (Connected components) की संख्या।
- **\beta_1 (Betti number 1)** : 1–आयामी छेद (जैसे वृत्त या लूप) की संख्या।
- **\beta_2 (Betti number 2)** : 2–आयामी गुहाओं (Voids) की संख्या।

गणितीय रूप से, k–जी होमोलोजी समूह H_k को बाउंड्री ऑपरेटर \partial_k के माध्यम से परिभाषित किया जाता है :

3. पर्सिस्टेंट होमोलोजी : मुख्य पद्धति :

डेटा में 'शोर' (Noise) को हटाने के लिए हम 'फिल्ट्रेशन' (Filtration) की तकनीक का उपयोग करते हैं। हम डेटा बिंदुओं के चारों ओर धीरे–धीरे बढ़ते हुए गोले बनाते हैं और देखते हैं कि कौन से 'छेद' लंबे समय तक बने रहते हैं और कौन से जल्दी गायब हो जाते हैं।

3.1 परसिस्टेंस डायग्राम (Persistence Diagram)

यह डायग्राम हमें बताता है कि डेटा की कौन सी विशेषताएँ (Features) महत्वपूर्ण हैं। जो विशेषताएँ डायग्राम के विकर्ण (diagonal) से दूर होती हैं, वे डेटा की महत्वपूर्ण संरचनात्मक विशेषताएं मानी जाती हैं।

4. अनुप्रयोग (Applications)

टोपोलॉजिकल डेटा एनालिसिस का प्रभाव केवल सिद्धांत तक सीमित नहीं है, इसके बहुआयामी उपयोग हैं :

4.1 जैव-सूचना विज्ञान (Bioinformatics)

प्रोटीन फोल्डिंग और आणविक संरचना (Molecular structures) के विश्लेषण में टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है। चूंकि प्रोटीन का कार्य उनके आकार पर निर्भर करता है, इसलिए उनकी टोपोलॉजिकल सिग्नेचर की पहचान करना नई दवाओं की खोज में सहायक है।

4.2 न्यूरोसाइंस (Neuroscience)

मस्तिष्क के न्यूरॉन्स का नेटवर्क एक जटिल ग्राफ बनाता है। ज्क। के माध्यम से, शोधकर्ता यह समझ सकते हैं कि मस्तिष्क में सूचनाओं का प्रवाह कैसे होता है और न्यूरोलॉजिकल विकारों (जैसे अल्जाइमर) में नेटवर्क की टोपोलॉजी कैसे बदलती है।

4.3 कंप्यूटर विजन और इमेज प्रोसेसिंग :

आकृतियों की पहचान और वस्तुओं के वर्गीकरण में टोपोलॉजिकल विशेषताएं बहुत अधिक सटीक परिणाम देती हैं, क्योंकि वे रोटेशन (Rotation) और स्केलिंग (Scaling) के प्रति अपरिवर्तनीय (Invariant) होती हैं।

5. चुनौतियां और सीमाएं :

यद्यपि TDA एक शक्तिशाली उपकरण है, फिर भी इसमें कुछ चुनौतियां हैं :

1. **कम्प्यूटेशनल जटिलता (Computational Complexity) :** सिम्पलिसियल कॉम्प्लेक्स बनाना बहुत अधिक मेमोरी और समय ले सकता है, विशेष रूप से बड़े डेटासेट के लिए।
2. **व्याख्या (Interpretation) :** एक परसिस्टेंस डायग्राम में मिले 'छेद' का वास्तविक दुनिया में क्या अर्थ है, यह हमेशा स्पष्ट नहीं होता। इसके लिए डोमेन विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है।

6. भविष्य की दिशाएँ (Future Directions)

भविष्य में टोपोलॉजी और डीप लर्निंग का मिलन (Topological Deep Learning) एक क्रांतिकारी क्षेत्र होगा। हम ऐसे न्यूरल नेटवर्क बना रहे हैं जो इनपुट डेटा के टोपोलॉजिकल फीचर्स को 'लर्न' (Learn) कर सकते हैं। इसके अलावा, क्वांटम कंप्यूटिंग के साथ TDA के एकीकरण से हम अत्यधिक जटिल प्रणालियों का विश्लेषण कर सकेंगे जो वर्तमान सुपर कंप्यूटरों की क्षमता से परे हैं।

7. निष्कर्ष (Conclusion)

टोपोलॉजी गणित की एक अमूर्त शाखा से निकलकर डेटा विज्ञान का एक अभिन्न अंग बन गई है। 'आकार' (Shape) के माध्यम से डेटा को समझना हमें उन पैटर्न को खोजने में मदद करता है जो पारंपरिक सांख्यिकी से छूट जाते हैं। जैसे–जैसे हम और अधिक डेटा–संचालित युग की ओर बढ़ रहे हैं, टोपोलॉजिकल डेटा विश्लेषण गणितीय और वैज्ञानिक खोजों का एक अनिवार्य स्तंभ बना रहेगा।

संदर्भ (References)

1. Edelsbrunner, H., & Harer, J. (2008). *Persistent homology—a survey*. Contemporary Mathematics.
2. Carlsson, G. (2009). *Topology and data*. Bulletin of the American Mathematical Society.
3. Ghrist, R. (2014). *Elementary Applied Topology*. Createspace.
4. Zomorodian, A. (2005). *Topology for Computing*. Cambridge University Press.

मोबाइल 9340659982

Email kumkumacharya2608@gmail.com

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
ISSN : 2321-8037
SANGAM
Vol. 14, Issue 5-6
पृष्ठ : 53–56

'नागफनी' आत्मकथा में सामाजिक परिवेश

मोनिका
पीएच. डी. शोधार्थी, हिन्दी–विभाग
पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़। पिन कोड–160014

सभी जीवधारियों में मनुष्य स्वयं को श्रेष्ठ परिभाषित करने के पक्ष में रहा है। व्यक्तियों के बीच आपसी सहयोग से संबंध बनाने से ही समाज बना। वास्तव में समाज की उत्पति विकास की एक लम्बी प्रक्रिया का परिणाम है। व्यक्तियों के बीच अंतर्क्रिया बढ़ने से और बाद में उनके बीच संबंध स्थापित होने से समाज का पादुर्भाव हुआ। साहित्य भी समाज से जन्मा क्योंकि साहित्य का जन्म व विकास समाज के व्यक्तियों ने ही किया। साहित्यकार समाज में ही रहता है और साहित्य सृजन करता है। इसलिए साहित्य व समाज में मौलिक संबंध है। समाज का अर्थ है– दल या समूह, समुदाय, किसी विशिष्ट उद्देश्य से स्थापित की हुई सभा।[1] परिवेश शब्द अंग्रेजी भाषा के Environment शब्द का हिंदी अनुवाद है। इसके अलावा अंग्रेजी भाषा में Surroundings, Situation[2], Enclosure, Milieu[3] शब्द भी इसके लिए प्रयुक्त होते है। परिवेश का कोशगत अर्थ है– परिधि, घेरा, मंडल, वातावरण।[4] समाज का अर्थ है 'एक साथ रहना' और परिवेश का अर्थ है 'आस–पास का वातावरण'। सामाजिक परिवेश में वे सभी समूह और पड़ोस शामिल होते हैं जिनसे हम जुड़े होते हैं। यह समाज की मान्यताओं, रीति–रिवाजों और व्यवहारों का समुच्चय है, जिसमें हमारे संबंध, संस्थाएँ, संस्कृति और भौतिक वातावरण शामिल होते हैं।

'नागफनी' आत्मकथा चर्चित दलित लेखक रुपनारायण सोनकर की आत्मकथा है। वास्तव में रुपनारायण सोनकर की आत्मकथा 'नागफनी' केवल एक समाज, एक व्यक्ति की आत्मकथा नहीं है। यह सभी दलितों एवं समस्त दलित समाज की आत्मकथा है। इस आत्मकथा में आत्मकथाकार ने दलित समाज व सवर्णों के ऐसे अनोखे चित्रण प्रस्तुत किये हैं, जिन्हें बड़े से बड़ा गैर–दलित साहित्यकार भी प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है। दलित समाज के संघर्षों के खिलाफ क्रांति व आवाज उठाने का साहस भी आत्मकथाकर ने अपनी आत्मकथा में चित्रित किया है।

इस आत्मकथा में उत्तर भारत के दलित समाज के परिवेश की एक तस्वीर देखने को मिलती है। एक ऐसी तस्वीर, जिसमें से रंग गायब हैं क्योंकि दलितों के जीवन को उच्च वर्ग के लोगों ने सदियों से बदरंग कर रखा है। गुलामों से भी बदतर स्थिति में दलितों को जीना पड़ रहा है। गुलामों को उनके मालिक कम से कम स्पर्श तो कर सकते थे, भारतीय समाज में तो दलितों का स्पर्श भी वर्जित था। दलितों को विभिन्न जातिनामों से अभिहित किया गया, वे दरअसल गालियाँ हैं, जो गोली की तरह सीने में लगती हैं। ढेड़, चमार, भंगी, पासी,

बसोड़, चंडाल, खटिक आदि शब्द जाति संबोधन के साथ गाली के पर्याय के रूप में स्वीकृत थे। जातिवाद का मर्मस्पर्शी चित्रण सोनकर ने 'नागफनी' में किया है। सोनकर व उनका बड़ा भाई भारी वर्षा में रास्ते में फँस जाते हैं तब मिश्रा नाम का एक ब्राह्मण भरे तूफान में उन्हें अपने घर ठहरने को कहता है व उन्हें सम्मानपूर्वक अपने कपड़े पहनने को देता है परंतु जब वे दोनों अपनी जाति के बारे में मिश्रा जी को बताते है तो ब्राह्मण मिश्रा उनसे अपने कपड़े उतारने की बात कहकर कपड़ों की कीमत तक उनसे मांगता है और कहता है– "कोई भी हरिजन हमारे बर्तनों में खा नहीं सकता। हमारे बिस्तर पर लेट नहीं सकता। जल्दी छप्पर के नीचे से बाहर चलो। कपडों के 600/–रु. देकर जाओ।"[5] सोनकर का भाई अजय, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एम.ए. करके और आई. ए.एस.की परीक्षा देकर गाँव लौटता है,उसे गाँव का ब्राह्मण हरिशंकर अवस्थी कंडे ढोने के लिए कहता है। अजय मना करता है पर अवस्थी उसे नीचा दिखाते हुए मजबूर कर देता है। अंत में अजय को पूरा दिन कंडे ढोने पड़ते हैं। यह घटना बताती है कि ऊँची शिक्षा होने के बाद भी जातिवाद के कारण एक व्यक्ति का अपमान किया जाता है। इस प्रकार देखा जा सकता है कि आत्मकथा में जातिवाद की कठोरता को सरल ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि समाज में जातिवाद की जड़ें बहुत अधिक गहरी हैं, जिसका चित्रण आज के आधुनिक समाज में भी दिखाई देता है।

इस आत्मकथा में कुछ ऐसे प्रसंग है जो सवर्णों के अत्याचारों का वर्णन करते हैं, जिसका चित्रण इस प्रकार से है कि– 'हरिशंकर अवस्थी का बंधक भदइया चमार।' यह एक दारुण प्रसंग है जो दिल को उद्वेलित करता है। हरिशंकर अवस्थी गाँव का एक ब्राह्मण था जो बहुत खूंखार किस्म का माना जाता था। वह पहले पुलिस में सिपाही था पर उसकी गलत हरकतों के कारण उसको पुलिस से बर्खास्त कर दिया गया था। वह अपनी क्रूरता के कारण बदनाम था। जो भी दलित उसके बुलाने पर नहीं जाता वह उसे बेरहमी से पीटता था। उसने मोहल्ले के दो ब्राह्मणों को भेजकर भदइया चमार को उसने जबरन पकड़वाकर अपने चबूतरे के सामने लातों और लकड़ी के डंडों से पीटा। भदइया चमार को उसने इतनी निर्दयता से पीटा कि देखने वाले भी सहम जाए। भदइया चमार का एकमात्र अपराध यह था कि उसने हरिशंकर अवस्थी के खेतों की जुताई नहीं की थी। सोनकर ने सामाजिक कुरीतियों का भी चित्रण बखूबी किया है– "गांव में आज भी वह सामाजिक कुरीतियाँ इस प्रकार फैली हुई हैं जो आज के आजाद भारत के लिए बहुत ही खतरनाक हैं। चाहे कोई त्योहार या जश्न मनाने का अन्य कोई अवसर सभी जगह दबे–कुचले, कमजोर आदमी औरतें निशाना होते हैं। गैर दलित, दलितों का अपना अपमान करके अपना मनोरंजन करते हैं। उनको ऐसा करने में बहुत ही मजा आता है। वे अपमानित होने वाले दलितों की मान–मर्यादा का कोई भी ध्यान नहीं रखते हैं। दलित औरतों को मनोरंजन का सामान समझते हैं। सवर्ण ऐसा क्यों करते हैं? और दलित क्यों सुनते हैं? सवर्ण अपनी झूठी सर्वोच्चता कायम रखने के लिए ऐसा करते हैं। दलित कमजोर होने के कारण सुनते है क्योंकि वे आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक रूप से बहुत ही दयनीय होते हैं।"[6] गांव में होली के अवसर पर स्त्रियों को गालियाँ व अपमान मिलने पर आत्मकथाकार का क्रांतिकारी स्वरूप सामने आता है। सोनकर इस कुप्रथा को तोड़ देना चाहते हैं। वह दलितों, चमारों के साथ मिलकर सवर्णों के विरुद्ध लड़ने की रणनीति तैयार कर लेतें है। वह लिखते हैं कि–"...मैंने तय कर लिया था आज की होली में फैली इन कुप्रथाओं को जला कर राख कर दूंगा या तो ये कुप्रथाए शहीद होंगी या दलित शहीद होंगे।"[7]

प्रख्यात साहित्यकार व हंस के सम्पादक राजेन्द्र यादव ने सितम्बर, 2006 के सम्पादकीय में नागफनी के बारे में लिखा है– "अभी तक जितनी भी दलित आत्मकथाएँ आई हैं उनमें 'हाय! मार डाला' की चीखें है, नागफनी में हाय मार डाला की चीख सुनाई नहीं पड़ती है, लेकिन नागफनी में संघर्ष है,जिसको अंग्रेजी भाषा में 'साइलेंट रेव्यूलूशन' कहा जाता है।"[8]

'नागफनी' आत्मकथा ने दलित समाज को अंधविश्वासों, धार्मिक पाखंडता से बाहर निकालने में एक क्रांतिकारी भूमिका अदा की है। गांव नसेनिया में ब्राह्मण प्रतिवर्ष अखण्ड रामायण का पाठ आयोजित करते हैं। सोनकर के मित्र के अनुरोध पर वह भी अखंड पाठ में भाग ले लेतें है। जब वे रामचरितमानस का पाठ जोर–जोर से पढ़ने लगता है तो ब्राह्मण शिवभजन अवस्थी वहां आ जाता है। वह आग बबूला हो आत्मकथाकार को गाली देते हुए कहता है– "हम लोगों के बीच में बैठकर कैसे रामायण की चौपाई पढ़ रहा है। इस अछूत को किसने चौपाई पढ़ने के लिए कहा––––यह अखंड पाठ खण्डित हो जाएगा। इस अछूत को रामायण का पाठ पढने का कोई अधिकार नहीं है।"[9] इससे सोनकर सहम जाता है। वह नहीं जानता था कि उसके पढ़ने से रामचरितमानस अशुद्ध हो जाएगी। वह अपनी कक्षा के लड़के और लड़घकियों, जो कि उस पाठ में शामिल थे, के सामने अपमानित हो रहा था, गालियाँ खा रहा था। गुस्से में आकर वह रामायण को अपने हाथों से शिवभजन अवस्थी के मुंह पर फेंक कर वहाँ से भाग जाता है और भागते हुए रामचरितमानस पर आत्मकथाकार के पैर पड़ जाते हैं और रामचरितमानस चिथड़े–चिथड़े हो जाती है। सोनकर ने इस घटना को याद करते हुए लिखा है कि– "अंधविश्वासी, अधर्मी, अमानवीय वाले आचरण करने वाले इन धर्म के ठेकेंदारों ने धर्म को इसी तरह चिथड़े–चिथड़े कर दिया है। मंदिरों में इसी तरह एक इंसान को इंसान नहीं समझा जाता है, अपमानित किया जाता है। यदि राम वहाँ है, जिसको जगाने के लिए यह अखण्ड पाठ को किया जाता है तो वह इस अत्याचार को क्यों रोकते हैं?––––– राम यदि मंदिर में विराजमान है तो इन दरिंदों को दण्डित को क्यों नहीं करते हैं? उन्हें मानवता, समानता, भाईचारे का पाठ क्यों नहीं पढाते है?"[10]

सोनकर ने अपनी आत्मकथा में सामाजिक व धार्मिक परिवेश के साथ–साथ आर्थिक परिवेश पर भी प्रकाश डाला है। गाँव नसेनिया के ब्राह्मण दलितों पर बहुत अत्याचार करते थे गाँव में ब्राह्मण दलितों के खेतों के अनाज तक को उठा ले जाते थे। उन्हें कम अनाज देकर ज्यादा वसूली करते थे। गाँव के कुछ ब्राह्मण दलितों पर बड़ा जुल्म व शोषण करते थे। एक बार यदि कोई ब्राह्मण किसी दलित को पैसे या अनाज उधार देता था तो वह दलित जिंदगी भर उससे उऋण नहीं हो पाता था।

सोनकर ने 'नागफनी' में नसेनिया गाँव के मेलों और परंपराओं का सजीव चित्रण किया है। यह मेला साल में एक–दो बार लगता है, जिसमें जातिगत भेदभाव स्पष्ट दिखाई देता है। जौं के बीज तैयार करने का कार्य केवल सवर्ण जातियों (ठाकुर, यादव, ब्राह्मण) तक सीमित है, जबकि दलितों को इससे वंचित रखा जाता है। मेले के समय सवर्ण महिलाएँ जौं के घड़े सिर पर रखकर गाँव में घूमती हैं, जिनमें कोई दलित महिला शामिल नहीं होती। मेले की एक प्रमुख परंपरा लोहे की नुकीली छड़ों से गाल छेदने की है। इन छड़ों को साफ करने का काम सुक्खी चमार (सुक्खी बाबा) करता है, जो नींबू का रस लगाकर लोगों के गालों के आर–पार छेद देता है। लोगों का विश्वास है कि इससे देवी का आशीर्वाद मिलता है। आश्चर्यजनक रूप से इस प्रक्रिया में खून नहीं निकलता। आत्मकथाकार भी इस परंपरा में भाग लेता है। यह वर्णन गाँव की संस्कृति के साथ–साथ जातिगत

भेदभाव और अंधविश्वास को उजागर करता है। होली के त्यौहार के दिन कुड़हा माई के मंदिर में लगने वाले मेले में होने वाले सूअर–गाय के युद्ध का अद्‌भुत नजारा आत्मकथाकार ने प्रस्तुत किया है। गाँव भर की खूँखार गाय इस युद्ध का हिस्सा होती थी। सिर्फ ठाकुर, ब्राह्मणों और यादवों की गायें इस युद्ध में हिस्सा लेती थी। कोई भी दलित की गायें इस युद्ध में हिस्सा नहीं लेती थी। आत्मकथाकार ने दूसरे गाँव के पहलवानों के साथ कुश्ती लड़ने का भी वर्णन किया है। गाँव नसेनिया में सावन के महीने में दंगल लगते थे। गाँव में देहाती जादूगर मजमा लगाकर जादू दिखाने आया करते थे। ये जादूगर अपना मजमा गलियो मुहल्लों में लगाया करते थे। सोनकर कहते हैं– "ऐसे मजमे गाँव में स्वस्थ मनोरंजन पैदा करते हैं। ऐसे मजमों में अश्लीलता नहीं होती है। ऐसे करतब ग्रामीणों को बहुत पसंद आते हैं।"[11]

अंततः इस आत्मकथा में रूपनारायण सोनकर पूरे दलित समाज की पीड़ा, त्रासद स्थिति, और अपमानजनक स्थिति को उकेरने में सफल रहें हैं। उन्होंने इस आत्मकथा के माध्यम से दलित समाज का सच और सवर्णों की मानसिकता, फरेब, छल, अहंकार तथा शोषण को उजागर किया है। वहीं दूसरी तरफ दलितों का क्रांतिकारी स्वरूप भी इसमें देखने को मिलता है दलित अपनी बहन–माताओं की गरिमा, गौरव, इज्जत को सुरक्षित रखने में कामयाब होते हैं। इस आत्मकथा का प्रयोजन दलितों के स्वाभिमान और सम्मान को पुर्नस्थापित करना है और इसमें आत्मकथाकर को बहुत हद तक सफलता भी मिली है।

सन्दर्भ –

1. वर्मा, आचार्य रामचन्द्र, लोकभारती वृहद प्रामाणिक हिन्दी कोश, इलाहबाद, लोकभारती प्रकाशन, ग्यारवाँ संस्करण, पृष्ठ सं. 917
2. उपाध्याय, लक्ष्मीकांत, वृहत शिक्षार्थी अंग्रेजी–हिन्दी शब्दकोश, दिल्ली, कमल प्रकाशन, नवीन संस्करण, पृष्ठ सं. –549
3. कपूर, डॉ. बद्रीनाथ, वृहत अंग्रेजी हिन्दी कोश, दिल्ली, प्रभात प्रकाशन, प्रथम संस्करण, 1999, पृष्ठ सं.1175, 774
4. वर्मा, आचार्य रामचन्द्र, लोकभारती प्रकाशन, वृहद प्रमाणिक हिन्दी कोश, इलाहबाद, लोकभारती प्रकाशन, ग्यारवाँ संस्करण, पृष्ठ सं.–917
5. सोनकर, रूपनारायण, नागफनी, दिल्ली, शिल्पायन पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रिब्यूटर्स, तीसरा संस्करण, 2014, पृष्ठ सं. 24
6. वही, पृष्ठ सं.–53, 54
7. वही, पृष्ठ सं.–57
8. वही, पृष्ठ–9 (भूमिका से)
9. वही, पृष्ठ सं.–35
10. वही, पृष्ठ सं.–36
11. वही, पृष्ठ सं.–64

मोबाइल नम्बर–6280624218

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
Vol. 14, Issue 5-6
पृष्ठ : 57-60

The Paradox of the Feminine : A Historical Analysis of Gender, Agency, and Social Stratification in Vedic India (c. 1500–500 BCE)

Koshinder Singh
Research Scholar, Department of History, Meerut College, Meerut.

Abstract :

Early Vedic India (1500BCE to 500 BCE) is a pivotal period in South Asian history, marked by the creation of cultural standards, changing social structures, and religious advancements that would influence later Indian civilization. The paradoxical status of women in this defining period is examined in this essay: they are both socially restricted by the emergence of patriarchal structures and honored in religious songs and intellectual discussions. This study examines how gender hierarchies were created, how women negotiated agency within patriarchal realms, and how social stratification interacted with gender roles through an analysis of Vedic texts, ritual practices, and socioeconomic circumstances. Critically, while certain Vedic traditions honored feminine divinities and acknowledged women's intellectual presence, social practices like patrilocal marriage, restricted access to ritual authority, and normative prescriptions limited women's participation in public authority. The paradox of the feminine in Vedic India thus reflects a dynamic interplay between religious ideals, material conditions, and social structures.

Key Words : Vedic India, Feminine Paradox, Patriarchy, Social Stratification, Vedic System, Vedic Literature, Early Indian Society, Ritual Authority & Feminine Divinity.

Introduction :

Studying the Vedic era (1500BCE to 500 BCE) provides a unique view into the fundamental institutions of South Asian civilization. The "woman question"—the argument over the degree of female autonomy in a time before the strict codification of the Manusmriti—is at the heart of this research. The ability of a person to act autonomously and exercise power within a social framework is known as agency in historical contexts.

This essay makes the case that female agency throughout the Vedic era was a complicated

negotiation rather than a steady decrease. Gender roles were reorganized during the Later Vedic period, whereas the Early Vedic (Rig Vedic) period showed a great degree of egalitarianism based on a pastoral economy. The sedentary character of agriculture, the professionalization of the priesthood, and the emergence of the idea of patrilineal property all contributed to this change.

Conceptual Structure : The Socio-Economic Turn :

Materialist theory and structural functionalism are necessary to comprehend the reasons behind the evolution of gender roles.

The tribes were semi-nomadic throughout the Early Vedic era. Labor is frequently flexible in these civilizations. Because of their crucial role in the dairy-based economy, women were given "Domestic Agency." But when the Vedic people settled in the Gangetic Plain and began farming, society needed a distinct succession plan for property ownership. Female mobility was structurally reduced as a result of the need to regulate female sexuality in order to guarantee "legitimate" heirs.

The Rishikas' Age in the Early Vedic Era :

Our main source for this period is the Rig Veda. It shows a society in which the "Sacred Word" was accessible to women.

Intellectual and Religious Agency :

In contrast to later eras, women in the Rig Vedic Era learned the Vedas and underwent the Upanayana (initiation). They were divided into two categories :

- **Brahmavadinis :** Women who devoted their life to philosophy while remaining chaste.
- **Sadyovadhus :** Women who pursued education until they were old enough to get married.

The text mentions at least 27 female seers, known as Rishikas. The most famous of them, Vak Ambhrini, identifies herself as the cosmic force that supports the gods in the Devi Sukta (10.125 in Rig Veda). The pinnacle of intellectual agency is a woman claiming the voice of the Absolute.

Domestic Status and Marriage :

The ideal union is modeled by the Vivaha Sukta (Marriage Hymn, 10.85 in Rig Veda). The bride is referred to as Samrajni, which means "Queen/Sovereign." In her new house, she is urged to be "a bringer of fortune" and to "rule over her father-in-law and mother-in-law." This implies that in the joint family arrangement, the Grihapatni (Mistress of the House) possessed considerable managerial authority.

The Pinnacle of Female Intellectualism : The Upanishadic Era :

The Upanishads, which emphasize mental meditation over external ceremony, symbolize the "End of the Vedas" (Vedanta). The two most well-known instances of female agency in ancient history, the Gargi and Maitreyi, were created during this time.

The Public Intellectual Gargi Vachaknavi :

Gargi is regarded as a peer among the male sages in King Janaka's court. She questions Yajnavalkya, the renowned sage, about the nature of the universe. Her inquiries are rational and rigorous. When she is finally instructed to stop (under the threat that her "head would fall off"), it is a philosophical barrier rather than a sexist dismissal because she had gone beyond what words could express. She is regarded as the "arbiter" of truth in the assembly since she later acknowledged Yajnavalkya's brilliance.

Moksha's Pursuit in Maitreyi :

Maitreyi's rejection of material wealth demonstrates her agency. "Yenaham namrita syam kimaham tena kuryam?" she queries when her husband offers a settlement. What should I do with the thing that won't grant me immortality? She claims that a woman's soul has the same transcendental ambitions as a man's by prioritizing spiritual education over material possessions.

The Later Vedic Decline : Marginalization in Structure :

The Brahmanas and Sutras underwent a significant change by 1000 BCE as the Later Vedic era began.

The Loss of Ritual Rights :

A dedicated male priesthood was needed when rituals (Yajnas) grew increasingly complex and costly. Once energetic and loud, the wife's role became more and more quiet. A girl is referred to in the Aitareya Brahmana as a "source of misery" (Kripana), whereas a boy is the "savior of the family."

Financial Dependency :

The division of labor became inflexible as the Varna system gained popularity. The public realm (Sabha and Samiti) steadily excluded women, and their "rights" were substituted with "protection."

Synthesis : Applicability to Current Historical Conversations :

Women's status during the Vedic era is an important aspect of contemporary Indian identity, not only a question of ancient history.

- **Nationalist Revisionism :** During the reform movements of the 19th century, figures such as Dayananda Saraswati argued that the Later Vedic restrictions were a "corruption" of the original system and exploited the "Return to the Vedas" to promote women's education.
- **Feminist Critique :** According to contemporary historians like Uma Chakravarti, patriarchy persisted even during the Rig Vedic era, although it was "consensual" as opposed to "coercive."

Conclusion :

The Vedic social structure wasn't a single entity. Through education and ritual involvement, women were granted a significant degree of agency throughout the Early Vedic period. However,

women's autonomy was limited to serve the interests of property and lineage as the culture changed from a nomadic, egalitarian pastoral group to a sedentary, hierarchical agrarian state. However, Gargi and Maitreyi continue to serve as historical evidence that the "Vedic mind" was previously able to prioritize intellectual and spiritual qualities over gender.

Reference :

1. Altekar, A. S. (1938). The position of women in Hindu civilization: From prehistoric times to the present day. Banaras Hindu University Press.
2. Chakravarti, U. (2003). Gendering Caste: Through a Feminist Lens. Stree.
3. Doniger, W. (2009). The Hindus: An Alternative History. Penguin Press.
4. Ghurye, G. S. (1969). Caste and Race in India. Popular Prakashan.
5. Hiltebeitel, A. (2001). The Ritual of Battle: Krishna in the Mahabharata. SUNY Press.
6. Narayan, B. (1997). Women, Gender, and Colonialism: Essays on South Asian History. Oxford University Press.
7. Olivelle, P. (1996). The Early Upanishads: Annotated Text and Translation. Oxford University Press.
8. Sharma, V. (2007). Status of Women in Ancient India. Educational Publishers.
9. Thapar, R. (2002). Early India: From the Origins to AD 1300. University of California Press.
10. V. Geetha. (2007). Patriarchy. Stree.
11. Nagalaxmi, V. (2022). The role and position of women in Vedic period in India. International Journal of Humanities and Social Science Invention, 11(11), 151–153.
12. Kapur, R. (2019). Status of women in ancient India [Unpublished manuscript]. ResearchGate.
13. Devi, R., & Subrahmanyam, R. (2014). Women in the Rig Vedic age. ResearchGate.
14. Kanjilal, S. (2026). Socio-historical analysis of women in the Vedic period. Pen and Prosperity, 37–42.
15. Sharma, N. (2023). Women status in ancient India. International Journal of Innovations & Research Analysis, 03(01), 25–30.
16. Biswal, A. K. (2025). The role of women in Vedic and Sm?ti literature: A study. Partners Universal Innovative Research Publication.
17. Kaur, G. (2025)"Position of women in ancient India." . International Journal of Arts, Humanities and Social Studies, 7(1), 659–662.
18. Khan, A. K., & Sen, M. (2021). Gender equality: A historical perspective based on Vedic literatures. Review of International Geographical Education Online, 11(10).
19. Vasini, S. (2025). वैदिक कालीन नारी शिक्षा : एक अध्ययन. International Education and Research Journal, 11(03).
20. Mamta & Rao, A. (2024) "ऋग्वैदिक एवं उत्तरवैदिक काल में समाज में स्त्रियों की स्थिति : एक तुलनात्मक अध्ययन." Innovative Research Thoughts, 10(1), 138–141.

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
Vol. 14, Issue 5-6
पृष्ठ : 61-66

Standardization of Marking Procedures and Its Role in Fair Play, Sportsmanship, and Training Effectiveness in Physical Education and Sports

Ram Krishan Saran, Research Scholar
Dr. Surjeet Singh Kaswan (Professor), Research Supervisor
Faculty of Physical Education, Tantia University, Sri Ganganagar (Raj.)

Abstract :

Standardized marking procedures are fundamental to ensuring fairness, improving training effectiveness, and promoting sportsmanship in physical education and sports. This study investigates the influence of marking standardization on officiating accuracy, athlete behavior, dispute frequency, and skill development. Using a mixed-method approach, data were collected from educational institutions through observation, surveys, and structured assessment using the Marking Quality Assessment Protocol (MQAP). Results indicate that facilities adhering to standardized marking protocols experienced significantly fewer disputes (?37%), improved officiating accuracy (+29%), and enhanced training effectiveness (+24%). The findings emphasize that marking standardization is not merely a technical requirement but a critical factor in shaping ethical behavior, fair competition, and athlete development. The study recommends institutional policies, regular audits, and training programs to ensure compliance with marking standards.

Keywords : Standardization, marking procedures, fair play, sportsmanship, training effectiveness, physical education, MQAP

1. Introduction :

Physical education and sports are not only concerned with physical development but also with the promotion of **ethical values such as fairness, discipline, and respect for rules**. One of the most critical yet underappreciated factors influencing these values is the **standardization of marking procedures**.

Markings on sports fields and courts :

- Define rules visually
- Guide officiating decisions
- Structure training activities

However, in many educational institutions, markings are :

- Inconsistent
- Faded or unclear
- Non-compliant with standards

This creates :

- Disputes during games
- Confusion among players
- Reduced training efficiency

This study explores how standardized marking contributes to **fair play, sportsmanship, and effective training environments**.

2. Review of Literature

2.1 Standardization in Sports Infrastructure :

Standardization ensures uniformity and fairness across different playing environments. Governing bodies prescribe specific marking dimensions to maintain consistency in competition.

2.2 Fair Play and Sportsmanship

Fair play is influenced by :

- Clarity of rules
- Transparency in decision-making
- Trust in officiating

Unclear markings often lead to :

- Player disputes
- Questioning of referee decisions
- Unsportsmanlike behavior

2.3 Training Effectiveness

Training effectiveness depends on :

- Structured learning environments
- Clear spatial organization
- Defined practice zones

Standardized markings :

- Improve drill execution

- Enhance skill acquisition
- Support tactical learning

2.4 Research Gap

Limited research exists on :

- Relationship between marking standardization and fair play
- Impact on training effectiveness in educational settings

3. Objectives of the Study

- To evaluate the level of marking standardization in physical education facilities
- To analyze its impact on fair play and sportsmanship
- To examine its influence on officiating accuracy and disputes
- To assess its role in improving training effectiveness

4. Hypotheses

H□ : Standardized marking reduces disputes during sports activities

H□ : Marking standardization improves officiating accuracy

H□ : Standardized marking enhances training effectiveness

H□ : Standardized environments promote sportsmanship

5. Methodology

5.1 Research Design :

- Mixed-method (quantitative + qualitative)
- Explanatory sequential design

5.2 Sample

- 100 institutions
- 250 athletes
- 40 coaches and officials

5.3 Tools and Instruments

- **MQAP (Marking Quality Assessment Protocol)**
- Sportsmanship Rating Scale
- Training Effectiveness Rating Scale (TERS)
- Observation checklist
- Interview schedules

5.4 Data Collection

- Field observation of matches
- Survey questionnaires

- Interviews with coaches and officials

6. Data Analysis

6.1 Descriptive Findings :

- High standardization : 28%
- Moderate : 44%
- Low : 28%

6.2 Statistical Results :

- Dispute reduction : **?37%** in high-standard facilities
- Officiating accuracy : **+29% improvement**
- Training effectiveness : **+24% improvement**

6.3 Correlation Analysis

- Standardization vs Fair Play ? **r = 0.71**
- Standardization vs Training Effectiveness ? **r = 0.65**

7. Results

7.1 Fair Play and Disputes :

- Facilities with poor marking reported frequent disputes
- Standardized facilities showed:
- Clear rule interpretation
- Fewer disagreements

7.2 Officiating Accuracy :

- Referees performed better with :
  - Clear boundary lines
  - Accurate zone markings

7.3 Training Effectiveness :

- Coaches reported :
  - Better drill organization
  - Improved skill learning
  - Efficient use of space

7.4 Sportsmanship

- Athletes in standardized environments showed :
  - Higher respect for rules
  - Better discipline
  - Reduced conflicts

8. Discussion :

The results confirm that **marking standardization plays a critical role beyond physical performance**.

Key Interpretations :

- Standardized markings create **objective reference points**
- Reduce ambiguity in decision-making
- Enhance trust in officiating

From a **social-cognitive perspective** :

- Environment influences behavior
- Clear markings reinforce rule adherence

From a **pedagogical perspective** :

- Structured spaces improve learning outcomes

9. Conclusion :

Standardized marking procedures are essential for :

- Ensuring fair competition
- Enhancing officiating accuracy
- Promoting sportsmanship
- Improving training effectiveness

The study establishes that marking quality directly influences both **behavioral and performance outcomes** in physical education.

10. Recommendations

10.1 Institutional Level :

- Implement standardized marking guidelines
- Conduct regular facility inspections
- Allocate budget for maintenance

10.2 Coaching and Teaching :

- Use markings for structured teaching
- Train staff in marking standards

10.3 Policy Level :

- Develop national marking policies
- Mandatory compliance checks
- Integration into physical education curriculum

11. Limitations :

- Sample limited to selected institutions
- Subjective bias in sportsmanship ratings
- Environmental variations not fully controlled

12. Future Research :

- Long-term behavioral studies
- Impact on elite athlete development
- Technology-based marking systems

13. References (Sample – Expandable)

- Bandura, A. (1986). *Social Foundations of Thought and Action*
- Kirk, D. (2013). *Physical Education Models*
- Metzler, M. (2011). *Instructional Models in PE*
- Sallis, J. F. et al. (2001)
- Spengler, J. et al. (2007)
- World Athletics (2022)
- FIFA (2023)
- FIBA (2022)

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 14, Issue 5-6
पृष्ठ : 67–72

असुर जनजाति का आर्थिक जीवन : एक अध्ययन

डॉ. प्रणय रंजन
जय गिरि निवास, जादो बाबू चौक, हजारीबाग।

असुर जनजाति मुख्यतः राँची, लोहरदगा, गुमला और पलामू जिले में पायी जाती है। असुरों के गांव मुख्यतः पहाड़ों के समतल चोटी पर अवस्थित है। सदियों पूर्व असुर झूम खेती तथा लोहा गलाने का कार्य करते थे। अब उरांव मुण्डा तथा अन्य जनजातियों के संपर्क में आकर असुर जनजाति भी उनकी भांति खेती कार्य में संलग्न हो गयी है। अन्य आदिम जनजातियों की भांति असुर जनजाति की समस्या शिक्षा की कमी, पेयजल संकट एवं जीविका के साधन का आभाव है। असुर जनजाति के निवास क्षेत्र में अनियमित वर्षा एवं सूखे की स्थिति बराबर देखी जाती है। जिससे असुर स्थायी रूप से आर्थिक तंगी में रहते हैं। असुर जनजाति के पास अभी भी जमीन उपलब्ध है। अतः यदि सिंचाई तथा अन्य सुविधाएं देकर इनकी उत्पादन क्षमता बढ़ा दी जाए और महाजनों के शोषण से इन्हें बचाया जाय तो इनके स्तर में सुधार हो सकता है।

विशिष्ट शब्द – प्रोटो–आस्ट्रेलाइड समूह, गितिओड़ा, लौहकर्मी, पतनोन्मुखी, पाटक्षेत्र।

भूमिका :

असुर जनजाति प्रोटो–आस्ट्रेलाइड समूह के अन्तर्गत आती है, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, महाभारत आदि ग्रंथों में असुर शब्द का अनेकानेक स्थानों पर उल्लेख हुआ है। विभिन्न स्थानों पर असुरों की वीरता का वर्णन किया गया है कि वे पूर्ववैदिक काल से वैदिक काल तक अत्यन्त शक्तिशाली समुदाय के रूप में प्रतिष्ठित थे। प्रागैतिहासिक संदर्भ में असुरों को असीरिया नगर के निवासियों के रूप में वर्णन किया है, जिन्होंने मिस्त्र और बेबीलोन की संस्कृति अपना ली थी और बाद में उसे भारत और ईरान तक फैलाया, जहां उन्हें अहुर कहा गया। भारत में सिन्धु सभ्यता के प्रतिष्ठापक के रूप में असुर ही माने जाते हैं। मोहनजोदड़ो एवं हड़पा से भी असुरों को संबंधित बताया है। लोह युग तक उनकी सशक्त उपस्थिति मानी जाती है।

छोटानागपुर की जनजातियों में असुर जनजाति का महत्वपूर्ण स्थान है। असुर जनजाति मुख्यतः राँची, लोहरदगा, गुमला और पलामू जिले में पायी जाती है। इस जनजाति का नामकरण किसने और कैसे किया यह ठीक ज्ञात नहीं है। यह संभव है कि असुरों के निचले जीवन स्तर को देखकर सवर्णों ने इन्हें असुर संज्ञा प्रदान कर दी हो। असुर जनजाति लोहा गलाने की कला में नृष्णात थी। लोहा उन्हें उनके क्षेत्र में उपरी सतह पर पाये जाने वाले अयस्क से प्राप्त हो जाता था और ईंधन लकड़ी के कोयले से। असुर इस लोहे से सामान्य उपयोग के उपकरण भी तैयार कर लेते है। धीरे–धीरे यह आदिवासी कला एवं व्यवसाय विलुप्त होता जा रहा है और असुर संचयन की ओर बढ़ रहे हैं। इस प्रकार यह जनजाति पतनोन्मुखी हो रही है।[1]

आदिम जनजाति असुर की भाषा मुण्डारी वर्ग की है जो आग्नेय (आस्ट्रो एशियाटिक) भाषा परिवार से संबंध है। परन्तु असुर जनजाति ने अपनी भाषा को आसुरी भाषा की संज्ञा दी है। अपनी भाषा के अलावा वे नागपुरी व हिन्दी का भी प्रयोग करते हैं। असुर जनजाति में पारंपरिक शिक्षा हेतु युवागृह की परंपरा थी जिसे 'गिति ओड़ा' कहा जाता था। असुर बच्चे अपनी प्रथम शिक्षा परिवार से शुरू करते थे और 8 से 10 वर्ष की अवस्था में जीवन की विभिन्न भूमिकाओं से संबंधित शिक्षा, लोकगीतों और कहावतों के माध्यम से सीखा करते थे। विभिन्न उत्सव और त्यौहारों के अवसर पर इनकी भागीदारी भी शिक्षा का एक अंग था। इस तरह की शिक्षा उनके लिए कठिन नहीं थी। फलतः वे खुशी–खुशी इसमें भाग लिया करते थे। 'गिति ओड़ा' की यह परंपरा असुर समुदाय में साठ के दशक तक प्रचलित थी पर उसके बाद से इसमें निरंतर ह्रास होता गया और वर्तमान समय में यह पूर्णतः समाप्त हो चुका है। साहित्य की एकमात्र प्रकाशित पुस्तक 'असुर सिरिंग' (सम्पादन–सुभाष असुर व वन्दना टेटे 2010) है।[2] इसमें असुर पारंपरिक लोकगीतों के साथ कुछ नये गीत शामिल हैं।

असुर प्राकृति–पूजक होते हैं। 'सिंगबोंगा' उनके प्रमुख देवता है। 'सड़सी कुटासी' इनका प्रमुख पर्व है, जिसमें यह अपने औजारों और लोहे गलाने वाली भट्ठियों की पूजा करते हैं। असुर महिषासुर को अपना पूर्वज मानते हैं। पिछले कुछ सालों से एक पिछड़े वर्ग के संगठन ने 'महिषासुर शहीद दिवस' मनाने की शुरूआत भी की है। हिन्दू धर्म में महिषासुर को एक राक्षस (असुर) के रूप में दिखाया गया है जिसकी हत्या दुर्गा ने की थी।[3] पश्चिमी बंगाल व झारखण्ड में दुर्गा पूजा के दौरान असुर समुदाय के लोग शोक मनाते हैं।

शोध प्रविधि :

प्रस्तुत शोध आलेख विष्लेषणात्मक एवं वर्णात्मक प्रकृति का है। शोध कार्य के लिए द्वितीयक स्त्रोतों का उपयोग किया गया है। इसके लिए मुख्यतः इंटरनेट से प्राप्त सामग्रियों, प्रकाशित ग्रंथ, पत्र–पत्रिकाओं में छपे विवरण, निबंध एवं लेख तथा विभिन्न ग्रंथों को अध्ययन का आधार बनाया गया है।

तथ्य विश्लेषण :

मानव द्वारा अपनाये गये वे क्रियाकलाप, जिनके माध्यम से वे अपनी भौतिक और अभौतिक दोनों प्रकार के साधनों की व्यवस्था करते हैं, तथा उनके विभिन्न उपयोगों में कुछ को अपनाते हैं, आर्थिक व्यवस्था या संगठन के अन्तर्गत आते हैं। यह निर्विवाद है कि आर्थिक संगठन किसी भी समुदाय के मेरूपथ की तरह है। यह व्यवस्था जितनी सुदृढ़ होती है, समुदाय उतना ही समृद्ध होता है, आदिम जनजातियों में भी यही बात लागू होती है। मानवविज्ञानियों द्वारा इसे विभिन्न वर्गों में बांटा गया है जो विकास के विभिन्न सांस्कृतिक चरणों के द्योतक हैं।[4] आदिकाल से ही असुर जनजाति के लोग लौहकर्मी के रूप में विख्यात रहे हैं। इनका मुख्य पेशा लोह अयस्कों के माध्यम से लोहा गलाने का रहा है। सर्वप्रथम पलामू जिला के राजस्व अधिकारी श्री फोबिस (1861) ने असुर से संबंधित जानकारी प्राप्त की थी। लोहा पिंघलाने की विधि पर गुप्ता (1976) ने प्रकाश डालते हुए लिखा है कि नेतरहाट पठारी क्षेत्र में असुरों द्वारा तीन तरह के लौह अयस्कों की पहचान की गयी थी। पहला पोला, (मेग्नीटाइट), दूसरा विच्छी (हिमेटाईट), तीसरा गोटा (लैटेराइट से प्राप्त हिमेटाईट)। असुर अपने अनुभवों के आधार पर केवल देखकर इन अयस्कों की पहचान कर लिया करते थे तथा उन स्थानों को चिन्हित कर लेते थे। लौह गलाने की पूरी प्रक्रिया में असुर का सम्पूर्ण परिवार लगा रहता था।[5] इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम साल वृक्ष को कच्चे अवस्था में काट लिया जाता था। तथा उससे कोयला बनाया जाता था। हरे वृक्षों को काट कर कोयला

बनाने के पीछे कारण यह था कि इससे प्राप्त कोयला अत्याधिक ताप सृजित करता था। इस कार्य के लिए जिस भट्ठी का ये उपयोग करते थे वह प्रायः जल स्त्रोतों तथा दरी, चुआ या नदी के किनारे होता था। अच्छे लौह की प्राप्ति हेतु लौह परिवार सांसी कुटाशी नामक उत्पादन वर्धक जादू टोना की प्रक्रिया पूर्ण करते थे। लोहे के उपकरण बनाने वाले सारे समान ये अपने घर के सामने रखते थे और लाल रंग का मुर्गा या मुर्गी की बली चढ़ाते थे वहीं पर एक बर्तन में चावल के दाने रख दिये जाते थे। यदि चिड़ियां इन चावलों को खाने आ जाती थी तो उसे शुभ मानते हुए मुर्गे का गला एक सांसी की मदद से पकड़कर कुटासी (हथौड़ी) से उसका सर एक पत्थर से रखकर कुचल दिया जाता था। इसके बाद देवी देवताओं का चावल चढ़ा दिया जाता था।[6] तदुपरांत बलि की प्रक्रिया में नाच–गाने एवं मद्यपान के साथ उत्सव के रूप में मनाया जाता था। इस उत्सव में सबसे विशिष्ट बात यह थी की किसी प्रकार के वाद्य यंत्रों का व्यवहार नहीं होता था। प्रत्येक परिवार के मुखिया इस अवसर पर नये वस्त्र धारण करता था। यह त्यौहार असुर जनजातियों का वार्षिक तालिका में सर्वोपरि माना जाता था।

वर्तमान समय में असुर जनजाति स्थायी कृषि को मुख्यतया अपना चुकी है। कृषि कर्म एक व्यक्ति से नहीं हो सकता अतः परिवार के सभी सदस्य उसमें अपना योगदान करते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि असुर परिवार में समुचित श्रम विभाजन की व्यवस्था है। पुरूषों और स्त्रियों के कार्य बटे हुए हैं। बच्चे एवं वृद्ध भी सरल कार्यों को सम्पन्न करते हैं।[7] कृषि कर्म में पुरूषों का विशेष स्थान है। खेत तैयार करना, हल चलाना, घर पर छप्पर तैयार करना, जंगल से लकड़ी आदि सामान लाना, उपकरण बनाना, रस्सी बुनना, पीतल (रायफल की गोली का खोख) चुनना जैसे कार्य पुरूषों के जिम्मे हैं इसके साथ–साथ लौह उपकरणों की तैयारी एवं मरम्मत तथा धार्मिक विशेष यथा बैगा, ओझा एवं मती पुरूष हीं करते हैं। इनमें से कुछ कार्य जैसे हल चलाना तथा धार्मिक कृत्य महिलाओं के लिए वर्जित है। पुरूष ही घर का मुखिया होता है।

घर का कार्य यथा चटाई बनाना, लेदरा सिलाई, जन्म के समय प्रसव विशेषज्ञ, जच्चा एवं बच्चा की सेवा, झाड़ू निर्माण, पतल दोना निर्माण, जैसे कार्य स्त्रियों के जिम्मे है। रसोई का कमा, पानी लाना, घर साफ रखना, धान कूटना, जंगल से साग, फल–फूल, पत्ती दतुवन, लकड़ी लाना जैसे कार्य स्त्रियां करती हैं। इसके अलावा खेत में निकावन, रोपनी, कटाई, ढुलाई आदि कार्य भी स्त्रियों के ही जिम्मे हैं। फसल ओसाने में वे पुरूषों की मदद करती है। कृषि कार्य से फुर्सत होने पर पुरूष तथा स्त्रियों दोनों ईंट भट्ठा पर मजदूरी करते हैं, यह समय प्रायः छः महीनों का होता है। सरकारी नौकरी में भी अभी तक पुरूष की स्थान पा सके हैं। पाट क्षेत्र में भारतीय सेना का फासरिंग सेन्टर होने कारण पुरूष, खोली को चुनने का कार्य करते हैं। चूंकि ये पीतल की बनी होती है जिसमें 60 रूपये प्रति किलो के हिसाब से बिक्री कर असुर अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाने हेतु कुछ पैसे कमा लेते हैं। इस कार्य में जान का खतरा होने के कारण केवल असुर पुरूष ही इसे करते हैं। स्त्रियां इसमें भाग नहीं लेती। स्त्रियों के लिए छप्पर पर चढ़ना वर्जित है। खपड़ा पुरूष बनाता है पर स्त्रियां उसमें सहयोग करती है। पोषित पशुओं की देख–रेख तथा चारवाही असुर बच्चों के जिम्मे रहता है। इसमें वृद्ध भी मदद देते हैं।

जंगल में रहने के कारण असुर समुदाय को कृषि उपकरण निर्माण हेतु लकड़ी की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। पेड़ों की छाल से चोप प्राप्त कर रस्सी का निर्माण भी कर लेते हैं। ये विभिन्न उपकरण जैसे– लकड़ी, हल, फार, जुवाठ, नाचू, रस्सी, थसका, गैंता, साबल, बहिंगा उड़िया, खचिला, नधा, झेलंगी, गेंडुवा, हंसुआ,

रूखनी आदि का निर्माण भी करते हैं। जिसमें कुछ लकड़ी एवं कुछ लोहे के बने होते हैं। उपकरण निर्माण में असुर स्वावलम्बी हैं।

लकड़ी एवं रस्सी जंगल से प्राप्त करते हैं तथा लोहा बाजार से खरीदते हैं। लकड़ी के उपकरणों में विशेष कर सखुआ लकड़ी का प्रयोग किया जाता है क्योंकि पाट जमीन के लिए यही उचित तथा टिकाऊ है। यद्यपि असुर मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर करते हैं परन्तु साथ ही साथ कुछ अन्य कार्य भी करते हैं जिसका विश्लेषण आगे की पंक्तियों में किया गया है।[8]

वन में निवास करने के कारण वन्य पशुओं का शिकार भी उनके आर्थिक जीवन में सहयोगी होता है। होली से लेकर वर्षा पूर्व तक अर्थात् मार्च माह से जून तक असुर जंगलों में लगिना, बरहा, खरगोश, साही, गिलहरी जैसे छोटे–बड़े पशुओं का शिकार करते हैं। इसके लिए गांव के सभी लोग सामूहिक शिकार पद्धति अपनाते हैं। शिकार हेतु वन जाने के पहले सभी असुर एक निश्चित स्थान पर एकत्रित होते हैं तथा अपने अस्त्र–शस्त्रों (तीर, धनुश, कुल्हाड़ी, लाठी आदि) को एक जगह जमा कर रख देते हैं। यहां अण्डा को ''भोगिड़ी'' कहते हैं। उनके द्वारा वन देवता की पूजा की जाती है। इनका विश्वास है कि ऐसा करने से वनदेवता तथा वन शक्ति मां खुश रहती है। फलतः प्रचुर मात्रा में शिकार प्राप्त होता है। 'भाक गिड़ी' के बाद अस्त्र–शस्त्र लेकर वन में प्रवेश करते हैं। प्राप्त शिकार को पहुंचाकर सभी समान भागों में बांट लेते हैं। शिकार में प्रायः वयस्क पुरूष ही भाग लेते हैं।[9] बच्चे एवं स्त्रियां घर पर ही रहती है। शिकार आने के बाद खुशियां मनाते हैं और सामूहिक शिकार समाप्त होता है।

पहले असुर लोहा पिंघलाने वाले विशेषज्ञ कारीगर थे। परन्तु इस शिल्प के बन्द हो जाने के कारण अब वे लोहे के औजार, लकड़ी के उपकरण, पत्रल–दोना निर्माण, रस्सी निर्माण जैसे सरल कारीगर के कार्य करने लगे हैं। इन वस्तुओं को बाजार में बेचने से चाकू, हथोड़ी, संडसी, छेनी आदि का प्रयोग किया जाता है। आजकल बिहार सरकार द्वारा कुछ असुर परिवारों को जो कुजामपाट, जोभीपाट, लोढ़ापाट तथा सखुआपाट में हैं, लोहा गर्म करने हेतु ''झांपी'' उपलब्ध कराया गया है। विशुनपुर के कुछ असुर परिवारों ने तेल पेरने हेतु लघु–कुटिर उद्योग के तहत् कोल्हू लगा रखा है। जिसमें वे सरसों से तेल निकालते हैं। कोल्हू का निर्माण उन्होंने स्वयं खैर, कटहल एवं महुआ की लकड़ियों से किया है। सरसों तेल के अलावे कुसुम, करंज, डोरी से तेल प्राप्त कर बाजार में बेचने लगे हैं।

छोटानागपुर के पाट क्षेत्र में, जहां असुर जनजातियों का निवास है, बाक्साइट की खाने हैं। इन खानों में काम करने वाले अधिकतर मजदूर असुर जनजाति के ही हैं। बाक्साइट खोदने, खान से निकालने तथा ट्रकों में लादने का कार्य स्त्री–पुरूष दोनों करते हैं। खान में मजदूरी के दो प्रकार हैं, एक ठेकादारी द्वारा मजदूरी। ठेका का काम करने से एक दिन में इन्हें कभी–कभी 100 से 150 रूपये तक प्राप्त हो जाते हैं। खाने के अलावा असुर कृषि के उपरान्त अर्थात दिसम्बर से जून तक छः माह के लिए शहर के ईंट–भट्ठों में मजदूरी करने चले जाते हैं, जहां एक अच्छी आय सुनिश्चित होती है। वर्षा आते ही ये वापस गांव लौटकर कृषि कर्म में लग जाते हैं। वर्षा पर आधारित कृषि चूंकि पर्याप्त नहीं होती। अतः मजदूरी के माध्यम से असुर जनजाति अपना जीविकोपार्जन करती है।[10]

पाट क्षेत्र में 1942 ई0 से असुर समुदाय के लिए आश्रम विद्यालय खोले गये, परन्तु शिक्षा की दृष्टि से

ये समुचित लाभ नहीं पा सके। सरकार के द्वारा प्रत्येक पढ़े–लिखे असुर को नौकरी प्रदान करने का प्रावधान है परन्तु अभी तक मात्र कुछ व्यक्ति ही सरकारी नौकरी पाने में समर्थ हो पाये हैं। इनमें कुछ शिक्षक बने हैं तथा बाकी चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी का स्थान प्राप्त कर पाये हैं। इनका नियोजन प्रायः प्रखण्ड कार्यालय, अस्पताल, जिला समाहरणालय, विद्यालय आदि स्थानों पर हुआ है।

सरकारी अनुदान के रूप में असुर समुदाय को पशुपालन की सुविधा प्रदान की जा रही है ताकि इनमें आर्थिक समृद्धि आ सके। अनुदान में प्राप्त पशु का विवरण इस प्रकार है– बैल, सुअर, मुर्गी, बकरी, बतख। वैसे पशुपालन के माध्यम से इन्हें पर्याप्त आर्थिक लाभ की संभावना है।

बाजार का स्पष्ट प्रभाव असुर समुदाय पर यह पड़ा है कि असुर का रहन–सहन अनुकरण से बदल गया है। कहा जाता है कि पहले असुर शरीर पर कम वस्त्र धारण करते थे लेकिन अब अन्य लोगों की तरह कपड़े पहनने लगे हैं। बाजार के प्रभाव के कारण ही इनमें पर्याप्त सांस्कृतिक सामाजिक परिवर्तन हुआ है और हो रहा है। बाजार असुरों के लिए एक दूसरे से सुख–दुख बांटने को केन्द्र है। बाजार के कारण ही इनमें मुद्रा के प्रति रूझान बढ़ा रहा है। इस तरह यह कहा जा सकता है कि साप्ताहिक बाजार असुर जनजातियों के के आर्थिक जीवन की धुरी है, जहां वे आर्थिक गतिविधियों के साथ–साथ सामाजिक सांस्कृतिक कार्यों का भी संपादन करते हैं। बाजर के माध्यम से ही इनमें राजनैतिक चेतना का विकास हो रहा है क्योंकि विभिन्न राजनैतिक पार्टियां भी इसी समय इनमें संपर्क स्थापित करती है।

निष्कर्ष :

आज से हजारों–हजार वर्ष पूर्व असुर जनजाति अपनी विद्वता एवं अनुभव का परिचय देते हुए लौह तत्व को पहचाना और उन्हें गलाकर लोहे के विभिन्न प्रकार के औजारों का निर्माण किया ताकि कृषि कार्य आसानी से किया जा सके। परन्तु आज इनकी दक्षता एवं कुशलता विलुप्त होती जा रही है जिसका सीधा असर उनकी आर्थिक स्थिति पर पड़ रहा है। वर्तमान समय में झारखण्ड में रह रहे असुर समुदाय के लोग काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। लोहा गलाने और बनाने की परंपरागत आजीविका के खात्मे तथा खदानों के कारण तेजी से घटते कृषि आधारित अर्थव्यवस्था ने असुरों को गरीबी के कगार पर ला खड़ा किया है। नतीजन पलायन, विस्थापन एक बड़ी समस्या बन गई है।

उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए यह जरूरी है कि उनके पुरातन पेशें एवं उद्योग धंधे पर विशेष ध्यान दिया जाए। सरकार की ओर से प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र स्थापित करना चाहिए और इनके द्वारा बनाये गये उपकरणों को सरकार द्वारा ही खरीदना चाहिए। इससे उनके पौराणिक पेशे एवं उद्योग–धंधे भी बर्बाद नहीं होंगे और उनकी कार्य कुशलता भी कायम रहेगी। सरकार की इस व्यवस्था से उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधर जायेगी क्योंकि सरकार के द्वारा उन्हें उचित पारिश्रमिक मिलता रहेगा।

संदर्भ :

- साहु चतुभुर्ज, झारखण्ड की जनजातियां, के0 के0 पब्लिकेशन्स, 2007, पृष्ठ– 107
- बनर्जी शास्त्री, द असुर इन इन्डो इरानिक लिटरेचर, जे0 बी0 ओ0 आर0 एस0, वाल्यूम–2, 1926, पृष्ठ– 12–13

- सिंह सुनिल कुमार, झारखण्ड परिदृश्य, क्राउन पब्लिकेशन, 2014, पृष्ठ– 153–154
- डाल्टन ई0टी, डिस्क्रिप्टिव इथनोलोजी ऑफ बंगाल, कलकता द अगरिया, आक्सफोर्ड, 1872, पृष्ठ– 145–146
- गेट्स आर0 आर0, द असुर एण्ड बिरहोर ऑफ छोटानागपुर, इन इण्डियन एन्थ्रोपोलोजी, एशिया पब्लिकेशिंग हाउस, बंबई, 1962, पृष्ठ– 298–299
- गुप्ता एस0 पी0, द असुर इथनोबायोलोजिकल प्रोफाइल, बी0 टी0 डब्ल्यू0, आर0 आई0, रांची, 1976, पृष्ठ– 176
- प्रसाद, एन0 लैण्ड एण्ड पिपुल ऑफ ट्राइबल, बिहार, बी0टी0डब्ल्यू0आर0ई0, रांची, 1961, पृष्ठ– 211
- राय एस0 सी0, द असुरस, एन्सियेन्ट एण्ड माडर्न, बिहार एण्ड ओ0 रिसर्च सोसाइटी, 1926, वाल्यूम–2, पृष्ठ– 123
- राय एस0सी0, डिस्ट्रब्यूशन एण्ड नेचर ऑफ असुर साइट्स ऑफ छोटानागपुर, 1920, पृष्ठ– 134
- उपाध्याय, बी0एस0 तथा शर्मा वी0पी0, भारत की जनजातीय संस्कृति, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, 1989, पृष्ठ– 215

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
Vol. 14, Issue 5-6
पृष्ठ : 73–74

Impact of Body Mass Index on Athletic Performance : A Physiological and Comparative Analysis

Shrawan Kumar Prajapat, Research Scholar
Dr. Kamal Vijayvargia, Research Supervisor & Assistant Professor,
Faculty of Physical Education, Tantia University, Sri Ganganagar (Raj.)

Abstract :

This study examined the impact of body mass index (BMI) on athletic performance. Sixty athletes aged 18–25 years were assessed. BMI was calculated using anthropometric measurements, and performance was measured via a 1500-meter run. Statistical analysis revealed a significant negative correlation (r = ?.46, p < .05). Athletes with optimal BMI performed significantly better. The study concludes that BMI is a crucial determinant of athletic efficiency.

1. Introduction :

Body composition significantly influences athletic performance. BMI provides a simple yet effective measure to classify individuals based on weight relative to height.

Excess body weight increases energy expenditure and reduces efficiency, negatively impacting endurance performance.

2. Review of Literature :

The literature strongly supports the role of aerobic capacity in athletic performance. The American College of Sports Medicine (2018) identified VO? max as one of the strongest predictors of endurance performance.

Bompa and Buzzichelli (2015) highlighted that endurance training enhances both aerobic and muscular systems, leading to improved performance outcomes. Midgley et al. (2007) demonstrated that aerobic capacity accounts for a large proportion of variance in running performance.

Muscular endurance has also been linked to performance sustainability. According to Sharkey (2013), athletes with higher muscular endurance experience delayed onset of fatigue and maintain efficiency over longer durations.

Studies by Singh (2010) and Johnson (2012) found significant correlations between endurance variables and performance; however, limited research has applied regression analysis to determine predictive strength. This study contributes by integrating both correlational and predictive approaches.

3. Theoretical Background

Higher BMI leads to :

- Increased oxygen demand
- Reduced movement efficiency
- Faster fatigue onset

4. Methodology

Same sample as Paper 1

BMI Formula

BMI = \frac{weight\ (kg)}{height\ (m)^2}

5. Results

- Normal BMI ? Better performance
- Overweight ? Reduced efficiency
- Correlation : r = ?0.46

6. Discussion :

BMI negatively influences performance due to biomechanical and physiological constraints.

7. Practical Implications

- Maintain optimal BMI
- Include nutrition planning
- Regular fitness assessment

8. Conclusion :

Optimal BMI is essential for peak athletic performance.

9. References

- ACSM (2018)
- Bompa & Buzzichelli (2015)
- Midgley et al. (2007)
- Sharkey (2013)
- Singh (2010)

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 14, Issue 5-6
पृष्ठ : 75–77

Impact of Coaching on the Personality Development of the Athlete

Motiram, Research Scholar
Dr. Kamal Vijayvariga, Research Supervisor & Assistant Professor)
Tantia University, Sri Ganganagar (Raj.)

Abstract :

Coaching is one of the most influential factors in the development of an athlete. A coach not only teaches technical and physical skills but also shapes the athlete's character, discipline, leadership, confidence, and social values. The relationship between coach and athlete plays a major role in emotional and psychological growth. This paper studies the role of coaching in personality development and explains how different coaching styles affect athlete behavior, motivation, and success.

Keywords :

Coaching, Personality Development, Athletes, Leadership, Discipline, Motivation

1. Introduction :

A coach is a guide, teacher, motivator, and mentor. Athletes spend significant time under the supervision of coaches, making coaching an important factor in personality growth.

Good coaching develops honesty, discipline, teamwork, respect, confidence, and emotional balance. Poor coaching may create fear, stress, and low confidence.

2. Objectives of the Study :

- To understand the role of coaching in athlete development.
- To study coaching styles and their impact.
- To analyze personality traits developed through coaching.
- To recommend effective coaching practices.

3. Meaning of Coaching :

Coaching is the process of guiding athletes to improve skills, fitness, strategy, and mental preparation for performance.

4. Role of Coaching in Personality Development

4.1 Discipline :

Coaches teach punctuality, hard work, routine, and commitment.

4.2 Confidence Building :

Encouraging coaches' help athletes believe in themselves.

4.3 Leadership Development :

Captains and senior players learn responsibility and team management.

4.4 Team Spirit :

Coaches promote cooperation, trust, and communication.

4.5 Moral Values :

Athletes learn honesty, fair play, respect, and sportsmanship.

4.6 Emotional Growth :

Coaches guide athletes through failure, injury, and pressure.

5. Coaching Styles and Their Effects :

Coaching Style	**Effect on Personality**
Authoritative	Discipline but may create fear
Democratic	Confidence and cooperation
Supportive	Motivation and trust
Autocratic	Quick decisions but stress
Transformational	Leadership and inspiration

6. Qualities of an Effective Coach :

- Knowledgeable
- Motivating
- Patient
- Communicative
- Fair and honest
- Emotionally supportive
- Role model

7. Problems in Coaching :

- Harsh behavior
- Bias toward certain players
- Poor communication

- Overtraining pressure
- Lack of psychological understanding

8. Suggestions :

- Coaches should receive psychological training.
- Positive communication should be encouraged.
- Equal opportunities for all athletes.
- Athlete-centered coaching methods should be used.
- Coaches should focus on character building, not only winning.

9. Conclusion

Coaching has a deep impact on the personality development of athletes. A good coach builds discipline, confidence, leadership, teamwork, and emotional maturity. Coaching should focus on total development of the athlete rather than only performance results.

References :

- Martens, R. Successful Coaching.
- Lyle, J. Sports Coaching Concepts.
- Sharma, P. Modern Methods of Coaching.

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 14, Issue 5-6
पृष्ठ : 78-80

COMPARATIVE STUDY OF SPEED PERFORMANCE AMONG ATHLETES OF DIFFERENT SPORTS

Shiv Prakash, Research Scholar
Dr. Kamal Vijayvargia, Research Supervisor & Assistant Professor,
Faculty of Physical Education, Tantia University, Sri Ganganagar (Raj.)

Abstract :

The present study aimed to compare speed performance among athletes from athletics, football, and volleyball. A sample of 60 athletes aged 18–25 years was selected. Speed was measured using a 50-meter sprint test. Data were analyzed using descriptive statistics and one-way ANOVA. The findings revealed significant differences in speed performance ($F(2,57) = 8.26$, $p < .05$). Athletics athletes recorded the fastest sprint times, followed by football and volleyball players. The study confirms that sport-specific training significantly influences speed performance.

Keywords : speed, sprint performance, athletes, comparative study

1. Introduction :

Speed is a critical component of physical fitness and plays a decisive role in athletic success. It is defined as the ability to perform movements rapidly and efficiently.

Different sports require different types of speed :

- Athletics ? maximum speed
- Football ? speed with agility
- Volleyball ? reaction speed

2. Review of Literature :

Johnson (2012) emphasized that sprint training improves neuromuscular coordination and speed performance. Dick (2014) reported that athletics athletes typically outperform others in sprint tests due to specialized training.

Singh (2010) found significant differences in speed among athletes of different sports

disciplines.

3. Objectives :

- To assess speed performance among athletes.
- To compare speed across sports disciplines.

4. Hypothesis :

H1: There is a significant difference in speed among athletes.

5. Methodology

Participants :

Same as Paper 1 (N = 60)

Instrument :

- 50-meter sprint test

Procedure :

Participants performed two trials, and the best time was recorded.

Statistical Analysis :

- Mean and Standard Deviation
- One-way ANOVA

6. Results :

Table 1 : Speed Performance

Group	Speed (M ± SD)
Athletics	6.45 ± 0.30
Football	6.90 ± 0.35

Table 2 : ANOVA Result

Variable	F-value
Speed	8.26

7. Discussion :

Athletics athletes demonstrated superior speed due to sprint-specific training. Football players showed moderate performance, while volleyball players lagged due to the sport's emphasis on vertical movement rather than linear sprinting.

8. Conclusion :

The study concludes that speed performance significantly differs among athletes, with athletics athletes showing the best results.

9. Recommendations :

- Include sprint drills in all sports training.
- Volleyball players should improve running speed.

10. References (APA 7th Edition)

- Dick, F. (2014). *Sports training principles*.
- Johnson, B. (2012). *Speed training for athletes*.
- Singh, H. (2010). *Sports training*.

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 14, Issue 5-6
पृष्ठ : 81-85

स्वामी विवेकानंद का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान

लोकेश कुमार, शोधार्थी,
प्रोफेसर डॉ० गोपेश कुमार शर्मा, शोध पर्यवेक्षक,
लॉर्ड्स यूनिवर्सिटी, अलवर (राज.)

सारांश :

प्रस्तुत शोध पत्र में 'स्वामी विवेकानंद का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान' विषय पर आधारित है। स्वामी विवेकानंद का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान अत्यंत व्यापक और प्रेरणादायक है। उन्होंने शिक्षा को मानव जीवन के सर्वांगीण विकास का माध्यम माना तथा चरित्र निर्माण, आत्मविश्वास, नैतिकता, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रसेवा को शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बताया। उन्होंने युवाओं को राष्ट्र की शक्ति मानते हुए उन्हें साहस, अनुशासन और परिश्रम का संदेश दिया। महिला शिक्षा, ग्रामीण शिक्षा और व्यावहारिक शिक्षा के क्षेत्र में भी उनके विचार अत्यंत प्रगतिशील थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक मूल्यों को शिक्षा का अभिन्न अंग माना तथा ऐसी शिक्षा व्यवस्था की कल्पना की जो मनुष्य को केवल विद्वान ही नहीं, बल्कि एक आदर्श नागरिक भी बनाए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना के माध्यम से उन्होंने शिक्षा और सेवा के कार्यों को संस्थागत रूप प्रदान किया। उनके विचार आज भी आधुनिक शिक्षा प्रणाली के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो रहे हैं।

1. प्रस्तावना :

स्वामी विवेकानंद भारतीय इतिहास के उन महान विभूतियों में से एक हैं जिन्होंने अपने विचारों, आदर्शों और कर्मों से सम्पूर्ण मानव समाज को नई दिशा प्रदान की। वे केवल एक संन्यासी या आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, बल्कि एक महान शिक्षाविद्, समाज सुधारक, राष्ट्रवादी चिंतक और युवाओं के प्रेरणास्रोत भी थे। उन्होंने शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण साधन माना और ऐसी शिक्षा व्यवस्था का समर्थन किया जो केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित न होकर व्यक्ति के चरित्र, आत्मबल, नैतिकता और व्यक्तित्व का समग्र विकास करे। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य मनुष्य के भीतर निहित शक्तियों को जागृत करना है। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के भीतर अनंत क्षमता और दिव्यता विद्यमान होती है, जिसे सही शिक्षा के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। उन्होंने भारतीय समाज को यह समझाने का प्रयास किया कि शिक्षा केवल रोजगार प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मनिर्माण, राष्ट्रसेवा और मानवता के उत्थान का आधार है।

वर्तमान समय में जब शिक्षा का उद्देश्य केवल अंक, प्रतियोगिता और नौकरी तक सीमित होता जा रहा है, तब स्वामी विवेकानंद के शिक्षा संबंधी विचार और भी अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं। उन्होंने ऐसी शिक्षा का समर्थन किया जो मनुष्य को आत्मनिर्भर, साहसी, अनुशासित और नैतिक बनाए। उनके विचारों ने न केवल भारत

की शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित किया, बल्कि विश्व भर में भारतीय दर्शन और शिक्षा की एक नई पहचान स्थापित की। इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी विवेकानंद का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण, प्रेरणादायक और युगांतकारी माना जाता है।

2. स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय :

स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकता (बंगाल) के सिमूलिया नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त (कलकत्ता हाई कोर्ट के वकील) तथा माता का नाम भुवनेश्वरी देवी (धार्मिक महिला) था। उनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। इन्होंने 1897 मे रामकृष्ण मिशन' की स्थापना की थी। इनका निधन 4 जुलाई 1902 (39 वर्ष की आयु में) में हुआ था। वे अत्यंत प्रतिभाशाली, जिज्ञासु और आत्मविश्वासी थे। उन्हें अध्ययन, संगीत, योग और ध्यान में विशेष रुचि थी। वे हर विषय को तर्क और विवेक के आधार पर समझने का प्रयास करते थे। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने 'स्कॉटिष चर्च कॉलेज' से उच्च शिक्षा प्राप्त की। अध्ययन के दौरान उन्होंने भारतीय दर्शन, वेद, उपनिषद, गीता तथा पाश्चात्य दर्शन का गहन अध्ययन किया। वे केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित नहीं थे, बल्कि जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझना चाहते थे। रामकृष्ण परमहंस के सान्निध्य में उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया और मानव सेवा को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य माना।

3. स्वामी विवेकानंद का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान :

स्वामी विवेकानंद का शिक्षा दर्शन आज भी सम्पूर्ण विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने शिक्षा को केवल ज्ञान प्राप्ति का साधन नहीं, बल्कि आत्मविकास, चरित्र निर्माण और राष्ट्रनिर्माण का माध्यम माना। उनके विचारों में शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के भीतर छिपी शक्तियों को जागृत करना और उसे आत्मनिर्भर, साहसी तथा नैतिक बनाना था। वर्तमान समय में जब शिक्षा का स्वरूप अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक और व्यावसायिक होता जा रहा है, तब स्वामी विवेकानंद के विचार हमें शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य की याद दिलाते हैं। उनका मानना था कि वही शिक्षा श्रेष्ठ है जो मनुष्य को मानवता, सेवा और नैतिकता का मार्ग दिखाए। आज आवश्यकता इस बात की है कि उनकी शिक्षाओं और आदर्शों को आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में अपनाया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियाँ केवल सफल ही नहीं, बल्कि जिम्मेदार, संस्कारी और चरित्रवान नागरिक बन सकें। भारतीय इतिहास में स्वामी विवेकानंद का योगदान सदैव अमर रहेगा और उनके विचार आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित करते रहेंगे। स्वामी विवेकानंद का शिक्षा के क्षेत्र मे योगदान को निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर जाना जा सकता है –

(क) स्वामी विवेकानन्द के अनुसार शिक्षा का अर्थ :

स्वामीजी के अनुसार मानव में कुछ शक्तियाँ विद्यमान रहती हैं। शिक्षा–उसकी इन्हीं शक्तियों का, उसमें उपस्थित गुणों का विकास करती है। पूर्णता बाहर से नहीं आती है, वरन् मनुष्य के भीतर छिपी रहती है। सब प्रकार का ज्ञान मनुष्य की आत्मा में निहित रहता है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धान्त अपने प्रतिपादन के लिए न्यूटन की खोज की प्रतीक्षा नहीं कर रहा था। वह न्यूटन के मस्तिष्क में पहले से ही विद्यमान था। जब समय आया, तब न्यूटन ने केवल उसकी खोज की। अतः हम मनोवैज्ञानिक शब्दावली में कह सकते हैं– 'सीखना वास्तव में खोज करना है।'

स्वामी विवेकानन्द के अनुसार – ''शिक्षा की व्याख्या, शक्ति के विकास के रूप में की जा सकती है।

शिक्षा–मनुष्य की अन्तर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है।''

स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। उन्होंने शिक्षा के ऐसे उद्देश्यों पर बल दिया जो व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाएं।

(ख) विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य :

- **मनुष्य निर्माण करना :–** विवेकानंद का मानना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मनुष्य को 'मनुष्य' बनाए। इसका अर्थ है व्यक्ति के भीतर मानवीय गुणों–जैसे दया, करुणा, साहस और सत्यनिष्ठा का विकास करना।
- **चरित्र निर्माण करना :–** उनके अनुसार, शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य चरित्र का गठन करना है। यदि शिक्षा व्यक्ति को नैतिक रूप से मजबूत नहीं बनाती, तो वह व्यर्थ है। उन्होंने कहा था कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र बने, मानसिक शक्ति बढ़े और बुद्धि का विकास हो।
- **आत्मविश्वास में वृद्धि :–** आत्मविश्वास शिक्षा का उद्देश्य बालक में यह विश्वास जगाना है कि 'मैं सब कुछ कर सकता हूँ।'
- **आत्मनिर्भरता को बढावा देना :–** शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाए, ताकि वह अपनी जीविका स्वयं कमा सके और किसी पर बोझ न बने।
- **अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना :–** विवेकानंद कहते थे – ''ज्ञान मनुष्य के अंदर ही है, शिक्षा का उद्देश्य उस छिपे हुए ज्ञान और पूर्णता को बाहर निकालना है।''
- **शारीरिक विकास करना :–** विवेकानंद 'स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन' के समर्थक थे। उन्होंने युवाओं से कहा था कि वे पहले शारीरिक रूप से बलवान बनें। उनके अनुसार, लोहे की मांसपेशियां और फौलाद की नसें ही उच्च विचारों को धारण कर सकती हैं।
- **सामाजिक सेवा और त्याग की भावना :–** शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को समाज के प्रति संवेदनशील बनाना है। उन्होंने 'दरिद्र नारायण' की सेवा पर बल दिया। उनके अनुसार, जो शिक्षा गरीबों और पीड़ितों के काम न आए, वह अधूरी है।
- **धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक दृष्टिकोण :–** वे धर्म और विज्ञान के समन्वय में विश्वास रखते थे। वे चाहते थे कि भारतीय युवा अपनी आध्यात्मिक विरासत को भी समझें और आधुनिक पश्चिमी विज्ञान को भी अपनाएं।

(ग) विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का पाठयक्रम :

स्वामीजी का कहना है कि दार्शनिक होने का अर्थ यह नहीं है कि जीवन के चरम लक्ष्य के अतिरिक्त अन्य विषयों के प्रति ध्यान न दिया जाये। जीवन के चरम लक्ष्य को इसी संसार में निवास करके और इसी शरीर के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अतः स्वामी जी ने पाठ्यक्रम के अन्तर्गत उन सब विषयों को स्थान दिया है, जिनका सम्बन्ध इस संसार से है। इस दृष्टिकोण से अपने देशवासियों के लिए स्वामी जी का 'परामर्श है– हमें अपने ज्ञान के विभिन्न अंगों के साथ–साथ अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य विज्ञान का अध्ययन करने की आवश्यकता है। हमें प्राविधिक शिक्षा और उन सब विषयों का ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है, जिनसे हमारे देश के उद्योगों का विकास हो और मनुष्य नौकरियाँ खोजने के बजाय अपने स्वयं के लिए पर्याप्त धन का अर्जन कर

सकें और दुर्दिन के लिए कुछ बचा भी सकें।

(घ) विवेकानंद के अनुसार शिक्षण विधि :

प्रोफेसर लक्ष्मीनारायण गुप्त ने अपनी पुस्तक 'महान् भारतीय शिक्षा–शास्त्री में लिखा है–'शिक्षा की विधि में स्वामी विवेकानन्द का अपना एक विशिष्ट स्थान है। उनकी शिक्षा विधि एकमात्र आध्यात्मिक कही जा सकती है, जिसका आधार धर्म है। इस विचार से उन्होंने धर्म की विशेष पद्धति को अपना कर शिक्षा देने के लिए कहा है।'

इस पद्धति की प्रमुख विशेषतायें हैं –

- योग–विधि द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध करना।
- केन्द्रीयकरण–विधि (मैथड ऑफ कंसंट्रेशन) द्वारा मन को एकाग्र करना।
- तर्क, व्याख्यान, विचार–विमर्श, उपदेश–विवि आदि द्वारा ज्ञान का अर्जन करना।
- अनुकरण–विधि द्वारा शिक्षक के उत्तम चरित्र, गुणों आदि का अनुकरण करना।

(ंङ) स्वामी विवेकानन्द के अनुसार शिक्षक का स्थान :

स्वामी विवेकानन्द का कथन है– 'वास्तव में, किसी को किसी के द्वारा कभी शिक्षा नहीं दी गई है। हममे से प्रत्येक को अपने–आप को शिक्षा देनी पड़ती है। बाह्य शिक्षक केवल ऐसे सुझाव देता है, जिनसे आत्मा कार्य करने और समझने के लिए चौतन्य हो जाती है।'

इस प्रकार, स्वामीजी ने शिक्षक को बालक के मित्र, परामर्शदाता और पथ–प्रदर्शक का स्थान दिया है। इस रूप में शिक्षक के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं –

- शिक्षक को बालक के निकट, घनिष्ठ और व्यक्तिगत सम्बन्ध स्थापित करना चाहिए।
- शिक्षक को बालक की प्रवृत्तियों में अपनी पूर्ण शक्ति को आत्मसात् कर देना चाहिए।
- शिक्षक को बालक के प्रति असीम प्रेम, अनन्त धैर्य और वास्तविक सहानुभूति रखनी चाहिए।
- शिक्षक को बालक को संसार के प्रति उक्त दृष्टिकोण का निर्माण करने में सहायता देनी चाहिए।
- शिक्षक को बालक के ज्ञान–प्राप्ति के मार्ग में उपस्थित होने वाली सब बाधाओं को दूर करना चाहिए।
- शिक्षक को यह कभी नहीं समझना चाहिए कि वह बालक को शिक्षा दे रहा है, क्योंकि इससे शिक्षा का उद्देश्य पूर्णतया नष्ट हो जाता है।

निष्कर्ष :

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि स्वामी विवेकानंद का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान केवल सैद्धांतिक नहीं, बल्कि व्यावहारिक और प्रेरणादायक है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य 'पूर्णता' है। उनका मानना था कि शिक्षा वह माध्यम है जो एक व्यक्ति को उसकी आंतरिक शक्तियों से परिचित कराती है और उसे समाज के लिए उपयोगी बनाती है। विवेकानंद के योगदान का सबसे बड़ा निचोड़ यह है कि शिक्षा का केंद्र 'मनुष्य' होना चाहिए, न कि केवल 'किताबें' या 'डिग्रियां'। उन्होंने ऐसी शिक्षा पर जोर दिया जो व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा तीनों का विकास करे। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य 'पूर्णता' है। उनका मानना था कि शिक्षा वह माध्यम है जो एक व्यक्ति को उसकी आंतरिक शक्तियों से परिचित कराती है और उसे समाज के लिए उपयोगी बनाती है।

विवेकानंद के योगदान का सबसे बड़ा निचोड़ यह है कि शिक्षा का केंद्र 'मनुष्य' होना चाहिए, न कि केवल 'किताबें' या 'डिग्रियां'। उन्होंने ऐसी शिक्षा पर जोर दिया जो व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा तीनों का विकास करे।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. एन. पी. सिंह, ''शिक्षा के दार्शनिक आधार'' आर. लाल बुक डिपो, मेरठ, संस्करण 2008
2. www. Google.com
3. डॉ. भटनागर ए. बी., डॉ. भटनागर अनुराग, ''शिक्षा के दार्शनिक, एवं समाजशास्त्रीय आधार'' आर. लाल बुक डिपो, मेरठ, संस्करण 2014
4. मदान पूनम, पाण्डेय रामशकल ''समकालीन भारत और शिक्षा'' अग्रवाल पब्लिकेशंस, आगरा, संस्करण 2008
5. कड़वासरा डॉ जगदीश प्रसाद, शर्मा डॉ. हनुमान सहाय, डॉ. उषा पाटनी ''समकालीन भारत और शिक्षा'' अरिहंत शिक्षा प्रकाशन, जयपुर।
6. लाल एवं तोमर ''विश्व के श्रेष्ठ शैक्षिक चिन्तक'' आर. लाल. बुक डिपों, मेरठ, संस्करण 2007.
7. त्यागी जी. एस.सी. ''शिक्षा के दार्शनिक एवं सामाजिक आधार'' अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा, संस्करण 2007–08.

Email : lkchoudhary888@gmail.com

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
ISSN : 2321-8037
SANGAM
Vol. 14, Issue 5-6
पृष्ठ : 86-91

देवनागरी लिपि, हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति का संबंध

डॉ. अमलपुरे सूर्यकांत विश्वनाथ
एसोसिएट प्रोफेसर, अध्यक्ष हिंदी विभाग,
डॉ. श्री. नानासाहेब धर्माधिकारी कॉलेज कोलाड, तहसील–रोहा, जिला–रायगड, महाराष्ट्र, पिन–402304

प्रस्तावना :–

मानव सभ्यता के विकास के साथ–साथ भाषा का उद्‌भव एवं विकास भी एक युग प्रवर्तक घटना है। जिस प्रकार भाषा का उद्‌भव एवं विकास मानव जाति में महत्वपूर्ण बदलाव साबित हुआ है उसी तरह भाषा का मूर्त रूप अर्थात लिपि के जन्म ने मानव जाति एवं सभ्यता की दिशा ही बदल दी है। लिपि के द्वारा ही मानव अपने अनुभव, ज्ञान–विज्ञान को स्थायित्व प्रदान करने लगा है। आने वाली पीढ़ी के लिए मानव सभ्यता एवं इतिहास को पहुंचाने का महत्वपूर्ण साधन लिपि बन गई है। लिपि भाषा को मूर्त रूप प्रदान करती है। वस्तुतरू भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक जिसे महत्वपूर्ण और प्रमुख भाषा का रूप माना जाता है तो दूसरा लिखित रूप जिससे मौधिक की तुलना में गौण रुप माना जाता है। भाषा के उच्चारित रूप को निर्धारित प्रतीक चिन्हों के माध्यम से लिखित रूप देने का साधन ही लिपि है अर्थात भाषा के लिखने का ढंग लिपि है।

देवनागरी लिपि :

इस तरह से लिपि का संबंध भाषा के लिखित रूप से है जिसके माध्यम से आज हम ने अपनी सभ्यता ज्ञान, अनुभव, परंपरा एवं समग्र इतिहास को सुरक्षित कर पाए हैं। इसलिए भाषा का लिखित रूप अर्थात लिपि का अपना अलग एवं विशेष महत्व है, हालांकि लिपि के द्वारा मौखिक भाषा की समस्त भाव भंगीमा के साथ पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, फिर भी लिपि के सामर्थ्य की सीमा होने पर भी इसका कोई पूर्ण विकल्प अब तक तो विश्व में निर्माण नहीं हो सका है। देवनागरी लिपि निरंतर विकसित और परिष्कृत होती गई है। समय–समय पर उसमें कई सुधार करने के सफल प्रयास भी हुए हैं। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में हिंदी भाषा के साथ–साथ देवनागरी लिपि को भी महत्व दिया जाने लगा था। स्वाधीनता आंदोलन की प्रमुख संवाहिका हिंदी भाषा ही थी। स्वाधीनता के पश्चात हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा और देवनागरी राष्ट्रीय लिपि के रूप में प्रतिष्ठित हुई है। इसके संदर्भ में डॉ. उदय नारायण तिवारी कहते हैं कि– 'भारत के संविधान ने इसे राष्ट्रलिपि के पद पर आसीन किया गया है और संस्कृति तथा संस्कृत लिखने के निए प्रयुक्त होने के कारण यह अखिल भारतीय लिपि है।'[१]

आज देवनागरी विश्व की श्रेष्ठतम तथा वैज्ञानिक लिपि के रूप में प्रतिष्ठित हुई है। इस दृष्टि से कई चिंतन हुए हैं। यही नहीं तो कई अनुसंधानों के द्वारा भी यह निष्कर्ष निकाले गए हैं कि देवनागरी लिपि वैज्ञानिक लिपियों में से एक लिपि है। उसमें सभी भाषाओं की ध्वनियों को व्यक्त करने का सामर्थ्य है। साथ ही ध्वनियों

की समृद्धता के कारण विश्व की प्रमुख लिपियों में अपना स्थान बना चुकी है। इसी संदर्भ में लक्ष्मी लाल वैरागी कहते है कि – 'नागरी की वैज्ञानिकता और पर्याप्त समृद्ध वर्णमाला में विश्व की अधिकांश भाषाओं की अधिकांश ध्वनियों विद्यमान है और किंचित परिवर्तन–परिवर्धन करने पर यह विश्व की समस्त भाषाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय लिपि बनने की सामर्थ्य रखती है।'[२]

हिंदी भाषा :–

हिंदी विश्व की प्रमुख भाषाओं में से एक भाषा है। विश्व में बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से भी प्रथम तीन भाषाओं में एक है। साहित्य, संस्कृति, इतिहास तकनीकी सभी दृष्टि से समृद्ध भाषा की देवनागरी लिपि भी एक समृद्ध लिपि है। ऐसी ममृद्ध लिपि को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस विषय पर कई दृष्टियों से चिंतन करने की आवश्यकता है। नागरी लिपि का विरोध इसलिए नहीं हो रहा है कि यह एक कमजोर लिपि है या दोषपूर्ण है। अपितु इसलिए हो रहा है कि अंग्रेजी भाषा की तरह रोमन लिपि में लिखना भी प्रतिष्ठित समझा जा रहा है। इस वास्तविकता को हम अस्वीकार नहीं कर सकते। यह कहना गलत नहीं होगा कि अंग्रेजी में बोलना और लिखना आजकल ज्ञान प्रदर्शन करने का फैशन जैसा हो गया है। वस्तुतः अंग्रेजी भाषा एवं रोमन लिपि के प्रति अतिरिक्त मोह बढ़ता जा रहा है। आज भी हम देखते हैं कि अंग्रेजी बोलने एवं लिखने में जो मान–सम्मान मिल रहा है वह हिंदी या अन्य भारतीय प्रादेशिक भाषा में नहीं मिल पा रहा है। अंग्रेजी माध्यम से सीखने की होड सी लग गई है। वस्तुतः अपनी भाषा और लिपि हर व्यक्ति को प्यारी होती है और उससे संबंधित प्रक्षों में से वह किसी प्रकार का समझौता करने की तैयार नहीं होती क्योंकि वह उसकी सांस्कृतिक, सामाजिक और जातिगत अस्मिता का प्रतीक होती है।

इस सवाल को स्वीकार करते हुए भी अंग्रेजी भाषा एवं रोमन लिपि के प्रति अतिरिक्त मोह बढ़ता ही जा रहा है और इस बास्तविकता को भी स्वीकार करना पड़ेगा। आज भी हम इस मानसिकता से मुक्त नहीं हो पाए है कि अंग्रेजी बोलने वाला और रोमन लिखने वाला व्यक्ति की प्रतिष्ठा और सम्मान अधिक होती है। अंग्रेजी बोलने का और रोमन में लिखने का जो अधिक मोह वह देवनागरी के सामने एक चुनौति में काम नहीं है। हालांकि विश्व में देवनागरी के वैज्ञानिक होने का दावा अधिक प्रबल रहा है। वस्तुतः नागरी लिपि एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक लिपि है। भाषाविदों ने नागरी की इस विशेषता को मुक्त ह्रदय से सराहा रहा है। यह दूसरी बात है कि भारत के कुछ अंग्रेजी पसंद लोग इसमें दोषान्वेशन का असफल प्रयास करते रहे।

देवनागरी लिपि :–

देवनागरी लिपि के समक्ष हमेशा ही रोमन लिपि के सामर्थ्य एवं समृद्धता की चर्चा होती रही है। रोमन में लेखन करते हुए देवनागरी लिपि के संबंध में अनेक तर्क वितर्क दिए जाते हैं। यहाँ तक कहां जाता है कि रोमन की अपेक्षा देवनागरी अधिक क्लिस्ट लिपि है। जैसे 'वसुंधरा' शब्द को देवनागरी में लिखते समय स के नीचे भाषा और ऊपर अनुस्वार तथा ऊपर से शिरोरेखा खींचने में जी समय लगता है वह रोमन में लिखते समय नहीं लगता है। जैसे wasundhara किंतु यहाँ इस बात पर भी विचार करने की आवश्यकता है। ऐसे कई उदाहरणों द्वारा हम देवनागरी लिपि के समक्ष रही चुनौती पर विचार कर सकते हैं। नागरी लिपि में वर्षों की अधिकता तथा उसे सीखने तथा तंकण, मुद्रण आदि में कठिनाई होती है। इस पर और अधिक व्यापक दृष्टि में विचार विमर्श हुआ है। साथ ही संख्या की दृष्टि से रोमन में भले ही २६ वर्ग हो किंतु लिखने वाले व्यक्ति को स्मॉल और

कैपिटल ऐसे मिलकर ५२ वर्णो को सिखाना पड़ता है किंतु देवनागरी की तुरना में रोमन में इस दृष्टि से सुलभता पाने का सफल प्रयास हुआ है। नागरी के वर्णों की अधिकता और लिखने के कई रूपों में सुधार हुए है। वस्तुतः नागरी के लेखन में बार–बार हाथ ऊपर उठाना पड़ता है, कभी मात्रा के प्रयोग के लिए, कभी शिरोरेखा देने के लिए, कभी अनुस्वार और चंद्रबिंदी लगाने के लिए और कभी विराम विन्ह के लिए। इसलिए इसमें अधिक श्रम करना पड़ता है और गति मंद हो जाती है।

देवनागरी लिपि के सामने एक नई समस्या उभरकर आ रही है। विशेष रूप से सोशल मीडिया की बाधा की दृष्टि में हिंदी का प्रयोग तो किया जा रहा है किंतु लिखा रोमन में जा रहा है जैसे तुम कहां जा रहे हो की जगह 'Tum kaha ja rahe ho' का प्रयोग किया जा रहा है। इतना ही नहीं तो कई किताबें भी इस तरह से प्रकाशित हो रही है। यह केवल हिंदी के लिए ही नहीं हो पता है बल्कि इस पर भारतीय प्रादेशिक भाषाओं के लिए भी चिंतन करने की आवश्यकता है।

देवनागरी लिपि, हिंदी और भारतीय संस्कृति का संबंध :

वर्तमान में हिंदी भाषा की स्थिति और परिस्थिति पर अगर गौर किया जाए तो हिंदी की स्थिति उतनी ही विकट नहीं है, जितना हम समझ रहे हैं। यहाँ सिर्फ हिंदी के प्रति लोगों का नजरियाँ बदलना पड़ेगा। जिसके लिए जन–जाग्रति करनी होगी, हिंदी को मान–सम्मान देना होगा। जो हमारा अन्य भाषा की तुलना में प्रथम कर्तव्य है। हिंदी भाषा को हर कोई बोलता है, समझता है और उसे पड़ना–लिखना भी चाहता है। आप कहेंगे आज अंग्रेजी के इस दौर में कहाँ ऐसा देखने को मिलेगा? आप थोडा बाहरी देशों के बारे में सोचिए, सोशल मिडिया का अध्ययन कीजिए, प्रचार–प्रसार माध्यमों का अध्ययन कीजिए हिंदी की अच्छी स्थिति दिखाई देगी। हमें यह भी मानना होगा की हम ही हिंदुस्थानी लोग हिंदी के विकास में सबसे बड़ी बाधा बन रहे हैं। कुछ सीमित क्षेत्रों में हिंदी को कम समझा जाता है। विश्व में सबसे प्रसिध्द भाषाओं के साथ जैसे चीनी, अग्रेजी, फ्रेंच, जापनीज भाषा के साथ अगर हिंदी की तुलना की जाए तो हिंदी आज भी तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बोली जानी वाली भाषा में आती है। वह दिन–ब–दिन लोकप्रिय होती जा रही है। अंग्रेजी भाषा के अनेक शब्द हिंदी में प्रयोग किये जा रहे हैं। जिसमे हिंदी का रूप थोडा बदन रहा है। यह उसकी लवचिकता के कारण संभव हो रहा है। वह आसानी से किसी भी भाषा का शब्द ग्रहण करके अपना लेती है। आप उसे विशुद्ध हिंदी नहीं बोल सकते। वह आज की इस आधुनिकता के दौर में 'मॉडर्न और स्टैंडर्ड' होती जा रहे हैं। विदेश में विदेशी भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। यूरोपियन देशों जैसे अमेरिका, कनाडा, इंग्लैण्ड, पोलैंड, बुल्गारिया, ममेत ४० देश और लगभग १५० विश्वविद्यालय है जहाँ हिंदी एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है, क्योंकि विदेशों में आज इसे व्यवसाय की भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई है। लोगों का उसे ग्रहण करना ही सबसे बड़ी उसकी उपलब्धि है।

जरा सोचिए जिस हिंदी माषा में फ्रेंच, चीनी, संस्कृत, मराठी आदि भाषा मे आये हुए शब्द स्वीकारे जा सकते हैं, तो फिर अंग्रेजी भाषा में आये हुए शब्द भी स्वीकारने होंगे। जरा सोचिये, हम चाहकर भी शुध्द रूप हिंदी का बोल पाते हैं क्या? अगर बोलना भी चाहों तो वह जैसे पकड़कर बोलने जैसा लगेगा। जैसे देवताओं के सीरियल में सिर्फ संस्कृतनिष्ठ हिंदी का प्रयोग होता हैं। अंग्रेजी शब्द उसमें नहीं आते। वैसे हम रोज की भाषा में बोलने में असमर्थ हैं। ऐसी हिंदी बोलना गलत नहीं है। लेकिन आधुनिकता के इस दौर में किसके पास इतनी

फुरसत हैं? पडित गया प्रसाद शुक्ल जी ने अपनी 'त्रिशूल' नामक कविता में लिखा हैं, – 'काम अपना करूं की हिंदी देखें की उर्दू देखें।' अर्थात आज लोग अपना–अपना काम देखना पसंद कर रहे हैं। उन्हें हिंदी और अंग्रेजी में से कौन अपनी और कौन पराई में देखने के लिए उनके पास समय नहीं है। जब भाषा बोलने में कठिनाई हो तो उस भाषा का डर लगने लगता है। हिंदी डरानेवाली भाषा नहीं है। उसे आसानी से कोई भी बोल सकता हैं और ग्रहण भी कर मकता है। यही कारण है कि हिंदी भाषा को अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी बोल सकता है। हिंदी के विकास में आज सोशल मीडिया, तंत्रज्ञान, फिल्मी दुनिया, सामाजिक क्षेत्रों में अंग्रेजी के माथ–साथ हिंदी का प्रयोग हमेशा होता हैं। इन्हीं क्षेत्रों के कारण हिंदी का सबसे बड़ा विकास हुआ हैं। हाँ यह मानना होगा की हिंदी भाषा के सामने कुछ चुनौतियां हैं जो स्थानीय भाषाओं के सामने हैं। अगर हमें अपने देश, राष्ट्र एवं मातृभूमि से प्रेम है, तो हमें हमारी निजी भाषा से प्रेम करना ही पड़ेगा। जिसके लिए भाषा के विकास में बढ़ोत्तरी करना और पुद्ध चुनौतियों का सामना करते हुए उस पर उपाय–योजनाए भी बनानी पड़ेगी ।

हिंदी भाषा के सामने-आने वाली चुनौतियों का अध्ययन :-

हिंदी भाषा के सामने–आने वाली चुनौतियों का अध्ययन प्रकार है –

१) मातृभाषा को हीन समझना :

आज अपनी मातृभाषा को हम हीन समझकर अंग्रेजी की ओर बढ़ रहे हैं। विदेशी भाषाओं को जितना मान–सम्मान दिया जाता है। वह अपनी ही भाषा में बात करने वालों को नहीं मिलता। इसके लिए हमें मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए। उसी भाषा में शिक्षा–दीक्षा होनी चाहिए। अपनी मातृभाषा को छोड़कर अंग्रेजी भाषा का उपयोग परिवार के साथ करना हिंदी के लिए नुकसानदायक है।

२) अंग्रेजी भाषा का मोह :

आज गाँव–गाँव घर में अंग्रेजी भाषा का बोलबाला है। अंग्रेजी स्कूलों का बढ़ता प्रभाव देखने को मिलता है। जैगे अंग्रेजी भाषा से ही बुद्धि की गणना हो रही हो। जो अंग्रेजी बोलता है, वहीं सबसे ज्यादा होशियार समझा जाता। हर कोई अंग्रेजी भाषा की तरफ आकर्षित हो रहा हैं। इस मोह को समाप्त करने के लिए हमें पहले हमारी हिंदी भाषा में शिक्षा का स्तर अच्छा और उच्चतम करना चाहिए। विदेशी संस्कृति के प्रति मोह, आकर्षण के चलते सभी लोग अंग्रेजी बोलकर होशियार बनना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात इस अर्जित भाषा को वो शिक्षा तक सीमित नहीं रखते बल्कि घरों–घरों में यह भाषा बोली जा रही है। यह सबसे बड़ा धोखा हिंदी के लिए हो सकता है।

३) आत्मविश्वास की कमी :

हिंदी भाषा सीखकर, बोनकर भी हम अपने जीवन में कामयाब हो सकते हैं। यह विश्वास हमारे भीतर नहीं हैं। हिंदी भाषा में भी हम अपना करियर कर सकते है। इस भाषा को भी अपना रोजगार का माध्यम बता सकते है। यह विश्वास हमारे भीतर निर्माण होना चाहिए। इसके लिए शासन स्तर भी कुछ कार्य होने चाहिए। ताकि हिंदी भाषा में शिक्षा ग्रहण करने वाला व्यक्ति जागे चलकर बेरोजगार न रहे।

४) देश में कार्यभाषा के रूप में :

कुछ जगहों अंग्रेजी भाषा का उपयोग होता है। पूरी तरह से हिंदी ही हमारी कार्यभाषा नहीं बन पायी है। अमर उजाला में पत्रकार राहुल देव लिखते है कि, १५ वर्षों के प्रयासों के बाद भी हिंदी १५% भारतीयों की कार्यभाषा बन सकी। अर्थात हम समझ सकते हैं। हिंदी भाषा की अनिवार्यता जरूरी हैं।

५) हिंदी की अनिवार्यता न होना :

कोई भी क्षेत्र हो उसमें हिंदी भाषा की अनिवार्यता होनी चाहिए। इससे हिंदी भाषा शिक्षा होगी, कार्य होगा जिससे हिंदी भाषा अपने–आप विकास के राह पर चलती रहेगी। आज स्कूलों में अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता हो गई है। हिंदी माध्यम में बच्चे नहीं पा रहे हैं। अंग्रेजी विषय भी अनिवार्य होता लेकिन हिंदी भाषा ऐच्छिक रखी जाती है। जिसके चलते अंग्रेजी भाषा का बढ़ता प्रभाव और हिंदी के प्रति नाराजगी हमें देखने को मिलती है।

६) अन्य क्षेत्र :

राजनैतिक क्षेत्र में भी हिंदी भाषा का प्रयोग अनिवार्य नहीं है। हिंदी भाषा के पर्याय रूप में अंग्रेजी विद्यमान है। सरकारी काम काज में हिंदी भाषा को अनिवार्य करना होगा। राज नेता, सांसद सदस्य आदि लोगों के लिए हिंदी भाषा की अनिवार्यता होनी चाहिए। शिक्षा क्षेष हो या सामाजिक क्षेत्र हो सभी में हिंदी भाषा को कम समझना बंद करना होगा। सभी ने कहीं भी अपनी भाषा में बात करनी चाहिए। इन कुछ बातों का ध्यान हम एक हिंदी प्रेमी होने के नाते अगर करेंगे तो हिंदी भाषा के विकास को कोई भी रोक नहीं सकता। आज वर्तमान में बाहरी देशों में हिंदी भाषा को बोलनेवाला बहुत ज्यादा वर्ग मिलता है। उनको और आकर्षित करने के लिए हमें हिंदी भाषा का प्रचार–प्रसार करना चाहिए।

अंत में हिंदी भाषा का उज्वल भविष्य है। उसे सिर्फ थोडा आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। भाषा कोई भी बुरी नहीं होती। उसको हम किस नजर से देखते हैं, उसका उपयोग हम किस तरह से करते है, उस पर भाषा की उप्रति निर्धारित होती है। इसलिए भारतेंदु जी ने कहाँ था –

'निज भाषा उन्नति अहै, सब उप्रति को मूल।
बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय के शूल।'[३]

अर्थात्, हमे अपनी भाषा की उन्नति स्वयं करनी होगी।"

हिंदी सिर्फ भाषा नहीं है, हमारी संस्कृति, हमारा मान–शान और देश की जान है।

डॉ. मलिक मोहम्मद के अनुसार– 'देश की सामाजिक संस्कृति की अनियशि में हिंदी के सिवा कोई दूसरी भारतीय भाषा समर्थ नहीं है। हिंदी पूरे भारत की सांस्कृतिक एकता और साहित्यिक माध्यम की सशक्त कड़ी के रूप में विकसित हुई है। विचारणीय विषय है कि भारतीय संस्कृति की गोद में पली, पोशी हिंदी जो अपने देश की अनेक उपसंस्कृतियों एवं उपभाषाओं के योग से अपना आकार ग्रहाण करती है, यह विश्व संस्कृति को आत्मसात करने की अदभूत क्षमता लेकर इतनी विनम्न क्यों है? क्योंकि सदियों से इस संस्कृति ने विश्व मानवता के प्रति उदारमत का पाठ पढ़ाया है। हिंदी साहित्य अधिक मात्रा में दिखाई देता है।"[४]

आज वह इंटरनेट के माध्यम से विश्व के अधिकांश देशों तक साहित्य एवं अन्य कला ज्ञान–विज्ञान संबंधी जानकारियाँ लेकर खड़ी है जो लगभग एक अरब पचीस करोड़ हिंदी भाषा व हिंदी पढ़ने–जानने वाले लोगों को लाभान्वित कर रही है। भारतीय संस्कृति के बारे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी कहते हैं– मैं नहीं चाहता कि मेरा घर चारों ओर दीवारों से घिरा हो। न में अपनी खिड़कियों ही कसकर बंद रखना चाहता हूँ। मैं तो सभी देशों की संस्कृति को अपने घर में बेरोकटोक संधान चाहता हूँ। पर ऐसी संस्कृति के किसी झकोरे से मेरे पाँव उखड़ जाए यह मुझे मंजूर नहीं। मेरा धर्म बंदीगृह का धर्म नहीं। ईश्वर के रचे नन्हें से नन्हें जीव के लिए उसमें जगह है। लेकिन जाति, धर्म वर्ण का अंग उसे छू नहीं सकता।

निष्कर्ष :-

इस प्रकार भारतीय साहित्य में संस्कृति की झलक दिखाई देती है। संस्कृति की मूल धारा को इन विभिन्न संस्कृतियों से पोशक तत्व ही मिले इस मूल धारा को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में लाने के लिए भारतीय साहित्य कार्य करता है। भारतीय संस्कृति के बारे मैं डॉ. राजेंद्र प्रसादजी कहते हैं– 'कोई विदेशी जो भारत से बिल्कुल अपरिचित हो, एक छोर से दूसरे छोर तक सफर करें तो उसके इस देश में इतनी विभिन्नताएँ देखने में आएँगी कि वह कह उठेगा कि यह एक देश नहीं, बल्कि कई देशों का एक समूह है, जो एक दूसरे से बहुत बातों में और विशेष करके ऐसी बातों में जो आसानी से आँखो के सामने आती है बिल्कुल भिन्न है। प्राकृतिक विभिन्नताएँ भी इतनी और इतने प्रकारों की इतनी गहरी नजर आएँगी जो किसी भी एक महाद्वीप अंदर की नजर आ सकती है। हिमालय की बर्फ से ढकी पहाडियाँ एक छोर मिलेगी और जैसे–जैसे दक्षिण की ओर बढ़ेगी गंगा, यमुना को छोड़कर फिर विध्य, अरावली, सतपुड़ा सहयादी नीलगिरि की श्रेणियों बीच समतल रंग–बिरंगे हिस्से देखने में आएंगे।

संदर्भ ग्रन्थ :-

१. समकालीन साहित्य और भूमंडलीकरण, डॉ. मलिक मोहम्मद, पृ. १४०
२. महात्मा गांधी की जीवनी– डॉ. गौतम शुक्ल, पृ. ४२
३. भारतीय संस्कृति– डॉ. राजेंद्र प्रसाद, पृ. २८
४. नये युग में शत्रु– मंगलेश डबराल, पृ. १४

मो – 9766731470

ईमेल –sureshamalpure05@gmail.com

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 14, Issue 5-6
पृष्ठ : 92-95

VEDANTIC VIEW OF EVOLUTION

Pulak Chan Das
M.A. in Philosophy, B.Ed., NET
School Teacher (Assistant Teacher)

Introduction :

The East and the West believe that humanity has been evolving through the ages to attain a state of perfection. The East in general believes that this state of perfection is attained when, one realizes one's real nature. Vedanta broadly presents the two ways of Jnana and Bhakthi as the means to attain perfection, that is the state of Brahmanhood. It is better to combine both Jnana (Sankara) and Bhakti (Ramanuja) in the process of our evolution towards perfection.

Universe :

Brahman is of the nature of Absolute Existence Consciousness Bliss (Ananta Sat Cit Ananda). It is universal consciousness, all pervading supreme reality (Prajnanam Brahma). The whole world has come from Brahman. It exists in Brahman and it goes back to Brahman. This is the meaning of the evolution in the Vedantic context. "That from which the universe proceeds, That in which. even in the present state, it abides, That unto which it returns in the end, That is Brahman" (Taittiriya Upanishad 3.1.1). We see here the supreme vision of unity behind the diversity of this universe (Sarvam Brahman). According to Vedanta there is no duality behind the universe. Everything is manifested or projected by the Absolute. The many coming out of the One (Ekoham Bahushyam). This is evolution. The One Supreme reality (Tad-Ekam) by its manifestation reveals that this universe is not a mere meaningless, isolated and independently existing material phenomena of disparate objects and beings, but is an interconnected vibrant living spiritual reality subsuming all entities and beings, whether appearing phenomenally as inanimate or animate, as non-human, human or divine, or as material or spiritual. As a seed contains a future tree, so also Brahman in Vedanta contains all the possibilities of the future developments, the one self in all of us, the one self in the universe (Ekaantaraatma Sarva Bhutaantaraatma).

Religion :

The concept of God in Vedanta has two dimensions-Nirguna (attributeless) and Saguna (personal). Saguna Brahman is associated with maya, the power (Shakti) of the Lord. That is why the concept of evolution in Vedanta is a basis for higher spiritual life and spiritual realization. In Indian philosophy the concept of evolution is central to the spiritual and philosophical thinking. We are the products of evolution. This evolution has taken two stages, namely, the cosmic and organic. Vedanta tells that in human beings alone there is knowledge of evolution (not in animals) and evolution becomes self-conscious in us. We can, by our own effort, lead to the process of evolution into higher levels.

According to Vedanta, religion is a "profound science and technique of mass evolution from creatureliness to blessedness". That is the goal of evolution. In many respects we are like other creatures, but we are free. So human beings are a combination of freedom and necessity. The gift of freedom must be made use to manifest that supreme Brahman hidden in our own selves. We have capacity within us to reach this profound truth. No animal can understand and attain this state. They have neither the capacity nor the freedom to do so. The same Brahman who is the source of us also the source of the entire universe. Brahman is all energy, a living energy (calmness, happiness and bliss) endowed with consciousness, it is the infinite energy consciousness which is the basis of the science of spirituality.

God is both personal and also impersonal. In Jnana we see God as impersonal and in Bhakti we see him as personal; and personal and impersonal refer to the same two aspects of the same reality, the same reality in two dimensions. So energy silent and unmanifested is Nirguna and energy manifest is Saguna. We human beings have to manifest that energy present in us at various levels- aesthetic, ethical and spiritual levels. Realization of it is the great objective of evolution at human level. Buddha is an example of such an evolution. All the great spiritual teachers were enlightened people. We too can attain enlightenment. So here evolution takes place in a new manner. The human beings too can realize Brahman. This is the wonderful uniqueness presented by Vedanta about human beings. When we truly understand it, we achieve tremendous breakthrough in evolution, rediscovering the source from which we all came. This is the purpose of human life, according to Vedanta. It is not easy but is a challenge for us. Evolution which has brought us to this high level of human intelligence and human understanding, does not stagnate at this organic level, but goes towards a higher direction, attaining Brahman itself. This is our responsibility (Maanava dharma).

Two Means of Evolution :

In the Vedantic tradition we have two methods to attain evolution. They are Jnana and Bhakti. Jnana is through negation (Sankara: neti, neti method) is rather difficult. Bhakti is through

affirmation.Affirming this evolution as it is, we move to higher and higher levels of realization. "Religion is realization" says Swami Vivekananda. To attain realization mind must be pure, free from 'pollution'. It is in pure mind the knowledge of Brahman (Brahmajnana) remains constant. Then all bondages will break and one becomes free person, manifesting the entire course of human evolution from the present state of helplessness, dependence and creatureliness to the highest level of freedom, bliss and enlightenment. It is in freedom that we merge again into Brahman. This is the Vedantic vision of evolution from the light of the great philosophy of Jnana.

In Bhakti we practice various spiritual disciplines like meditation (dhyana), repetition of God's name (Japa) and singing of bhajans etc. Bhakti demands Sat Sanga (association with good people). These are the means we can make our heart as the abode of the Lord (Hridayesvara) who makes us pure. Bhakti is attachment to the Lord.

In a steady mind all gunas are harmoniously combined and we are no more affected by anything that is evil (Adharma), but are sustained by everything that is good (Dharma). So a tremendous inner revolution takes place in us which leads to self realization (Atmasakshatkara), where we experience (Anubhava), that is, what God really is! He is an embodiment of fullness of love (Sampoorna prema swarupa). We become dharmic persons when we are united with the Lord. In such a stage there is no ground for doubt and confusion etc., but only conviction and compassion. This is the goal of human evolution. Evolution finding its consummation in absolute freedom at the human level. As free human beings we need to intensify our efforts step by step in order to evolve from the finite to the infinite, from bondage to freedom, from death to immortality. In this process of realization it is good to combine both Jnana and Bhakti. There are various types of Bhakti, for example, Anuraga Bhakti, Vaatsalya Bhakti, Madhura Bhakti, Saanta Bhakti and Sakhya Bhakti etc. There are various means like Sravana (listening), Manana (remembering), Nidhidhyaasana (pondering over) to grow in our devotion and dedication.

Conclusion :

The remarkable concept of Vedantic evolution leads us to an ever-refreshing attitude of illumination, freedom and infinite expansion of consciousness. Expansion is love and wherever love is present, there is God. When God is present in our hearts we seek the welfare and well being of all beings (Lokasangraha). The aim of evolution is to attain liberation (Mukti), but it is not easy as Vivekananda says, "arise, awake and stop not till the goal is reached". Once we reach the goal (Jivan Muktha), we attain true happiness (Santhosham) and peace (Shantham).

The realization of one's identity with Brahman is the cause of liberation from the bonds of samsaara (Chain of birth and death), by means of which the wise attains Brahman, the One without a

second, the Bliss Absolute. The realization of Brahman, is the attainment of perfection, the end of evolution. Therefore one must fully realize one's identity with Brahman.-- Shankaracharya.

References :

- A.N.Bhattacharya, Essence of Vedanta, Delhi: Durga Publications, 1986.
- Prabuddha Bharata (A monthly journal of the Sri Ramakrishna Order, Calcutta, January 1986.
- Rajmani Tigunait, Seven Systems of Indian Philosophy, Pennsylvania : the Himalayan International Institute of Yoga Science and Philosophy of the U.S.A., 1983.

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
ISSN : 2321-8037
SANGAM
Vol. 14, Issue 5-6
पृष्ठ : 96–103

भारतीयार और माखनलाल चतुर्वेदी के बीच समानता बाल साहित्य के संदर्भ में

के. आर. गुरू गोविंद विश्वत,
शोधार्थी (UP24P9650003)
डॉ. अनुराधा पाकलपाटी, शोध निर्देशिका एवं सहायक प्राध्यापक
हिंदी विभाग, वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एडवांस्ड स्टडीज (विस्टस)

सार :

महाकवि सुब्रह्मण्य भारती और माखनलाल चतुर्वेदी दो भिन्न भाषायी परंपराओं–तमिल और हिंदी–से संबद्ध होते हुए भी अपने काव्य-विचार और संवेदना में गहरी समानता रखते हैं। दोनों कवियों का साहित्य राष्ट्रप्रेम, मानवीय मूल्यों, प्रकृति-बोध और बाल-मन की सरलता को केंद्र में रखता है। बाल साहित्य को वे केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि चरित्र-निर्माण और राष्ट्र-निर्माण का सशक्त माध्यम मानते हैं। भारती बालकों में निर्भयता, समानता और स्वतंत्र सोच का विकास करते हैं, जबकि चतुर्वेदी त्याग, कर्तव्यबोध और अनुशासन के संस्कार देते हैं। भाषा भिन्न होने पर भी दोनों का साहित्य बाल-व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है।

मूल शब्द :- बाल साहित्य, राष्ट्रप्रेम, मानवीय मूल्य, निर्भयता, प्रकृति-बोध, त्याग और कर्तव्यबोध, स्वतंत्रता चेतना, सांस्कृतिक समरसता, चरित्र-निर्माण।

प्रस्तावना :

महाकवि सुब्रह्मण्य भारती और माखनलाल चतुर्वेदी दो भिन्न भाषायी परंपराओं – तमिल और हिंदी – से आते हुए भी विचार, संवेदना और काव्य -

दृष्टि में गहरी समानता रखते हैं। दोनों कवि राष्ट्रप्रेम, मानवीय मूल्यों, प्रकृति - बोध और बाल - मन की सरलता को अपनी रचनाओं का केंद्र बनाते हैं। बाल साहित्य के संदर्भ में दोनों की काव्य - भाषा सहज, प्रेरणादायक और संस्कारपरक है, जो बच्चों में आत्मविश्वास, देशभक्ति और मानवीय चेतना का विकास करती है।

दोनों कवि स्वतंत्रता संग्राम के दौर के ऐसे युगद्रष्टा साहित्यकार हैं, जिनकी रचनाएँ केवल संवेदनाओं की अभिव्यक्ति तक सीमित न रहकर राष्ट्रीय चेतना, आत्मगौरव और जनजागरण की प्रभावशाली आवाज़ बन गईं।

- सुब्रमण्यम भारतीयार और माखनलाल चतुर्वेदी दोनों का साहित्य उस काल में विकसित हुआ, जब भारत अंग्रेज़ी शासन के अधीन था और स्वतंत्रता आंदोलन अपने विभिन्न चरणों से गुजर रहा था।
- यह वह समय था जब साहित्य केवल मनोरंजन का साधन न होकर राष्ट्रीय चेतना का वाहक बन गया था।
- भारतीयार दक्षिण भारत में और चतुर्वेदी उत्तर भारत में रहते हुए भी एक ही राष्ट्रीय पीड़ा, एक ही स्वप्न और एक ही लक्ष्य से प्रेरित थे – स्वतंत्र भारत के ओर। दोनों ने औपनिवेशिक दमन, सामाजिक असमानता और मानसिक गुलामी के विरुद्ध अपनी कविता को हथियार बनाया।

निर्भयता और आत्मबल पर ज़ोर देते हुए सुब्रमण्यम भारती ने कहा -

அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சமென்பது இல்லையே(1)

अर्थात - मुझे कोई भय नहीं है, भय जैसी कोई वस्तु ही नहीं है। - भारतीयार निर्भयता को स्वतंत्रता की पहली शर्त मानते हैं।

माखनलाल चतुर्वेदी ने कहा -

वीरों का कैसा हो वसंत।(2)

अर्थात - दोनों कवि साहस और संघर्ष को राष्ट्रजीवन का मूल मानते हैं।

- भारतीयार केवल कवि नहीं, बल्कि दार्शनिक और समाज-सुधारक भी थे। वे वेदांत, भक्ति आंदोलन और आधुनिक राष्ट्रवाद – तीनों से प्रभावित थे।
- उनकी कविता में
    - आध्यात्मिक चेतना,
    - आत्मबल
    - कर्मयोग
    - समानता का दर्शन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।
    - उन्होंने जाति-भेद, छुआछूत और नारी-असमानता का खुला विरोध किया। भारतीयार के लिए स्वतंत्रता केवल राजनीतिक नहीं थी, बल्कि सामाजिक और मानसिक भी थी। उनकी दृष्टि में स्वतंत्र भारत तभी संभव था जब समाज समान, शिक्षित और साहसी हो।
- माखनलाल चतुर्वेदी का राष्ट्रवाद अधिक नैतिक और भावनात्मक रूप में सामने आता है। वे हिंसा की बजाय त्याग, सेवा और आत्मसमर्पण को स्वतंत्रता का मार्ग मानते थे। गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव उनकी रचनाओं में स्पष्ट है।
- उनकी कविता में • तपस्या, • बलिदान, • आत्मसंयम, • कर्तव्यबोध प्रमुख तत्व हैं। वे मानते थे कि सच्चा देशप्रेम शोर में नहीं, बल्कि निःस्वार्थ कर्म में दिखाई देता है।

त्याग और आत्मसमर्पण पर ज़ोर देते हुए *भारतीयार ने कहा है कि -*

உயிர் கொடுத்து நாட்டை காக்கும் உயர்ந்த பண்பு

अर्थात - देश की रक्षा के लिए प्राण तक अर्पित करना ही महान गुण है।

माखनलाल चतुर्वेदी ने कहा है कि -

मुझे तोड़ लेना वनमाली,

उस पथ पर देना फेंक।[3]

भारतीयार का बलिदान वीरता से जुड़ा है और चतुर्वेदी का बलिदान तपस्या से जुड़ा है।

- भारतीयार और चतुर्वेदी दोनों को "राष्ट्रकवि" कहा जाना केवल उपाधि नहीं, बल्कि उनके साहित्यिक योगदान की पहचान है। दोनों के लिए – कविता = राष्ट्र की आवाज़ और कवि = जागरण का प्रहरी। उनकी रचनाओं में राष्ट्र एक जीवंत सत्ता के रूप में उपस्थित है – माता, देवी और प्रेरणा के रूप में।

राष्ट्रकवि की भूमिका निभाते हुए भारतीयार ने कहा -

என் கவிதை தேசத்தின் குரல் - मेरी कविता राष्ट्र की आवाज़ है।

माखनलाल चतुर्वेदी ने भी कहा है कि -

कविता मेरे लिए देश - सेवा का साधन है।

दोनों के लिए कविता सौंदर्य नहीं, कर्तव्य है।

अंततः कहा जा सकता है कि सुब्रमण्यम भारतीयार और माखनलाल चतुर्वेदी भारतीय साहित्य के ऐसे स्तंभ हैं, जिन्होंने कविता को राष्ट्रसेवा का माध्यम बनाया। भाषा भिन्न होने पर भी उनका उद्देश्य एक ही था – स्वतंत्रता, स्वाभिमान और जागृत राष्ट्र। आज भी उनकी रचनाएँ हमें साहस, कर्तव्य और देशप्रेम की प्रेरणा देती हैं। भिन्न भाषाओं में लिखते हुए भी एक ही राष्ट्रीय आत्मा के स्वर हैं। उनकी कविता केवल अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि वर्तमान की प्रेरणा और भविष्य की दिशा है।

बाल साहित्य के संदर्भ में :

महाकवि भारती और माखनलाल चतुर्वेदी दोनों ही बाल साहित्य को केवल मनोरंजन का साधन नहीं मानते, बल्कि उसे चरित्र-निर्माण और राष्ट्र-निर्माण

का आधार मानते हैं। दोनों की भाषा सरल, लयात्मक और भावप्रधान है, जो बालकों के मन में सहजता से उतरती है। प्रकृति, मातृभूमि, नारी, स्वतंत्रता और मानव-मूल्य दोनों की रचनाओं के केंद्रीय तत्व हैं। बच्चों को वे जिज्ञासु, साहसी और जागरूक नागरिक के रूप में देखना चाहते हैं, न कि केवल श्रोता या पाठक के रूप में।

प्रकृति प्रेमी :

भारती की अपनी இயற்கைப் பாடல்கள் कविताओं में प्रकृति जीवंत, मित्र और प्रेरक रूप में आती है, जो बाल मन के निकट है। चतुर्वेदी के यहाँ *प्रकृति और कविता* में प्रकृति नैतिक प्रतीक बन जाती है, जैसे पुष्प, पथ और मिट्टी। भारती प्रकृति से संवाद कराते हैं, चतुर्वेदी प्रकृति से शिक्षा।

समाज सुधार :

बाल मन और निर्भयता के बारे में महाकवि भारती के अनुसार भय का कोई स्थान नहीं है "அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சமென்பது இல்லையே"। बाल साहित्य का उद्देश्य बच्चों को निडर, आत्मविश्वासी और स्वतंत्र सोच वाला बनाना है। यह पंक्ति बाल मन में साहस और आत्मबल का संचार करती है। चतुर्वेदी भी बालक को निर्भीक और आदर्श नागरिक के रूप में देखते हैं।

"வந்தே மாதரம்" भारतीयार का इस वाक्यांश देश भक्त को समाज में ज़ोर से जगाया।

"சாதிகள் இல்லையடி பாப்பா[5]" अर्थात हे बच्चे! इस संसार में जातियाँ नहीं हैं। यह पंक्ति बाल साहित्य में समानता, मानवता और सामाजिक समरसता का संदेश देती है और बचपन से ही भेदभाव-रहित दृष्टि विकसित करती है। माखनलाल चतुर्वेदी ने *पुष्प की अभिलाषा* में

"पुष्प की अभिलाषा है, मिट्टी में मिल जाना।"

यह पंक्ति त्याग, सेवा और विनम्रता का भाव सिखाती है। बाल साहित्य में ऐसे आदर्श बच्चों के चरित्र निर्माण में सहायक होते हैं। भारती जहाँ निर्भयता सिखाते हैं, वहीं चतुर्वेदी त्याग और कर्तव्यबोध।

"என்றும் தாய்மண்ணே போற்றி!"

भारती मातृभूमि को माता के रूप में देखते हैं। बाल साहित्य के माध्यम से बच्चों में राष्ट्रप्रेम और आत्मसम्मान जगाते हैं। साथ - साथ चतुर्वेदी भी राष्ट्रभक्ति उनके काव्य की आत्मा है, जो बालकों को जिम्मेदार नागरिक बनाती है। भारती ने बच्चे प्रश्न करें, सोचें और निर्भीक बनें और चतुर्वेदी ने बच्चे उत्तरदायित्व, अनुशासन और आदर्श सीखें। एक ओर जिज्ञासा, दूसरी ओर मूल्यबोध – दोनों मिलकर संपूर्ण बाल व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं।

जहाँ महाकवि भारती को जनमानस और सांस्कृतिक परंपरा ने "महाकवि" के रूप में अमर किया, वहीं माखनलाल चतुर्वेदी को स्वतंत्र भारत में औपचारिक राष्ट्रीय और साहित्यिक सम्मानों के माध्यम से प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। दोनों ही कवि अपने-अपने भाषायी संसार में सर्वोच्च सम्मान के अधिकारी माने जाते हैं।

महाकवि सुब्रह्मण्य भारती को औपचारिक पुरस्कारों से अधिक जनमानस और सांस्कृतिक चेतना का सम्मान प्राप्त हुआ। उनकी यह पंक्ति–

"என் நாடு என் உயிர்" (मेरा देश मेरा जीवन है)

– यह स्पष्ट करती है कि उनका सम्मान उनकी राष्ट्रभक्ति और जनजागरण से उपजा। इसी कारण तमिल समाज ने उन्हें स्वाभाविक रूप से "महाकवि" की उपाधि दी।

माखनलाल चतुर्वेदी को स्वतंत्र भारत में औपचारिक राष्ट्रीय और साहित्यिक सम्मान प्राप्त हुए। उनकी काव्य - पंक्ति–

"मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक"

– त्याग, राष्ट्रनिष्ठा और आत्मसमर्पण की भावना को प्रकट करती है, जिसके लिए उन्हें पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

एकता के बारे में :

"செப்பு மொழி பதினெட்டு உடையாள் எனிற் சிந்தை ஒன்றுடையாள்!"

भारतीयार ने कहा और माखनलाल चतुर्वेदी ने भी स्मृति का वसंत में कहा गया है -

"नहीं चलो हिल-मिलकर झूलें, बने विहंग, झूलने झूलें"

हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक अखण्ड भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत करने का स्वप्न देखा और आज वह साकार हुआ। सबसे महत्वपूर्ण समानता यह है कि दोनों कवि अपने यूग की आवाज़ बने। उन्होंने अपने शब्दों से जनता को जगाया और साहित्य को स्वतंत्रता संग्राम की शक्ति बनाया।

इस प्रकार जहाँ भारती को लोकमान्यता और सांस्कृतिक परंपरा ने अमर बनाया, वहीं चतुर्वेदी को राष्ट्रीय संस्थाओं और पुरस्कारों ने प्रतिष्ठा प्रदान की। दोनों ही अपने-अपने साहित्यिक संसार में सर्वोच्च सम्मान के अधिकारी सिद्ध होते हैं।

महाकवि भारती के लिए स्वतंत्रता केवल राजनीतिक लक्ष्य नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक अवस्था है। उनकी पंक्ति -

"விடுதலை விடுதலை விடுதலை"

स्वतंत्रता को जीवन - मंत्र के रूप में प्रस्तुत करती है और बालकों में स्वाधीन सोच का विकास करती है। माखनलाल चतुर्वेदी के यहाँ स्वतंत्रता तप,

संयम और बलिदान से प्राप्त मूल्य है, जो आत्मसंयम की माँग करती है। इस प्रकार भारती स्वतंत्रता को उत्सव बनाते हैं, जबकि चतुर्वेदी उसे साधना।

निष्कर्ष :

बाल साहित्य के संदर्भ में महाकवि भारती और माखनलाल चतुर्वेदी की समानता यह सिद्ध करती है कि भाषा भिन्न होने पर भी साहित्य की आत्मा एक हो सकती है। दोनों कवि बच्चों को भयमुक्त, संस्कारित और राष्ट्रचेतन बनाने का स्वप्न देखते हैं। इस दृष्टि से उनका साहित्य आज भी प्रासंगिक है और भविष्य के लिए मार्गदर्शक भी। भाषा अलग है, पर उद्देश्य समान है।

संदर्भ :

1) महाकवि भारतीयार कवितैकळ - *மஹாகவி பாரதியார் கவிதைகள்* (Mahakavi Bharatiyar Kavithaigal) - Sri Hindu Publications - 15th Edition - February 2007 - Pg. 171.
2) http://hindwi.org/kavita/wiron-ka-kaisa-ho-wasant-subhadrakumari-chauhan-kavita
3) https://www.amarujala.com/kavya/kavya-charcha/makhan-lal-chaturvedi-poem-pushp-ki-abhilasha - माखनलाल चतुर्वेदी - *पुष्प की अभिलाषा*
4) डॉ. नामवर सिंह - *छायावाद*
5) महाकवि भारतीयार कवितैकळ - *மஹாகவி பாரதியார் கவிதைகள்* (Mahakavi Bharatiyar Kavithaigal) - Sri Hindu Publications - 15th Edition - February 2007 - Pg. 121.
6) हजारी प्रसाद द्विवेदी - *हिंदी साहित्य की भूमिका*
7) टी. पी. मीनाक्षीसुंदरम - *भारती पर आलोचनात्मक लेख*

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
ISSN : 2321-8037
SANGAM
Vol. 14, Issue 5-6
पृष्ठ : 104–107

क्षेत्र रक्षण से दिशा रक्षक तक : यक्ष और दिक्पालों का सांस्कृतिक इतिहास

शुभम् दुबे, शोध छात्र,
प्रो. इन्दुभषण द्विवेदी, शोध निर्देशक एवं विभागाध्यक्ष,
प्राचीन इतिहास विभाग, के.बी.पी.जी. कालेज, मिरजापुर।

भारतीय संस्कृति का मूल भाव ''सर्वे भवन्तु सुखिनः'' और ''विश्वं भवत्येकनीडम्'' में निहित है। यह दर्शन बताता है कि सुरक्षा केवल आत्म या परिवार की नहीं अपितु सम्पूर्ण सृष्टि, दिशा, प्राणी और पर्यावरण की है। भारतीय सभ्यता में धर्म और संस्कृति केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और पर्यावर्णीय सन्तुलन का माध्यम रही है। 'रक्षा' की अवधारणा यहाँ केवल बाहरी सुरक्षा नहीं बल्कि जीवन के सन्तुलन का प्रतीक है। 'क्षेत्र रक्षा' (Local Protection) और 'दिशा रक्षा' (Cosmic Protection) – ये दोनों मानव की क्रमशः भौतिक और आध्यात्मिक चेतना के विकास की प्रतीकात्मक अवस्थाएँ हैं। वैदिक युग में रक्षा का अर्थ केवल सैन्य या भौतिक नहीं अपितु ऋत् (Cosmic Order) – ब्रह्माण्डीय नियम की रक्षा था। ऋग्वेद में इन्द्र, वरूण, मित्र, अग्नि, रूद्र आदि देवताओं को रक्षक कहा गया है। कालान्तर में यह विचार स्थानीय देवी–देवताओं और लोकविश्वासों के रूप में विकसित हुआ। जहाँ ग्राम, वन, नदी, भूमि, पर्वत आदि के लिए रक्षक देवता माने गये जिन्हें आगे चल कर यक्ष, नाग, भैरव, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल कहा गया। इसी परम्परा का क्रमिक विस्तार बाद में 'दिशा रक्षा' के रूप में हुआ जहाँ केवल क्षेत्र ही नहीं अपितु सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की दिशाओं की रक्षा हेतु देवताओं का निरूपण हुआ। ये देवता ही 'दिक्पाल' कहलाए। कुबेर को यक्षराज कहा गया है। जो धन और उत्तर दिशा के अधिपति हैं। वह लोक देवता से दिक्पाल बने। यही बिन्दु क्षेत्र रक्षा से दिशा रक्षा की प्रक्रिया का सबसे प्रखर उदाहरण है।

'यक्ष' शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के 'यज' से मानी जाती है। जिसका अर्थ है – पूजा करना, रहस्यमयी शक्ति या दैवीय सत्ता। ऋग्वेद और अथर्ववेद में यक्ष का उल्लेख 'दैवीय रहस्य' के रूप में हुआ है।[1, 2] उदाहरणस्वरूप ''यद् यक्षम् तत् तपो भवति'' अर्थात् यक्ष वह शक्ति है जो रहस्यमय, अदृश्य और सृष्टि के भीतर स्थित है। इस काल में यक्ष कोई विशिष्ट देवता नहीं थे बल्कि दैवीय रहस्य के प्रतीक थे।

वैदिक युग के बाद यक्षों की पूजा लोक विश्वासों में रच–बस गयी। उन्हें वनों, नदियों, जलाशयों, पर्वतों और ग्रामों के रक्षक देवता के रूप में मान्यता प्रदान की गयी। लोक आस्था में वे क्षेत्रपाल, वृक्षदेवता या ग्राम देवता के रूप में पूजे गये जो अपने क्षेत्र या भूखण्ड की रक्षा करते थे।[3] यह विचार पर्यावरणीय और सामाजिक दोनों

स्तरों पर महत्वपूर्ण था क्योंकि प्रत्येक गाँव या वन क्षेत्र में किसी यक्ष या यक्षिणी की स्थापना होती थी। जो उस क्षेत्र की समृद्धि और सुरक्षा की गारंटी मानी जाती थी।

बौद्ध धर्म में यक्षों को धर्मरक्षक माना गया है। बौद्ध ग्रन्थ अट्ठकथा और जातक कथाएं यक्षों को धर्मपाल के रूप में वर्णित करती हैं। जैसे– अलावक यक्ष, वैशाली के यक्ष आदि।[4] अट्ठमहायक्ष (आठ महायक्ष) की परम्परा बौद्ध सूत्रों में मिलती है। बौद्ध जातक कथाओं में यक्ष कभी हिंसक राक्षस के रूप में तो कभी करूणामय रक्षक के रूप में चित्रित हैं।

जैन धर्म में प्रत्येक तीर्थंकर के साथ एक यक्ष और यक्षिणी का होना अनिवार्य माना गया है। उदाहरण स्वरूप ऋषभनाथ के यक्ष गोमेख तथा यक्षिणी चक्रेश्वरी हैं[5] जबकि पार्श्वनाथ के यक्ष धरणेन्द्र तथा यक्षिणी पद्मावती को माना गया है।[6] ये तीर्थंकरों के धर्म की रक्षा करते हैं। यह परम्परा दर्शाती है कि यक्ष लोक और दैवीय जगत के बीच सेतु का कार्य करते रहे हैं।

मौर्य तथा शुंग काल में यक्षों की मूर्तियाँ अत्यन्त प्रभावशाली रूप में प्रकट हुयी। दीदारगंज यक्षिणी (पाटलिपुत्र) तथा मथुरा के यक्ष–यक्षिणी भारतीय मूर्तिशिल्प परम्परा में यक्षों के सौन्दर्य और इनकी व्यापक प्रतिष्ठा के आदर्श उदाहरण हैं। उनकी भव्य देह, अलंकरण और दृढ़ मुद्रा यह बताती है कि यक्ष स्थानीय लोक देवता से नगरीय देवता के रूप में रूपान्तरित हो रहे थे। यक्ष कला के माध्यम से लोक विश्वास और राज सत्ता के बीच सेतु बने।

दिक्पाल का अर्थ है – ''दिशा का पालक अथवा रक्षक''। दिशाएँ भारतीय विश्व दृष्टि में केवल भौगोलिक ही नही अपितु दैवी ऊर्जा के केन्द्र हैं। वेदों में दिशा को ब्रह्माण्डीय व्यवस्था का भाग माना गया है। ''दिशः पश्यन्ति देवाः'' कहा गया है। अर्थात देवता दिशाओं के रक्षक हैं। अतः प्रत्येक दिशा की रक्षा हेतु एक विशिष्ट देवता की कल्पना की गयी है।[7] प्रत्येक दिशा एक शक्ति, एक नीति और एक चेतना का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार दिशा रक्षा का तात्पर्य 'ऋत् की रक्षा' या सामन्जस्यपूर्ण ब्रह्माण्डीय व्यवस्था की रक्षा है।

पुराणों में आठ प्रमुख दिशाओं के आठ दिक्पाल निर्धारित हैं –

दिशा	दिक्पाल	प्रमुख गुण	प्रतीक व वाहन
पूर्व	इन्द्र	शक्ति, शासन	वज्र, ऐरावत हाथी
आग्नेय	अग्नि	ऊर्जा, पवित्रता	अग्निशिखा, मेष
दक्षिण	यम	न्याय, मृत्यु	दण्ड, भैंसा
नैऋत्य	नैऋत	विनाश, संतुलन	तलवार, मनुष्य
पश्चिम	वरूण	जल, शुद्धि, सत्य	पाश, मकर
वायव्य	वायु	जीवन शक्ति, गति	ध्वज, मृग
उत्तर	कुबेर	धन, समृद्धि	गदा, पुरूष/नर
ईशान	शिव	ज्ञान, तपस्या, ब्रह्म	त्रिशूल, बैल

इन आठ दिशाओं के अतिरिक्त ऊर्ध्व (ऊपर) में ब्रह्मा और अधो (नीचे) दिशा में अनंत (शेष) या विष्णु का आधिपत्य बताया गया है। यह सम्पूर्ण व्यवस्था 'दश दिक्पाल मण्डल' कहलाती है। जैन शास्त्रों में दश दिक्पाल थोड़े भिन्न हैं जबकि बौद्धों ने दिशाओं के अधिपतियों के रूप में ''चतुर्महाराजों'' को इस प्रकार माना

है – पूर्व की ओर धृतराष्ट्र, दक्षिण की ओर विरूढ़क, पश्चिम की ओर विरूपाक्ष और उत्तर दिशा की ओर वैश्रवण।[9]

भारतीय वास्तु शास्त्र में दिक्पालों का उल्लेख मयमतं[10], मानसार[11], विश्वकर्मा प्रकाशिका[12] आदि ग्रन्थों में मिलता है। मन्दिर या देवालय योजना में दिक्पालों की स्थिति इस प्रकार निर्धारित होती थी कि मन्दिर एक 'ब्रह्माण्डीय प्रतिरूप' बन जाये। उदाहरण–

– खजुराहो मन्दिर में दिक्पालों की मूर्तियाँ मुख्य गर्भ गृह की बाह्य दीवारों पर स्थापित हैं।
– कोणार्क के सूर्य मन्दिर में दिशानुसार देवता स्थित हैं– इन्द्र पूर्व में, वरूण पश्चिम में, कुबेर उत्तर में।
– चोल मन्दिरों में दिक्पाल स्थापत्यिक सन्तुलन और दैवीय रक्षा का प्रतीक हैं।

यक्षों से दिक्पालों की ओर संक्रमण भारतीय धार्मिक विचारधारा की गहराई को दर्शाता है। इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कुबेर का यक्षराज से दिक्पाल बनना है।[13] यह परिवर्तन भारतीय चिन्तन की उस अद्भुत प्रवृत्ति को दर्शाता है जो सीमित से अनन्त, स्थूल से सूक्ष्म और स्थानीय से सार्वभौमिक की ओर अग्रसर होती है।

पहलू	**यक्ष**	**दिक्पाल**
स्वरूप	स्थानीय देवता / ग्रामरक्षक	ब्रह्माण्डीय दिशापालक
कार्य	क्षेत्र, वृक्ष, जलाशय आदि की रक्षा	ब्रह्माण्डीय दिशाओं की रक्षा
मूल	लोकधर्मी	वैदिक–पौराणिक
पूजा रूप	ग्राम या गृह पूजा	मन्दिर व स्थापत्य में प्रतिष्ठा
प्रतीक	समृद्धि, उर्वरता, स्थायित्व	संतुलन, नीति, दैवीय शासन

इस प्रकार यक्ष ''भौतिक और लौकिक सुरक्षा''के प्रतीक हैं जबकि दिक्पाल ''दैवी और वैश्विक सुरक्षा'' के प्रतीक हैं। यह परिवर्तन मानव चेतना के लोक से ब्रह्माण्ड तक के विस्तार का प्रतीक है।

भारतीय दर्शन में ब्रह्माण्ड को सामान्य पुरूष या कॉस्मिक ऑर्गेनिज्म के रूप में देखा गया है। इस ब्रह्माण्डीय शरीर के अंगों की रक्षा यक्ष और दिक्पाल करते हैं। जहाँ यक्ष धरती और मानव समाज की रक्षात्मक ऊर्जा हैं, वहीं दिक्पाल दिशा और तत्वों के रक्षक हैं।

शैव, वैष्णव और शाक्त सम्प्रदायों ने इन्हें अपनी-अपनी व्याख्याओं में समाहित किया –

– शैव मत में यक्ष और दिक्पाल शिव के गण हैं।[14]
– वैष्णव परम्परा में वे विष्णु के अधीन रक्षक देवता हैं।[15]
– शाक्त पराम्परा में यक्षिणियाँ शक्तिपीठों की रक्षिका हैं।

कला–मथुरा, सांची, अमरावती, अजन्ता और एलोरा की मूर्तियों में यक्ष और दिक्पालों के अनेक रूप मिलते हैं।

साहित्य–कालिदास, बाणभट्ट[16] और भट्टनायक के काव्यों में यक्षों का उल्लेख भावात्मक रूप से हुआ है। 'मेघदूतम्'[17] में यक्ष का मानवीकरण इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। महाभारत में यक्ष प्रश्न का उल्लेख मिलता है।[18]

स्थापत्य – मन्दिर, तोरण, द्वारपाल और गर्भगृह के चतुर्दिक यक्ष–दिक्पाल मूर्तियाँ स्थापत्य की सुरक्षा व्यवस्था का प्रतीक हैं।

- **सुरक्षा और सन्तुलन की अवधारणा** – यक्ष और दिक्पाल दोनों ही जीवन और ब्रह्माण्ड में सन्तुलन के रक्षक है।
- **पर्यावरणीय दृष्टि** – यक्ष वृक्ष, जल, भूमि से जुड़े हैं। उनकी पूजा पर्यावरण संरक्षण की सांस्कृतिक नींव है।
- **सामाजिक एकता** – ग्राम स्तर पर यक्ष पूजा नें सामुदायिक एकता को सुदृढ़ किया।
- **ब्रह्माण्डीय चेतना का विकास** – दिक्पालों ने मनुष्यों को यह सिखाया कि सुरक्षा केवल व्यक्तिगत या सामाजिक नहीं बल्कि ब्रह्माण्डीय स्तर पर भी आवश्यक है।

'क्षेत्र रक्षण से दिशा रक्षक' तक की यात्रा मानव चेतना की विकास गाथा है। यक्षों ने लोक जीवन में सुरक्षा और समृद्धि का भाव स्थापित किया वहीं दिक्पालों ने इस भावना को ब्रह्माण्डीय स्तर तक विस्तारित किया। दोनों पराम्पराएं एक ही विचार के दो आयाम हैं – सुरक्षा, सन्तुलन और समरसता।

भारतीय संस्कृति की यही विशेषता है कि वह हर स्तर पर रक्षा और सन्तुलन को आध्यात्मिक दृष्टि से जोड़ती है। यक्षों और दिक्पालों की अवधारणाएं आज भी भारतीय स्थापत्य, पूजा–पद्धति और लोक विश्वासों में जीवित हैं जो हमारे सांस्कृतिक निरंतरता की साक्षी हैं।

सन्दर्भ सूची :

1. ऋग्वेद 1.18.7
2. अथर्ववेद 4.37.4
3. अग्रवाल वासुदेव शरण, प्राचीन भारतीय लोकधर्म (अध्याय–6)
4. सुत्तनिपात VV 183. 192
5. जिनसेनाचार्य, आदि पुराण (खण्ड 1, अध्याय 68–71)
6. जिनसेनाचार्य–गुणभद्र, महापुराण (अध्याय–56)
7. अग्रवाल वासुदेव षरण, प्राचीन भारतीय लोकधर्म (अध्याय–4)
8. विष्णु धर्मोत्तर पुराण (तृतीय खण्ड, अध्याय 81–83)
9. दीघनिकाय, सुत्त नं0 32
10. मयमतम् (अध्याय–12)
11. मानसार (यक्ष अध्याय–60) (दिक्पाल अध्याय– 62)
12. विश्वकर्मा प्रकाशिका (अध्याय 15–50)
13. महावस्तु iii पृ0 243
14. शिवपुराण (उत्तर खण्ड, अध्याय 18–20), शिवमहापुराण (रूद्र संहिता, भाग–2), लिंगपुराण 1.65
15. विष्णु पुराण 1.7, 1.21, 2.10, 2.8
16. हर्षचरित (उच्छवास 1,3), कादम्बरी (पूर्वभाग, परिच्छेद 2, 4, 5)
17. मेघदूतम् (पूर्वमेघ, श्लोक 1–3)
18. महाभारत (वनपर्व, अध्याय 311–321)

Email : shubhamdubey1001@gmail.com

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 14, Issue 5-6
पृष्ठ : 108–112

वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में उपयोगिता

श्रीमती रतनी, शोधार्थी
डॉ. सुमन रानी, रिसर्च सुपरवाइजर
शिक्षा विभाग, टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर, राजस्थान।

सारांश :

वैदिक काल भारतीय ज्ञान परम्परा का स्वर्ण काल माना जाता है। इस काल मे वैदिक शिक्षा प्रणाली वेदों और उपनिषदों पर आधारित थी। गुरूकुल व्यवस्था के माध्यम से शिक्षा का प्रसार होता था जहां विद्यार्थी गुरू के सानिध्य मे रहकर अनुशासन संयम सेवा, और समर्पण जैसे गुणों को आत्मसाम करते थे। वैदिक शिक्षा अर्थात वेदों के अनुसार शिक्षा का अर्थ ज्ञान अथवा विद्या की प्राप्ति है। शिक्षा का उद्देश्य आत्मानुभूति व आत्म बोध है।

वर्तमान शिक्षा प्रणाली एक संक्रमण काल से गुजर रही है। आधुनिक शिक्षा, जो मुख्यतः औपनिवेशिक प्रभावों के कारण विकसित हुई है आज परीक्षा–केन्द्रित और प्रतिस्पर्धात्मक हो गई है। जहां ज्ञान की गइराई ओर जीवन मूल्यों की अपेक्षा अंक और प्रमाणपत्रों को अधिक महत्व दिया जा रहा है वहीं शिक्षा के मूल उद्देश्य–चरित्र निर्माण, नैतिक विकास और आत्मिक उन्नति–कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं।

संकेत शब्द : वैदिक कालीन शिक्षा, वर्तमान शिक्षा प्रणाली, आत्मानुभूति, आत्म बोधं।

प्रस्तावना :–

भारत में शिक्षा प्रणाली अनादि काल से ही चली आ रही है। यह वह प्रणाली है, जिसने यहां के जनमानस की वास्तविक एवं मूल मनोवृतियों को शोधित किया है। अतीत के आईनें मे झांकने ही हमारे सम्मुख अपनी ही तस्वीरें मुखर हो उठती है तथा इतिहास के पन्ने हमारे गौरव तथा धर्म दर्शन, ज्ञान संस्कृति, सभ्यता, परंपराए आदि से परिचय कराते है की हम क्या थे, हम क्या है, और क्या होगें।

शिक्षा समाज का निर्माण करती है तथा शिक्षा और समाज घनिष्ठ संबंध है। शिक्षा एक ऐसा साधन है, जिसके द्वारा प्राचीन ज्ञान, दर्शन, संस्कृति, परम्पराओं आदि को सुरक्षित रखा जा सकता है और उन्नयन किया जा सकता है। शिक्षा मनुष्य में मूल्यों का विकास करती है किन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षा का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि मूल्यों का अभाव और आधुनिकता का प्रभाव समाज और व्यक्ति के पतन का कारण बन रहा है। इसलिए मनुष्य मे उचित एवं अनुचित का निर्णय लेनी की क्षमता का ह्रास हो रहा है। इस प्रकार हमारे

समक्ष यह प्रश्न उपस्थित होता है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। इस विषय पर के एन. वेंकटारायप्पा अपनी पुस्तक एजूकेशन एण्ड सोसाइटी इन इंडिया मे लिखते है कि :

''शिक्षा का उद्देश्य युवकों को सामाजिक मूल्यों, विश्वासों और समाज के प्रतिमानो को आत्मासात् करने के लिए तैयार करना और उनको समाज की क्रियाओं में भाग लेने योग्य बनाना है।''

वर्तमान शिक्षा प्रणाली जो अंग्रेजो की देन है, भारत पर लादी गई है। इस प्रणाली ने हमारी मूल भारतीय पहचान को समाप्त कर दिया है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली ने हमारी सभ्यता, संस्कृति, साहित्य और सामाजिक तथा नैतिक आदर्शो पर कुठाराघात करके उसको मरणासन्न कर दिया है।

भारत में सबसे प्राचीन शिक्षा वैदिक शिक्षा थी जो वेदों पर आधारित थी। भारतीय वेद संसार के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसकी ऐतिहासिक जड़ों से जुड़ा होता है। अतीत की नींव पर ही वर्तमान और भविष्य का निर्माण संभव है। प्राचीन भारतीय सभ्यता की यह विशिष्टता रही है कि इसका आधार राजनीतिक या आर्थिक न होकर मुख्य रूप से आध्यात्मिक और धार्मिक था। हमारे पूर्वजो ने जीवन के कर्तव्यों और उद्देश्यों की जो व्याख्या की, वह संकीर्ण सीमाओं में बंधी नहीं थी, बल्कि उसका दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक और मानवतावादी था।

भारत ने केवल एक राष्ट्रीयता का ही नहीं, बल्कि एक 'विश्व–मानव' की अवधारणा का विकास किया। ''वसुधैव कुटुम्बकम्'' की भावना यहां के जीवन दर्शन का मूल मंत्र रही है। प्राचीन काल में धर्म केवल पूजा–पाठ तक सीमित नहीं था, बल्कि वह जीवन जीने की एक कला थी, जिसमें प्रेम, त्याग और परोपकार सर्वोपरि थे। व्यक्ति की उन्नति में ही समाज की उन्नति निहित मानी जाती थी। जीवन का लक्ष्य केवल भौतिक सुख–सुविधाओं का भोग नहीं, बल्कि एक उच्चतर नैतिक आदर्श को प्राप्त करना था। प्राचीन शिक्षा व्यवस्था इसी उदात्त भावना पर आधारित थी।

शोध के उद्देश्य :–

1. आध्यात्मिक क्षेत्र मे वैदिक ज्ञान की वर्तमान उपयोगिता का विश्लेषण करना।
2. नैतिक मूल्यों के संवर्धन में वेदों की भूमिका का अध्ययन करना।
3. सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में वैदिक शिक्षा की प्रासंगिकता को समझना।
4. शैक्षिक क्षेत्र में वैदिक अध्ययन के महत्व का मूल्यांकन करना।

सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन :

- **कौर एच (2021) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 :** वैदिक ज्ञान एवं आधुनिक शिक्षा का एकीकरण इनके अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पारम्परिक ज्ञान और आधुनिक शिक्षा प्रणाली के बीच एकीकरण की दिशा में स्पष्ट और सुवयवस्थित दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है।
- **शाह चौधरी बीरा कानून (2024) वैदिक शिक्षा की विशेषताएं और आधुनिक शिक्षा में चुनौती।** वैदिक शिक्षा प्रणाली केवल ज्ञान का संचयन करने का सीमित नहीं थी बल्कि इसका उद्देश्य छात्र के समग्र विकास को सुनिश्चित करना था। इस प्रणाली में गुरू–शिष्य परम्परा का विशेष महत्व था, जिसमें गुरू न केवल ज्ञान का स्त्रोत होता था बल्कि छात्र के नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास का मार्गदशन भी करता था।

शोध विधि :-

यह शोध कार्य वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति की आधुनिक समय में में प्रासंगिकता पर केन्द्रित है। इस उद्देश्य की पूति के लिए दार्शनिक एवं विषय–वस्तु विश्लेषण विधि' प्रयोग किया गया है।

समंको का संकलन :-

शोध के लिए आवश्यक जानकारी और तथ्यों का संकलन वैदिक एवं उत्तर वैदिक कालीन साहित्यों से किया गया है। इसमें प्राथमिक और द्वितीयक दोनो प्रकार के स्त्रोतों का गहन अध्ययन किया गया है ताकि विष्य की गइराई को समझा जा सके।

वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था की उपयोगिता :-

1. आध्यात्मिकता के क्षेत्र में वेदों की उपयोगिता :

प्राचीन भारत में ज्ञान–विज्ञान की साधन केवल सूचनाओं के संग्रह के लिए नहीं, बल्कि आत्म–साक्षात्कार और मोक्ष प्राप्ति के लिए की जाती थी। जीवन की सभी गतिविधियों धर्म के मार्ग से होकर मोक्ष की और ले जाने वाली मानी जाती थी। भारतीय साहित्य और कला का सृजन भी इसी परम लक्ष्य को पाने का एक प्रयास था। विद्वानों का मत है कि प्राचीन भारतीय साहित्य, विशेषकर वैदिक साहित्य, धर्म और आध्यात्म का वाहक रहा है। यहाँ तक कि जिन ग्रंथों को हम सीधे तौर पर धार्मिक नहीं मानते, उनमें भी कहीं न कहीं धर्म और नीति का उपदेश निहित होता है। 'वेद शब्द का अर्थ ही ज्ञान है, जो पवित्र और शाश्वत ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है।

2. नैतिकता के क्षेत्र में वेदों की उपयोगिता :

वैदिक काल मे विद्यार्थी प्रकृति की गोद में, कोलाहल से दूर गुरूकुलों में शिक्षा ग्रहण करते थे। यह शिक्षा केवल किताबी नहीं थी, बल्कि चरित्र निर्माण की प्रक्रिया थी। गुरू का जीवन स्वयं में एक आदर्श होता था, जिसे देखकर शिष्य सीखते थे। गुरूकुल में रहते हुए विद्यार्थी ने केवल शास्त्रो का अध्ययन करते थे, बल्कि सेवा और सदाचार का व्यावहारिक पाठ भी पढ़ते थे। गुरू के सानिध्य में रहने से शिष्यों मे स्वतः ही गुरू के सद्गणों का संक्रमण होता था। गुरू उन सभी सामाजिक और नैतिक परंपराओं के प्रतीक थे, जिन्हें समाज आदर की दृष्टि से देखता था।

3. सामाजिक क्षेत्र मे वेदों की उपयोगिता :

भारतीय शिक्षा की एक बडी विशेषता उसकी सामाजिक जीवनोपयोगिता थी। गुरूकुल में रहते हुए छात्र समाज से कटे हुए नहीं थे। गुरू के लिए समिधा (ईंधन) लाना, जल भरना और गौ–सेवा करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। इससे उन्हें श्रम का महत्व समझ में आता था और अहंकार का नाश होता था। भिक्षाटन की परंपरा, जिसे शतपथ ब्राहमण में भी महत्व दिया गया है, विद्यार्थी को विनम्र और समाज–सेवी बनाती थी। यह उसे अहसास दिलाती थी कि वह समाज का ऋणी है। भिक्षा माँगना उस समय हीनता की भावना नहीं, बल्कि एक पवित्र कर्तव्य माना जाता था जो विद्यार्थी में 'मैं' की भावना को मिटाकर 'हम' की भावना विकसित करता था। इससे उन्हें व्यावहारिक दुनिया और समाज की वास्तविक स्थिति का भी ज्ञान होता था।

4. शिक्षा के क्षेत्र में वेदो की उपयोगिता :

प्राचीन काल में धर्म ही समाज, राजनीति और अर्थशास्त्र का नियामक था। शिक्षा भी इससे अछूती नहीं थी। शिक्षा का स्वरूप, पाठ्यक्रम और उद्देश्य धर्म द्वारा ही निर्धारित होते थे। प्राचीन विचारकों ने जीवन के सभी

आदर्शो और आचार–संहिताओं को धर्म के व्यापक दायरे में रखा था। आज हमारे सामने छात्र असंतोष, अनुशासनहीनता और बेरोजगारी जैसी जो विकराल समस्याएं है, उनका समाधान प्राचीन मूल्यों में ही छिपा है। यदि हम वैदिक शिक्षा के आदर्शों जैसे गुरू–भक्ति, सादा जीवन उच्च विचार, आत्म–संयम और नैतिक बल को आधुनिक शिक्षा में समाहित कर लें, तो हम पुनः विश्व गुरू बनने की दिशा में अग्रसर हो सकते है। हमें अपनी जड़ों की लौटाना होगा ताकि हम आधुनिकता की आंधी में अपनी पहचान न खो दें।

शोध सीमाएं :-

1. यह अध्ययन मुख्य से वैदिक कालीन शिक्षण व्यवस्था और इसके सिद्धांतों की वर्तमान शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में उपयोगिता तक ही सीमित है।
2. इस अध्ययन में वेद, साहित्य और उपनिषदों में वर्णित शिक्षा तक सीमित है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली उपयोगिता का अभाव है।
3. इस अध्ययन को धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा तक सीमित रखा गया है।
4. इस अध्ययन में शिक्षा प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम रटने पर अधिक बल देता है जो बाल एंव किशोरों के मनोविज्ञान के अनुकूल नहीं है।

निष्कर्ष :-

निस्संदेह वैदिक शिक्षा प्रणाली के कई तत्व आज भी उनते ही प्रासंगिक है जितने हजारो साल पहले थे। गुरू–शिष्य परंपरा, कठोर अनुशासन, संस्कार–युक्त जीवन और चरित्र निर्माण पर बल दिया गया है। ये कुछ ऐसे पहलू है जिन्हें वर्तमान शिक्षा नीति में शामिल करके हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते है। प्राचीन भारत ने भौतिक समृद्धि की दौड़ में भले ही पश्चिमी देशों जैसी प्रतिस्पर्धा न की हो, लेकिन मानव निर्माण और तत्व–ज्ञान के क्षेत्र में उसकी उपलब्धियां अद्वितीय है। जब दुनिया की अन्य सभ्यताएं शैशवावस्था में थी, तब भारत ने दर्शन और शिक्षा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर चुकें थे।

शैक्षिक निहितार्थ :-

वैदिक युग का प्रारंभ ऋग्वेद से माना जाता है, जो ज्ञान का आदि स्त्रोत है। उस समय ऋषियों ने तप और योग के माध्यम से ज्ञान अर्जित किया था, जिसे बाद में 'श्रुति परंपरा (सुनकर याद रखना) के माध्यम से अगली पीढ़ियों को सौपा गया। लेखन कला के अभाव में भी स्मरण शक्ति के बल पर ज्ञान को सुरक्षित रखा गया। वैदिक शिक्षा में 'गुरूकुल' प्रणाली रीढ़ की हड्डी थी। बालक की प्रारंभिक शिक्षा परिवार में होती थी, लेकिन उपनयन संस्कार के बाद उसे गुरू के संरक्षण में सौंप दिया जाता था। गुरूकुल में प्रवेश मिलना आसान नहीं था, इसके लिए विद्यार्थी की योग्यता और चरित्र की कड़ी परीक्षा ली जाती थी। यदि किसी छात्र में नैतिकता का अभाव दिखता, तो उसे वापस भेज दिया जाता था।

गुरूकुल में ब्रहमचर्य का पालन अनिवार्य था, जिसका अर्थ केवल अविवाहित रहना नहीं, बल्कि इंद्रियों पर नियंत्रण रखना और ज्ञान की साधना में लीन रहना था।

गुरूकुल स्वावलंबी होते थे और विद्यार्थी गुरू की सेवा और भिक्षाटन के माध्यम से आश्रम की व्यवस्था में योगदान देते थे। जो विद्यार्थी श्रम या सेवा से जी चुराते थे, उनके लिए विद्या के द्वारा बंद हो जाते थे। इस प्रकार, यह शिक्षा केवल बौद्धिक विकास नहीं, बल्कि सर्वांगीण विकास की एक पूर्ण प्रक्रिया थी।

भावी शोध हेतु सुझाव :-

1. वर्तमान शिक्षा में वैदिक शिक्षा के नैतिक मूल्यो का अध्ययन।
2. वर्तमान शिक्षा में गुरू शिष्य सम्बन्धो मे उत्पन्न विकार तथा उनके समाधान के लिए वैदिक शिक्षा का अध्ययन।
3. वैदिक काल से वर्तमान काल तक शिक्षा में अध्यात्म एवं धर्म के प्रभाव का अध्ययन।
4. वेदोत्तर शिक्षा प्रणाली का अध्ययन।

सन्दर्भ सूची :

1. अल्तेकर डॉ. अनंत सदाशिव (1979–80), प्राचीन भारतीय शिक्षण पद्धती, (संशोधित संस्करण) वाराणसी नंदकिशोर एंड ब्रदर्स।
2. ओमप्रकाश (1980) प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास (द्वितीय संस्करण) नई दिल्ली, मैकमिलन इंडिया लिमिटेड।
3. काणे, डॉ पाण्डुरंग वामन् (1980) धर्म शास्त्र का इतिहास : प्रथम भाग, (तृतीय संस्करण)
4. चौबे, सरयू प्रसाद, भारतीय शिक्षा का इतिहास, लखनऊ प्रकाशन केन्द्र।
5. भार्गव, मनोहर गोपाल (1972) मुद्राराक्षस (प्रथम संस्करण) इलाहाबाद : मधुलिका प्रकाशन।
6. मित्तल ए. के. (2002) भारत का सामाजिक आर्थिक व सांस्कृतिक इतिहास (तृतीय संशोधन संस्करण) आगरा : साहित्य भवन पब्लिकेशन।
7. Chakladar H (1990) Social Life in ancient India. New Delhi : Asian educational services.
8. Dwivedi B.L. (1994) Evolution of educational thought in India. New Delhi : Northern Book Centre.
9. Goshal U.N. (1958) Studies in Indian History and Culture.
10. Kale M.R. Mudranakshas Bobay

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 14, Issue 5-6
पृष्ठ : 113–120

Indian Influence on Myanmar's Buddhist Architecture

Wasfi Fatima
Research Scholar, Department of History
Babasaheb Bheemrao Ambedkar University,

Abstract :

India and Myanmar shared close cultural contacts since ancient times. With the assimilation of Buddhism in main stream Myanmar the art and architecture also began reflecting the Indian influence. From Funnan to Bengal through the city of Baikhthano Myo Haung India and Myanmar had been deep exchanges on all fronts. Northern Myanmar had trade and cultural contacts with eastern India and was inclined towards Mahayana school of Buddhism. But the existing nature of Mahayana in northern Myanmar was not the same as practised earlier in India. There was a great deal of diversion to tantrism. It adopted Vamacara practice. It was during this time when eastern India experienced a wide practice of carving religious and secular motifs on terracotta plaques due to absence of stone media Pagan is one of the most significant archaeological sites of Myanmar. Pyanpaya laid the foundation of Pagan in 849 CE but it was king Anawratha (1044-1077) who gave Pagan a new identity and glory in the second half of 11th century CE. Where the king Anawratha conquered Pagan and decided to construct the massive Buddhist structure the artisan had no choice but to use locally available non stone raw material as the region is scarce in stone material like sandstone, laterite or marble. This encouraged them to make excessive use of wood and brick in structure. it also motivated them to look over its neighbourhood in west where terracotta plaques are used in abundance in in similar kind of environmental condition. But the replication was not mare copying the style and technology in Pagan it underwent significant modification and innovation. It was only the idea of depicting motifs on terracotta plaques which was adopted from eastern India, rest of the other elements are reciprocated according to their own requirements and the faith of Theravada. This paper aims to delineate the Indian influence on Myanmar Buddhist architecture.

Key words : Archaeological, Trade, Mahayana, Hinayana, Theravada, Terracotta.

Introduction :

One of the biggest religions in the world Buddhism has its roots in India and dates back 2500 year .Buddhism hold that enlighten or nirvana can be attained through meditation hard work both spiritual and physical and good conduct .They also hold that human life is one off suffering. Siddhartha Gautama Buddha also known as the Buddha was born in what is now Nepal in 583 BCE. The meaning of his name Buddha is the enlightened one. He was born into a family where the father was king and the mother was a queen. His parents were the head member of the sakya a sizable clan (Jane Dahle and Rob Caesar 30 April 2011). A holy man predicted that prince Siddhartha would either become a great military conquer or a great spiritual leader a few days after his birth (Jane Dahle and Rob Caesar 30 April 2011). As a result the monarch kept him imprisoned inside the place where he lived a life luxury and had all of his wants supplied. Gautama Buddha however took himself seriously. He believed that life was more than simply existing so he left the palace a few time and on his journey he countered suffering in life (Shafin Shabir). Mahatma Buddha attained enlighten in Bodhgaya Buddhism spread by Mahatma Buddha from Sarnath (Dr. Nalinaksh Dutt and K.D. Bajpei p. 53). His first sermon titled setting the wheel of the teaching in motion was delivered in a deer park. He explained the eightfold path and the four noble truths to them. They became his first followers and the founding member of the Sangha, or monastic community (Dr. C. George Boeree).

In the buddhist text Vinay Pitak, Mahatma Buddha has given order regarding the construction of monastery (Rahul Sankrityayan). The word stupa is mentioned in the Rigveda, Atharva veda, Vajasaneyi samhita, Taittriya samhita etc. The stupa is linked to the Buddhistic life detailed information about the construction of stupa is found in the Buddhisti text Mahavansh (Bhadant Anand Kousalyayan p. 147).Emperor Ashoka made Buddhism the official religion of the state. So many Chaitya, Vihara, and Stupa were constructed by Ashoka. Ashoka founded and introduced Buddhist monuments in India example for his monuments were at Shravasti, Rajgrih, Vaishali, Nalanda, Kaushambi, sanchi and Taxila (M. Arumuga Masana Sudalai 2019) .

Buddhism in Myanmar :

Any map show Myanmar is a Southeast Asian country Bngladesh and India to the west China to the north Laos and Thailand to the east and the immense Bay of Bengal to the South of the Myanmar (Wayne Morris). The geographical position of Myanmar played an important role of trade religious and architecture ideologies during the nation's development (Wayne Morris). This paper illustrate the influence of Indian Buddhist architecture specially Bagan. Bagan is located in central Myanmar between the Chindwin River and the west bank of the Ayeyawddy (Irrawaddy) River. The most significant

city of the Bagan period which extended from the 11th to 13th century is Bagan, which set the stage of Modern Myanmar culture (Thin Yu Naing). In the middle of the eleventh century the king Anawratha establishes the Bagan dynasty. The kingdom's administrative centre was at what is now known as old Bagan. The Bagan dynasty had an impact on the coastal region and the Mon people who had inherited sophisticated tradition from India as a result of maritime contact disseminated numerous cultures across the nation. This is demonstrated in the Buddhist text and introduction by the illustrious monk Shin Arahan (httos://wonderbagan.com/en/). The ancient structure in Bagan was built adopting Buddhism which was popular in the 11th century A.D. (Sanda Linn). It is traditionally written that Buddhism get through Myanmar from India and develops in its central part including Bagan area and the Bagan architecture also reached Myanmar from India (Sanda Linn). Bagan was full of religious building of the different size and different frame according to the stone inscription the donors always refer their wishes as to receive the nibbana and stop samsara (Dr. Thet Oo). It is quite illuminate Buddhism at one time was the main religion of asia and India Mourya king (Bipin Shah). Buddhism was initially introduced to north-eastern India's Kosal kingdom. Where it spread to Nepal Terai region and crossed the silk Road in both ways Myanmar transformed into Buddhist kingdom (Bipin Shah). In the Bagan kings constructed temple and stupa with majesty and pride to display their power and splendour. These structure ranged in size and shape from the smallest building to the tallest and the largest structures. However we are unable to locate any building with the similar shape despite the fact that Bagan has many building consequently the architectural grandeur and oddity (Dr. Thet Oo).

Pre Bagan kingdom :

The Pyu and The Mon- During the first millennium it is likely that the pyu people moved from southern China into the side valley of the Irrawaddy river in upper Burma. The king and noble of Bagan placed a high emphasis on the Pyu cultural heritage (U Thein Lwin,Win Kyaing and janice Stargardt). To the southwest of the country in the early Myanmar Rakhine state the pyu were beginning tom urbanize the upper Irrawaddy regions scenery around the end of the Pre Christian era (wayne Morris). Other people knew as Mon. The lower Burma was inhabited by the Mon (Charlotte Galloway). On the ancient Myanmar landscape Pyu and Mon both had a significant impact on the development of Hindu Buddhist and Brahmin religion. In this paper we will examine how early Myanmar architecture might have been influence by foreign sources.

Origin Theory :

Trade theory - The Pyu people are responsible for Buddhism's first recorded historical appearance. It is obvious that these people were influenced by Indian Buddhist civilization at some point in their history (D.C. Ahir p. 69). Since ancient time there has been commercial exchange

between India's main land and it's for eastern colonies including Burma. The relationship undoubtedly on commercial enterprise and the tradition of fantastic wealth gained through trade gave rise to a plethora of mythical stories about the golden land (D. C. Ahir p. 6970). The Mon's area the lower Irrawaddy was colonised by traders from Ceylon (Sri lanka) and southern India both of whom are thought to have played a significant role in the spread of Theravada Buddhism and Hinduism continuing the development of Buddhist architecture (Wayne Morris). Buddhism and trade have had legendary association since the inception of religious movement. Infect according to the literary tradition Buddha's first adherents after attaining enlighten were not monk but rather merchant who became the first lay adherents to seek refuge. Early textual version claim that the Buddha first met two people Tapassu and Bhallika were two wondering merchant who were the first follower of the Buddha and according to the Padma were responsible for the spread of Budhism to Afghanistan ,Burma and Sri Lanka among other countries (Sree Padma and A. W. barber). In Burma in the first century CE and reached the southern coast of Vietnam by around 500 CE was complex process involving both Buddhism and Hinduism. With these new religions came temple architecture that merged Indian accept with local wood working tradition (Francis D. K. Ching).

Brahama theory - This is a different origin theory proposed by another writer. Chihara discusses the Brahma theory in Hindu Buddhist architecture in southeast Asia as a theory that assume the introduction and other religious ideologies and architectural concept may have travelled to other countries such as Myanmar via the presence of religious monk or priest who spread their religion (wayne Morris). Beikhthano is the city of Myanmar here Buddhist iconography proposed by Francis D.K. Ching. It has been surmised that the inhibitions were Andran Buddhist a form of Buddhism that predated the adoption of iconic representation of the Buddha (Francis D. K. Ching). This was undoubtedly true in early historic Andhra culture. Some of Andhra's megalithic culture served as founder to Buddhist stupa not only in terms of shape, plan and construction method but also in the way we can see deliberated selection of given natural space for their construction (Sree Padma and A.W. Barber). These megalithic burial practises as explained by Padma and Barber take place between the 8th and 13th centuries BCE and are concentrated primarily along the Andhr's Krishna river valley including location such as Nagarjunikonda which is linked to several monuments found at Beithano in Myanmar(wayne Morris)

Origin of Stupa :

Stupa is considered the structural emblem and the most important type of Buddhist monuments. The stupa first appeared in the form of tumuli which monuments were built to serve as burial mound placed over the top of funeral pyres or the remains of monks or significant dead person. According to

the finding on the sanchi stupa the oldest stupa still standin in India the early form of stupa consisted of an egg shaped mound or dome called Anda that was built over a square base called medhi and the Anda mound was topped with an umbrella form known as sakawali. The stupa coupla or dome change in shape as it travelled from India to Sri lanka then on to Burma and other regions of south east Asia. At first it was seen as a bowl shaped dome typical of stupa like the Maha stupa at sachi built in Madhya pradesh India around the second century BCE and the Sri Lanka Dagobas Jetavanraya built in the third century BCE.

Indian Influence :

The Buddhist architecture built during thr Pyu and Mon dynesty has Indian influence. These two powerful ethnic groups moved to Burma. As the first Indo chinese to practice Theravada Buddhism they also set a precedent. Stupa in Buddhist architecture is often constructed in cylindrical shape with four torana (https://www.burmese-buddhas.com/blog/buddhist-architecture-in-burma/). Mostly to the presence of Indian settlers from the state who were dominating the region of ancient Myanmar during the Pyu era.

The long cylindrical stupa, which become distinctive in Myanmar was influence by the architecture from Orissa (wayne Morris). The Buddhist monuments of prome whose remains bear the names bobogye payama and payagyi are thought to have been constructed in the eighteenth century. These stupa are cylindrical in shape have a pointed or hemispherical dome. The coast of Orissa in the northeast India and the region's of this style of sputa (George Coedos).

1

2

KKG3 is brick a brick stupa with primary of cylindrical structure that is 9.3 meter in diameter and 3 meter height. There are four nearly square protruding brick platform each measuring 3.3 meters by 3 meter at the stupa's four cardinal pointe (wayne Morris). The structure design in great detail has a stupa base similar that at Nagajunakonda in south India. U. Win Maung (Tampawaddy) suggested that the style of stupa is more close to Amaravati (Kyaw Myo Satt)

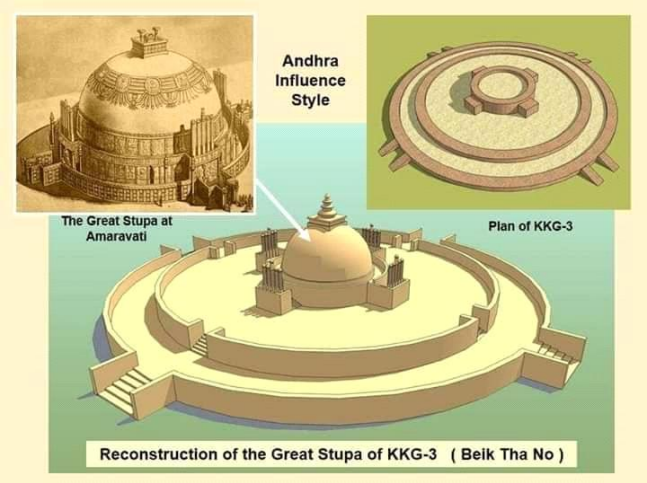

Ground plan and reconstruction of KKG3 Stupa, Beikthano

Another square brick building with a cylindrical core is the KKG18 stupa. From there eight burial urns were found. It can be dated to the second to the fourth century A.D. according to Stargardt Horse rider clay reliefs were used to meticulously embelish the stupa building at site number PL 20 clay plaques with image of men riding horse are used to embellish the walls of the mathikya stupa striksetra's foundation. Stragardt compared this stupa to the Mohru Morad in the vicinity of Taxila India (Kyaw Myo Satt).

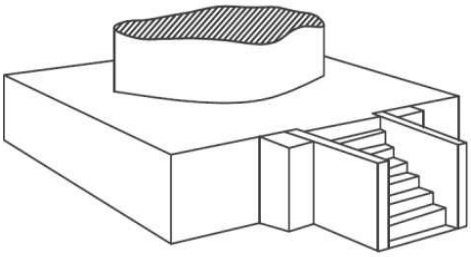

Mohra Moradu Stupa, India 4th Century a.d.

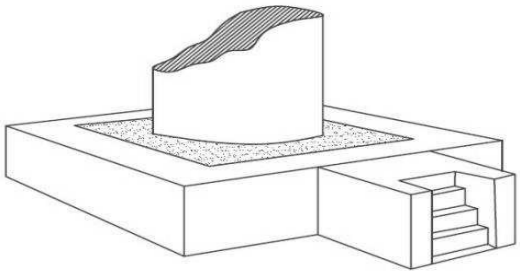

KKG18 Buddhist Stupa, Beikthano,5th Century

KKG2 monastery the Pyu sites of Beikthano Pinle and Srikestra yielded the monastery's remnants. Small cells in the building KKG2 have a layout similar to the monastery at Nagajunakonda Andhra state south India. Its basic construction is long and rectangular and its entrance chamber is located in the centre of the east facade. Eight cells made up the internal division of the main rectangle. (Kyaw Myo Satt) the primary building which measures about 29 by 10 meter from the external of the external wall. A central wall that keeps running along the monastery's north south axis divided the main rectangle in half with the west partition further divided into 8 cells and long hall remaining on the east side . The comparison monastery at site in Nagarjunakonda is built in the shape of a long rectangle similarly divided by a partition running down its longest length but this time one partition

divided into 5 smaller cells connected to the long communal hall that remain on the opposite side of the central partition but the Wayne Morris does not elaborate in as great detail about the dimension of the comparative monastery found at site in Nagarjunakonda .(Wayne Morris)

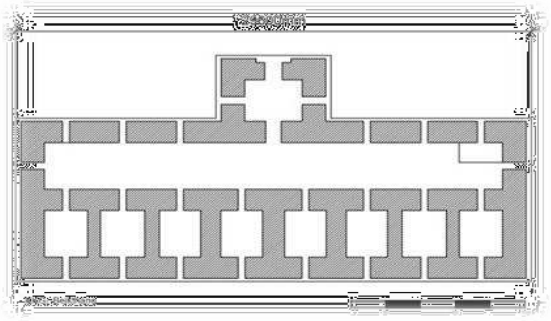

KKG2 Monastery, Beikthano.
4th century CE.

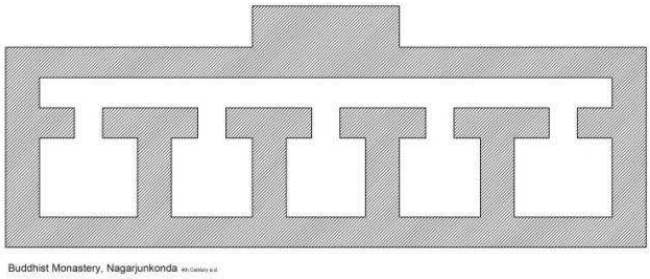

Buddhist Monastery, Nagarjunakonda.Early
4th century CE.

Conclusion :

The result of this research that it was predicted that correlation would be made between the architecture of early Myanmar and its neighbouring kingdom India. It is apparent that the site of excavation at Beikthano may have plausible connection with similar culture unearthed at the India, with some authors suggesting apparent links between several monuments found at each site and other authors suggesting plausible connection with a sect of buddhist priests who originated from the Andhran region of India and settled in Beikthano. It is also essential to consider that the effect may not simply have resulted from foreigners living in Myanmar but also that through the travels of early migrants of Myanmar such as monk or merchants who sojourned to India and other part of Southeast Asia. They might have discovered new design and construction techniques on their own brought them back with them and used to help build their own indigenous architecture. It appears that the strongest influences of early Myanmar architecture came from the Andhra Pradesh region and Orissa state of India.

References :

1. Jane Dohle and Rob Caesar, History of Buddhism in Thailand, https://maytermthailand.org/2011/04/30/history-of-buddhism-in-thailand-by-rob-caesar-and-jane-dahle/ Accessed in
2. Naik, S. S. Rise of Buddhism.
3. Pandey, G., Boudh Dharm ke Vikas ka Itihas, Hindi samiti suchna vibhag Uttar Pradesh, Lucknow, 1976, p. 2
4. Dr. Boeree, C. George., The life of Siddhartha Gautam
5. Kosalyayan, Bhadant Anand, Mahavansh, Hindi sahitya sammelan, prayag, 1942.

6. https://www.britannica.com/place/Myanmar
7. Morris, W., Influential factors in the design of religious monuments in ancient Bagan.
8. Naing, T.Y., Architecture and Schematic Composition of monasteries in Bagan Period.
9. https://wonderbagan.com/en/
10. Linn, S., The Evolutionary Development of Temples from Early Style to Later Style (Myanmar Style) In Bagan Period, 2017
11. Oo, T. and Hlaing, M., Architectural Aspects of Stupas during the Reign of King Narapatisithu in Bagan, Myanmar. In Asia Pacific Sociological Association (APSA) Conference– Transforming Societies: Contestations and Convergences in Asia and The Pacific. Chiang Mai, Thailand. Google Scholar search, 2014
12. Shah, Bipin., Spread of Buddhism and Hinduism in southeast Asia.
13. Lwin ,U, Thin.,Kyaing,U,Win., and Stargardt, Janice., The Pyu Civilization of Myanmar and the City of Sri Ksetra
14. Galloway, C., Ways of seeing a Pyu, Mon and Dvaravati artistic continuum. Bulletin of the Indo-Pacific Prehistory Association, 2010, 30, pp.70-78.
15. Ahir, D.C., Buddhism in south East Asia.
16. Padma, sree, and Barber, A.W., buddhism in the krishna river valley of Andhra.
17. Ching, F.D., Jarzombek, M.M. and Prakash, V., A global history of architecture. John Wiley & Sons, 2017
18. https://www.burmese-buddhas.com/blog/pyu-period-architecture/
19. CoedÃ, G., The indianized states of Southeast Asia. University of Hawaii Press, 1975.
20. Satt, K.M., 2015. Buddhist Religion in the Pyu Period with the Reference to Archaeological Evidences.

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
Vol. 14, Issue 5-6
पृष्ठ : 121-128

THE MEDIATION ACT, 2023 : INSTITUTIONAL CHALLENGES AND PRACTICAL IMPLEMENTATION IN PROMOTING PRE-LITIGATION MEDIATION FOR COMMERCIAL DISPUTES IN INDIA

Himanshu Choudhary, Research Scholar,
Dr. Sarita Bhawani Malviya, Assitant Professor
Department of Law, RKDF University.

Abstract :

The Mediation Act, 2023, represents a watershed moment in India's procedural law, establishing a comprehensive legislative framework for a process previously governed by fragmented judicial directions and contractual principles. This article critically examines the Act not merely as a legal text but as an institutional response to systemic delays, high costs, and the adversarial rigidity of traditional litigation. Focusing on the promotion of pre-litigation mediation in commercial disputes, the research dissects the Act's doctrinal architecture, including its definitions, the role of the Mediation Council of India, and the enforceability of mediated settlement agreements. It further analyzes the practical implementation challenges that threaten to reduce this ambitious reform to a procedural formality. By integrating a doctrinal analysis with a practical assessment of institutional capacity, mediator training, and stakeholder resistance, this article argues that the Act's success is contingent not on its statutory language but on the development of a robust, accessible, and trustworthy dispute-resolution ecosystem. A comparative analysis of frameworks in Singapore, the United Kingdom, and the UNCITRAL Model Law, alongside an examination of India's evolving judicial trends, contextualizes the domestic reform and offers pathways to bridge the gap between legislative intent and on-the-ground reality.

Keywords : Mediation Act 2023, Pre-Litigation Mediation, Commercial Disputes, Section 12A Commercial Courts Act, Mediation Council of India, Institutional Challenges, Access to Justice.

1. Introduction :

The enactment of the Mediation Act, 2023 [1] marks a paradigm shift in the Indian legal

landscape, elevating mediation from an informal, often ad hoc method of dispute resolution to a statutorily recognized and structured institution. The Act is fundamentally an institutional response to a long-standing crisis in the civil justice system: the crippling docket explosion, prohibitive costs, and interminable delays that render the adversarial process inaccessible and commercially untenable.[2] This reform is particularly acute in the context of commercial disputes, where the currency of business—cash flow, market reputation, and relational continuity—is often more valuable than a delayed adjudicatory outcome.[3] The thesis of this article is that while the Act provides a robust doctrinal framework, its ultimate efficacy in promoting pre-litigation mediation will depend entirely on overcoming profound institutional and practical challenges.

This analysis operates on two interconnected planes: the doctrinal and the practical. The doctrinal plane involves a critical legal analysis of the Act's provisions, statutory interpretation, and its compatibility with the existing procedural ecosystem, notably the Code of Civil Procedure, 1908 (CPC) [4] and the Commercial Courts Act, 2015. [5] The practical plane, however, is where the law's promise is tested. It scrutinizes the post-dispute conduct of parties, advocates, mediators, and institutions. A formally recognised framework may remain a dead letter if parties are unaware of its benefits, if the mediator pool is inadequately trained, if the confidentiality essential to candid negotiation is distrusted, or if settlement agreements are poorly drafted and unenforceable.[6] The central research question, therefore, is not whether the Act is a well-intentioned law, but whether the surrounding institutional ecosystem can transform a statutory mandate into a meaningful, early, and structured opportunity for settlement without obstructing legitimate access to judicial adjudication.

2. The Doctrinal Architecture of the Mediation Act, 2023 :

The Mediation Act, 2023, for the first time in India, provides a dedicated legislative structure that demystifies the mediation process. Its core object is to inject certainty into areas previously marked by ambiguity: the procedural contours of mediation, the sacrosanct nature of confidentiality, the formal status and accreditation of mediators, the role of institutional mediation service providers, and critically, the enforceability of the resulting agreement.[7]

A critical examination of the Act's definitions is essential to defining its operational scope. The definition of **Mediation** under Section 3(h) moves away from an informal settlement talk to a structured process led by a neutral third party. The concept of **Pre-Litigation Mediation** in Section 5 distinguishes a preventive disputing mechanism from court-annexed mediation under Section 89 of the CPC. For this framework to be effective, the meaning of a **Commercial Dispute**, which draws heavily from Section 2(1)(c) of the Commercial Courts Act, 2015, must be consistently interpreted to provide jurisdictional clarity. The statutory recognition of **Mediation Service Providers** (Section

3(i)) and the **Mediation Council of India** (Chapter VIII) shifts the locus of mediation from individual, often unregulated practitioners, to a system of institutional oversight and quality control.[8] Finally, a **Mediated Settlement Agreement** under Section 19 is elevated from a mere contract to a final, binding, and enforceable decree.

The keystone of the institutional framework is the **Mediation Council of India**. The Act entrusts this body with the monumental task of bringing regulatory coherence to a nascent profession. Its functions—registration of mediators, recognition of mediation service providers, laying down professional standards, and promoting domestic and international mediation—represent a centralised effort to build a credible ecosystem. The success of the Council will determine whether the Act becomes a functional dispute-resolution framework or remains a largely symbolic piece of legislation. Its constitution must balance judicial, professional, and governmental expertise, while its powers must be exercised to ensure a delicate equilibrium: accreditation must be rigorous enough to ensure quality but accessible enough to create a pan-Indian pool of competent mediators.[9]

Crucially, the Act addresses the core weakness of pre-existing mediation by providing for the **Enforceability of Mediated Settlement Agreements** under Sections 19-22. By deeming such an agreement binding and enforceable as a court decree, the Act provides the legal certainty that commercial parties demand. The limited grounds for challenge—fraud, corruption, impersonation—are a balanced safeguard, preventing routine dilatory tactics against settlements while protecting against fundamental procedural abuse.[10] This is implicitly supported by the robust **Confidentiality** provisions in Sections 23-25, which are the bedrock of the process. Parties must be assured that admissions, proposals, and documents disclosed during mediation cannot be weaponized in subsequent litigation or arbitration if settlement fails. The Act's formal recognition of **Online Mediation** under Section 30 further modernises the framework, offering a critical tool for accessibility and efficiency, especially for multi-jurisdictional or low-value disputes.

3. Pre-Litigation Mediation and the Commercial Dispute Ecosystem :

The Mediation Act, 2023, does not exist in a vacuum; it fortifies the pre-existing but nascent framework for commercial dispute resolution. The Commercial Courts Act, 2015, and specifically **Section 12A**, is the primary legislative engine driving pre-institution mediation. This provision, which mandates that a commercial suit not contemplating urgent interim relief must first exhaust pre-institution mediation, is a radical step in re-engineering the pathway to court.[11]

The interpretation of Section 12A by the Supreme Court in ***Patil Automation Pvt. Ltd. v. Rakheja Engineers Pvt. Ltd.*** * is the lynchpin of this mandatory framework.[12] By holding that non-compliance will lead to the rejection of the plaint under Order VII Rule 11 of the CPC, the Court

converted a procedural step into an immutable condition precedent. This judicial intervention has profound policy implications. It signalled a decisive move to prevent plaintiffs from bypassing mediation for tactical advantage. However, this mandatory nature generates several critical challenges. The **Urgent Interim Relief Exception** must be judiciously applied to prevent it from swallowing the rule, with plaintiffs merely asserting urgency to circumvent the process. The consequence of **Rejection of Plaint for Non-Compliance**, while preserving the right to file a fresh suit after compliance, could be perceived as a transactional cost and a delay in itself if the pre-litigation process is not time-bound and efficient.[13]

The theoretical benefits of this system are manifold and align directly with the **Ease of Doing Business** agenda: **Speedy Disposal, Cost-Effectiveness, Preservation of Business Relationships, Confidentiality,** and a consequential **Reduction of Court Burden**.[14] Yet, a chasm exists between these theoretical benefits and practical realization. The **Practical Problems in Commercial Pre-Litigation Mediation** are immediate and significant. The process can devolve into a "formality ritual," where parties attend with no intention to settle, solely to obtain a "non-starter" report as a ticket to the courtroom. This is exacerbated by the inadequate infrastructure and training within many **Legal Services Authorities**, which are often the default mediation centres, whose primary experience lies in non-commercial matters. The lack of specialist commercial mediators, poor drafting of settlement agreements, and the absence of a culture of negotiation render the process ineffective.[15] A **Comparative Analysis with Court-Based Litigation** reveals that while the latter offers a binding, albeit delayed, resolution, the former risks being perceived as a non-binding negotiation that only postpones a judicial reckoning.

4. The Institutional Chasm: Challenges in Implementation :

The most significant critique of the Mediation Act, 2023, lies not in its drafting but in the institutional chasm that must be bridged for its successful implementation. The Act's ambitious superstructure rests on a fragile foundation.

The **Lack of Adequate Mediation Infrastructure** is a primary bottleneck. A uniform national law must operate in India's starkly diverse settings, from high-tech metropolitan commercial courts to district centres and semi-urban markets. The ecosystem requires not just rooms, but administrative support, scheduling systems, and a professional culture of document management.[16] Linked to this is the acute **Shortage of Trained and Accredited Mediators**, particularly for complex commercial disputes. The demand created by mandatory pre-litigation will far outstrip supply, leading to an **Absence of Uniform Mediation Standards**. Without rigorous, standardised training, accreditation, and continuing professional development mandated by the Mediation Council, the quality of mediation

will remain variable at best, further eroding trust.[17]

This institutional weakness is compounded by socio-legal obstacles. **Lack of Awareness among Litigants and Business Entities** means that the primary users of the system do not understand its potential or processes. Mediation is often confused with arbitration or seen as a sign of weakness. More critically, there is **Resistance from Lawyers and Traditional Litigation Culture**. The adversarial system's incentive structures, economic models based on protracted litigation, and a professional identity built on winning in court, create a cultural headwind against settlement advocacy.[18] The **Delay in Establishment and Functioning of Mediation Institutions**, including the Mediation Council of India itself, creates a vacuum during the crucial early years of the Act's life. Further, **Funding and Administrative Issues** plague the system; robust institutional mediation requires dedicated, consistent investment, not an ad hoc allocation of resources.

The **Digital Divide and Online Mediation Challenges** pose a unique threat. While online mediation offers a solution to accessibility, it can also create a two-tiered system where those with poor digital literacy or infrastructure are excluded from a meaningful process.[19] **Confidentiality and Data Protection Concerns** are magnified in the digital sphere, where secure platforms and protocols are essential. Even when a settlement is reached, **Enforcement Challenges** may arise if the settlement agreement is ambiguously drafted or requires performance over time. Finally, the challenge of **Coordination between Courts, Mediation Centers and Institutions** remains a formidable administrative hurdle. Without seamless referral mechanisms, feedback loops, and clear protocols, the flow of cases from the court to the mediation table and back will be disjointed and inefficient.[20]

5. The Roadmap to Effective Implementation :

Bridging the implementation gap requires a concerted, multi-stakeholder strategy. The **Role of Advocates** is pivotal; they must transition from being mere litigators to dispute-resolution counsel, professionally trained to advise clients on the merits of settlement and to represent them effectively in mediation.[21] This requires a shift in legal education and mandatory continuing professional development. The **Corporate Sector and Business Houses** must drive demand-side change by embedding robust **Mediation Clauses in Commercial Contracts**, which create a contractual obligation to mediate in good faith before commencing litigation or arbitration.[22]

The **Use of Technology in Pre-Litigation Mediation** must be systematic. This goes beyond video-conferencing to include integrated **Online Dispute Resolution (ODR)** platforms that manage case intake, appointment of neutrals, procedural timelines, secure document sharing, and digital archiving, all of which contribute to **Time-Bound Disposal of Mediation Proceedings**.[23] The

focus should be on outcome-based metrics; the success of the system must be measured not just by disposal numbers but by legitimate **Settlement Rates** and a reduction in "non-starter" cases where parties attended only as a formality. This can only be achieved through massive-scale **Public Awareness and Training Programmes** targeted at all stakeholders—judges, lawyers, businesses, and the general public.[24]

6. Global Principles and India's Path Forward :

A comparative study of mature mediation jurisdictions provides a mirror for India's nascent framework. The **Singaporean model** demonstrates that legislation (the Mediation Act 2017) [25] must be accompanied by institutional branding (Singapore International Mediation Centre), professional accreditation, and a judiciary that actively supports the process.[26] The result is a system where a mediated settlement is a respected product of a modern commercial justice system.

From the **United Kingdom**, the post-***Churchill v. Merthyr Tydfil County Borough Council*** landscape offers a crucial lesson in proportionality.[27] The principle that courts can order parties to engage in ADR, but that such an order must not impair the essence of the right to a fair trial, validates India's "urgent interim relief" exception while cautioning against a mechanical, blanket application of mandatory mediation. The **United States'** experience with the Alternative Dispute Resolution Act of 1998 [28] provides a model of a decentralized but institutionalized system, emphasizing local court-adopted programmes, trained neutrals, and administrative support—a lesson highly relevant for a diverse country like India, where High Courts must tailor national standards to local realities.

Finally, the **UNCITRAL Model Law on International Commercial Mediation** (2018) [29] and, more significantly, the **Singapore Convention on Mediation** (2019), [30] to which India is a signatory, elevate mediation to the status of international commercial justice. They create a harmonized framework for the enforcement of mediated settlement agreements across borders, making the robustness of India's domestic framework a matter of international commercial reputation. A mediated settlement agreement in India must be so final and binding that it commands global respect.

7. Conclusion : From Statutory Reform to a Dispute-Resolution Ecosystem :

The Mediation Act, 2023, is a necessary and sophisticated statutory reform. Its legal language provides clarity, enforceability, and an institutional spine where none previously existed. However, this article has demonstrated that a law, on its own, cannot manufacture a culture of settlement. The true challenge is not doctrinal but institutional and cultural. The Act must be understood not as a stand-alone legal rule but as a component of a wider dispute-resolution ecosystem.

The judiciary, through judgments like *Patil Automation*, has provided robust support, but must

remain vigilant to ensure that mandatory mediation remains proportionate and does not become an unjust barrier to the courtroom.[31] The future of commercial dispute resolution in India hinges on a successful tripartite partnership: a clear law, institutions with the capacity and credibility to implement it, and a professional culture that embraces settlement as a primary, not secondary, form of justice. The measure of the Act's success will not be its passage into Parliament, but whether in the decade to come, a commercial party in India can trust that choosing the mediation table is not a detour on the path to justice, but the most direct, efficient, and commercially sound route to a final resolution.

References :

[1] The Mediation Act, 2023 (No. 32 of 2023), received the assent of the President on 15.08.2023.

[2] Law Commission of India, *129th Report on Urban Litigation – Mediation as Alternative to Litigation* (1988); also see *Salem Advocate Bar Association v. Union of India*, (2005) 6 SCC 344.

[3] Sriram Panchu, *Mediation: Practice and Law* (LexisNexis, 2nd edn, 2022) 45.

[4] Code of Civil Procedure, 1908, especially Section 89 and Order X Rule 1A-C.

[5] The Commercial Courts Act, 2015 (No. 4 of 2016), as amended by the Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Courts (Amendment) Act, 2018.

[6] K. Srinivasan, 'Pre-Institution Mediation under Section 12A: A Critical Analysis' (2021) 7 NLIU Law Review 112, 128-130.

[7] Mediation Act, 2023, Statement of Objects and Reasons.

[8] Mediation Act, 2023, Chapter VIII (Sections 38-48) relating to the Mediation Council of India.

[9] Anil Xavier, 'Indian Mediation Act 2023: A Paradigm Shift' (2023) PL (July) 36, 40.

[10] Mediation Act, 2023, Sections 19 and 22 for enforceability and limited grounds of challenge.

[11] Section 12A, Commercial Courts Act, 2015, inserted by Act 28 of 2018.

[12] *Patil Automation Pvt. Ltd. v. Rakheja Engineers Pvt. Ltd.*, 2022 SCC OnLine SC 517 (holding that Section 12A is mandatory and non-compliance leads to rejection of the plaint under Order VII Rule 11 CPC, operating prospectively from 20.08.2022).

[13] *Patil Automation*, 2022 SCC OnLine SC 517, para 42-48.

[14] Department of Justice, 'Ease of Doing Business: Mediation in Commercial Disputes' (2020), available at https://doj.gov.in accessed 10 May 2026.

[15] Justice R.V. Raveendran, 'The Mediation Act, 2023: A Game-Changer?' (2023) 4 SCC (J) 1, 5.

[16] Mediation and Conciliation Project Committee (MCPC), Supreme Court of India, *Annual*

Report 2023.

[17] Panchu (n 3) 234-237.

[18] Deepika Srivastava, 'Changing the Litigation Mindset: The Role of ADR in India' (2022) 8 Indian Journal of Arbitration Law 1, 15.

[19] United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), *Technical Notes on Online Dispute Resolution* (2017), paras 20-24.

[20] Srinivasan (n 6) 145.

[21] Bar Council of India, *Rules on Continuing Legal Education*, requiring integration of ADR training.

[22] International Chamber of Commerce (ICC), *Standard Mediation Clauses* (2021).

[23] Mediation Act, 2023, Section 30 read with the Information Technology Act, 2000.

[24] Mediation Council of India, 'Draft Training and Accreditation Regulations' (2024).

[25] Mediation Act 2017 (No. 1 of 2017) (Singapore), Sections 12-15 on enforcement.

[26] Singapore International Mediation Centre (SIMC), *Rules and Procedures* (2020).

[27] *Churchill v. Merthyr Tydfil County Borough Council*, [2023] EWCA Civ 1416 (Court of Appeal, UK), holding that a court can order parties to engage in non-court-based dispute resolution provided it is proportionate and does not impair the essence of the right to a fair trial. [28] Alternative Dispute Resolution Act of 1998, 28 U.S.C. §§ 651-658 (United States).

[29] UNCITRAL Model Law on International Commercial Mediation and International Settlement Agreements Resulting from Mediation (2018), UN Doc A/73/17.

[30] United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation (Singapore Convention on Mediation), adopted 20 December 2018, entered into force 12 September 2020; India signed on 7 August 2019.

[31] *Afcons Infrastructure Ltd. v. Cherian Varkey Construction Co. (P) Ltd.*, (2010) 8 SCC 24, clarifying the distinction between arbitration, conciliation, mediation, and Lok Adalat under Section 89 CPC.

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
ISSN : 2321-8037
SANGAM
Vol. 14, Issue 5-6
पृष्ठ : 129–134

उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की अभिवृति एवं सामाजिक समरसता के सम्बन्ध में अध्ययन

प्रेम कुमारी, पी.एच.डी. शोद्यार्थी
डॉ. राजेश शर्मा, आचार्य
टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर, राजस्थान।

सारांश :–

प्रस्तुत शोध में "उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की अभिवृति एवं सामाजिक समरसता के सम्बन्ध में अध्ययन" किया गया हैं। अध्ययन में प्राप्त आंकडों के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त किये गए है। प्रस्तुत शोध में राजस्थान राज्य के बाड़मेर जिले के विभिन्न राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापनरत् 300 शिक्षकों तथा गैर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापनरत् 300 शिक्षकों को वर्गीकृत क्रम मे यादृच्छिक विधि के अन्तर्गत लाटरी विधि से चयनित किया गया है। उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की शिक्षक अभिवुति मापने के लिए उमे कुलसुम तथा सामाजिक समरसता मापन के लिए स्वनिर्मित उपकरण का प्रयोग किया गया है। निष्कर्ष रूप में राजकीय एवं गैर राजकीय "उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की अभिवृति तथा सामाजिक समरसता में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।

मुख्य शब्द – उच्च माध्यमिक विद्यालय, षिक्षक, अभिवृति एवं सामाजिक समरसता।

प्रस्तावना :–

शिक्षा किसी भी राष्ट्र के विकास का आधार होती है तथा शिक्षक शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख कड़ी माना जाता है। शिक्षक केवल ज्ञान प्रदान करने वाला व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वह विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण, नैतिक विकास, सामाजिक चेतना एवं राष्ट्रीय एकता के निर्माण में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए शिक्षकों की अभिवृत्ति एवं सामाजिक समरसता का अध्ययन शिक्षा की गुणवत्ता तथा समाज के समग्र विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

अभिवृत्ति व्यक्ति की मानसिक एवं भावनात्मक प्रवृत्ति को व्यक्त करती है, जो उसके व्यवहार, कार्यशैली एवं सामाजिक सम्बन्धों को प्रभावित करती है। यदि शिक्षक की शिक्षण कार्य एवं विद्यार्थियों के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति होती है, तो वह अपने दायित्वों का निर्वहन अधिक प्रभावशाली ढंग से करता है। सकारात्मक अभिवृत्ति वाला शिक्षक विद्यार्थियों के साथ सहयोगात्मक व्यवहार करता है तथा विद्यालय में स्वस्थ एवं प्रेरणादायक वातावरण का निर्माण करता है। इसके विपरीत नकारात्मक अभिवृत्ति शिक्षण कार्य में उदासीनता, असन्तोष एवं

अनुशासनहीनता को बढ़ावा देती है।

सामाजिक समरसता समाज में एकता, सहयोग, सहिष्णुता, पारस्परिक सम्मान एवं सामंजस्य की भावना को व्यक्त करती है। वर्तमान समय में जातीयता, क्षेत्रवाद, धार्मिक असहिष्णुता, सामाजिक असमानता तथा सांस्कृतिक विभेद जैसी समस्याएँ समाज में विघटन की स्थिति उत्पन्न कर रही हैं। ऐसी परिस्थितियों में विद्यालय सामाजिक समरसता स्थापित करने का एक प्रभावी माध्यम बन सकता है। शिक्षक विद्यार्थियों में समानता, सहयोग, भाईचारा, सह–अस्तित्व एवं राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि शिक्षक स्वयं सामाजिक समरसता के मूल्यों से युक्त होंगे, तो वे विद्यार्थियों में भी इन मूल्यों का विकास करने में सक्षम होंगे।

उच्च माध्यमिक स्तर विद्यार्थियों के जीवन का संवेदनशील चरण होता है। इसी अवस्था में विद्यार्थियों के विचार, मूल्य, दृष्टिकोण एवं सामाजिक व्यवहार का विकास तीव्र गति से होता है। इसलिए इस स्तर के शिक्षकों की अभिवृत्ति एवं सामाजिक समरसता का अध्ययन अत्यन्त आवश्यक हो जाता है। वर्तमान समय में शिक्षा व्यवस्था में अनेक परिवर्तन हो रहे हैं तथा शिक्षकों के दायित्व निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह जानना आवश्यक है कि शिक्षकों की अभिवृत्ति सामाजिक समरसता को किस प्रकार प्रभावित करती है। प्रस्तुत अध्ययन शिक्षकों के दृष्टिकोण, व्यवहार एवं सामाजिक उत्तरदायित्व को समझने में सहायक होगा तथा विद्यालयों में समरसतापूर्ण वातावरण के निर्माण हेतु उपयोगी सुझाव प्रदान करेगा।

प्रस्तुत शोध का महत्व :–

शिक्षा समाज के निर्माण एवं विकास का प्रमुख माध्यम है तथा शिक्षक शिक्षा प्रक्रिया का केन्द्रबिन्दु माना जाता है। शिक्षक केवल पाठ्यवस्तु का ज्ञान देने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह विद्यार्थियों के व्यक्तित्व, नैतिक मूल्यों, सामाजिक व्यवहार एवं राष्ट्रीय चेतना के विकास में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः शिक्षकों की अभिवृत्ति एवं सामाजिक समरसता का अध्ययन करना समय की महत्त्वपूर्ण आवश्यकता बन गया है।

अभिवृत्ति व्यक्ति की मानसिक प्रवृत्ति है, जो उसके व्यवहार, कार्यशैली तथा सामाजिक सम्बन्धों को प्रभावित करती है। यदि शिक्षक की शिक्षण व्यवसाय एवं विद्यार्थियों के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति होती है, तो वह अपने कार्य को उत्साह, निष्ठा एवं उत्तरदायित्व के साथ सम्पन्न करता है। सकारात्मक अभिवृत्ति वाला शिक्षक विद्यार्थियों के साथ सहयोगात्मक व्यवहार करता है तथा विद्यालय में स्वस्थ एवं अनुशासित वातावरण का निर्माण करता है। इसके विपरीत नकारात्मक अभिवृत्ति शिक्षण कार्य की गुणवत्ता को प्रभावित करती है तथा विद्यालयी वातावरण में तनाव एवं असन्तोष को जन्म देती है। इसलिए शिक्षकों की अभिवृत्ति का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है।

सामाजिक समरसता समाज में समानता, सहयोग, सहिष्णुता, पारस्परिक सम्मान एवं भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करती है। वर्तमान समय में समाज अनेक समस्याओं से जूझ रहा है, जैसे– जातिवाद, धार्मिक कट्टरता, क्षेत्रवाद, सामाजिक असमानता एवं सांस्कृतिक विभाजन। इन परिस्थितियों में विद्यालय सामाजिक समरसता स्थापित करने का प्रभावी माध्यम बन सकता है। शिक्षक विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों, सामाजिक उत्तरदायित्व, सह–अस्तित्व एवं राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। यदि शिक्षक स्वयं सामाजिक समरसता के मूल्यों को अपनाते हैं, तो वे विद्यार्थियों में भी इन मूल्यों का विकास करने

में सक्षम होंगे।

उच्च माध्यमिक स्तर विद्यार्थियों के जीवन का महत्त्वपूर्ण एवं संवेदनशील चरण होता है। इसी अवस्था में विद्यार्थियों के विचार, दृष्टिकोण एवं सामाजिक व्यवहार का निर्माण होता है। इसलिए इस स्तर के शिक्षकों की अभिवृत्ति एवं सामाजिक समरसता का प्रभाव विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। वर्तमान समय में शिक्षा व्यवस्था में निरन्तर परिवर्तन हो रहे हैं तथा शिक्षकों के दायित्व भी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह जानना आवश्यक है कि शिक्षकों की अभिवृत्ति सामाजिक समरसता को किस प्रकार प्रभावित करती है। प्रस्तुत अध्ययन शिक्षकों के दृष्टिकोण, सामाजिक व्यवहार एवं उत्तरदायित्व भावना को समझने में सहायक होगा तथा विद्यालयों में समरसतापूर्ण वातावरण निर्माण हेतु उपयोगी सुझाव प्रदान करेगा।

शोध कथन :–

"उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की अभिवृति एवं सामाजिक समरसता के सम्बन्ध में अध्ययन।"

शोध शीर्षक में प्रयुक्त शब्दों का परिभाषीकरण :

उच्च माध्यमिक विद्यालय –

उच्च माध्यमिक विद्यालय भारत में शैक्षिक संरचना की मध्यस्थ महत्त्वपूर्ण कड़ी हैं। उच्च माध्यमिक शिक्षा में सामान्य रूप से 14 से 18 वर्ष के मध्य के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसके अन्तर्गत 9 से 12 तक की शिक्षा आती है। राजस्थान में उच्च माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड़ अजमेर द्वारा सम्बद्ध होते है। इन विद्यालयों में कक्षा 10 एवं 12 की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड़ अजमेर द्वारा संचालित की जाती है।

शिक्षक अभिवृत्ति –

अभिवृत्ति का शब्दकोषीय अर्थ किसी व्यक्ति विशेष का, किसी अन्य स्थान अथवा वस्तु के प्रति सोच एवं अनुभव का निर्धारित ढंग है। अभिवृत्ति किसी विचार, वस्तु, व्यक्ति एवं परिस्थिति के प्रति धनात्मक या ऋणात्मक प्रतिउत्तर की प्रवृत्ति है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अभिवृत्ति किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या घटना के पक्ष या विपक्ष में अभिव्यक्ति है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक Gordon Allport के अनुसार "अभिवृत्ति सामाजिक मनोविज्ञान में एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रत्यय है। अभिवृत्ति का निर्माण किसी व्यक्ति के भूत एवं वर्तमान से होता है।

सामाजिक समरसता –

समरसता शब्द अति व्यापक अर्थ को व्यक्त करता है। सृष्टि के मनुष्य जीवन में एक ही चेतना होने के कारण मनुष्य इस नाते एक दूजे के समान है। भारतीय विचार परम्परा हमें यह सिखाती है कि सारी सृष्टि चेतन और अचेतन एक ही तत्व का आविष्कार है। इसलिए परस्पर सामंजस्य और समरसता होना अत्यन्त स्वाभाविक है।

समरसता के अनके अर्थ होते हैं। उसका एक अर्थ अपने समाज के पिछड़े बंधुओं की आपसी मानवीय सेवा से भी एक समरस होना उसको मन से अपनाना, विचार से उसको स्वीकृत करना, और खुशी से उसको अभिव्यक्त करना है। इससे विश्वास बढ़ता है। विश्वास समरसता की पहली सीढ़ी है।

ऑक्सफॉर्ड शब्दकोष के अनुसार 'सामाजिक समरसता व्यक्तियों की एक साथ रहने की एकता से हैं।''

अध्ययन के उद्देश्य :–

(1) राजकीय व गैर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापनरत् शिक्षकों की अभिवृति का तुलनात्मक

अध्ययन करना।

(2) राजकीय व गैर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापनरत् शिक्षकों की सामाजिक समरसता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकपनाएँ :-

(1) राजकीय व गैर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापनरत् शिक्षकों की अभिवृति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

(2) राजकीय व गैर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापनरत् शिक्षकों की सामाजिक समरसता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

न्यादर्श :-

प्रस्तुत शोध में राजस्थान राज्य के टोंक जिले के विभिन्न राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापनरत् 300 शिक्षकों तथा गैर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापनरत् 300 शिक्षकों को वर्गीकृत क्रम मे यादृच्छिक विधि के अन्तर्गत लाटरी विधि से चयनित किया गया है।

शोध में प्रयुक्त उपकरण :-

1. शिक्षक अभिवृत्ति मापनी (उमे कुलसुम)
2. सामाजिक समरसता मापनी (स्वनिर्मित)

प्रदत्तों का विश्लेषण व विवेचन -

(1) राजकीय व गैर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापनरत् शिक्षकों की अभिवृति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

सारणी संख्या - 1

चर	संख्या	मध्यमान	प्रमाप विचलन	टी मूल्य	सार्थकता का स्तर
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापनरत् शिक्षकों की अभिवृति	300	165.61	15.339	0.581	स्वीकृत
गैर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापनरत् शिक्षकों की अभिवृति	300	164.89	15.036		

व्याख्या :- परिकल्पना 1 के अनुसार राजकीय व गैर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापनरत् शिक्षकों की अभिवृति में कोई सार्थक अन्तर नहीं हैं।

उपरोक्त परिकल्पना के विश्लेषण से स्पष्ट है कि शोध के प्रदत्तों द्वारा ज्ञात किया गया टी का मान 0.01 सार्थकता स्तर के मान से कम है। अर्थात् यह सार्थक नहीं है एवं शून्य परिकल्पना "राजकीय व गैर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापनरत् शिक्षकों की अभिवृति में कोई सार्थक अन्तर नहीं हैं।" स्वीकृत

की होती हैं। अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि राजकीय व गैर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापनरत् शिक्षकों की अभिवृति में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता हैं।

(2) राजकीय व गैर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापनरत् शिक्षकों की सामाजिक समरसता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

सारणी संख्या – 2

चर	संख्या	मध्यमान	प्रमाप विचलन	टी मूल्य	सार्थकता का स्तर
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापनरत् शिक्षकों की सामाजिक समरसता	300	94.36	7.488	0.711	स्वीकृत
गैर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापनरत् शिक्षकों की सामाजिक समरसता	300	94.81	8.036		

व्याख्या :– परिकल्पना 2 के अनुसार राजकीय व गैर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापनरत् शिक्षकों की सामाजिक समरसता में कोई सार्थक अन्तर नहीं हैं।

उपरोक्त परिकल्पना के विश्लेषण से स्पष्ट है कि शोध के प्रदत्तों द्वारा ज्ञात किया गया टी का मान 0.01 सार्थकता स्तर के मान से कम है। अर्थात् यह सार्थक नहीं है एवं शून्य परिकल्पना "राजकीय व गैर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापनरत् शिक्षकों की सामाजिक समरसता में कोई सार्थक अन्तर नहीं हैं।" स्वीकृत की होती हैं। अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि राजकीय व गैर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापनरत् शिक्षकों की सामाजिक समरसता में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता हैं।

शैक्षिक सुझाव –

- सेवारत शिक्षकों को अपने शिक्षण दायित्वों का निर्वहन प्रसन्नतापूर्वक एवं उत्साह के साथ करना चाहिए। उन्हें अन्य व्यवसायों की ओर आकर्षित होकर विचलित होने के स्थान पर अपने वर्तमान क्षेत्र में ही उत्कृष्टता प्राप्त करने तथा पदोन्नति की दिशा में सतत प्रयासरत रहना चाहिए।
- शिक्षकों को अपने सामाजिक व्यवहार में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए तथा सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए सभी वर्गों के साथ समान एवं सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। उन्हें समाज के विविध कार्यक्रमों एवं गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए।
- विद्यालय के वातावरण में सामाजिक समरसता को सुदृढ़ बनाना शिक्षकों का महत्वपूर्ण दायित्व है, ताकि विद्यार्थियों के समक्ष आदर्श सामाजिक मूल्यों का सशक्त संदेश प्रसारित हो सके और उनमें सहयोग, सद्भाव एवं सहअस्तित्व की भावना विकसित हो।

भावी शोध हेतु सुझाव –

1. प्रस्तुत शोध कार्य केवल बाड़मेर जिलें तक ही सीमित रखा गया है। अग्रिम शोध के लिए राजस्थान के

अन्य संभागों या जिलों को भी लिया जा सकता हैं।

2. प्रस्तुत शोधकार्य में शोधकर्त्री ने राजकीय व गैर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को ही शामिल किया है। आगामी शोध के लिए अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को लेकर शोध कार्य किया जा सकता है।

3. प्रस्तुत शोधकार्य में शोधकर्त्री ने राजकीय व गैर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को ही शामिल किया है। आगामी शोध के लिए महाविद्यालय के शिक्षकों की शैक्षिक नवाचारों के प्रति अभिवृति, उत्तरदायित्व एवं सामाजिक समरसता को लेकर भी लिया जा सकता है।

सन्दर्भ सूची :

1. कपिल, एच. के. (2006), सांख्यिकी के मूल तत्व, आगरा : विनोद पुस्तक मंदिर।
2. कुमार, अजय (2012) शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की सोच एवं प्रभावशीलता के सम्बन्ध में उनकी व्यावसायिक प्रतिबद्धता का अध्ययन इंडियन जरनल ऑफ सोशियल साइकॉलोजी, 38(2) 22–30.
3. गुप्ता, निर्मला (1989): 'मैनुअल फॉर इण्डियन अडेप्टेशन ऑव कॅरियर मैच्योरिटी इन्वेन्टरी', आगरा, नेशनल साइकोलॉजिकल कारपो.
4. डॉ. शर्मा, वी. एस. ''शिक्षा मनोविज्ञान'' साहित्य प्रकाशन आगरा (2004)
5. डॉ. अरोड़ा रीता, सुदेश मारवाह (2005) ''शिक्षा मनोविज्ञान एवं सांख्यिकी'' शिक्षा प्रकाशन जयपुर, पृष्ठ संख्या (407–430)
6. श्रीवास्तव तथा अग्रवाल (2009) शिक्षकों की शिक्षण क्षमता का उनकी शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति तथा व्यावसायिक प्रतिबद्धता से सम्बन्धों का अध्ययन ए स्ट्डी ऑफ टीचिंग इफेक्टिवनैस ऑफ टीचस ट्रेन्ड थ्रू फारमल एण्ड डीसटेन्स मोड, पी–एच.डी. (ऐजूकेशन) थीसिस, रोहतकः एम.डी. यूनिवर्सिटसिंह।
7. रामपाल और शर्मा, ओ.पी. (2008), शैक्षिक अनुसंधान एवं सांख्यिकीय, आगरा अग्रवाल पब्लिकेशन।
8. सुखिया, एस.पी. (1990) शैक्षिक अनुसंधान के मूल तत्व. आगरा : विनोद पुस्तक मन्दिर।

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
Vol. 14, Issue 5-6
पृष्ठ : 135–139

राजस्थान के नहरी क्षेत्र में सामाजिक एवं आर्थिक विकास : इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना के विशेष संदर्भ में

तनिषा गोयल, पी.एच.डी. शोद्यार्थी
डॉ. श्रुति खारीवाल, सह आचार्य
टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर, राजस्थान।

1. प्रस्तावना –

इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना भारत की उन महान विकास योजनाओं में से एक है, जिसने मानव की वैज्ञानिक क्षमता, दूरदर्शिता तथा प्राकृतिक चुनौतियों से संघर्ष करने की शक्ति को वास्तविक रूप में सिद्ध किया है। पश्चिमी राजस्थान का विशाल मरुस्थलीय क्षेत्र लंबे समय तक जल संकट, अल्पवृष्टि, रेतीली भूमि तथा सीमित कृषि उत्पादन जैसी समस्याओं से ग्रस्त रहा। इस क्षेत्र का अधिकांश भाग बंजर एवं अनुपजाऊ माना जाता था, जहाँ जीवन–यापन मुख्यतः वर्षा आधारित कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर था। ऐसी विषम परिस्थितियों में इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना ने विकास की नई संभावनाओं को जन्म दिया। इस परियोजना ने केवल सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई, बल्कि मरुस्थलीय क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक एवं भौगोलिक संरचना को भी व्यापक रूप से प्रभावित किया।

प्रारम्भिक समय में इस योजना को 'राजस्थान नहर परियोजना' के नाम से जाना जाता था, परन्तु बाद में देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गाँधी के सम्मान में 2 नवम्बर 1984 को इसका नाम परिवर्तित कर 'इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना' रखा गया। यह परियोजना विश्व की विशाल सिंचाई योजनाओं में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसकी निर्माण प्रक्रिया, जल वहन क्षमता, नहर तंत्र की लम्बाई तथा सिंचित क्षेत्र की व्यापकता इसे विशेष बनाती है। इस योजना का औपचारिक उद्घाटन 31 मार्च 1958 को किया गया तथा 11 अक्टूबर 1961 को नौरंगदेसर क्षेत्र में जल प्रवाह प्रारम्भ होने के साथ पश्चिमी राजस्थान के विकास का एक नया अध्याय प्रारम्भ हुआ।

भौगोलिक दृष्टि से यह परियोजना राजस्थान के उत्तर–पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में फैली हुई है तथा भारत–पाकिस्तान सीमा के समानान्तर विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करती है। इस परियोजना के अंतर्गत श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर एवं बाड़मेर जैसे जिले सम्मिलित हैं। ये क्षेत्र पूर्व में जलाभाव, मरुस्थलीकरण तथा आर्थिक पिछड़ेपन के लिए जाने जाते थे। हरिके बैराज से निकलने वाली यह नहर पंजाब एवं हरियाणा से होकर राजस्थान में प्रवेश करती है और हजारों किलोमीटर लंबी शाखाओं एवं वितरिकाओं के

माध्यम से जल वितरण करती है। वर्तमान समय में सम्पूर्ण नहर प्रणाली लगभग नौ हजार किलोमीटर से अधिक विस्तृत हो चुकी है।

इस परियोजना का प्रभाव केवल कृषि क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने सामाजिक एवं आर्थिक विकास को भी गति प्रदान की है। नहर जल की उपलब्धता से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिला तथा किसानों की आय में सुधार हुआ। इसके अतिरिक्त पेयजल संकट में भी उल्लेखनीय कमी आई। अनेक गाँवों एवं नगरों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता संभव हुई, जिससे जनस्वास्थ्य एवं जीवन स्तर में सुधार देखने को मिला।

परियोजना ने औद्योगिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहित किया। कृषि आधारित उद्योग, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ, परिवहन एवं व्यापारिक गतिविधियाँ तेजी से विकसित हुईं। रोजगार के अवसरों में वृद्धि होने से क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था अधिक सुदृढ़ हुई। इसके साथ ही सामाजिक परिवर्तन भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हुआ तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक जीवन शैली का विकास हुआ।

प्रस्तुत शोध का महत्व –

भारत में क्षेत्रीय विकास की असमानता एक गंभीर समस्या रही है। विशेष रूप से शुष्क एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में आर्थिक विकास की गति अपेक्षाकृत धीमी रही है, क्योंकि इन क्षेत्रों में जल संसाधनों का अभाव सदैव प्रमुख चुनौती रहा है। राजस्थान का उत्तर–पश्चिमी भाग भी लंबे समय तक ऐसी ही परिस्थितियों से प्रभावित रहा। यहाँ कृषि उत्पादन सीमित था तथा लोगों की आजीविका वर्षा आधारित खेती एवं पशुपालन पर निर्भर थी। इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना ने इन परिस्थितियों में व्यापक परिवर्तन लाकर इस क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को नई दिशा प्रदान की।

यह शोध इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह परियोजना के प्रभावों का समग्र अध्ययन प्रस्तुत करता है। इसके माध्यम से यह समझने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार सिंचाई सुविधा ने कृषि उत्पादन, रोजगार, आय, शिक्षा एवं स्वास्थ्य स्तर को प्रभावित किया। परियोजना के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ी हैं तथा लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। शिक्षा संस्थानों की संख्या में वृद्धि, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार तथा सामाजिक जागरूकता में वृद्धि जैसे सकारात्मक परिवर्तन इस परियोजना के व्यापक प्रभाव को स्पष्ट करते हैं।

वर्तमान समय में सतत विकास की अवधारणा अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई है। इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना ने जहाँ एक ओर हरित विकास को बढ़ावा दिया, वहीं दूसरी ओर जलभराव, मृदा लवणता तथा पारिस्थितिक असंतुलन जैसी पर्यावरणीय समस्याएँ भी उत्पन्न हुईं। अतः यह शोध परियोजना के सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों पक्षों का विश्लेषण कर संतुलित विकास की दिशा सुझाने का प्रयास करता है।

समस्या कथन –

''इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना से आर्थिक एवं सामाजिक विकास का अध्ययन।''

शोध का अध्ययन क्षेत्र –

इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र को सिंचित एवं विकसित करने वाली एक

महत्वपूर्ण परियोजना है। प्रस्तुत शोध में परियोजना के प्रथम चरण को अध्ययन क्षेत्र के रूप में सम्मिलित किया गया है। इस क्षेत्र में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ तथा उत्तरी बीकानेर का पूंगल क्षेत्र शामिल है। यह क्षेत्र वर्तमान समय में राजस्थान के सर्वाधिक विकसित कृषि क्षेत्रों में गिना जाता है।

नहर सिंचाई के कारण यहाँ कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। गेहूँ, कपास, ग्वार, चना, सरसों, मूंगफली, गन्ना, चुकन्दर, ज्वार तथा विभिन्न प्रकार की सब्जियों एवं फूलों की खेती बड़े स्तर पर की जाने लगी है। कृषि में आधुनिक तकनीकों, उन्नत बीजों, रासायनिक उर्वरकों एवं कृषि यंत्रीकरण का प्रयोग बढ़ा है। इसके अतिरिक्त व्यापारिक गतिविधियों, कृषि मंडियों एवं लघु उद्योगों का विकास भी हुआ है।

श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, रायसिंहनगर, रावतसर, अनूपगढ़ एवं पूंगल जैसे नगर आर्थिक गतिविधियों के प्रमुख केन्द्र बनकर उभरे हैं। क्षेत्र की कुल जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि है, जबकि पशुपालन, मुर्गीपालन, मत्स्यपालन एवं कुटीर उद्योग भी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। परियोजना के कारण वृक्षारोपण एवं हरित क्षेत्र में वृद्धि हुई है, जिससे मरुस्थलीय क्षेत्र का स्वरूप काफी हद तक परिवर्तित हुआ है।

प्रस्तावित शोध के उद्देश्य –

शोध कार्य को व्यवस्थित एवं उद्देश्यपूर्ण स्वरूप प्रदान करने के लिए निम्नलिखित उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है।

1. परियोजना क्षेत्र का भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विश्लेषण करना।
2. परियोजना क्षेत्र में कृषि व भूमि संसाधन के विकास में सिंचाई सुविधाओं का अध्ययन करना।
3. परियोजना क्षेत्र में लाभान्वित कृषक परिवारों की आय, रोजगार, उपभोग तथा फसल प्रारूप एवं कृषि उत्पादन का विश्लेषण करना।

शोध की परिकल्पनाएँ –

इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना एक बहुउद्देश्यीय परियोजना है, जिसने राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। प्रस्तुत शोध में यह परिकल्पना की गई है कि यह परियोजना क्षेत्र के आर्थिक विकास एवं सामाजिक उन्नयन में सफल रही है तथा कृषक परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

1. इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना के कारण श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ एवं बीकानेर जिले में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है तथा किसानों की आय में सुधार हुआ है।
2. परियोजना के कारण क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिला है तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है।
3. परियोजना के कारण साक्षरता दर में वृद्धि हुई है तथा शिक्षा स्तर में सुधार हुआ है।
4. परियोजना के कारण स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ है तथा लोगों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार हुआ है।

शोध की परिकल्पनाओं का परीक्षण –

प्रस्तुत शोध में निर्धारित परिकल्पनाओं का परीक्षण केवल आर्थिक संकेतकों तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि सामाजिक विकास के विभिन्न आयामों को भी सम्मिलित किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि इन्दिरा

गाँधी नहर परियोजना ने पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र को आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से अत्यंत प्रभावित किया है।

परियोजना से पूर्व यह क्षेत्र वर्षा आधारित कृषि पर निर्भर था। सीमित जल उपलब्धता के कारण कृषि उत्पादन अत्यंत कम था तथा किसानों की आय अस्थिर रहती थी। नहर सिंचाई के पश्चात् क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि का विस्तार हुआ तथा फसल विविधीकरण संभव हुआ। गेहूँ, कपास, सरसों, ग्वार एवं दलहनी फसलों का उत्पादन बढ़ा, जिससे किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। आर्थिक समृद्धि के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के मकानों का निर्माण, आधुनिक उपभोग वस्तुओं का उपयोग तथा जीवन स्तर में सुधार देखने को मिला।

औद्योगिक विकास के क्षेत्र में भी परियोजना का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कृषि आधारित उद्योगों, डेयरी इकाइयों, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों एवं व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार हुआ है। रोजगार के अवसर बढ़ने से बेरोजगारी में कमी आई तथा लोगों की क्रयशक्ति में वृद्धि हुई। युवाओं का रुझान अब केवल कृषि तक सीमित न रहकर अन्य व्यवसायों की ओर भी बढ़ा है।

शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। आय वृद्धि एवं नगरीकरण के कारण शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है। विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं तकनीकी संस्थानों की संख्या में वृद्धि हुई है। विशेष रूप से बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन मिला है। शिक्षित युवाओं की संख्या बढ़ने से सामाजिक जागरूकता, स्वच्छता एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण में वृद्धि हुई है।

स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में भी परियोजना का प्रभाव सकारात्मक रहा है। स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, पोषण स्तर में सुधार तथा चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के कारण जनस्वास्थ्य में सुधार हुआ है। शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कमी आई है तथा लोगों की औसत आयु में वृद्धि हुई है। यद्यपि कुछ क्षेत्रों में जलभराव एवं लवणता जैसी समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं, फिर भी समग्र रूप से परियोजना का प्रभाव सकारात्मक पाया गया।

इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु सुझाव –

- नहर प्रणाली के रखरखाव एवं मरम्मत हेतु पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- जल प्रबंधन को वैज्ञानिक एवं नियंत्रित बनाया जाए, जिससे जलभराव एवं लवणता जैसी समस्याओं को कम किया जा सके।
- नहरों की लाइनिंग एवं ड्रेनेज व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है।
- किसानों को सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों को अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाए।
- कम जल खपत वाली एवं अधिक लाभकारी फसलों को बढ़ावा दिया जाए।
- कृषि यंत्रों एवं उर्वरकों पर अनुदान तथा सुलभ ऋण सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ।
- कृषि आधारित उद्योगों एवं एग्रो–प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जाए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास हेतु प्रशिक्षण एवं विपणन सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ।

पुस्तकें :-

- अफ़रोज़, ए. सिंचाई परियोजनाओं का पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन और इसके प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश. पर्यावरण अध्ययन का अंतर्राष्ट्रीय जर्नल।

- कुमार, हरीश ''सामाजिक राजनैतिक परिवर्तन'' अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस प्रकाशक, नई दिल्ली, 2006
- गर्ग अतुल के., भार्गव कैलााश "सिंचित क्षेत्र में पानी एवं भूमि का प्रबन्धन" हिंमाशु पब्लिकेशन, उदयपुर
- चन्द्र, विपिन, भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्‌भव और विकास, अनामिका पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2000, पृ. 68
- चौहान, तेज सिंह (2006) राजस्थान में मरूस्थलीकरण नियन्त्रण एवं प्रबन्धन, उत्तर भारत भूगोल पत्रिका, अंक 36 संख्या 1 ;11–13
- चौधरी, डॉ. सुरेश कुमार, राजस्थान में प्रतिनिधि संस्थाओं का इतिहास, राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर, 2014
- सिंह, आर. बी. और कुमार, ए. इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से सतत आजीविका विकास बीकानेर जिले का एक केस स्टडी. जर्नल ऑफ वाटर एंड लैंड यूज मैनेजमेंट।
- सुनार, डॉ. महेन्द्र कुमार (2015). इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना (मरुगंगा) राजस्थान के चहुँमुखी विकास में योगदान। आर्थिक एवं वित्तीय प्रबन्ध विभाग, अग्रवाल पी.जी. कॉलेज, जयपुर।

आलेख, पत्रिकाएं :

1. हरिजन, 26 फरवरी, 1938; आर.एल. हाण्डा, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन प्रिंसली स्टेट्स, पृ. 111–114
2. निर्विरोध, डॉ. तारादत्त, राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम के अमर पुरोधा–पं. ताडकेश्वर शर्मा, राजस्थान स्वर्ण जयन्ती समारोह समिति, जयपुर, 2001

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
ISSN : 2321-8037
SANGAM
Vol. 14, Issue 5-6
पृष्ठ : 140–146

वैश्वीकरण के दौर में भारत में ई–शासन की चुनौतियां और संभावनाएं

डॉ. अनुभा श्रीवास्तव
एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग
राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिंदकी, फतेहपुर।

सारांश :

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण के वर्तमान युग में मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। तकनीकी विकास और इंटरनेट के विस्तार ने शासन प्रणाली के स्वरूप को डिजिटल स्वरूप की ओर अग्रसर किया है, जिसके फलस्वरूप ई–शासन की अवधारणा का विकास हुआ। भारत जैसे विशाल और वैविध्यपूर्ण देश में ई–शासन की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। वैश्विक स्तर पर हो रहे तकनीकी बदलावों को देखते हुए सरकार ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण की ओर तेजी से कदम बढ़ाया है। इस डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में डिजिटल भुगतान से लेकर जनधन– आधार– मोबाइल (जैम) तिकड़ी और लाभ के सीधे हस्तांतरण (डीबीटी) तक डिजिटल सेवाओं में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। डाटा की न्यूनतम कीमतों और अधिकतम खपत के साथ डिजिटल अवसंरचना के लिहाज से भारत ने जबरदस्त सफलता हासिल की है। देशवासियों के लिए स्वयं पोर्टल (ऑनलाइन शिक्षा) ई–आधार सेवाएं, ऑनलाइन पैन मतदाता पहचान पत्र, आय कर रिटर्न सेवाएं, ऑनलाइन बैंकिंग, माई गवर्नमेंट, डिजिलॉकर, उद्यमी और ई–वीजा सेवा जैसे पोर्टल समेत अनेक डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराए हैं जो नागरिकों को मिलने वाली प्रशासकीय सुविधाओं और सेवाओं के त्वरित संचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत कितनी तेजी से ई प्रशासन की ओर कदम बढ़ा रहा है। इस बात का पता डिजिटल क्षेत्र में भारतीय सरकारी सेवा के विशाल नेटवर्क की मौजूदगी से देखा जा सकता है। यह सरकारी प्रक्रियाओं को आम जनता के लिए यथा संभव सरल बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है।

यह शोधपत्र वैश्वीकरण के संदर्भ में भारत में ई–शासन की वर्तमान स्थिति और उसकी प्रमुख चुनौतियों एवं संभावनाओं का विश्लेषण करता है। इस शोधपत्र के माध्यम से यह पता चलता है कि यदि डिजिटल साक्षरता का उचित विस्तार, तकनीकी संसाधनों का उचित विकास तथा साइबर सुरक्षा को मजबूत किया जाए तो ई–शासन भारत में सुशासन और लोकतांत्रिक प्रशासन को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

मुख्य शब्द : मानव संसाधन, अर्थव्यवस्था, डिजिटलीकरण, अवसंरचना, मानव पूंजी, ई प्रशासन, ई–आधार सेवाएं, वैश्वीकरण।

वैश्वीकरण और ई-शासन के मध्य पारस्परिक संबंध :

वैश्वीकरण और ई–शासन के मध्य एक अत्यंत गहरा पारस्परिक संबंध है और दोनों एक दूसरे के परस्पर पूरक हैं। वैश्वीकरण ने भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा तकनीकी रूप से एक–दूसरे के निकट लाने का कार्य किया है। इसके परिणाम को देखा जाए तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का तीव्र विकास हुआ जिसने प्रशासनिक कार्यों को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने में सहायता की। इसी दौरान ई–शासन की अवधारणा विकसित हुई। ई–शासन से तात्पर्य है कि सरकारी सेवाओं और सूचनाओं को डिजिटल माध्यम से सभी नागरिकों तक पहुंचाना है, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाएं सरल एवं उत्तरदायी बन सकें। उदारीकरण तथा निजीकरण को बढ़ावा मिलने से उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं के नए क्षेत्र भी सामने आए हैं और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में नियमन की जरूरत भी पैदा हुई है जहां एक ओर लोगों की आकांक्षाएं बढी है वहीं उनकी जागरूकता भी बढ़ी है। आम जनता सरकार से पहले की तुलना में कहीं अधिक अपेक्षाएं रख रही है और लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए अपरिहार्य हैं। सरकारी परियोजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन करने के अलावा अर्थव्यवस्था के समुचित संचालन के लिए भी ई–शासन का अपना महत्व है।

वैश्वीकरण की प्रक्रिया के साथ–साथ होने वाले आर्थिक और प्रौद्योगिकी परिवर्तनों ने आधुनिक प्रशासनिक पद्धति को गहराई से प्रभावित किया है विद्वानों का तर्क है कि वैश्वीकृत परिवेश में प्रशासन की वास्तविक पद्धति को पूर्ण शासकीय और निजी इकाइयों की प्रशासनिक क्षमताओं से जोड़ा जा सकता है जो सार्वजनिक हित की प्राप्ति में निहित रणनीतिक प्रयासों पर निर्भर होती है। ई–शासन अपने आप में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता है और करप्शन के मौके कम करता है। टैक्स रिटर्न, जमीन का रजिस्ट्रेशन और पब्लिक वेलफेयर स्कीम जैसी सरकारी सर्विसेज को डिजिटाइज करने से एक ऐसा सिस्टम बनता है जहाँ लोग प्रोसेस को ट्रैक और मॉनिटर कर सकते हैं। संस्कारम यूनिवर्सिटी में, हम इस बात पर जोर देते हैं कि यह पारदर्शिता सरकार और लोगों के बीच कैसे भरोसा बढ़ाती है। RTI ऑनलाइन और टैक्स के लिए ई–फाइलिंग जैसे प्लेटफॉर्म लोगों को संस्थाओं को उनके कामों के लिए जिम्मेदार ठहराने की इजाजत देते हैं।

भारत में ई-शासन का क्रमिक विकास :

आधुनिक युग में ई–शासन एक सफल सरकार के लिए अपरिहार्य जरूरत बन गया है। वैश्विक परिदृश्य में आज सरकारों को सेवा प्रदाता होने के नाते अपने नागरिकों की मांगों को पूरा करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी अपनाने की अनिवार्यता है। वर्तमान समय में एक कुशल और प्रभावी सरकार के लिए नैतिक, सरल, जवाबदेह, जिम्मेदार और पारदर्शी शासन जरूरी हो गया है। भारत में देखें तो प्रारंभिक दौर में सरकारी कार्य मुख्य रूप से कागजी प्रक्रियाओं पर आधारित थे। जिससे प्रशासनिक कार्यों में देरी, भ्रष्टाचार तथा पारदर्शिता की कमी जैसी समस्याएं देखने को मिलती थीं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1970 और 1980 के दशक में कंप्यूटर तकनीक का उपयोग शुरू किया गया। इसके बाद वर्ष 1976 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना ई–शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण सराहनीय कदम था। इसके माध्यम से प्रशासनिक विभागों को सूचना एवं संचार के क्षेत्र में बढ़ावा मिला। वर्ष 2000 में भारत सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम लागू

किया गया। जिसने देश में इलेक्ट्रॉनिक लेन–देन और डिजिटल हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता प्रदान की। वर्ष 2006 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ई–शासन योजना प्रारंभ की गई, जिसके अंतर्गत देश के विभिन्न सरकारी सेवाओं को डिजिटल माध्यम से नागरिकों तक पारदर्शी रूप से पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

डॉ. ए.पी.जे अब्दुल कलाम ने भारतीय परिपेक्ष्य में ई–प्रशासन के महत्व को इन शब्दों में व्यक्त किया–सीमाहीन पहुंच, सुरक्षित और अंतः विभागीय सीमाओं को पार करते हुए सुरक्षित और सूचना के प्रामाणिक प्रवाह और नागरिकों को उचित और पक्षपात रहित सेवा प्रदान करने सहित एक पारदर्शी स्मार्ट ई प्रशासन।

भारत सरकार की प्रमुख ई-शासन योजनाएं :

भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक कार्यों को अधिक पारदर्शी, सरल तथा प्रभावी बनाने के उद्देश्य से अनेक ई–शासन योजनाएं योजनाओं का विकास किया गया है। इन योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य नागरिकों को डिजिटल माध्यम से सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना एवं सुशासन को बढ़ावा देना है। कुछ प्रमुख योजनाएं इस प्रकार हैं:

1. ई–कोर्ट सर्विसेज मोबाइल एप ने भारत में न्याय डिलीवरी प्रणाली को आसान और सुलभ बनाया है। इस ऐप के माध्यम से हम किसी भी मामले की स्थिति, मामलों की सूची और न्यायालय के आदेशों को देख सकते हैं। साथ ही साथ अपने मामले की विस्तृत जानकारी कभी भी और कहीं भी पा सकते हैं। यह ऐप न्यायपालिका के सदस्यों अधिवक्ताओं, वादियों, पुलिसकर्मियों सरकारी एजेंसियों और अन्य हितधारकों के लिए एक अत्यंत उपयोगी एप माना जा रहा हैं।

2. ई–शासन में बायोमेट्रिक पहचान योजना आधार ने डिजिटल क्रांति लाने का कार्य किया है इसके तहत सरकार ने भारतीयों को 12 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या जारी की है।

3. सरकार के द्वारा ग्रामीण तथा शहरी निर्धन लोगों के लिए जारी की गई विभिन्न परियोजनाओं जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा गरीबी उन्मूलन और कल्याण से संबंधित कई अन्य वित्तीय समावेशन परियोजनाओं में इस संख्या का इस्तेमाल अत्यंत तेजी के साथ किया जा रहा है। इसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम देखे जा सकते हैं।

4. ग्रामीण शासन और संरचनाओं के बीच अंतर को मिटाने की कोशिश में जुटा है। भारत सरकार द्वारा अगस्त 2019 में राष्ट्रीय ई–शासन सेवा आपूर्ति आकलन (एन ई एस डी ए) फ्रेमवर्क की शुरुआत की गई जिसका उद्देश्य केंद्र सरकार से लेकर स्थानीय शासन के स्तर तक विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा ई–शासन के क्षेत्र में किए गए प्रयासों की प्रभावशीलता का आकलन करना था। ताकि भारतीय ई–शासन के ढांचे को विकसित करके अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाया जा सके।

भारत सरकार की ई-शासन पहलकदमियों के प्रमुख अवसंरचनात्मक घटक :

- राज्य डाटा केंद्र (एसडीसी)
- राज्यव्यापी क्षेत्रीय नेटवर्क (एसडब्लयू ए एन–स्वान)
- सार्वजनिक सेवा केंद्र
- राष्ट्रीय शासन सेवा प्रदाता गेटवे (एनएसडीजी)
- राज्य ई–शासन सेवा प्रदाता गेटवे (एसएसडीजी)
- मोबाइल ई–शासन सेवा प्रदाता गेटवे (एमएसडीजी)

- मिडिलवेयर गेटवे
- त्वरित आकलन प्रणाली
- आधार डिजिटल बायोमेट्रिक पहचान इंफ्रास्ट्रक्चर।

राष्ट्रीय भू सूचना विज्ञान केंद्र, कार्यक्रम प्रबंधन सूचना प्रणाली, ओपन फोर्ज ज्ञानार्जन प्रबंधन प्रणाली, डिजिटल लॉकर, ओपन डाटा शासकीय खरीद–शासन ई–बाजार (जी ईएम) जी आई क्लाउड, आर्काइव इत्यादि शामिल है। परियोजनाओं को मिशन की तरह चलाया जा रहा है इसमें विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के द्वारा तकनीकी के प्रयोग के माध्यम से उन्हें स्पष्ट उद्देश्यों, दायरों, क्रियान्वयन की समय सीमाओं और उपलब्धियां के साथ समग्र रूप से सफल बनाया जा रहा हैं।

मिशन के रूप में चलाई जा रही इन परियोजनाओं में स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली ,बैंकिंग विदेशी पंजीकरण और ट्रैकिंग, पेंशन, ई–कार्यालय ई–जिला, भूमि रिकॉर्ड, ई–पंचायत, पुलिस और डाक से जुड़ी अनेक परियोजनाएं शामिल है।

डिजिटल इंडिया :

डिजिटल इंडिया भारत सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण ई–शासन योजना है। 2015 में जब डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई उस समय इसका उद्देश्य था डिजिटल अवसंरचना में निवेश और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देकर ऑनलाइन सेवाओं के विस्तार के द्वारा शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रो के बीच की खाई को पाटना था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को डिजिटल आधार पर सशक्त और एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में तब्दील करना था। इसने भारत में डिजिटल प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बहुत अधिक विस्तार प्रदान किया और इसका प्रभाव सामाजिक आर्थिक, न्यायिक, शैक्षणिक आदि सभी क्षेत्रों में देखा जा सकता है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के दायरे में सरकार के कई मंत्रालय और विभाग आते हैं और इस कार्यक्रम के पूरे तालमेल का जिम्मा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के पास है। इसमें विकास के मुख्य रूप से 9 स्तंभों पर ध्यान केंद्रित किया गया है– ब्रॉडबैंड हाईवे, मोबाइल कनेक्टिविटी, सार्वजनिक इंटरनेट तक सभी की पहुंच, ई–शासनः प्रौद्योगिकी के जरिए सरकार में सुधार, ई–क्रांतिरू सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी, सबके लिए सूचना, इलेक्ट्रॉनिक निर्माण, रोजगारों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी तथा शीघ्र लाभ कार्यक्रम हैं।

इस डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने केंद्र और राज्य के मंत्रालयों और विभागों की ई शासन परियोजनाओं क्रियान्वयन और पहलकदमियों के संबंध में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। इस कार्यक्रम के जरिए केंद्र से लेकर स्थानीय स्वशासन तक शासन के हर स्तर पर सभी ई– सेवाओं के जरिए एक आसान और एकल प्रवेश बिंदु के विकास में सहायता की हैं। ई–शासन के जरिए स्थापित डिजिटल प्रौद्योगिकियां ज्ञान के आदान–प्रदान, सहयोगात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देने और नागरिकों को पारदर्शी दिशा निर्देश मुहैया कराने के महत्वपूर्ण स्रोत बन गई है। ई–चालान सेवा के जरिए यातायात अधिकारी कागज के इस्तेमाल के बिना इलेक्ट्रॉनिक चालान तुरंत जारी कर सकते हैं इसके माध्यम से डिजिटल यातायात और परिवहन प्रवर्तन समाधान में त्वरित गति आई है। ई–शासन के प्रमुख लक्ष्य हैं :–

1. नागरिकों के सेवाओं की बेहतर डिलीवरी करना।
2. व्यवसाय और उद्योग के साथ इंटरफेस में सुधार करना।

3. पारदर्शिता और जवाब देही का विकास करना।
4. सरकार के अंदर कार्य कुशलता में सुधार करना।
5. सूचना के जरिए नागरिकों का सशक्तिकरण करना आदि।
6. सरकारी विभागों और एजेंसियों के बीच ई–शासन अवसंरचना की अंतर संचालकता पर जोर दिया जाए।
7. सेवा डिलीवरी में सुधार के लिए नवीन प्रौद्योगिकी को अपनाना।
8. समावेशी ई–शासन ढांचे का विकास करना ताकि कोई भी इसके दायरे से बाहर न रह जाए।
9. प्रभावशाली डाटा संरक्षण कानून और प्रशासनिक विनियमों का निर्माण करना।
10. सूचनाओं की चोरी और दुरुपयोग से बचने के लिए डेटा सुरक्षा का प्रावधान करना।
11. समावेशी डिजिटल पारिस्थितिकी का निर्माण करके डिजिटल विभाजन को घटाना।
12. नागरिकों द्वारा ज्यादा से ज्यादा इसके प्रयोग हेतु ई–साक्षरता को बढ़ावा देना।

भारत में ई-शासन की चुनौतियां :

1. भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी से जूझ रहे है जिससे उनका डिजिटल विभाजन और कनेक्टिविटी अंतराल देखने को मिलता है। डिजिटल विभाजन ई–शासन को व्यापक रूप से अपनाने में आने वाली प्रमुख चुनौतियों में से एक है। सरकार द्वारा डिजिटल अवसंरचना के विस्तार के प्रयासों के बावजूद विश्वसनीय इंटरनेट सुविधा का अभाव, अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी और डिजिटल संसाधनों तक समान पहुंच एक चुनौती बना हुआ है।

2. सीमित डिजिटल साक्षरता भारत में आज भी एक बड़ा वर्ग विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों और वृद्ध आबादी की ई सेवाओं का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में कुशल नहीं है। जबकि ई–शासन के प्रभावी होने के लिए यह जरूरी है कि नागरिकों द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्मो का अधिक से अधिक उपयोग हो जिसके लिए डिजिटल साक्षरता का होना अपरिहार्य है।

3. सूचना प्रौद्योगिकी के तमाम सकारात्मक प्रभावों के बीच एक अत्यंत चिंताजनक और गंभीर मुद्दा साइबर सुरक्षा और डाटा गोपनीयता का है। ई–शासन प्लेटफॉर्म संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा से संबंधित होते हैं किसी भी प्रकार की चूक से व्यक्तियों और संस्थाओं को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

4. समान्यतः प्रशासनिक स्तर पर तकनीकी के प्रयोग को लेकर सरकारी अधिकारियो और नागरिको दोनों में उदासीनता और प्रतिरोध की स्थिति देखने को मिलती है। शासन के परंपरागत तरीकों से डिजिटल प्लेटफॉर्मो की ओर संक्रमण की धीमी गति का प्रमुख कारण नौकरशाही की सुस्ती, नौकरी छूटने का डर और ई–शासन के लाभों के बारे में जागरूकता की कमी है।

वर्तमान समय में ई-शासन की प्रासंगिकतायें :

1. सेवा वितरण को सुव्यवस्थित करना.....

ई–शासन के अंतर्गत डिजिटल प्लेटफॉर्मो (माध्यमों) के बढ़ने से सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का सीधा लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंचने में सफलता हासिल हुई है। प्रधानमंत्री जन धन योजना और प्रत्यक्ष लाभ हस्तानांतरण (डीबीटी) जैसी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं में होने वाले भ्रष्टाचार को कम करने के साथ–साथ उनके कुशल और प्रभावशाली क्रियान्वयन को बढ़ावा मिला है।

2. डिजिटल भागीदारी द्वारा नागरिक सशक्तिकरण.....

एक लोकतांत्रिक शासन की सफलता उसके नागरिकों की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है। ई–शासन नागरिकों को नीतिगत निर्णय पर अपने विचार और राय देने में सक्षम और सशक्त बनाता ह माई गांव जैसे प्लेटफार्म को नागरिकों के लिए नीति और शासन के सह निर्माता बनने के अवसर के रूप में देखा जा सकता है। इससे सरकार को नए दृष्टिकोण मिलते हैं वह जनता की जरूरतों के प्रति संवेदनशील होती है और सरकार की जवाबदेही बढ़ती है।

3. शहरी ग्रामीण विभाजन को पाटना....

डिजिटल इंडिया की परिकल्पना को साकार रूप देने में सबसे बड़ी चुनौती दूर दराज एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को ई सेवाओं का लाभ पहुंचाना है यधपि कि भारतनेट जैसी पहलो और कॉमन सर्विस सेंटर्स (सी एस सी) के विस्तार के द्वारा इस डिजिटल विभाजन को पाटने का कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा है इससे समस्त सरकारी सुविधाओं एवं योजनाओं का लाभ इन लोगों तक पहुंच पा रहा है जो पहले उनकी पहुंच से बाहर थी। भारत के समग्र विकास हेतु यह आवश्यक है क्योंकि यह हाशिए पर रहने वाली आबादी को शासन के मुख्य धारा में लाकर उनका समावेशन सुनिश्चित करता है।

4. कार्य कुशलता में वृद्धि और लागत में कमी.....

ई शासन ने प्रशासनिक कार्य कुशलता में वृद्धि के साथ ही साथ सेवा वितरण दक्षता में वृद्धि की है कागजी कार्रवाई, प्रक्रिया में होने वाला विलंब और नौकरशाही (लालफीता शाही) का प्रभाव कम हुआ है। आज आम नागरिक ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, पेंशन के लिए आवेदन या बिजली पानी की बिलों का भुगतान आदि महत्वपूर्ण कार्य कम समय एवं दफ्तरों के चक्कर लगाए बिना ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे आराम से कर सकता है यह बदलाव न केवल सरकार के परिचालन खर्चों को कम करता है बल्कि नागरिकों के लिए शासन और सेवा वितरण को सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

निष्कर्ष :

वर्तमान समय में वैश्वीकरण के दौर की इस डिजिटल प्रौद्योगिकी ने हम भारतीयों के जीवन को सरल सहज और प्रभावपूर्ण बनाया है किंतु इसके साथ ही साथ भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त बुनियादी अधिकारों और मूल्यों के अनुरूप एक सुरक्षित प्रभावशाली विश्वसनीय और पारदर्शी प्रणाली सुनिश्चित करने की महत्वपूर्ण चुनौती भी पैदा की है। डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए तौर तरीकों को अपनाना और किसी को भी पीछे नहीं छोड़ने के संकल्प को पूरा करने के लिए समावेशी शासन को बढ़ावा देना एक अन्य चुनौती है। भारतीय प्रशासन में प्रभावशाली ई–शासन विकसित करने के लिए अनेक नई विशेषताओं और नवाचारी अवसंरचना को विकसित किए जाने की आवश्यकता है।

इस दौर में उदारीकरण एवं निजीकरण को बढ़ावा मिलने से उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं के नए क्षेत्र भी सामने आए हैं और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में नियमन की जरूरत भी पैदा हुई है जहां एक ओर लोगों की आकांक्षाएं बढी है वहीं उनकी जागरूकता भी बढ़ी है। आम जनता सरकार से पहले की तुलना में कहीं अधिक अपेक्षाएं रख रही है और लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए अपरिहार्य हैं। सरकारी परियोजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन करने के अलावा अर्थव्यवस्था के समुचित संचालन के लिए भी ई–शासन का अपना

महत्व है।

वैश्वीकरण की प्रक्रिया के साथ–साथ होने वाले आर्थिक और प्रौद्योगिकी परिवर्तनों ने आधुनिक प्रशासनिक पद्धति को गहराई से प्रभावित किया है विद्वानों का तर्क है कि वैश्वीकृत परिवेश में प्रशासन की वास्तविक पद्धति को पूर्ण शासकीय और निजी इकाइयों की प्रशासनिक क्षमताओं से जोड़ा जा सकता है जो सार्वजनिक हित की प्राप्ति में निहित रणनीतिक प्रयासों पर निर्भर होती है।

संदर्भ सूची :

1. फड़िया, बी.एल. (2019). वैश्वीकरण : अवधारणा एवं प्रभाव। आगरा : साहित्य भवन पब्लिकेशन्स।
2. लक्ष्मीकांत, एम. (2021). लोक प्रशासन। नई दिल्ली : मैक्ग्रा हिल एजुकेशन।
3. माहेश्वरी, एस. आर. (2019). भारत में लोक प्रशासन। नई दिल्ली : ओरिएंट ब्लैकस्वान।
4. सपरू, आर. के. (2019). लोक प्रशासन : सिद्धांत और व्यवहार। नई दिल्ली : पीएचआई लर्निंग।
5. अरोड़ा, रमेश के.–गोयल, राजनी. (2018). भारतीय लोक प्रशासनः संस्थाएं और मुद्दे। नई दिल्ली : न्यू एज इंटरनेशनल पब्लिशर्स।
6. वर्मा, अरविंद. (2018). ई–गवर्नेंस और सुशासन। जयपुर : रावत पब्लिकेशन।
7. स्टिग्लिट्ज, जोसफ ई. (2017). वैश्वीकरण और उसके असंतोष। नई दिल्ली : पेंगुइन पब्लिकेशन।
8. भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। (2022). डिजिटल इंडिया कार्यक्रम रिपोर्ट। नई दिल्ली : भारत सरकार प्रकाशन विभाग।
9. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र. (2021). ई–शासन एवं डिजिटल प्रशासन रिपोर्ट। नई दिल्ली : NIC प्रकाशन।
10. नीति आयोग. (2021). डिजिटल गवर्नेंस और भारत में सुशासन रिपोर्ट। नई दिल्ली : नीति आयोग प्रकाशन।
11. भारत सरकार प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग। (2020). ई–गवर्नेंस पहल और प्रशासनिक सुधार। नई दिल्ली : भारत सरकार प्रकाशन विभाग।

ईमेल पता : dranubhasrivastava236@gmail.com

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 14, Issue 5-6
पृष्ठ : 147–152

आधुनिक शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा की प्रासंगिकता

डॉ. प्रदीप कुमार
टीजीटी संविदा शिक्षक, हरियाणा।

सारांश :

भारतीय ज्ञान परंपरा विश्व की सबसे प्राचीन एवं समृद्ध बौद्धिक परंपराओं में से एक है। यह केवल धार्मिक या आध्यात्मिक चिंतन तक सीमित नहीं रही, बल्कि शिक्षा, चिकित्सा, गणित, खगोलशास्त्र, दर्शन, राजनीति, साहित्य और सामाजिक जीवन के विविध आयामों को भी समाहित करती है। वर्तमान समय में आधुनिक शिक्षा प्रणाली तकनीकी दक्षता, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा और सूचना–केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित होती जा रही है, जिसके कारण शिक्षा का नैतिक और मानवीय पक्ष कमजोर पड़ता दिखाई देता है। ऐसे समय में भारतीय ज्ञान परंपरा आधुनिक शिक्षा को मूल्यबोध, सांस्कृतिक चेतना, समग्र विकास और नैतिक दृष्टि प्रदान कर सकती है। प्रस्तुत शोधपत्र में भारतीय ज्ञान परंपरा की अवधारणा, आधुनिक शिक्षा की चुनौतियाँ तथा वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में उसकी प्रासंगिकता का विश्लेषण किया गया है।

मुख्य शब्द : भारतीय ज्ञान परंपरा, आधुनिक शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, नैतिक शिक्षा।

प्रस्तावना :

शिक्षा किसी भी राष्ट्र की सांस्कृतिक और बौद्धिक धरोहर का आधार होती है। भारतीय शिक्षा परंपरा प्राचीन काल से ही विश्वभर में अपने ज्ञान, दर्शन और जीवन मूल्यों के लिए प्रसिद्ध रही है। तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय केवल शिक्षण संस्थान नहीं थे, बल्कि ज्ञान और अनुसंधान के वैश्विक केंद्र थे। भारतीय शिक्षा का मूल उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्ति नहीं, बल्कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना था। भारतीय ज्ञान परंपरा में शिक्षा को आत्म–विकास, सामाजिक उत्तरदायित्व और नैतिक जीवन से जोड़ा गया। राधाकृष्णन के अनुसार, "भारतीय दर्शन का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि जीवन को सत्य और नैतिकता की दिशा में अग्रसर करना है।" (राधाकृष्णन, 42)।

औपनिवेशिक काल में पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव से भारतीय शिक्षा व्यवस्था अधिक परीक्षा–केंद्रित और रोजगारोन्मुख बन गई। इससे विज्ञान और तकनीक में प्रगति तो हुई, किन्तु नैतिक मूल्यों, सांस्कृतिक चेतना और मानवीय संवेदनाओं का ह्रास भी देखने को मिला। आज विद्यार्थी मानसिक तनाव, तीव्र प्रतिस्पर्धा और सांस्कृतिक विछिन्नता जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। National Education Policy 2020 ने भारतीय ज्ञान परंपरा को शिक्षा का महत्वपूर्ण आधार मानते हुए इसे मार्गदर्शक शक्ति बताया है। ऐसे समय में भारतीय ज्ञान परंपरा आधुनिक शिक्षा को अधिक मानवीय, संतुलित और जीवनोपयोगी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

भारतीय ज्ञान परंपरा : स्वरूप और अवधारणा :

भारतीय ज्ञान परंपरा उन ज्ञान–स्रोतों, जीवन मूल्यों और बौद्धिक परंपराओं का मिश्रण है जो भारतीय सभ्यता में हजारों वर्षों से विकसित हुए हैं। यह परंपरा अनुभव, तर्क, अध्यात्म और व्यवहारिकता का अद्‌भुत समन्वय प्रस्तुत करती है। भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्ञान को केवल सूचना या बौद्धिक उपलब्धि नहीं माना गया, बल्कि आत्मज्ञान और लोककल्याण का माध्यम समझा गया। (विवेकानंद, 18)।

भारतीय ज्ञान परंपरा की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :

भारतीय ज्ञान परंपरा केवल विद्या प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि मनुष्य के समग्र विकास की जीवन–दृष्टि रही है। प्राचीन भारत में शिक्षा का उद्देश्य केवल जीविका अर्जित करना नहीं, बल्कि व्यक्ति को नैतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से परिपक्व बनाना था। Sarvepalli Radhakrishnan के अनुसार भारतीय शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य में निहित दिव्यता का विकास है। इसी कारण भारतीय चिंतन में ज्ञान को आत्मबोध, मुक्ति और लोककल्याण से जोड़ा गया। National Education Policy 2020 ने भी भारतीय ज्ञान प्रणाली को शिक्षा के केंद्र में पुर्नस्थापित करने पर बल दिया है।

भारतीय ज्ञान परंपरा की प्रमुख विशेषता उसका समग्र दृष्टिकोण है, जिसमें शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के संतुलित विकास को महत्व दिया गया। उपनिषदों और गुरुकुल परंपरा में चरित्र निर्माण, अनुशासन और आत्मसंयम को शिक्षा का आधार माना गया। शिक्षा का उद्देश्य केवल विद्वान बनाना नहीं, बल्कि संवेदनशील और उत्तरदायी नागरिक तैयार करना था।

इस परंपरा का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष उसका नैतिक एवं मूल्यपरक स्वरूप है। सत्य, अहिंसा, करुणा, सेवा और सहअस्तित्व जैसे मूल्य भारतीय संस्कृति के केंद्र में रहे हैं। वैदिक साहित्य, बौद्ध–जैन दर्शन और भक्ति आंदोलन ने मानवता और नैतिकता को सर्वोच्च स्थान दिया। Mahatma Gandhi ने भी शिक्षा को नैतिकता और श्रम से जोड़ते हुए चरित्र निर्माण पर बल दिया। आज जब समाज उपभोक्तावाद, हिंसा और सामाजिक विघटन जैसी चुनौतियों से घिरा है, तब मूल्यपरक शिक्षा संतुलन स्थापित करने में सहायक हो सकती है।

भारतीय ज्ञान प्रणाली की एक अन्य विशेषता अनुभवात्मक अधिगम है। यहाँ ज्ञान को व्यवहार और प्रत्यक्ष अनुभव से जोड़ा गया। गुरुकुलों में विद्यार्थी पुस्तकीय ज्ञान के साथ कृषि, शिल्प, योग और सामाजिक कार्यों में भी भाग लेते थे। भारतीय चिंतन में अनुभव को सत्य ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत माना गया। यही दृष्टि आज कौशल आधारित और अनुभवात्मक शिक्षा की आवश्यकता को भी मजबूत करती है।

आधुनिक शिक्षा : स्वरूप और चुनौतियाँ :

आधुनिक शिक्षा प्रणाली विज्ञान, तकनीक और औद्योगिक विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित हुई है। इसने वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तकनीकी दक्षता और वैश्विक संचार को व्यापक रूप से बढ़ावा दिया है। चिकित्सा, सूचना–प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान और संचार के क्षेत्रों में हुई अभूतपूर्व प्रगति आधुनिक शिक्षा की ही देन है। इंटरनेट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल शिक्षण ने ज्ञान के प्रसार को अधिक तीव्र और वैश्विक बनाया है। आधुनिक शिक्षा ने व्यक्ति को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

किन्तु इस शिक्षा प्रणाली की कुछ गंभीर सीमाएँ भी सामने आई हैं। आज शिक्षा का उद्देश्य प्रायः रोजगार, आर्थिक सफलता और प्रतियोगी परीक्षाओं तक सीमित होता जा रहा है। परिणामस्वरूप शिक्षा का मानवीय और

नैतिक पक्ष कमजोर पड़ता दिखाई देता है। परीक्षा–केंद्रित व्यवस्था विद्यार्थियों की रचनात्मकता, स्वतंत्र चिंतन और सामाजिक संवेदनशीलता के विकास में बाधा उत्पन्न करती है। विद्यार्थी ज्ञान से अधिक अंकों और प्रमाणपत्रों की दौड़ में उलझते जा रहे हैं, जिससे शिक्षा और जीवन–मूल्यों के बीच दूरी बढ़ रही है।

इसके अतिरिक्त आधुनिक शिक्षा में प्रकृति, संस्कृति और स्थानीय ज्ञान परंपराओं की उपेक्षा भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। शिक्षा का बढ़ता बाजारीकरण उपभोक्तावादी मानसिकता को बढ़ावा देता है, जिसके कारण सामाजिक असमानता और मानसिक तनाव जैसी समस्याएँ बढ़ रही हैं। अनेक विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी जीवन–मूल्यों, सामाजिक उत्तरदायित्व और मानसिक संतुलन के संकट से जूझ रहे हैं। National Education Policy 2020 ने इसी कारण शिक्षा को केवल कौशल और रोजगार तक सीमित न रखकर मूल्यपरक, बहुविषयक और अनुभवात्मक बनाने पर बल दिया है।

आधुनिक शिक्षा की प्रमुख चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं :

आधुनिक शिक्षा प्रणाली ने विज्ञान, तकनीक और वैश्विक विकास को नई गति प्रदान की है, किन्तु इसके साथ अनेक गंभीर चुनौतियाँ भी उभरकर सामने आई हैं। आज शिक्षा का स्वरूप अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक और बाजारोन्मुख हो गया है, जिसके कारण नैतिक मूल्यों का निरंतर ह्रास दिखाई देता है। सत्यनिष्ठा, सहानुभूति, सहयोग और सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे मानवीय मूल्य धीरे–धीरे शिक्षा के केंद्र से दूर होते जा रहे हैं। विद्यार्थियों पर परीक्षा, करियर और सफलता का अत्यधिक दबाव मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं को बढ़ा रहा है। आधुनिक जीवन की तेज गति ने युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम तो बनाया है, परंतु मानसिक रूप से अस्थिर भी किया है।

शिक्षा का बढ़ता व्यवसायीकरण भी आधुनिक व्यवस्था की एक बड़ी समस्या है। आज अनेक शैक्षणिक संस्थान ज्ञान और चरित्र निर्माण की अपेक्षा आर्थिक लाभ को अधिक महत्व देने लगे हैं। परिणामस्वरूप शिक्षा एक सेवा या साधना के स्थान पर व्यापार का रूप धारण करती जा रही है। कोविड–19 महामारी के दौरान इन समस्याओं ने और अधिक स्पष्ट रूप धारण किया। डिजिटल शिक्षा ने एक ओर तकनीकी संभावनाओं के नए द्वार खोले, वहीं दूसरी ओर समाज में विद्यमान तकनीकी और आर्थिक असमानताओं को उजागर कर दिया। ग्रामीण क्षेत्रों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को इंटरनेट, मोबाइल और अन्य तकनीकी संसाधनों की कमी के कारण गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अनेक विद्यार्थी शिक्षा से वंचित रह गए, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि केवल तकनीक आधारित शिक्षा सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित नहीं कर सकती।

आज आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा केवल सूचना, कौशल और रोजगार तक सीमित न रहे, बल्कि वह जीवन मूल्यों, नैतिक चेतना और सामाजिक उत्तरदायित्व के विकास का माध्यम बने। यही वह बिंदु है जहाँ भारतीय ज्ञान परंपरा आधुनिक शिक्षा को नई दिशा प्रदान कर सकती है। भारतीय चिंतन शिक्षा को मनुष्य, समाज और प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित करने का साधन मानता है। आधुनिक सभ्यता ने मनुष्य को स्क्रीन से जोड़ दिया है, परंतु कई बार मनुष्य से मनुष्य का संबंध ही कमजोर पड़ गया है। शायद इसी कारण आज फिर से ऐसी शिक्षा की आवश्यकता महसूस हो रही है जो केवल बुद्धि नहीं, बल्कि संवेदना को भी विकसित कर सके।

आधुनिक शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा की प्रासंगिकता :

1. समग्र विकास की अवधारणा :

भारतीय शिक्षा परंपरा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास के समन्वय पर बल देती है। यहाँ शिक्षा को केवल रोजगार प्राप्त करने या तकनीकी दक्षता विकसित करने का माध्यम नहीं माना गया, बल्कि जीवन को संतुलित, अनुशासित और मूल्यनिष्ठ बनाने की प्रक्रिया के रूप में देखा गया है। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में चरित्र निर्माण, आत्मसंयम, स्वास्थ्य और नैतिक चेतना को विशेष महत्व दिया जाता था, जबकि आधुनिक शिक्षा प्रायः प्रतियोगिता, तकनीकी कौशल और आर्थिक सफलता तक सीमित होती जा रही है। इसके परिणामस्वरूप विद्यार्थियों में मानसिक तनाव, चिंता और जीवन–संतुलन की समस्याएँ बढ़ रही हैं। ऐसे समय में भारतीय ज्ञान परंपरा में वर्णित योग और ध्यान की उपयोगिता अत्यंत प्रासंगिक हो गई है। आज विश्वभर में योग और ध्यान को मानसिक स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन और भावनात्मक संतुलन के प्रभावी साधनों के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति 2020 ने भी योग, खेल और कला आधारित शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हुए विद्यार्थियों के समग्र विकास पर बल दिया है (एनईपी 2020, पृ. 13)।

2. नैतिक एवं मूल्यपरक शिक्षा :

भारतीय ज्ञान परंपरा सत्य, अहिंसा, करुणा, सेवा और सहअस्तित्व जैसे मानवीय मूल्यों पर आधारित रही है। प्राचीन भारतीय चिंतन में शिक्षा का उद्देश्य केवल बौद्धिक विकास नहीं, बल्कि व्यक्ति के नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान को भी सुनिश्चित करना था। वर्तमान समय में बढ़ती हिंसा, भ्रष्टाचार, असहिष्णुता और सामाजिक विघटन यह स्पष्ट संकेत देते हैं कि आधुनिक शिक्षा में नैतिक मूल्यों का समावेश अत्यंत आवश्यक हो गया है। आज शिक्षा ने तकनीकी दक्षता और आर्थिक सफलता को तो बढ़ावा दिया है, परंतु मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक उत्तरदायित्व का पक्ष अपेक्षाकृत कमजोर पड़ता दिखाई देता है। ऐसे समय में भारतीय ज्ञान परंपरा जीवन को संतुलित और मानवीय बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करती है। श्री अरविंद के अनुसार, "शिक्षा का उद्देश्य केवल बुद्धि का विकास नहीं, बल्कि आत्मा का उत्थान भी है" (अरविंद 76)। यह विचार भारतीय शिक्षा दर्शन की गहराई और व्यापकता को स्पष्ट करता है।

3. मातृभाषा और स्थानीय ज्ञान का महत्व :

भारतीय ज्ञान परंपरा में शिक्षा को सदैव मातृभाषा और स्थानीय जीवन–संदर्भों से जोड़कर देखा गया है। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में ज्ञान का संप्रेषण ऐसी भाषा में किया जाता था जिसे विद्यार्थी सहज रूप से समझ सकें, जिससे शिक्षा केवल पुस्तकीय न रहकर जीवन से जुड़ी हुई प्रक्रिया बन जाती थी। मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने से विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता, रचनात्मकता और अभिव्यक्ति कौशल का अधिक स्वाभाविक विकास होता है। आधुनिक शैक्षिक अनुसंधान भी यह सिद्ध करते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में होने से बच्चों की समझ, सीखने की गति और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। इसके विपरीत विदेशी भाषा आधारित शिक्षा कई बार विद्यार्थियों को मानसिक दबाव और सांस्कृतिक दूरी की स्थिति में पहुँचा देती है। इसी महत्व को स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने कक्षा पाँच तक मातृभाषा आधारित शिक्षा पर विशेष बल दिया है (एनईपी 2020, पृ. 12)। यह केवल एक भाषाई नीति नहीं, बल्कि सांस्कृतिक संरक्षण और सामाजिक समावेशन का महत्वपूर्ण माध्यम भी है।

4. अनुभवात्मक एवं कौशल आधारित शिक्षा :

भारतीय शिक्षा प्रणाली में ज्ञान को सदैव व्यवहार और जीवनानुभव से जोड़कर देखा गया था। प्राचीन भारतीय परंपरा में शिक्षा केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसे दैनिक जीवन, श्रम और सामाजिक उपयोगिता के साथ समन्वित किया जाता था। गुरुकुल व्यवस्था में विद्यार्थियों को कृषि, शिल्प, संगीत, आयुर्वेद, योग, युद्धकला और वास्तु जैसे विविध क्षेत्रों का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था, जिससे वे आत्मनिर्भर, कुशल और सामाजिक रूप से उत्तरदायी बन सकें। भारतीय चिंतन में 'करके सीखने' की प्रक्रिया को वास्तविक ज्ञान का आधार माना गया है। इसके विपरीत आधुनिक शिक्षा प्रणाली में लंबे समय तक पुस्तकीय ज्ञान और परीक्षा–केंद्रित अध्ययन को अधिक महत्व दिया गया, जिसके कारण अनेक विद्यार्थी व्यावहारिक जीवन–कौशल से दूर होते गए। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने अनुभवात्मक अधिगम, कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष बल दिया है (एनईपी 2020, पृ. 22)। यह नीति शिक्षा को अधिक व्यवहारिक, रचनात्मक और जीवनोपयोगी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

5. पर्यावरणीय चेतना :

भारतीय संस्कृति में प्रकृति को पूजनीय और जीवन का आधार माना गया है। नदियों, वृक्षों और पर्वतों के प्रति सम्मान की भावना भारतीय जीवन–दृष्टि का महत्वपूर्ण अंग रही है। वैदिक और उपनिषदिक चिंतन में मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलित संबंध स्थापित करने पर बल दिया गया है। वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और पर्यावरण संकट जैसी समस्याओं के समाधान के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा अत्यंत प्रासंगिक सिद्ध हो सकती है।

6. बहुविषयक शिक्षा की अवधारणा :

भारतीय शिक्षा प्रणाली में ज्ञान को अलग–अलग खाँचों में विभाजित नहीं किया गया था, बल्कि दर्शन, गणित, साहित्य, चिकित्सा, ज्योतिष और कला जैसे विषयों के बीच गहरा समन्वय स्थापित किया जाता था। शिक्षा का उद्देश्य बहुआयामी ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति के समग्र विकास को सुनिश्चित करना था। इसी परंपरा को पुनर्स्थापित करने की दिशा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुविषयक शिक्षा पर विशेष बल देती है। नीति के अंतर्गत विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों के अध्ययन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जिससे वे अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार बहुआयामी ज्ञान अर्जित कर सकें (एनईपी 2020, पृ. 34)।

निष्कर्ष :

भारतीय ज्ञान परंपरा केवल अतीत की धरोहर नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए मार्गदर्शक शक्ति है। आधुनिक शिक्षा ने विज्ञान और तकनीक में प्रगति की है, पर इसके साथ नैतिकता, संवेदनशीलता और सांस्कृतिक चेतना का संकट भी बढ़ा है। भारतीय ज्ञान परंपरा समग्र विकास, नैतिक शिक्षा, पर्यावरणीय चेतना, बहुभाषिकता और अनुभवात्मक अधिगम के माध्यम से इस संकट का संतुलित समाधान प्रस्तुत करती है। National Education Policy 2020 ने भारतीय ज्ञान प्रणाली को शिक्षा का महत्वपूर्ण भाग बनाकर इसे नई दिशा दी है। आज आवश्यकता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा को केवल गौरवशाली अतीत नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और व्यावहारिक दृष्टि से आधुनिक शिक्षा में अपनाया जाए। क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य केवल कुशल कर्मचारी बनाना नहीं, बल्कि संवेदनशील, नैतिक और जागरूक मनुष्य का निर्माण करना है।

संदर्भ सूची :

1. अरविंदो, श्री. द फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर. श्री अरविंद आश्रम, 1972
2. गांधी, एम. के. हिंद स्वराज. नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, 1938
3. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, 2020
4. राधाकृष्णन, एस. इंडियन फिलॉसफी. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2008
5. विवेकानंद, स्वामी. एजुकेशन फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग. अद्वैत आश्रम, 2003
6. "इंडियन नॉलेज सिस्टम्स." मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इंडियन नॉलेज सिस्टम्स पोर्टल.
7. "इंडियन नॉलेज सिस्टम्स." मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इंडियन नॉलेज सिस्टम्स एंड एनईपी.
8. "गाइडलाइंस फॉर इन्कॉरपोरेटिंग इंडियन नॉलेज इन हायर एजुकेशन करिकुला." यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, 2023
9. बराल, सत्यजीत. "इंटीग्रेटिंग इंडियन नॉलेज सिस्टम्स फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट थ्रु एनईपी 2020." ग्लोबल ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेशनल इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च जर्नल, वॉल. 13, स्पेशल इश्यू 5, 2024, पेज 415–421
10. मांडवकर, पवन. "इंडियन नॉलेज सिस्टम (आईकेएस) एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (एनईपी–2020). रिसर्च जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, 2025

मेल आईडी – indalia.pardeep9@gmail.com

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
Vol. 14, Issue 5-6
पृष्ठ : 153–158

The Role of Technology in Teacher Professional Development : NEP 2020 and Beyond

Dr Sachin Kumar Singh
Guest Lecturer (Commerce)
Govt. R.P.S.P.G. College, Baikunthpur Korea (C.G.)

Abstract -

The National Education Policy (NEP) 2020 in India has brought about a paradigm shift in teacher teacher professional development by emphasizing the integration of technology. This research article explores the transformative role of technology in shaping teacher training practices, both within the framework of NEP 2020 and in broader educational contexts. The literature review provides a historical perspective on teacher professional development in India and examines the existing body of knowledge on technology-enhanced teacher training. It highlights the theoretical underpinnings and models guiding the use of technology in this domain. The article delves into NEP 2020's specific recommendations regarding technology-enabled development and presents examples of technology tools and platforms being employed for this purpose. It also assesses the impact and effectiveness of technology-driven teacher training programs, discussing their advantages and challenges. The study explores the perspectives of teachers on technology-based professional development and identifies potential obstacles they encounter. It offers insights into best practices and recommendations for stakeholders, shedding light on the future trends and implications of this transformative shift in teacher education. This research contributes to the ongoing discourse on teacher professional development and technology integration, providing valuable insights for policymakers, institutions, and educators aiming to leverage technology for effective teacher training. It underscores the enduring importance of technology in fostering continuous learning among teachers, ultimately enhancing the quality of education in India.

Key Words : Technology, Teacher Professional Development, NEP 2020.

1.1 Introduction :-

The National Education Policy (NEP) 2020, a comprehensive and forward-thinking reform

initiative in India's education landscape, has ushered in a transformative era for teacher professional development. With its visionary goals of revamping the education system to meet the demands of the 21st century, NEP 2020 places a significant emphasis on the integration of technology in teacher training programs. This paradigm shift acknowledges that effectiveness of education largely depends on the quality of its educators and their continuous development. India's rich educational heritage has always recognized the pivotal role of teachers, the architects of the nation's future.

Historically, teacher professional development in India has followed conventional models, emphasizing face-to-face interactions and traditional pedagogical methods. However, the rapid advancements in technology have catalyzed a fundamental transformation in the way educators learn, adapt, and grow in their profession. This research article embarks on a comprehensive exploration of the role of technology in teacher professional development within the framework of NEP 2020 and its broader implications. By delving into NEP 2020's recommendations, examining the evolving landscape of technology tools and platforms, and assessing the impact and challenges of technology-enabled teacher training, this study endeavors to shed light on the unfolding educational revolution. Furthermore, it considers the perspectives of teachers and offers insights into best practices and future trends in technology-driven teacher development. As technology continues to reshape the contours of education, this research underscores the paramount importance of effectively integrating technology into teacher equipped with the skills, knowledge, and adaptability necessary to excel in today's dynamic educational landscape. This integration not only aligns with the global trends in education but also amplifies the potential for enhancing the quality of education in India.

1.2 Technology Tools and Platforms for Teacher Professional :

Development: In the wake of the National Education Policy (NEP) 2020's call for a transformative shift in teacher professional development, technology has emerged as a powerful ally, offering a myriad of tools and platforms designed to enrich educators' skills and competencies. Learning Management Systems (LMS) such as Moodle, Blackboard, and Google Classroom provide a structured digital environment for teachers to access training materials, engage in interactive activities, and track their progress. These systems enable asynchronous learning, allowing educators to tailor their professional development to their schedules. Massive Open Online Courses (MOOCs) on platforms like Coursera, edX, and Khan Academy offer a vast array of courses, including specialized programs catering to teachers. MOOCS provide teachers with the flexibility to explore diverse subjects and gain expertise in areas of their choosing. Webinars conducted on platforms like Zoom and Microsoft Teams facilitate real-time engagement with experts, fostering interactive learning experiences. These virtual workshops cover a wide range of pedagogical topics and enable teachers to network with peers

globally. Educational apps and software serve as valuable resources for teachers to incorporate gamification, interactive quizzes, and collaborative learning experiences into their classrooms. Social media platforms like Twitter and Linkedin, along with dedicated teacher communities like Edutopia, provide spaces for educators to exchange ideas, share resources, and access a global network of peers and mentors. Online libraries and repositories offer teachers access to a vast collection of e-books, research papers, and educational materials to support their professional growth. Additionally, Al-powered adaptive learning platforms leverage artificial intelligence to personalize learning experiences, tailoring content to individual teacher needs. As teacher professional development increasingly adopts technology, educators have an ever-expanding arsenal of tools and platforms at their disposal to enhance their pedagogical skills and adapt to the evolving educational landscape, aligning with the vision set forth by NEP 2020.

1.3 Impact and Effectiveness of Technology-Enabled Teacher Training :

The impact and effectiveness of technology-enabled teacher training have been at the forefront of educational discussions, particularly in the context of the National Education Policy (NEP) 2020's transformative agenda. The integration of technology into teacher development initiatives has yielded multifaceted results, both in terms of positive outcomes and challenges. One of the most prominent impacts has been the increased accessibility professional development opportunities. Technology transcends geographical barriers, allowing teachers from remote areas to access resources. of high-quality training materials and This expanded access promotes inclusivity in teacher training, aligning with NEP 2020's commitment to equitable education. Technology facilitates personalized and self-paced learning experiences. Teachers can choose courses and modules that align with their individual needs and interests, enabling them to deepen their expertise in specific areas. This personalization enhances teacher motivation and engagement, resulting in more enthusiastic and effective educators in the classroom. The effectiveness of technology-enabled teacher training is not without its challenges. Some educators may face a digital divide, lacking access to necessary devices or reliable internet connections. Furthermore, the absence of face-to-face interactions in virtual training environments can lead to feelings of isolation and reduced opportunities for collaborative learning.

Assessing the long-term Impact of technology on teaching practices and Student learning outcomes remains a complex task. While there is evidence of technology's positive influence on pedagogy and classroom innovation, rigorous evaluations are needed to determine its direct and sustained effects on student achievement. Technology-enabled teacher training, as promoted by NEP 2020, has undoubtedly expanded access to professional development and personalized learning experiences for educators. However, its full effectiveness depends on addressing challenges related

to accessibility and the need for comprehensive research to measure its impact on teaching quality and student success.

1.4 Teacher Perspectives and Challenges :

The integration of technology into teacher training, a central theme of the National Education Policy (NEP) 2020, has evoked a range of perspectives and posed certain challenges for educators in India

Perspectives :

Many teachers view technology- enabled training as a valuable opportunity for professional growth and pedagogical enrichment. They appreciate the flexibility it offers, allowing them to engage in learning at their own pace and on their own terms. This approach aligns with NEP 2020's emphasis on lifelong learning, fostering a culture of continuous improvement among educators. Furthermore, teachers often recognize the potential of technology to enhance their teaching practices, incorporating innovative methods and digital resources into their classrooms. Not all educators share this enthusiastic outlook. Some teachers, especially those less familiar with technology, may feel overwhelmed or apprehensive about the digital transition. They may perceive online training as impersonal and lacking the supportive, face-to-face interactions they are accustomed to in traditional professional development settings.

Challenges :

One of the primary challenges faced by teachers in technology-enabled training is the digital divide. Unequal access to devices and reliable internet connectivity in different regions of the country hinders equitable participation. Bridging this divide is essential to ensure that all educators can benefit from online professional development opportunities. Another challenge is the need for digital literacy and technical skills. Teachers, particularly those from older generations, may require training in using technology effectively for their professional growth. Providing adequate digital literacy support becomes critical in addressing this challenge. The absence of a physical learning community can lead to feelings of isolation. Teachers may miss the collaborative aspect of in-person training and the opportunity to share experiences and best practices with colleagues. Teacher perspectives on technology-enabled training under NEP 2020 vary widely, from enthusiasm to apprehension. Addressing challenges related to the digital divide, digital literacy, and the need for community support is essential to ensure that all educators can embrace and benefit from technology-driven professional development opportunities.

1.5 Conclusion :

The integration of technology into teacher professional development, as envisioned by the

National Education Policy (NEP) 2020, represents a transformative journey that holds great promise for India's educators. This paradigm shift has been met with diverse perspectives and encountered a range of challenges, yet its potential impact on the teaching profession is profound. The perspectives of educators vary widely, from those who embrace technology as a catalyst for personal and professional growth to those who approach it with caution due to digital literacy concerns.

Nevertheless, technology's flexibility and capacity to facilitate lifelong learning align seamlessly with NEP 2020's vision of fostering a culture of continuous improvement among teachers. It empowers educators to tailor their learning experiences, access a global network of peers, and explore innovative teaching methods. Despite its immense potential, technology-enabled teacher training is not without challenges. The digital divide persists as a formidable obstacle, requiring concerted efforts to ensure equitable access to online resources. Additionally, addressing educators' digital literacy needs is essential to bridge the gap and enable all teachers to navigate the digital landscape effectively, in the absence of physical learning communities, feelings of isolation may emerge, emphasizing the importance of establishing virtual networks and support structures for teachers undergoing technology driven professional development. While challenges exist, the incorporation of technology into teacher training under NEP 2020 signifies a progressive leap toward enhancing the quality of education in India. It empowers educators to adapt to the dynamic educational landscape, fostering a culture of continuous learning that ultimately benefits students and the nation as a whole. By addressing challenges and embracing the potential of technology, India's teachers can embark on a transformative journey toward excellence in education.

References :-

- Arora, P., & Saini, R. S. (2022). Role of digital technologies teacher professional development: A systematic review. Journal of Education Technology Systems, 51(3), 244-265.
- Bhatnagar, D., & Kumar, R. (2022). Impact of technology-mediated teacher professional development on teaching-learning process in higher education. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 19(1), 1-17.
- Ghosh, S., & Ghosh, O. (2021). Technology-mediated teacher professional development in India: Opportunities and challenges. Education and Information Technologies, 26(1), 47-65.
- Goyal, R., & Sharma, R. (2021), Online teacher professional development: A review of the literature. International Journal of Educational Research Review, 6(1), 1-15.
- Gulati, R. (2022), Technology-mediated teacher professional development for implementation of NEP 2020; A conceptual framework. Indian Educational Review, 57(3), 263-276.

- Kumar, A., & Kumar, R. (2022), Role of technology teacher professional development: A case study of a government school in India. Journal of Educational Technology Systems, 51(2), 165-180
- Mahto, S. (2021), Technology-mediated teacher professional development: A review of the literature. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 18(1), 1-18.
- Ministry of Education, Government of India. (2020). National Education Policy 2020. New Delhi: Author.
- Mishra, P., & Mishra, S. (2021). Technology-mediated teacher professional development: A review of the literature. Education and Information Technologies, 26(2), 123-145,
- Mittal, S., & Sharma, R. (2022). Role of technology teacher professional development: A case study of a private school in India. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 19(2), 1-16.
- National Council of Teacher Education. (2021). National Policy on Teacher Education 2021. New Delhi: Author.
- Niranjan, M. (2022). Technology-mediated teacher professional development for implementation of NEP 2020: A review of the literature. International Journal of Educational Research Review, 6(2), 1-17.
- Pattanaik, P. K. (2021). Role of technology in teacher professional development. A case study of a government school in Odisha, India. Journal of Educational Technology Systems, 51(1), 89-105.
- Saini, D. K., & Saini, R. S. (2022). Technology-mediated teacher professional development in India: A review of the literature. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 19(3), 1-18.
- Sharma, R., & Sharma, R. (2022). Technology-mediated teacher professional development for implementation of NEP 2020: A conceptual framework. Indian Educational Review, 57(4), 362-373.
- Singh, P. K., & Singh, R. K. (2022). Technology-mediated teacher professional development for implementation of NEP 2020: A review of the literature. International Journal of Educational Research Review, 6(3), 1-16.

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 14, Issue 5-6
पृष्ठ : 159–170

Women's Participation and Empowerment in Panchayati Raj : An Analysis

Dr. Shushil Dubey, Assistant Professor
Bhaskar Kulaste, Research Scholar
Sociology, Rani Durgavati University Jabalpur (M.P.)

Abstract :-

This research paper examines the participation and empowerment of women in Panchayati Raj institutions in India. Panchayati Raj is a constitutional framework that aims to empower local self-governance at the grassroots level. Despite its potential to promote gender equality and women's empowerment, the effective inclusion and participation of women in decision-making processes remain limited. This study explores the challenges and opportunities faced by women in Panchayati Raj institutions, analyzes the impact of their participation on local governance, and identifies strategies to enhance women's empowerment. The research paper will include a comprehensive review of existing literature, analyze primary and secondary data, and provide a critical evaluation of the current state of women's participation and empowerment in Panchayati Raj.

Introduction :

Women's participation and empowerment in Panchayati Raj is a crucial issue that needs to be addressed in order to achieve gender equality and inclusive development in rural areas. Panchayati Raj is a system of local self-government in India, through which people participate in decision-making processes that affect their lives at the grassroots level. The system aims to decentralize power and promote participatory governance, which can only be achieved if women are equally represented and empowered in the Panchayati Raj institutions.

Historically, women in India have faced numerous gender-based discriminations and inequalities, both within their families and in society at large. This has resulted in their marginalization and exclusion from decision-making processes, which has hindered their overall development and wellbeing. Recognizing the need to address this issue, the Government of India introduced reservations for women in Panchayati Raj institutions through the 73rd Amendment Act of 1992. This landmark

amendment aims to ensure that at least one-third of the seats in the Panchayati Raj institutions are reserved for women.

The participation and empowerment of women in Panchayati Raj have significant implications for the overall development and progress of rural areas. Firstly, it provides women with a platform to voice their concerns, needs, and aspirations, and contribute to the decision-making process. This helps in addressing gender-specific issues and implementing policies that are responsive to the needs of women. It also enables women to become proactive agents of change and development in their communities. Secondly, women's participation in Panchayati Raj institutions has been shown to improve governance outcomes at the grassroots level. Studies have indicated that female representatives tend to prioritize social welfare issues such as health, education, sanitation, and women's rights. Their involvement in decision making also leads to the introduction of gender-sensitive policies and programs, which address the specific needs and challenges faced by women in rural areas.

Furthermore, women's participation in Panchayati Raj institutions has the potential to challenge and transform gender norms and stereotypes prevalent in society. By actively participating in public life and taking up leadership roles, women challenge the traditional gender roles assigned to them and inspire other women to do the same. This has long-term implications for women's empowerment and gender equality, as it helps in challenging patriarchal structures and empowering women to take control over their lives and destinies.

Lastly, women's participation in Panchayati Raj institutions is not only important for achieving gender equality but also for achieving inclusive and sustainable development. Women make up around half of the population in rural areas, and their meaningful participation is crucial for the effective implementation of development programs and policies. Their inputs and perspectives are vital for ensuring that these programs are responsive to the needs and aspirations of the entire community.

Women's participation and empowerment in Panchayati Raj are of utmost importance for achieving gender equality, inclusive development, and sustainable governance in rural areas. The introduction of reservations for women in Panchayati Raj institutions has been a significant step towards addressing gender-based discriminations and inequalities. However, there is still a long way to go in terms of ensuring substantive representation and participation of women in these institutions. Efforts need to be made to create an enabling environment for women to participate, including addressing cultural and socio-economic barriers. It is only through the active involvement of women in decision-making processes that true empowerment and gender equality can be achieved in rural areas.

Review of Literature :

Panchayati Raj, translated as "local self-government," is a system of governance in rural India that aims to decentralize power and promote democratic participation at the grassroots level. Instituted in 1992, Panchayati Raj has paved the way for women's inclusion in decision-making processes. This essay presents a comprehensive literature review examining the impact of Panchayati Raj on enhancing women's participation in local governance. By critically analyzing key studies and research papers, this review aims to shed light on the progress made, challenges faced, and future prospects regarding women's empowerment through Panchayati Raj.

The section explores the historical context of Panchayati Raj, tracing its roots back to the ancient Indian system of village assemblies, and its journey through various stages of development. This part of the review serves as a foundation for understanding the significance of Panchayati Raj in contemporary India.

The literature review presented in this essay highlights the significance of Panchayati Raj in promoting women's participation and empowerment in rural governance. Through an examination of existing research and studies, the review identifies the progress made, challenges faced, and recommendations for future improvements. By promoting women's inclusion and providing them with decision-making powers, Panchayati Raj has the potential to contribute significantly to gender equality and sustainable development in rural India.

Based on the synthesis of existing literature, this review highlights the persistent inequality in women's participation in Panchayati Raj institutions. It emphasizes the importance of addressing structural barriers, societal norms, and widespread gender inequalities to achieve meaningful inclusion and effective participation. The review also identifies avenues for future research, emphasizing the need for rigorous evaluation of ongoing reforms and interventions to ensure sustained progress in women's participation in Panchayati Raj.

J.S. Millonce observes that "The only government, which can satisfy all exigencies of social state is one in which the whole people participate". The women constitute half of the society. However, in India women have been deprived of various kinds of opportunities and advantages by our traditional society for the past several centuries. The woman was marginalized from the public sphere and most of the decisions are taken by the male dominated power structure in the society. The feudal attitudes of looking down upon the abilities of women and not promoting them, is still continuing in different degrees at various levels of our society. While women have made many advances, their inferior status to men continues to be a global phenomenon. At a time of unprecedented economic growth, India is experiencing a dramatic intensification of violence against women and the majority of girls are still

not getting equal educational opportunity. Various initiatives are taken to improve the status of women in independent India. Of great importance in this respect was the 73rd Constitution Amendment Act, 1992. This was a historic event towards revitalization of Panchayati Raj Institutions in general and empowerment of SCs, STs and women in particular. The instrument is aimed at empowering these groups who were getting marginalized and subjected to various types of oppressions. This development, besides making panchayats truly self-governing units and representative of people, offers these groups an opportunity to participate actively in their decision making process. Punjab government, like many other states of India, has also given 50% reservations to women in Panchayati Raj Institutions in 2018. As a result, during the elections held in December 2018, 50% women were elected in local bodies in Punjab.

The term empowerment is a broad concept and it depends on the situations in which it has been used. It can be said that empowerment is the ability or capacity attained by a person to determine his/her destiny. Empowerment refers to measures designed to increase the degree of autonomy and self-determination in people and in communities in order to enable them to represent their interests in a responsible and self-determined way, acting on their own authority.

Empowerment as action refers both to the process of self-empowerment and to professional support of people, which enables them to overcome their sense of powerlessness and lack of influence, and to recognize and use their resources. In a broader sense, empowerment is a multi- dimensional social process that helps people gain control over their own lives. So empowerment has multiple, interrelated and interdependent dimensions such as economic, social, cultural, psychological and political dimensions (Sowdeeswari, 2014).

Women's Participation and Empowerment in Panchayati Raj The Profile of Women Participating in Panchayati Raj :

Panchayati Raj is a system of local self-governance in rural areas of India. It was introduced to decentralize power and decision-making to the grassroots level. One of the significant achievements of Panchayati Raj is the increased participation of women in local governance. In this essay, we will discuss the profile of women participating in Panchayati Raj and the factors that influence their involvement. The participation of women in Panchayati Raj is a result of the 73rd and 74th Constitutional Amendments in India. These amendments mandated reserved seats for women in Panchayati Raj institutions. As a result, at least one-third of the seats in all levels of the Panchayati Raj system are reserved for women candidates. This move has empowered women and provided them with an opportunity to actively participate in decision-making processes at the local level.

The profile of women participating in Panchayati Raj is diverse. They come from different

backgrounds, castes, religions, and educational levels. However, there are certain common features that we can observe in their profile. First and foremost, the majority of women participating in Panchayati Raj belong to the marginalized sections of society. They are often from lower castes, economically disadvantaged backgrounds, and have limited access to education and resources. These women face multiple forms of discrimination based on their gender, caste, and socio-economic status. One of the significant influences on women's participation in Panchayati Raj is education. Education plays a crucial role in empowering women and giving them the confidence to participate in public life. However, the level of education among women in Panchayati Raj is relatively low compared to their male counterparts. Many women who hold positions in Panchayati Raj institutions have only primary or secondary education. This is due to various reasons such as limited access to education opportunities, early marriage, and familial responsibilities.

Another factor influencing women's participation in Panchayati Raj is social and cultural norms. Despite legal provisions, women still face resistance and opposition from traditional power structures and patriarchal mindsets. Many women in Panchayati Raj face hostility from male members or even their own families who do not believe in women participating in decision- making processes. As a result, women often face numerous challenges in asserting their authority and making their voices heard.

However, despite these challenges, women in Panchayati Raj have made significant contributions. They have brought in fresh perspectives, innovative ideas, and have focused on issues of importance to women, such as education, health, sanitation, and women's empowerment. Women have actively participated in the planning and implementation of various development programs and have made a positive impact on their communities.

Additionally, women in Panchayati Raj have shown exceptional leadership skills and have proven their ability to effectively govern. They have successfully taken up responsibilities, such as mobilizing resources, managing finances, and implementing welfare schemes. This has challenged the stereotype that women are not capable of handling public affairs.

To further enhance women's participation in Panchayati Raj, several measures need to be taken. Firstly, efforts should be made to improve women's access to education and skill development. Women with higher education are more likely to participate actively and contribute meaningfully to local governance. Secondly, awareness campaigns should be conducted to change societal attitudes towards women in leadership positions. It is essential to emphasize the importance of gender equality and the benefits of women's participation in decision-making processes.

Furthermore, women's reservation in Panchayati Raj should be accompanied by capacity-

building programs to impart necessary skills and knowledge to women leaders. These programs should focus on governance, financial management, and leadership development, to enable women to overcome the challenges they face. Additionally, institutional support and mentoring should be provided to women leaders to ensure their successful participation and sustainability in Panchayati Raj institutions.

The profile of women participating in Panchayati Raj is diverse, with women coming from various backgrounds and facing different challenges. Education and social norms are significant factors that influence women's participation in Panchayati Raj. Despite these challenges, women have made significant contributions and have emerged as capable leaders in local governance. However, more efforts are needed to enhance women's participation and ensure their effective representation in Panchayati Raj. Women's empowerment and gender equality should be prioritized to create an inclusive and truly democratic society.

Empowerment through Capacity Building in Panchayati Raj :

Panchayati Raj is a system of local self-governance in rural areas of India. The term Panchayati Raj refers to genuine local governance by elected representatives. It aims to decentralize political power and empower local communities to manage their own affairs. However, for true empowerment to take place, there is a need for capacity building of the elected representatives and other stakeholders involved in Panchayati Raj. This essay will discuss how empowerment through capacity building can strengthen Panchayati Raj and result in effective local governance.

- **Definition of Capacity Building :**

Before delving into the topic, it is essential to understand the concept of capacity building. Capacity building refers to the process of enhancing an individual or organization's ability to perform specific tasks. It involves acquiring, strengthening, and maintaining the necessary knowledge, skills, and attitudes to meet current and future challenges. In the context of Panchayati Raj, capacity building focuses on empowering elected representatives, officials, and community members to effectively govern and manage local affairs.

- **Importance of Capacity Building in Panchayati Raj :**

Capacity building is crucial in Panchayati Raj for several reasons. First and foremost, it enables elected representatives to understand their roles, responsibilities, and powers bestowed upon them by the Constitution. Many elected representatives in rural areas are not familiar with the intricacies of governance and may lack the knowledge necessary to effectively discharge their duties. Capacity building programs can provide them with the necessary training and information to better understand their roles, thereby strengthening the functioning of Panchayati Raj.

Secondly, capacity building can enhance the skills and capabilities of elected representatives. It can train them in areas such as policy formulation, budgeting, project management, and conflict resolution. These skills are essential for them to carry out their mandated tasks efficiently and effectively. Additionally, capacity building can teach them techniques for community engagement, participatory decision-making, and consensus-building, thereby improving the quality of local governance.

Furthermore, capacity building can foster transparency and accountability in Panchayati Raj. By equipping elected representatives and officials with knowledge about governance, administrative procedures, and financial management, it becomes more difficult for corruption and malpractice to prevail. Capacity building can also educate them about the rights and entitlements of citizens, enabling them to advocate for the welfare of their communities and hold other stakeholders accountable.

- **Capacity Building Initiatives in Panchayati Raj :**

Several initiatives have been taken to promote capacity building in Panchayati Raj. The Ministry of Panchayati Raj and various state governments have launched programs and schemes to train and empower elected representatives. For example, the National Institute of Rural Development and Panchayati Raj (NIRD&PR) conducts several capacity building programs for elected representatives and stakeholders. These programs cover various aspects of governance, including policy-making, financial management, and social mobilization.

Additionally, non-governmental organizations (NGOs), civil society organizations, and academic institutions have played a significant role in capacity building in Panchayati Raj. These organizations conduct training workshops, conferences, and seminars to create awareness and empower elected representatives and other stakeholders. They provide guidance on practical issues faced by Panchayati Raj institutions and help build skills and capabilities to address them.

- **Benefits of Capacity Building in Panchayati Raj :**

Empowerment through capacity building in Panchayati Raj can yield numerous benefits. Firstly, it can lead to improved decision-making and community participation. When elected representatives are well-informed and possess the necessary skills, they can make informed decisions that reflect the needs and aspirations of the local community. This not only enhances the quality of governance but also fosters a sense of ownership and participation among citizens.

Secondly, capacity building can promote sustainable development at the grassroots level. By equipping elected representatives with knowledge and skills related to planning, implementation, and monitoring of development projects, they can effectively utilize the available resources and funds for the benefit of their communities. Capacity building can enable them to identify and address local

development issues, prioritize projects, and allocate resources accordingly, thereby promoting overall development and well-being.

Furthermore, capacity building can lead to the empowerment of marginalized and underrepresented groups. Women and socially disadvantaged communities, who often face multiple barriers in participating in governance processes, can benefit greatly from capacity building initiatives. The training and support provided can equip them with necessary skills and confidence to engage actively and assert their rights in the decision-making process. This can contribute to their socio-economic empowerment and bridge the existing gaps in representation and voice.

While capacity building is essential for empowering Panchayati Raj institutions, there are several challenges that hinder its effective implementation. Firstly, limited financial resources often constrain the government's ability to provide comprehensive capacity building programs to all elected representatives. To address this, partnerships with NGOs, civil society organizations, and academic institutions can be leveraged to share the burden and provide training and support to a larger number of elected representatives.

Women's Participation in Decision-Making :

Panchayati Raj is a decentralized system of governance in India that aims to empower local communities by increasing their participation in decision-making processes. With the implementation of the 73rd Amendment Act in 1992, reservation quotas were introduced to ensure the political representation of women in elected bodies at the grassroots level. This essay aims to explore the challenges faced by women in their participation, the achievements made so far, and the future perspectives of women's role in decision-making in Panchayati Raj.

Challenges :

- **Patriarchal mindset :** Despite legal provisions, deep-rooted patriarchal beliefs prevail in many parts of India, limiting women's active participation in decision-making. Cultural norms, gender stereotypes, and traditional views on women's roles hinder their inclusion in leadership positions within Panchayati Raj institutions.
- **Lack of awareness and education :** Illiteracy and lack of awareness about their rights and the functioning of the Panchayati Raj system obstruct women's active involvement. Without adequate knowledge, women may not be able to leverage the opportunities provided by the reserved seats to contribute effectively.
- **Limited access to resources :** Economic dependency and lack of access to resources such as finance, information, and technology create significant barriers for women's involvement. These constraints restrict women from actively participating in decision-making processes and implementing

developmental initiatives effectively.

- **Social barriers and stereotypes :** Social stigmas and biases discourage women from challenging traditional gender roles and entering public spheres. Stereotypes regarding women's capability, leadership skills, and perception of their primary role as caregivers hinder their progress in Panchayati Raj institutions.

Achievements :

- **Increased political representation :** The introduction of reservation quotas has significantly increased the political representation of women at the grassroots level. It has provided a platform for women to voice their concerns, actively participate in decision-making, and bring about positive changes in their communities.
- **Focus on gender-specific issues :** Women's presence in decision-making bodies has brought attention to gender-specific issues such as maternal health, education, sanitation, and women's empowerment. Their insights and experiences have led to the formulation and implementation of policies that address these concerns effectively.
- **Socio-economic development :** Evidence suggests that women's participation in Panchayati Raj institutions has led to notable improvements in socio-economic development indicators. The inclusion of women in decision-making processes has resulted in better allocation of resources, increased emphasis on education, and enhanced social justice within communities.
- **Role models and empowerment :** Women holding influential positions in Panchayati Raj have become role models for other women, inspiring them to overcome social barriers and strive for leadership roles. This process of empowerment has catalyzed the transformation of traditional gender roles and contributed to social change.

Future Perspectives :

- **Strengthening gender-sensitive policies :** There is a need to develop and implement policies that are gender-sensitive and address the unique challenges faced by women in Panchayati Raj institutions. Measures such as capacity building programs, awareness campaigns, and support systems must be prioritized to facilitate women's active participation.
- **Enhancing education and awareness :** Investments in education and awareness programs are crucial to empower women with knowledge about their rights, responsibilities, and the functioning of the Panchayati Raj system. This will enable them to effectively contribute to decision-making processes and navigate complex bureaucratic procedures.
- **Addressing social and cultural barriers :** Comprehensive efforts must be made to challenge patriarchal norms, eliminate gender stereotypes, and address social stigmas that hinder women's

participation. Community engagement, sensitization workshops, and public campaigns are instrumental in changing mindsets and creating an inclusive and supportive environment for women's involvement.

- **Economic empowerment and resource accessibility :** Providing women with access to economic resources, training opportunities, microfinance initiatives, and leveraging digital technology can enhance their participation in decision-making processes. Strengthening their financial independence will not only contribute to their empowerment but also enable sustainable development in their communities.

Women's participation in decision-making within Panchayati Raj institutions has brought about significant positive changes in India. However, several challenges still impede their active involvement. Policymakers, civil societies, and communities must collectively address these challenges and work towards creating an inclusive and gender-equitable governance framework. Only through continuous efforts can we ensure that women's voices are heard and their perspectives are integrated into policy-making processes, contributing to the overall development of the country.

SUGGESTIONS :

1. There is a need to increase Literacy level among women because when women become literate, then they become more powerful and confident about themselves.
2. There is a need to spread awareness among young educated girls about the importance of Politics in Nation's development. So we need to bring educated women or girls in politics for women empowerment and also for our country's development.
3. Need to fix a minimum qualification to contest elections for Panchayati Raj Institutions. Thus educated women come in these institutions.
4. Proper training should also be given to elected representatives of Panchayati Raj Institutions especially to women about their role and powers in Panchayati Raj Iinstitutions.
5. There is need to stop entry of husbands/sons (male relative) of Women Elected Representatives in all meetings of Gram Panchayats, Panchayats Samities or Zila Parishads, to insure actual empowerment of women representatives in PRIs.
6. Printed material should also be distributed time to time among women representatives to aware them about their duties and rights/powers.
7. Some seminars should also be organized in Pancahyati Raj Institutions about women empowerment, so that women representatives become confident and do their work by themselves and don't depend on their husbands or other male family members.
8. Society should also need to change its opinion about women leadership.

Conclusion :

At the end it can be said that with the establishment of Panchayati Raj Institutions in our country a woman gets an opportunity to prove her worth as a good administrator, decision- maker or a good leader. The 73rd Constitutional Amendment Act, 1992 is a milestone in this regard. It provides women a chance to come forward. It is up to them to make use of this opportunity. This experiment is proving to be a big success particularly by providing opportunity to women to come out of their houses and participate in administrative and political field. PRIs become a good platform for women empowerment. However, women are still not empowered. They are elected and working equal to men but there are so many challenges/problems for women in PRIs, which needs to solve, by themselves and by government and also by our society. After that we can said that women are empowered.

References :

- Agarwal, B. (1997). "Bargaining" and Gender Relations: Within and Beyond the Household. Feminist Economics, 3(1), 1-51.
- Bhende, A., & Rakshit, A. (2015). Decentralization and women's representation: Evidence from local government in India. Journal of Development Studies, 51(5), 586-603.
- Chawla, R. (2017). Women empowerment and political participation in India's Panchayati Raj institutions. Indian Journal of Public Administration, 63(1), 159-178. Desai, S., & Chakravarty, S. (2017). Impact of reservation of seats for women on gendered outcomes in local governance: Evidence from Maharashtra, India. World Development, 93, 297-311.
- Mani, M., Mitra, A., & Roy, S. (2016). Voting behavior and women's political empowerment in Indian states. World Development, 77, 79-93.
- Narayan, D., Patel, R., Schafft, K., Rademacher, A., & Koch-Schulte, S. (2000). Voices of the poor: Can anyone hear us?. Oxford University Press.
- Rao, V. (2006). The politics of women's rights: Parties, positions, and change. Oxford University Press.
- Sarin, M. (2016). Gender and governance: Insights from rural India. Economic and Political Weekly, 51(11), 50-57.
- Shah, Gita. (2011). Empowering women through political and electoral participation: An approach to capacity building. Journal of International Women's Studies, 12(3), 100-120.
- Verma, S., Rani, G., & Saxena, S. (2016). Impact of reservation policy on women political participation in India: A study of village council elections in Himachal Pradesh. Journal of Political Studies, 23(2), 213-231.

- Abdul Sameer PM, "Empowerment Of Women Through Their Participation In Panchayati Raj Institutions: A Case Study Of Malappuram District Of Kerala", UGC Minor Research Project, Government College Malappuram, December, 2017.
- Women's Leadership in Panchayati Raj Institutions.
- Empowerment of Women through participation in Panchayati Raj Institutions: Some structural impediments and a Training Strategy", a Study report available at http://planningcommission.nic.in/reports/sereport/ser/ser_priwmn.pdf accessed on 18/03/2019

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
Vol. 14, Issue 5-6
पृष्ठ : 171-179

A Study on Artificial Intelligence on E- Commerce And It's Impact on Digital Economy

Anjali Shrivastava, Research Scholar,
Dr. Sanjay Sharkar Mishra, Professor and Head
Commerce Department, Govt. T.R.S. College, Rewa (M.P.)

Abstract -

Artificial intelligence (AI) is a large subject of computer science to the development of Intelligence computers capable of doing task that would typically need human intelligence.

AI programming focuses on three cognitive process, learning, reasoning, and self – Correlation. Many e- commerce firms today employee artificial intelligence to better Understand their customers and meet their expectations. Machine learning, the most

Popular subject of AI technology, can make sense of all the data that online stores collect And use it to provide insights that improve customer experience, streamline internal Business operations and combat fraud. This paper basically aims to identify some key digital Of AI in e- commerce by reviewing research articles from various sources. The study conducted that AI based on digital e commerce improving the efficiency. The are investing More and more with coming time to help their business to grow and boom in the recent years.

Keywords - E – Commerce, Artificial intelligence, efficiency and insights, machine learning, business.

INTRODUCTION :

AI based on e-commerce refers to integrating Artificial intelligence technologies into Online retail operations. Online stores that use AI often see happier customers due to personalized shopping experiences, smoother operations thanks to automated inventory management and better sales from targeted marketing. The modern information age being along new possibilities, software and technological innovations usable in marketing and shopping new technologies for companies to be more creative technologies help increase the efficiency. Quality and cost Effectiveness of services provided businesses. contemporary creativity is based primarily on the development of the so called information and

communication technologies, which have a major on the development of the business environment. The effectiveness of information and communication technologies depends on several Factors, such as investment in human capital and an appropriate combination of e-Commerce solutions. One sector where the digital transition and importance of e-Commerce are particularly pronounced is retail, where digital tools, such as website, replace to a certain extent, or complement physical commerce. Allowing for personalized product recommendations, targeted marketing, improved search functionality, and enhanced customer service through features live Chabot's, all aimed at optimizing the shopping Experience and increasing sales on an e-commerce platform.

STATEMENT OF THE PROBLEM :

AI based on digital e-commerce has significantly transformed the way businesses engage with consumers, revolutionizing industries such as food, retail, and services transformation. Artificial Intelligence (AI) technologies has further enhanced this transformation, providing Opportunities for increased personalization, improved efficiency, and optimized business Processes. In digital ecommerce AI systems often rely on vast amounts of consumer data (such as purchase history, preferences, location, and more). Furthermore, issues Surrounding data protection regulations, such as challenges for businesses to ensure they Comply with the necessary legal frameworks while also leveraging data for AI based on digital e-commerce. However, challenges such as data privacy, algorithmic bias, job displacement, lack of transparency, and regulatory compliance must be addressed in order to realize the full benefits of AI technology. By addressing these issues headon, businesses, policymakers, and consumers can work together to create a more equitable, efficient, and transparent digital e-commerce ecosystems powered by AI.

REVIEW OF LITERATURE :

Kaplan and Haenlein (2019), said that enable e- Commerce platform to deliver highly personalized shopping experiences by analyzing vast amount of consumer data to predict preferences, recommended products and tailor content. Machine learning algorithms, particularly collaborative filtering and content based filtering, have been shown to significantly improve product recommendations systems (Smith et al.., 2022) .[1]

Chung et al. (2021) said that Consumers expect a personalized online experience and are more likely to make repeat purchases from platforms that provide tailors recommendations. However, the extent to which AI – powered personalization enhances the shopping experience depends on the accuracy and relevance of the data used. Studies suggest the likelihood of driving sales (Lee, 2022).[2]

Gnewuth et al. (2017) said that AI chatbots are effective in handing customer inquiries, providing 24/7 assistance and reducing the need for human intervention. Chatbots are able to resolve common issues such as order tracking, product inquiries, and returns which leads to improved customer satisfaction and reduced operational costs.[3]

[1] Kaplan and Haenlein(2019) "significantly improve product recommendation systems"
[2] Chung et al (2021) "Consumer expect a personalized online experience "
[3] Gnewuth et al (2917) "Improved customer of satisfaction and reduced operational costs "

RESEARCH GAP AND OBJECTIVES OF THE STUDY :

Most of the research focused on the AI based on digital e-commerce often referring to the varying regulatory e- Commerce. At initial stage face AI platforms based eco friendly practices in their daily lives. Most of the times strategies of the AI based on digital e-Commerce related to regulation various from place to another place. Mostly studies provide a generalized view of artificial intelligence and e- Commerce also whether innovation of new technologies leads to AI based on digital e-Commerce platforms.

These research is based on the following objectives,

- To examine the short-term impact of AI based on digital e-commerce.
- To examine the whether a leads to better ROI for advertisers and more relevant ads or customers.
- To evaluate AI based on digital e-commerce related to regulation in creating innovative technology.
- To understand how to face the AI digital e- commerce
- To find out the contribute to increased sales and revenue generation.

METHODOLOGY :

This research is based on both doctrinal and non doctrinal research. The sources of data collected from various newspaper, magazines, books, reports and e-resources. The sample size of the respondent are 50. In this research, stratified random sampling is used. In this research, adopted some of the statistical tool is percentage and average method. The Jurisdiction of the research is to cover is madurai and Chennai. The duration of the research Is three months.

SIGNIFICANCE OF THE STUDY :

It helps to understand how the E-commerce regulation has an impact on the AI based one digital e- commerce. To know both positive and negative Artificial intelligence of the e-Commerce regulation on related to platforms. How it increase the e- commerce using in short run and leads to creation of new innovative technologies. How it creates sustainable AI based on digital ecommerce and for the AI to work in the e- commerce platforms. To know how it also helps to provide monetary benefit for the e-commerce. Artificial intelligence on digital e-commerce has significantly transformed the way businesses engage with consumers, revolutionizing industries such as food, retail and service transformation.

HYPOTHESIS OF THE STUDY :

The study is mainly based on following hypothesis,

H□: The integration of Artificial Intelligence in digital e- commerce enhances customer satisfaction and engagement.

H2 : Consumer trust in AI-based e-commerce systems is recommended by transparency and ethical considerations in AI use for online purchase.

LIMITATIONS OF THE STUDY :

Reliability of this research is based on goggle form cannot be calculated. Duration of this research is only three months. This study is limited to Madurai and Chennai city Only. Reliability of financial data on compliance cost may not be accessibly. The e-Commerce may differ from industry to industry. The Artificial intelligence platforms Regulation may differ from industries and the stringency of regulation may differ from area to area and industry to industry.

E-Marketing or digital Marketing :

E-commerce is the practice of buying and selling goods over the internet. The e-Commerce sector has been one of the most transformative industries on the planet Because it offers qualities that traditional brick-and-mortar shopping methods often Can't compete with, such as enhanced convenience and personalization. E-Commerce has become the bedrock of how many retailers operate and will continue To dictate the way we buy and sell in the future. E-commerce refers to the buying and selling of goods and services over the internet. This type of commerce came into popular use in the late 1990s with the rise of Amazon.com and has grown exponentially in recent years, as more people use the Internet to purchase items. The prominence of e-commerce is demonstrated by the Fact that people now mention Cyber Monday in the same breath as black Friday during the holiday shopping season .e-commerce, or electronic commerce, refers to any type of commercial transaction That takes place over the internet. This can include buying and selling physical goods, as well as digital products and services. Unlike traditional retail stores, ecommerce businesses do not need to have a physical location. The e-commerce industry's rise has led to the creation of new online brands, new marketplaces that facilitate transactions between buyers and sellers, new sources of revenue for publishers and social media platforms, and a new burgeoning sector of vendors that service e- commerce businesses.

History of marketing :

On August 11, 1994, Phil Brandenberger of Philadelphia made the first ever credit Card purchase using encryption over the internet, ushering in the modern e- Commerce era. The purchase? Sting's 1993 CD Ten Summoner's Tales, of course. The Seemingly mundane $12.48 purchase set off what would eventually become one of The most transformative industries in the world. By the turn of the century, notable e-commerce giants had emerged, including Amazon, which started as a bookseller but today accounts for 40 percent of the entire e-commerce market, and eBay, a marketplace platform that facilitates peer-to-peer selling of goods, such as electronics, art and clothing.By the early 2010s, it became clear that social platforms like Facebook and Instagram Were the most efficient places for e- commerce brands to advertise their products.

E Marketing Growth :

About one-fifth of all retail purchases are made online, which amounts to more than $1 trillion in online retail sales. By 2026, that number is forecast to grow to about 25 Percent. For some perspective, consider that in 2004, e- commerce sales only made Up two percent of purchases in the United States.

Types of E-Commerce Models :

Business to Consumer (B2C) :

The most common type of e-commerce is business to consumer. This is when Retailers sell their products or services to shoppers through their own website or an Online platform.

Business to Business (B2B) :

In B2B e-commerce, businesses sell products or services to other businesses online.

Consumer to Consumer (C2C) :

In C2C e-commerce, consumers sell products or services to other consumers Through an online platform, such as eBay, Craigslist, Etsy or Postmarks.

Consumer to Business (C2B) :

Consumer to business e-commerce is a model in which consumers create or provide Value to businesses. Some examples include: a photographer licensing their work, a Freelancer offering contract work via a gig platform or a tech device blogger including Affiliate links .

E-Commerce Companies :

E-commerce companies could technically refer to any company within the e-Commerce industry. But for these examples, we only have online retailers in mind. Examples of e-commerce companies include: Stitch Fix,Chewy,Harry's,E- Commerce Marketplaces e-commerce marketplaces help facilitate transactions between buyers and sellers On a large platform. Examples of e-commerce marketplaces include: Amazon,eBay,Etsy,E-Commerce Vendors e-commerce vendors help ecommerce companies, platforms and marketplaces run Their businesses more efficiently — whether it's by providing cloud storage, payment Processing, web design, marketing or shipping and logistics services. Examples of e-Commerce vendors include: Big Commerce, shopify, yotpo.

Benefits of E-Commerce :

E-commerce offers benefits to both buyers and sellers that physical retail stores Simply can't.

Convenience for Consumers :

E-commerce provides shoppers with an unrivaled level of convenience. People can Buy just about anything they need without getting out of bed — day or night — and it Takes just a few mouse clicks or screen taps and a couple of shipping days (even fewer) for your purchase to arrive at your doorstep.

Wider Selection for Consumers :

With e-commerce, shoppers also have access to thousands of crowd-sourced Reviews to help verify a product's quality. Price, rather than simply sticking with Whatever the local retail store has on its shelves.

Lower Costs for Businesses :

Millions of entrepreneurs can set up their online shops with lower overhead costs Than traditional brick-and- mortar stores. There is no need to staff physical store Locations, for example.

Personalization for Both Consumers and Businesses :

E-commerce personalizes the entire shopping experience. This has benefits for both Shoppers and merchants alike. On the seller side, e-commerce allows you to Programmatically display specific advertisements and products that directly appeal To an individual customer. Using data on what sellers have viewed or put into their Online carts, sellers can then gently remind buyers to purchase their recently viewed Items. This type of information has streamlined the selling process and has enabled Online retailers to grow their profits.

Few of the latest trends in e-commerce: Omnichannel :

To stay successful, many e-commerce brands will continue to employ an Omnichannel strategy. Omnichannel refers to having multiple touch points retail Store, website, social, email, mobile app, SMS that together provide a seamless, Unified experience for customers, no matter which channel they use. For example, if a customer starts shopping on a website but then decides they want to finish in the Store, the retailer could, in theory, track their progress and continue the sale. This Trend is becoming increasingly important as customers expect a consistent Experience across all channels.

Personalization :

In recent years, the personalization of online shopping has become nearly ubiquitous In ecommerce. Many customers have come to expect relevant recommendations and uniquely

tailored marketing messages just for them. This may present a challenge for brands as third-party data is phased out and regulations make data tracking more difficult, which means brands are looking to collect first-party dacultivacultivate customer loyalty in other ways.

Social Commerce :

More people are looking to shop on social media platforms. And at The same time, many are finding community in spaces cultivated by retail brands.

Voice-Enabled Search :

With the rise of voice assistants like Siri and Alexa, voice-enabled shopping may Become an increasingly important part of the e-commerce landscape.

Table – 1 : The types of products do you usually buy online.

Items	Particulars	No. Of Responsibility
The type of products do you usually buy online	Clothing and fashion	25 (51.0)
	Electronics and gadgets	14 (28.6)
	Books and media	3 (6.1)
	All types of products	11 (2.0)
	Nothing	1 (2.0)
	Others	0 (0.0)

Source : Primary Data

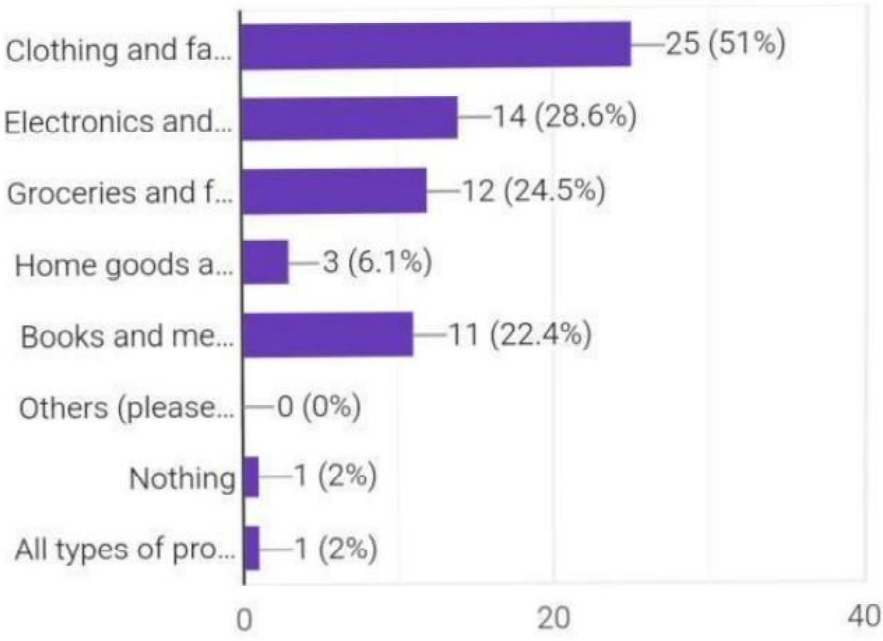

Interpretation :

Table -1 the type of products to you usually buy a online to prefer the products the highly clothing and fashion is 51.0 percentage of responsibility. Next electronics and gadgets is 28.0 percentage of responsibility books and others there are 56.0 percentage of responsibility give me a vote.

Table 2 : AI – powered by recommendations to guide your online purchases.

Items	Particulars	No. Of Responsibility
AI powered by recommendations to guide your online purchases	Yes	38 (69.4)
	No	15(30.6)

Source : Primary Data.

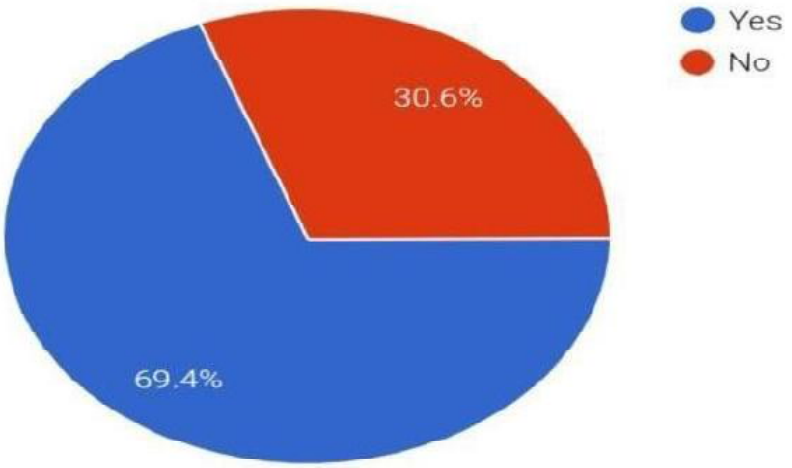

Interpretation :

Table -2 AI Powered recommended by guide your online purchases' are to highly responsibility are" yes" this percentage are 69.4 percentage of responsibility give a voting another one of the people of responsibility giving a opinion for 30 .6 percentage of responsibility give me a vote.

Part -C : DestingHypothesis :

H1: The integration of Artificial intelligence in digital Ecommerce customer satisfaction and Engagement.

Table 3 – the type products prefer to you online purchase are this illustration of first Hypothesis are connected this method accept the responsibility. This is null hypothesis.

H2 – Consumer trust in AI powered Ecommerce system is recommended by a transparency and ethical considerations in AI use for online purchase.

Table 6 : AI powered recommended to guide to online purchase this illustration are this Methods for applicability. There are responsibility in the accepted. This is null hypothesis.

CONCLUSION :

The aim of the paper was to describe the essence of e-commerce and artificial intellicence and their benefits. The paper also provides insight into the evaluation of the importance of artificial intelligence and its future use in the context of e-commerce based on available Studies on this issue. In today's world of commerce and digital technology, e-commerce Plays an importance role. Today, people use the Internet on a daily basis; they are willing to Try new products and brands, but they are also critical and demanding. In this case, e-Commerce appears to be a suitable option to meet their requirements. The application of Artificial intelligence in e- commerce has become the subject of interest of many business Scientists and experts. Previous research has highlighted the need for further research that Would contribute to the development of knowledge and strategies in the application of Artificial intelligence in e-commerce. It is possible to expect that artificial intelligence in the Conditions of electronic commerce will be used more and more often and will become an Integral part of all companies of this type. Use cases of artificial intelligence in Ecommerce Is in the area of personalized shopping, product recommendations, and inventory Management.

SUGGESTIONS :

- Compare AI – based marketing strategies across different industries such as e- commerce, health care, education and entertainment.
- Explore the challenges of implementing AI in digital e- marketing businesses face when digital e marketing such as cost of technology, lack of skilled professionals, data integration issues and resistance to change.

REFERENCES :

- https://www.jetir.org/papers/JETIR2309413.pdf 3
- https://jusst.org/wp-content/uploads/2022/08/impact- of-artificial-intelligence- in-e-commerce.pdf
- https://www.eurchembull.com/uploads/paper/78d9ba3688 1d6b4b5908c7f040512a11.p
- ."Artificial Intelligence: A Modern Approach" by Stuart Russell and Peter Norvig : This book Provides a comprehensive introduction to AI, including its applications in e-commerce.

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 14, Issue 5-6
पृष्ठ : 180–184

नागपुरी और कुँड़ुख़ में बच्चों से संबंधित बालगीत में समानता एवं विषमता

डॉ० इन्द्र भूषण भगत
नागपुरी भाषा।

झारखण्ड की भूमि पर वर्षों से आदिवासी सदानों की संस्कृति, समाज और साहित्य क वादात्मयता में स्थापत्य नजर आती है। इनके एक साथ रहने के कारण तमाम रीति–रिवाज, खान–पान और संस्कृति में एकरूपता नजर आत है। बहुत सी बातों में इनका पारस्परिक सांस्कृतिक लेन–देन हुआ नजर आता है।

''संसार का सबसे पुराना भूखण्ड है 'झारखण्ड'। गांवों के पाषाणकाल, ताम्रयुग के पुरावशेष से विहित होता है कि आदिमानव की यह निवास भूमि रही है। आदि मानव से आदिम मानव और आदिवासी जातियों का जीवन से विकसित हुआ झारखण्ड। आदिम जनजातियों में यहाँ असुर, बिरजिया, कोरवा, परहिया, बिरहोर, पहारिया आदि आज भी अपने धर्म, दर्शन एवं संस्कृति से आबाद हैं तो आदिवासी जनजातियों में मुण्डा, संताल, हो, खड़िया, उराँव आदि एवं चीक बड़ाईक, बिंझिया, गोंड, गोड़ाईत, करमाली, खरवार, महली, लोहरा, आदि सदान–आदिवासी, सदान आदिवासियों में परिगणित की गई है। इसके धर्म, दर्शन एवं संस्कृति में प्रायः एकरूपता दिखाई पड़ती है। इसका कारण है इनका एक क्षेत्र में इतिहास के अज्ञात काल से निवास करते आना।''[1]

एक विशिष्ट सांस्कृतिक धारा में रहने के कारण वन, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वतों के अंचल में इनका निश्च्छल जीवन संसार एक अलग ही मानवीय प्रकृति, प्रवृत्ति को दर्शाता है। जिसमें नृत्य, राग, कथा कहानियों का भी लेन–देन इनके आपसी सामंजस्य और परिवेशिक चेतना का ऐक्य को प्रदर्शित करता है।

''कहा जाता है कि संस्कृति का उद्‌भव प्रकृति के अनुरूप होता है। मानव प्रकृत जीवन से बर्बर जीवन की विकृति को जन्म देता है। तत्पश्चात् यही विकृति संस्कृति निर्माण की भूमिका तैयार करती है। कहना चाहिए विकृतियों से मुक्ति का नाम ही संस्कृति है। संस्कृति किसी समाज की सर्वश्रेष्ठ कला है, दर्शन है, आस्था है, धर्म है।''[2]

''झारखण्ड के आदिवासी–सदान की रसिकता या संगीतमयिता का राज यही है 'यहाँ चलना ही नृत्य है, बोलना ही संगीत है' एवं वृक्ष व नितम्ब ही मांदर है।''[3]

जहाँ तक साहित्य का सवाल है इनके भिन्न–भिन्न समुदाय के समरूप स्थिति में समानताओं के बावजूद विभेद नजर आते हैं। आखिर उनकी भाषा, उनका धार्मिक आधार व्यवहार जो है, कई मायने में भले ही साहित्यिक सांस्कृतिक आदान–प्रदान हुआ है, अपितु उनकी आंतरिक विशेषताएँ अपनी–अपनी जगह अपनी पहचान को

अलग में दर्शाती है।

लोकगीतों, लोककथाओं में बहुत सी कथाओं को कुँडुख़ समाज ने अपने में सामंजन कर लिया है। यद्यपि उनको कथाओं की स्वाभाविकता के आधार पर पहचान किया जा सकता है। वैसा ही बालगीत, खेलगतों को भी कुँडुख़–सदानों के बीच एक सा खेला जाने वाला या गाया जाने वाला स्वभाव से परखा जाता है। लंबे समय तक साथ–साथ पड़ोस में रहने के कारण बच्चों ने नागपुरी भाषी खेल गीतों को ग्रहण कर लिया था, फिर पूर्वजों ने अपने अनुसार नागपुरी भाषा में कुँडुख़ बालक–बालिकाओं के लिए खेलगीत रच दिए। यद्यपि कौन–सा खेलगीत किसके पूर्वग समाज में रचा गया है, पहचानना कठिन है।

कहते हैं समानता में विषमता है। कुँडुख़–नागपुरी बालगीतों में विषमताएँ ढूंढ़ने के लिए इनकी अलग विशेषताओं प्रतिबिम्बित किया जा सकता है।

कुँडुख़ बालगीतों की विशेषताएँ :

कुँडुख़ बालगीत व खेलगीत मूलतः बड़ों द्वारा गायी जाने वाली गीतों में अधिकांश माताएँ गाती है, साथ–साथ दीदी, मौसी, नानी–दादी वगैरह गा सकती है। पुरूष सदस्यों द्वारा इनको गाये जाने की व्यवस्था नगण्य है। अर्थात् पिता, भाई इत्यादि को गाने का स्वभाव गीतों में नहीं है। इन गीतों में चाँद, रोटी, बिल्ली, कुत्ते, घोड़े, बाघ, चील, मुर्गी, चूजे आदि का जिक्र किया गया है। कहीं–कहीं चूहा (मदाओं) में लऊवा, मिंजुर (मंजुर), इमली (तेतईर) सुनसुनिया (साग), आम इत्यादि का जिक्र किया गया है। वहीं पलखंजा (खोय) कण्डा (कटहल) और लट्ठा सखुते के बीज का हलुवा है आदि का जिक्र है। इन्हें नागपुरी में अनुवाद करने पर इसका अर्थ या स्वरुप बदल सकता है। कुँडुख़ बालगीतों में ऐसे शब्द भी आए हैं, जिनका अर्थ नहीं मिलता, अर्थात् जैसे इचिर–मिचिर, धनचिर चिर, बगना चिर, बीरी–बीरी चाकुड़, बाजरा, नाम मतई, खैरा कुटी, इत्यादि परिवेश मौखिक साहित्य कुँडुख़ बालगीत कम उपलब्ध हैं, जबकि खेलगीतों की संख्या भी सीमित है।

कुछ नागपुरी मूल बालगीत एवं खेलगीत कुँडुख़ में अनूदित किए गए हैं। कुँडुख़ भाषी ऐसे गीत मौलिक नहीं है। जिनके पदों में विविधता है। क्षेत्र विशेष पर शब्द स्वरुप बदला है। इसमें धार्मिकता का अंश शामिल नहीं है। ये नितान्त संक्षिप्त अर्थात् एक या दो पद के हैं। बहुत से बालगीत हु–ब–हू कुँडुख़ समाज ने अपना लिया है।

नागपुरी बाल-खेल गीतों की विशेषताएँ :-

नागपुरी बालगीतों की विशेषताएँ यह बतलाती है कि दूसरी भाषा या कुँडुख़ भाषा के पदों को घटाया–बढ़ाया जा सकता है। अर्थात् इनका सामंजन कुँडुख़ भाषा में नहीं किया जा सकता है। नागपुरी भाषी बाल–खेल गीतों में कुँडुख़ गीतों को मिश्रित होते देखा गया है। कहीं–कहीं दोनों भाषाओं के मिश्रित शब्दों की पद रचना की गई है।

नागपुरी गीतों में 'राम' शब्द को संश्लिष्ट किया गया है। बाल कृष्ण लीला के पद श्लोकों का उपयोग भी नागपुरी गीतों में उपयोग हुआ है, जबकि कुँडुख़ गीतों में कहीं भी 'धर्मेस' या 'ईश्वर' को नहीं जोड़ा गया है। नागपुरी गीतों की मौलिकता स्पष्टतया कहीं–कहीं स्पष्ट हो जाती है। जैसा कि कुँडुख़ लोकगीतों में भी देखा जाता है। कुँडुख़ गीतों की गैर मौलिकता इसके शाब्दिक संस्लेश के कारण उनकी सन्निकटता में भी यह पता चलता है कि नागपुरी मौलिक गीतों को कुँडुख़ भाषा में अनुदित कर लिया गया है।

नागपुरी में एसे बाल–खेल गीत हैं जिन्हें कुँड़ुख़ में अनुदित नहीं किया जा सकता है और वे स्वाभाविक भी नहीं –

आगज कागज कलम दवात
हरा पाखल सानक टार
टार गिराय दे पूरे झूठ
अड़र गड़र केतकी माला
सगम सगम सोऐ माला
झिली मिली करिया तेल
लाग लानी छपि।

पूर्व में उन्हें दर्शाया गया है, जिनकी पुनरावृत्ति आवश्यक नहीं।

नागपुरी लोरी गीतों की विशेषता :–

कलावती ओहदार ने लिखा है – ''चन्द्रमा अपने सौम्य स्वरुप एवं सुन्दरत्व के कारण बालकों के गीतों का प्रिय विषय रहा है। कृष्णा के बाल हठ का वर्णन करते हुए एरदाज जी ने भी उनकी चन्द्र खिलौना प्राप्ति की जिद का उल्लेख किया है। नागपुरी लोकगीत में भी एक गीत ऐसा प्राप्त है, जिसमें चन्द्रमा को पुकार कर बच्चों को गुड़ रोटी खिलाने का आमंत्रण किया जाता है –

''**आव आव चाँदो मामा**
बाबुक मुहे गुर पापा गुप।''[4]

कुल मिलाकर इस विषय में यह कहना आवश्यक है कि कुँड़ुख़ एवं नागपुरी दोनों की भाषाओं के बालगीत, खेलगीत सीमित है, समय के अन्तराल में ये या तो बिखरा दिए गए हैं या तो इनकी रचना ही सीमित है। जबकि अन्य उत्सवों के लोकगीतों की अपरिमित है। कुँड़ुख़ भाषाओं ने भी नागपुरी भाषा के लोकगीतों की कतार में अनगिनत गीतों की रचनाएँ की हैं।

गाँवों से शहरों की ओर पलायन शहरीकरण एवं आधुनिकरण की प्रकृति बढ़ती चली जा रही है। जिससे समाज की विविध परम्पराओं में प्रदूषण बढ़ गया है, सांस्कृतिक अपक्षरण की समस्या बढ़ती दिखलाई पड़ती है। इस प्रकृति के कारण लोक साहित्य के मिटने–सिमटने की प्रक्रिया लगातार घटित होती दिखलाई पड़ रही है। इसके संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाया नहीं गया है, साहित्यिक क्षेत्र का क्षति होने की आशंका बढ़ जाएगी।

''यह जरूरी हो जाता है कि नागपुरी लोक साहित्य के संरक्षण के लिए ठोस उपाय व कदम उठाए जाये। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो इस बात की आशंका है कि जिस इक्कीसवीं सदी की बड़ी चर्चा है। इस शताब्दी में लोगों के 'पाक लोकसाहित्य' के नाम पर 'मिलावटी लोकसाहित्य' होगा। लोक साहित्य का यह खतरा है और इसे अपसंस्कृतिकरण भी कहा जा सकता है।''

उपरोक्त कथन कुँड़ुख़–नागपुरी दोनों ही लोक भाषाओं के संदर्भ में लागू होता है। कहीं न कहीं दोनों ही भाषाओं का आपसी लेन–देन साहित्यिक क्षेत्र में हुआ देखा जा सकता है व सांस्कृतिक में महसूस किया जा सकता है। जहाँ लोक साहित्य की सभी विधाओं में यह प्रकृति देखने को मिलती है। जिनमे लोक कथाएँ, लोकगीत, लोकगाथाएँ, लोकोक्तियों, पहेलियाँ, मुहावरे, मंत्र आते हैं।

जहाँ तक पहेली की बात की जाए तो इस विधा में दोनों ही भाषाओं के स्वरुप का मिश्रण दिखलाई पड़ता है। यहाँ निष्कर्ष निकालना कठिन हो जाता है कि कौन सी पहेली किस मूल से आयातित है। कहीं– कहीं ही इसकी मौलिकता पहचान में आती है और इसके अनुदित होने की स्थिति स्पष्ट होती है।

कुँडुख़–नागपुरी भाषी दोनों ही ग्रामीण अंचलों में निवास करते हैं, तद्नुसार उनका सांस्कृतिक सामाजिक सरोकार, वन, उपवन, नदी, तालाब, झरने, सूर्य–चाँद जैसे प्राकृतिक उपादानों पर रहा है, इन्हीं से इनका जीवन निर्वाह होता रहा है। अतः साहित्य अवधारणाओं को इन्हें से जुड़ते देखा जाना भी स्वाभाविक है। निश्चित ही जीवन निर्वाह के लिए ये प्रकृति से जुड़े रहे हैं। उनके उद्यम और निरंतर परिश्रम से ही उन्हें जीवन की आध ाारित संसाधन फूलते हैं। खाद्य वस्तु, आभूषण, कृषि, मंत्र आदि तमाम वस्तुओं के लिए प्रकृति पर निर्भर रहकर वे निरंतर शारीरिक क्रम करते, वे घोर शारीरिक थकावट का सामना करते हैं। यदि उन्हें विश्राम न मिले तो शारीरिक कार्यक्षमता का सुदीर्घ स्थायित्व कायम रख पाना कठिन हो जाता है या जाएगा। जीवन निरस और बेरंग हो जाएगा। अतः इन्हीं सारी जीवन की सार्थकता को विकसित व संतुलित करने के लिए लोकरंजन के कई तरीकों की खोज की गई, जिनमें शारीरिक, मानसिक दृष्टि से व्यक्तित्व का विकास हो सके, ताकि सांस्कृतिक, सामाजिक अनुभूतियों का अन्तर्बाह्य तादात्म्य परिवेश को भिंगोता रहे और पारम्परिक जीवन प्रशिक्षण का लाभालय प्रत्येक पीढ़ी को मिलता रहे।

''प्रत्येक संस्कृति की अपनी–अपनी प्रशैक्षणिक संस्थाएँ और क्रियाएँ होती हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष ढंग से व्यक्ति द्वारा संस्कृति के सामान्यकों को आत्मकृत करने में सहायक होती है, इन संस्थाओं और प्रक्रियाओं द्वारा प्रभावित होकर जो व्यक्तित्व विकसित होते हैं, उनमें कतिपय पक्षों में एकरूपता होना सहज संभव है। इस प्रकार के सामाजिक सांस्कृतिक कारक जो समूह के प्रत्येक व्यक्ति का सामान रुप प्रभावित करते हैं। व्यक्तित्व के विकास के सामूहिक कारक माने जा सकते हैं।''

अर्थात् व्यक्तित्व के विकास से सामाजिक विकास की पृष्ठभूमि जुड़ी होती है। मानसिक पुष्टता सामाजिक स्तर को समृद्ध और पौरूढ़ युक्त बनाती है। अनेक समस्याओं से जकड़ा मनुष्य तनिक देर के लिए अपने मस्तिक विश्रांति मनुष्य तनिक देर के लिए अपने मस्तिक विश्रांति चाहता है। कितना भी थका दिमाग हो, मनोरंजन के पल में अपनी चिंताओं एवं थकावट से बाहर निकलकर ताजगी महसूस करता है, ताकि नित्य की आगामी योजनाओं में नवीन ऊर्जा से निकल व रम सके।

पुरातन काल से ही राजा महाराजाओं के राजसी दरबारों में पहेलियाँ कहने, पूछने की परम्परा का पता चलता है। मंत्री राजाओं के बीच आपसी नोंक–झोंक की परम्परा का प्रचलन तनाव मुक्त वातावरण कायत करने के लिए चला आता है। युद्ध आक्रमण की दुविधाओं के मध्य ऐसे ह्रास–परिहास का प्रचलन चन्द क्षणों में उनके तनावमुक्त कर देता है, बाद में वे राजकीय समस्याओं के उलझनों को सुलझाने में पारंगत होते रहे। इससे उनका मनोरंजन भी होता है और बौद्धिक क्षमता, योग्यता का परीक्षण भी होता है। आपसी बैठकों में पहेलियों, कहने, पूछने की परम्परा से आपसी सामंजस्य एवं बौद्धिक ज्ञान विस्तार के साथ–साथ हाजिर–जवाबी एवं पारंगतता विकसित होती है। इस तरह पहेलियों का संदर्भ प्रत्येक समाज में अपनी भाषाई एवं साहित्यिक क्षेत्र से जुड़ते रहे। जिससे समय का सदुपयोग भी होता है, साथ ही सतसंगति को बढ़ावा मिलता।

भले ही आज प्रकीर्ण साहित्य के व्यवहारों की परंपरा धुमिल हुई, परन्तु महाराजाओं और ऋषि–मुनि काल

में भी शास्त्रार्थ करने, टेढ़े–मेढ़े प्रश्न पूछ कर परिवेश को ज्ञान बौछार से भिगोने और वाङमय बिखेरने की प्रकृति चली आ रही है। इस तरह पहेलियों की आपस नोंक–झोंक बोझिल वातावरण को सहज और आनंद मय बनी रहती है।

गांवों में अलाव (पसंगी) के पास बैठे, चरवाहे ढेरो पशुओं के झुंड संग विचरण करते, महिलाओं द्वारा खाली समय में चुहलबाजी करने के समय पहेलियों का प्रचलन सुदीर्घ काल से चला आ रहा है। दुनिया के प्रायः सभी सभ्य समाजों के मध्य पहेलियाँ पूछने की परम्परा चली आ रही है। वस्तुतः यह परम्परा राजा–महाराजाओं द्वारा शास्त्रार्थ करते पंडित ज्ञानियों के द्वारा प्रारंभ होकर सामान्य जगत के परिवेश में परिनिष्ठत हो गई। जिसे नागपुरी कुँड़ुख़ दोनों समाजों में प्रवृत्त हुआ पाया जाता है। साहित्यकारों ने ऐसे बिखरे मौखिक पहेलियों को समेटा और साहित्य में संजोकर सराहनीय कार्य किया है। भले ही आज इसकी प्रासंगिकता मृतप्राय हो चली है, अपितु इसको प्रयोगों की अपेक्षा ज्ञान सागर की वृद्धि के लिए वाक् चातुर्य के लिए, हाजिर जवाबी के लिए आवश्यक जान पड़ती है।

निष्कर्ष :

आश्चर्यजनक रूप से कुँड़ुख़ समाज की माताएँ जो बालगीत, लोरियाँ वगैरह मुख से उच्चारित करती है। वे प्रायः नागपुरी भाषा में होती है। जिसका उदाहरण प्रस्तुत किया जा चुका है। ''होओ बुचु होओ रे'' का तात्पर्य सियार, बाघ या चील, कौवा ले जाएगा कहकर बच्चों को डराकर चुप कराना एक लोरी है। जिसमें शिशु समझता हो या हर कोई जानता है। 'नीनु बुचु..... नीनु रे'। यह भी नागपुरी लब्ज है। इसके एवज में कोई ''बरय खन्द्रना बरय.....'' जैसी कोई लोरी नजर में नहीं है।

खेलगीतों में ''बरई.... बरई..... हो दइया..... चेक्खो बरई का, खद्दन दुरन्न नेप्पो का, बुढ़िन दुरू नेप्पो का. ... चील दोड़ो दोड़ो.....।'' जैसी लोरी, चील (चेक्खो) को भगाने के लिए के अर्थ में रची गई है। वहीं ''का चिलबिल चिलबिल मूसा चिलबिल..... कि तेतईर तरे सरप (सर्प).....'' कुँड़ुख़ परिवेश में बालगीत है।

तात्पर्य दोनों भाषा समाज में खेलगीत या लोरी गीत आदान– प्रदान किए गए हैं। यद्यपि दोनों ही समाजों में इन परम्पराओं का विलुप्तिकरण बढ़ रहा है।

संदर्भ :

1. डॉ० गिरधारी राम गौंझु, ''झारखण्ड की सांस्कृतिक विरासत'', झारखण्ड झरोखा, राँची–2016, पृष्ठ–22
2. डॉ० गिरधारी राम गौंझु, ''झारखण्ड की सांस्कृतिक विरासत'', झारखण्ड झरोखा, राँची–2016, पृष्ठ–22
3. वही
4. डॉ० कलावती ओहदार, ''नागपुरी लोकगीत एक साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन'', क्लासिकल पब्लिशिंग, कमली, 2002, पृष्ठ–153

मो० नं० 9334032310

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
ISSN : 2321-8037
SANGAM
Vol. 14, Issue 5-6
पृष्ठ : 185–189

धार्मिक अनुष्ठानों में वृक्ष एवं वनस्पतियों का महत्व

सुनीता कलौनी
असिस्टेंट प्रोफेसर– संस्कृत
राजकीय महाविद्यालय, बलुवाकोट।

उत्तराखण्ड को देवभूमि कहा जाता है। यहॉ प्रकृति को भी देवी–देवताओं का स्वरूप माना जाता है। इसलिए यहॉ वनों को "देवस्थान" या "थान" आदि शब्दों से सम्बोधित किया जाता है। वैदिक काल से ही उत्तराखण्ड में प्रत्येक धार्मिक कार्यों पूजा, यज्ञ या हवन आदि में वृक्ष एवं वनस्पतियों को विशेष स्थान दिया जाता है। और किसी न किसी रूप में उनका पूजन किया जाता है। संक्षेप में हम कह सकते है कि उत्तराखण्ड की जीवन शैली में वृक्ष एवं वनस्पतियों का प्राकृतिक महत्व के साथ–साथ धार्मिक महत्व भी है। सभी धर्मों में प्रकृति के संरक्षण को विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि हमारा यह जीवन प्रकृति की ही अनुपम देन है। हमें प्रकृति के द्वारा दिए गए वरदानों में वृक्ष एवं वनस्पतियों को अत्यधिक सम्मान प्राप्त है। उत्तराखण्ड एक धार्मिक परम्पराओं से युक्त राज्य है। यहॉ वनस्पतियों को देवताओं की तरह पूजा है। यथा– बेलपत्र (बिल्व), दूर्वा, कदली, कुश घास, पय्या, गुग्गल आदि का प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है।

हवन एवं पूजा में प्रयोग की जाने वाली वृक्ष एवं वनस्पतियॉ –

सनातन धर्म में धार्मिक अनुष्ठानों जैसे– यज्ञोपवित संस्कार, भवन प्राण प्रतिष्ठा, ग्रह पूजा में हवन किया जाता है। हवन में प्रत्येक भगवान एवं ग्रहों को उनके मंत्रों के साथ समिधा एवं वैसठ के साथ आहुति दी जाती है। भारतीय सनातन धर्म में पूजा को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। देवभूमि में दिन की शुरूआत ही सामान्यतः पूजा पाठ से ही होती है। धार्मिक अनुष्ठानों में कई वृक्ष एवु वनस्पतियों का उपयोग किया जाता है, जिसमें आम, तुलसी, जामुन, केला, हल्दी आदि है। जैसे शनिदेव के हवन में–

"ऊँ सन्नो देवी रभिश्टयः, आपो भवन्तु पीतये।
भां योरभि स्त्रवन्तु नः"।।

बीजक मंत्र के साथ शमी की समिधा और काले तिल एवं जौ की घी मिश्रित आहुति दी जाती है। देवताओं एवं ग्रहों के हवन एवं पूजा में निम्न वनस्पति एवं वृक्षों से समिधा तैयार की जाती है –

1. तुलसी
2. दूर्वा
3. गूलर
4. अपामार्ग

5. ऑवला
6. केला
7. आम
8. रूद्राक्ष

हवन के साथ–साथ कुछ अन्य अनुष्ठान जैसे तुलसी विवाह में गन्ने का प्रयोग, शिव पूजन में बेल पत्र एवं धतुरे का प्रयोग, गणेश पूजन में दूर्वा का प्रयोग एवं पित्र पूजन में कुश का प्रयोग किया जाता है। अगर सामान्यतः देखा जाए तो कोई भी देवकार्य एवं पूजन वृक्ष एवं वनस्पतियों के अभाव में पूरा कर पाना संभव ही नहीं है।

वृक्ष एवं वनस्पतियों में धार्मिक आरोपण के पीछे निश्चय ही मानव के लिए महत्वपूर्ण उपयोगिता ही रही होगी। पेड़–पौधो का प्रत्येक अंग हमारे लिए उपयोगी होता है। जड़, तना, फूल, फल, पत्तियॉ छाल, गोंद, दूध सभी किसी न किसी तरह हमारे लिए उपयोगी है। पौधों का धार्मिक महत्व का विवरण निम्न है–

1. **तुलसी** – तुलसी के पौधे को समस्त भारत में पूजा जाता है। प्राचीन ग्रन्थों में हमें प्राप्त होता है कि जिस क्षेत्र में तुलसी का पौधा न हो, ऐसा स्थान निवास करने योग्य नहीं होता है। वस्तुतः तुलसी का पौधे में शरीर एवं मन को रोगों से मुक्ति दिलाने वाली अद्‌भुत औषधि है। इसीलिए उसे पृथ्वी का अमृत माना गया है। तुलसी पाँच अमृतों में से एक है। इसीलिए तुलसी को पंचामृत में भी सम्मिलित किया जाता हैं–

"या औशधिः पूर्वा जाता देवेभ्यः स्त्रियुगं पुरा।
मनै नु वभ्रुणामह भातं धामानि सप्त च"।।

तुलसी की उत्पत्ति के विषय में स्कन्द पुराण में लिखा गया है कि तुलसी को ब्रह्मा आदि देवताओं ने विष्णु भगवान की सेवा में समर्पित किया और उन्होंने उन्हें ग्रहण कर लिया। तब से तुलसी जी, विष्णु की अत्यन्त प्रिय हो गयी। इसी कारण सम्पूर्ण देवता भगवतप्रिया तुलसी की, विष्णु के समान ही पूजा करते है।

2. **दूर्वा** – दूब को भगवान विष्णु ने अपनी विभूति बताते हुए कहा है कि ये मेरे रोम से उत्पन्न हुए है, इसलिए इसके स्पर्श मात्र से प्राणी स्वर्गलोक चले जाते हैं।

"दर्भो विभूति में तार्क्ष्य। मम रोम सदभवाः। अतस्तत्स्यऽनादेव स्वर्ग गच्छन्ति मानवाः।"

दूर्वा एक छोटी घास जैसी वनस्पति है, जो सामान्यतः सभी स्थानों पर स्वतः ही उग जाती है। इसका अत्यन्त धार्मिक महत्व है। दूर्वा का प्रयोग सर्वाधिक गणेश पूजा में किया जाता है। जिसका अत्यन्त प्रचलित श्लोक–

दूर्वाकुरैः समर्प्यैव पूजयते गणनायकम्।

दूर्वा को समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। कुमाऊॅनी क्षेत्र में घर के बड़े लोग सिर पर दूर्वा रखकर समृद्धि की कामना करते है, और कहते है कि–

दूबा जसि चौड़ है जो।

प्रातः बेला की ओस से भीगी दूब पर नंगे पॉव चलना सेहत के लिए बहुत वृद्विकारक होता है। दूर्वा का जटिल जंजाल धरती को इस तरह जकड़ लेता है कि, वृष्टि का बहाव भी उसे नहीं बहा पाता। व्रत, उत्सव, पूजन विवाह जैसे अवसरों पर दूर्वा अनिवार्य होती है।

3. **गूलर (उदुम्बर)** – उदुम्बर पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में उगने वाला एक धार्मिक वृक्ष है। इसके पत्तों का प्रयोग जानवरों के घास के लिए एवं लकड़ियों का प्रयोग हवन सामग्री के रूप में किया जाता है। इस वृक्ष के संबंध में एक रोचक आख्यान मिलता है कि राजा हिरण्यकश्यप को मारने के बाद जब नरसिंह भगवान के नाखूनों में जहर के कारण जलन होने लगी, तो उन्होंने उदुम्बर के तने में नाखून गढ़ा दिए जिससे उदुम्बर के दूध लगने से जहर का प्रभाव कम हुआ। अर्थात् उदुम्बर वृक्ष से निकलने वाले दूधनुमा तरल पदार्थ से शरीर की जलन ठीक होती है। इसका पत्ता पंचपल्लवों के रूप में मांगलिक कलश के ऊपर स्थापित किया जाता है।

4. **अपामार्ग** – अपामार्ग एक महत्वपूर्ण वैदिक वनस्पति है। इसका प्रयोग तंत्र पूजा में भी किया जाता है। कुछ स्थानों में इसे चिरचिड़ा कहा जाता है, इसके कॉटे उल्टे होने के कारण इसे उल्टाकुरा भी कहते है। धार्मिक कार्यों में इसका प्रयोग नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने में किया जाता है। अथर्ववेद के एक श्लोक में इसका वर्णन नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करने के संबंध में किया गया है–

"अपामार्ग त्वं नः पाप्मानं अप हनः"।

5. **ऑवला** – हिन्दु धर्म ग्रन्थों में आंवले को सभी पापों को हरने वाला बताया गया है। इस वृक्ष की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के द्वारा करना बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि, ऑवले का वृक्ष भगवान विष्णु का सबसे प्रिय वृक्ष है, जिस कारण आंवले में कई गुण विद्यमान है।

धात्री फलमिदं श्रेष्ठं सर्वरोग निवारणम्।
रसायनं च तदेवोक्तं दीर्घसुष्यप्रदायकम्।।

अर्थात् ऑवला (धात्री फल) सभी रोगों का निवारण करने वाला, शरीर को पुनर्जीवित कर आयु वृद्धि करने वाला श्रेष्ठ फल है।

चरक संहिता में ऑवले के विषय में लिखा है कि–

"आमलकी रसायनानां श्रेष्ठा"

अर्थात् ऑवला रसायन द्रव्यों में श्रेष्ठ है।

ऑवले का प्रयोग अधिकांशतः पूजा या धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। प्रत्येक यज्ञ में ऑवले का प्रयोग पंचपल्लव के रूप में कलश स्थापना में किया जाता है। ऑवले की पत्तियों का प्रयोग श्राद्व में तथा पितरों के पिण्ड दान में, गोग्रास देने में ऑवले की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। सनातन धर्म में नवमी के दिन ऑवले वृक्ष की पूजा की जाती है, जिसे अक्षय नवमी भी कहते है। इस दिन ऑवले के पेड़ में भगवान विष्णु की पूजा कर भोग भी लगाया जाता है। इस वृक्ष के नीवे अथवा उसकी छाया में किया गया पुण्य अक्षय (कभी खतम न होने वाला) होता है। भगवान विष्णु का अति प्रिय वृक्ष होने के कारण इसकी पूजा से ही मानव मात्र को "मोक्ष" की प्राप्ति हो जाती है, ऐसी पौराणिक मान्यता है। इस वृक्ष का न केवल धार्मिक महत्व है, बल्कि वैज्ञानिक महत्व भी है। ऑवले में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विटामिन सी हड्डियों एवं ऑखो के लिए भी लाभदायक है।

6. **केला** – केले को संस्कृत में कदलीफल कहते है। केले का वृक्ष सनातन धर्म में अत्यधिक शुभ मांगलिक एवं पवित्र माना गया है। केले के वृक्ष का प्रयोग कई धार्मिक एवं मांगलिक कार्यों जैसे– विवाह, सत्यनारायण कथा, भागवत महापुराण आदि में किया जाता है। केले के वृक्ष को भगवान विष्णु के प्रिय वृक्षों में से एक माना

गया है। भगवान विष्णु की पूजा में केले का नैवेद्य चढ़ाते समय निम्नलिखित श्लोक का उच्चारण किया जाता है–

कदलीदलम् संयुक्तं नैवेद्यं मधुरं शुभम्।
मया निदेदितं भक्त्या गृहाण पुरूषोत्तमे।।

अर्थात्, हे पुरूषोत्तम (भगवान विष्णु) यह मधुर नैवेद्य जो कि केले के पत्ते सहित है, मैं आपको भक्ति से अर्पित कर रहा हूँ, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। सामान्यतः पूजा मे केले का फल एवं पत्तों का प्रयोग किया जाता है। भगवान विष्णु की पूजा केले के अभाव में निरर्थक मानी जाती है। गुरूवार के व्रत में भी केले के वृक्ष की पूजा की जाती है। इस व्रत के दिन भक्त केले के वृक्ष में पूजा कर जल वढ़ाते है, एवं वृक्ष पर रक्षा धागा लपेट कर वृक्ष की परिक्रमा करते है। गणेश पूजन के समय यदि मोदको का अभाव हो तो केले के फल को गोल आकृति (मोदकनुमा) बनाकर भी चढ़ाया जाता है। पहाड़ के गॉवों में विवाह के मण्डप का निर्माण भी केले के वृक्षों से किया जाता है। केले का न केवल धार्मिक महत्व है बल्कि इसका सामाजिक एवं वैज्ञानिक महत्व भी है। केले की पत्तियों का प्रयोग आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में धार्मिक एवं सामाजिक अनुष्ठानों में भोजन करने में किया जाता है।

कदली मधुरा भीतला गुरूश्च बृंहणी स्मृता।
वातपित्त हरा प्रोक्ता कफबर्धिनी मताः।।

अर्थात्, केला मीठा शीतल और भारी होता है। यह वात और पित्त को शांत करती है। परन्तु कफ को बढ़ाने वाली मानी जाती है। इसके अत्यधिक सेवन से शरीर में कफ संबंधी विकार उत्पन्न हो सकते है।

7. आम – आम का प्रयोग लगभग हर धार्मिक अनुष्ठान में किया जाता है। आम के फल को पूजा में प्रयुक्त किया जाता है। इसके पत्तियों को पंचपल्लव के रूप में कलश बनाने में प्रयुक्त होता है। विवाह, गृहप्रवेश एवं यज्ञ में आम के फल एवं पत्तों को शुभ माना जाता है। यह एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। प्राचीनकाल से ही पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्रों में विवाह के मंडप में सजावट के लिए आम के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। गृह प्राण–प्रतिष्ठा में पवित्र धागे में आम के पत्तों को बॉधकर घर के चारों ओर लगाया जाता है, इसके साथ–साथ आम की लकड़ियों का प्रयोग हवन के वैसठ के रूप में भी किया जाता है।

8. रूद्राक्ष – रूद्राक्ष हिन्दु धर्म में अत्यन्त पवित्र माना जाता है। यह भगवान शिव से जुडा होता है, इसको पहनने एवं पूजा में प्रयोग करने से कई तरह के आध्यात्मिक एवं स्वास्थ्य लाभ होता है। रूद्राक्ष को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। रूद्राक्ष शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है– "रूद्र" और "अक्ष" रूद्र का अर्थ है (शिव का एक नाम) तथा अक्ष का अर्थ (ऑख) से है। रूद्राक्ष से ध्यान और साधना में मन को एकाग्र करता है। जप एवं मंत्र पढ़ते समय (माला के रूप) में बुरे प्रभाव और नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा करता है। रूद्राक्ष की महिमा से संबंधित एक श्लोक–

रूद्राक्षधारणाद् रूद्रो भवत्येव न संशयः।
रूद्राक्षं धारयेद्यस्तु सर्वपापैः प्रमुचयते।।

अर्थात्– जो व्यक्ति रूद्राक्ष धारण करता है, वह भगवान रूद्र (शिव) की कृपा को प्राप्त करता है। रूद्राक्ष धारण करने वाला व्यक्ति पापों से मुक्त होता है।

वृक्ष एवं वनस्पतियों का भारतीय संस्कति में इतना अधिक महत्व रहा है कि जनमानस में देवताओं को प्रतिष्ठित करने हेतु इन्हें प्रतीक रूप में लेना पड़ा। हर वनस्पति का किसी न किसी देवता से सीधा जुड़ाव है। अथर्ववेद से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल से ही समाज में वृक्ष पूजा प्रचलित थी। आज विकास की दौड़ में वृक्षों को काटकर इनका विनाश कर मनृष्य ने अपने लिए अनेक तरह की समस्याओं को पैदा किया है। मौसम को सुव्यवस्थित रखने में वृक्ष एवं वनस्पतियों की भूमिका सवयं सिद्व है। वृक्षों के विनाश असंतुलित मौसम का मनुष्य के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। पर्यावरण के संतुलन का दायित्व हम सबका है। बिना जागरूकता के इस दायित्व का बोध होना संभव नहीं है। आवश्यकता इर बात की है कि वृक्ष एवं वनस्पतियों के महत्व से विमुख जनता को इससे अवगत कराया जाए। जिससे की वह वृक्ष एवं वनस्पतियों के धार्मिक महत्व से परिचित हो सकेंगे।

इस प्रकार एक हरे–भरे विश्व की कल्पना को साकार करने के सपने को हम पूर्ण कर सकते है। आज हम सभी के लिए इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम कैसे वृक्ष एवं वनस्पतियों का संरक्षण करें। इसके लिए हमें वैदिक ऋषि के इस निर्देश का पालन करने की आवश्यकता है– "**शतहस्त समाहर, सहस्त्रहस्त संकिर**" अर्थात् 100 (सौ) हाथों से लो, लेकिन हजार हाथों से दान भी करो। हमनें अधिक से अधिक मात्रा में पृथ्वी का दोहन तो किया लेकिन, उसे वापस कुछ भी नहीं किया। आइये हम सभी मिलकर वृक्ष एवं वनस्पतियों के संरक्षण की प्रतिज्ञा करते है।

संदर्भ ग्रन्थ –

1. वेदों में विज्ञान– डॉ कपिलदेव द्विवेदी।
2. चरक संहिता– प0 सत्यनारायण शास्त्री।
3. यजुर्वेद– 12/75
4. गरूणपुराण– 9/12
5. अथर्ववेद 4/17
6. भाव प्रकाश निघण्टु (फलवर्ग)

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
ISSN : 2321-8037
SANGAM
Vol. 14, Issue 5-6
पृष्ठ : 190–193

छत्तीसगढ़ में जैविक कृषि के बदलते आयाम

डॉ. सुनीता प्रधान
अतिथि व्याख्याता (समाजशास्त्र)
शासकीय नवीन महाविद्यालय हसौद, जिला सक्ती (छ.ग.)

सारांश :

जैविक खेती कृषि की वह पद्धति है जिसके उपयोग से पर्यावरण, जल एवं वायु को प्रदूषित किए बिना भूमि की सजीवता, जल की गुणवत्ता, जैव विविधता को बनाए रखते हुए दीर्घकालीन एवं टिकाऊ उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। जैविक कृषि की वह विधि है जो संश्लेषित उर्वरकों एवं संश्लेषित कीटनाशकों का उपयोग या न्यूनतम प्रयोग पर आधारित है तथा जो भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के लिए कम्पोस्ट, हरी खाद, वर्मी कम्पोस्ट, गोबर से निर्मित खाद आदि का प्रयोग करती है।

जैविक खेती के जनक अलबर्ट हावर्ड है। जैविक खेती ऐसी खेती है जिसमे दीर्घकालीन व स्थिर उपज प्राप्त करने के लिए कारखानों में निर्मित रासायनिक उर्वरक कीटनाशक व खरपतवार नाशको तथा वृद्धि नियंत्रक का प्रयोग न करते हुए जीवांशयुक्त खादों का प्रयोग किया जाता है तथा मृदा एवं एवं पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण होता है।

शब्द संकेत : जैविक खेती, जीवांशयुक्त, संश्लेषित, कम्पोस्ट खाद, वर्मी कम्पोस्ट, हरी खाद, उर्वरा सक्ती, सजीवता, उत्पादन, कीटनाशक।

प्रस्तावना :

छत्तीसगढ़ में जैविक खेती को बढावा देने के लिए राज्य सरकार विशेष रूप से जैविक खेती मिशन और छत्तीसगढ़ जैविक ब्रांड जैसी पहल के माध्यम से रसायनों के उपयोग को कम कर पारंपरिक और सतत खेती को प्रोत्साहित कर रही है। गरियाबंद, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाडा, और नारायणपुर जैसे 5 जिले पूर्णता जैविक घोषित है, जहाँ कोठे कूट की ओर सुगन्धित चांवल (दूबराज, जिराफूल) की खेती प्रमुख है। छत्तीसगढ़ जिसे धान का कटोरा कहा जाता है अब धीरे–धीरे रासायनिक खेती से हटकर जैविक खेती की ओर बढ़ रहा है। सरकार की राज्य घोषित जैविक खेती मिशन और नरवा – गरवा – घुरवा – बारी योजना ने जैविक कृषि को नई दिशा दी है। छ.ग. में जैविक खेती के बदलते आयाम राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक बदलाव का संकेत है। पारंपरिक रासायनिक खेती से हटकर किसान अब टिकाऊ और उच्च मूल्य वाली जैविक खेती की ओर बढ़ रहा है।

जैविक खेती के बदलते आयाम –

1. **प्रमाणीकरण –**

- गोटूलमुंडा (कांकेर) जैसे गाँव अब सामूहिक प्रमाणीकरण के साथ कोदो–कुटकी और सुगन्धित धान (जैसे – दूबराज, विष्णुभोग) का जैविक उत्पाद कर रहे है।
- दंतेवाडा का 70% जैविक क्षेत्र दंतेवाडा जिले के 70% कृषि क्षेत्र को जैविक प्रमाणित किया गया है जो सिक्किम से भी बड़ा क्षेत्र है, जहाँ मुख्य रूप से कोदो, कुटकी और पारंपरिक फसल उगाई जा रही है।
- **मुंगेली (पटरिया) में हरी खाद का उपयोग :** पथरिया विकासखंड के ग्राम मोहदी के किसान मूलचंद बंजारे ने राज्य घोषित जैविक खेती मिशन के तहत हरी खाद (सनई) और के ट्रायकोडमी के उपयोग से जैविक खेती को अपनाया जिससे लागत कम और मुनाफा ज्यादा हो रहा है।
- **राजनांदगांव (मोफला) में प्राकृतिक खेती :** प्रगति महिला स्वसहायता समूह के माध्यम से किसान (श्रीमती मनभौतिन बाई निषाद) ने जीवामृत और घनजीवामृत के प्रयोग से कल्याणी (प्राकृतिक) खेती में सफलता प्राप्त की है।

छत्तीसगढ़ में जैविक खेती के बदले आयाम के प्रमाणिक कारण (2025–26) :

- **सरकारी प्रोत्साहन और मिशन** – राज्य सरकार द्वारा घोषित जैविक खेती मिशन और राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत किसानो, की विशेष प्रशिक्षण, बीज, उपचार, और जैविक कीटनाशक (जीवमृत, घनजीवामृत) के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- **उच्च मूल्य और बाजार क्षमता** – जैविक उत्पादों (जैसे – सुगन्धित चांवल, कोदो, कुटकी,) की मांग विदेशों में भी है, जिससे किसानों को पारंपरिक फसलों की तुलना में 10 से 100 गुना अधिक मूल्य मिल रहा है।
- **लागत में कमी** – रासायनिक खाद और महँगी दवाइयों का उपयोग बंद होने से खेती की लागत कम हो रही है जिससे लघु एवं सीमांत किसानों की आय में वृद्धि हो रही है।
- **मिटटी की उर्वरता और स्वास्थ्य** – रसायनों के कारण बंजर हो रही जमीन को पुनर्जीवित करने के लिए किसान जैविक खेती अपना रहे है।

(2) **उद्यानिकी फसलों पर जोर** – केवल पारंपरिक फसलों पर सीमित न रहकर अब किसान जैविक बैंगन, लौकी और अन्य सब्जियां की खेती अपना रहे है।

(3) **स्वयं सहायता समूह और महिला भागीदारी** – वर्मीकम्पोस्ट (वर्मी खाद) उत्पादन और जैविक कीटनाशक बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रही है। जिससे ग्रामीण रोजगार बढ़ रहा है।

(4) **तकनीकी समावेश** – पारंपरिक बीजों आधुनिक ड्रायकोडमी, और पी.एस.बी. कल्चर जैसी जैविक तकनीकों का प्रयोग बढ़ रहा है।

प्रमुख सरकारी प्रयास –

छ.ग. में जैविक खेती के माध्यम से किसानों की आमदनी बढ़ाने और खेती की लागत कम करने के लिए सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में वर्ष 2026 में गौ–आधारित प्राकृतिक खेती को प्राथमिकता दी जा रही है।

- **राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन** – इस मिशन के तहत राज्य में रासायनिक उर्वरक पर निर्भरता कम करने के लिए किसानों को विशेष प्रशिक्षण और तकनीकी मार्गदर्शन दिया जा रहा है। रबी 2025–26 के दौरान राजनांदगांव जिले में 150 हेक्टेयर क्षेत्र में क्लस्टर बनाकर किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया गया है।
- **गोधन न्याय योजना** – इस योजना के अंतर्गत गौठानों में रु 2 प्रति किलो की दर से गोबर खरीदा जा रहा है और उससे वर्मिकम्पोस्ट (वर्मीखाद) तैयार की जा रही है। इस खाद को किसानों को रु 8 प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराकर जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- **हरी खाद प्रोत्साहन** – जशपुर जिले में मिटटी की उर्वरता बढ़ाने के लिए 600 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में हरी खाद (ढेंचा, सनाइ, मूंग, उड़द) के प्रदर्शन अभियान चलाये जा रहे है।
- **राजीव गाँधी किसान न्याय योजना (2026–27)** – विविधिकरण को बढ़ावा देने के लिए जो किसान धन के बदले दलहन, तिलहन, सुगन्धित धान, या जैविक खेती अपनाते है, उन्हें प्रति एकड़ विशेष इनपुट सब्सिडी (लगभग रु 9,000 से 10,000) दी जा रही है।
- **जैविक खेती मिशन** – राज्य में जैविक खेती के लिए प्रति हेक्टेयर 3 साल तक अनुदान (लगभग रु 31,500 की वित्तीय सहायता) प्रदान किया जा रहा है।

जैविक खेती के लाभ –

- ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
- 8 रु प्रति किलों में किसानो को मिलेगा वर्मी कम्पोस्ट।
- राज्य में रोजगार एवं आय के अवसर बढेंगे।
- प्राकृतिक संसाधनो का संरक्षण।
- वातावरण को शुद्ध रखना।

छत्तीसगढ़ में जैविक खेती की मुख्य चुनौतियां –

- **उत्पादन में प्रारंभिक कमी** – रासायनिक उर्वरकों से जैविक खाद (कम्पोस्ट, वर्मीकम्पोस्ट) पर स्विच करने के पहले 2–3 वर्षो में फसलो की पैदावार में कमी आती है, जिससे किसान डरते हैं।
- **प्रमाणन और प्रमाणीकरण** – जैविक उत्पादों को प्रमाणित करने की प्रक्रिया जटिल और महँगी है जिससे छोटे और सीमांत किसान को परेशानी होती है।
- **जैविक किसानों की उपलब्धता** – पर्याप्त मात्र में केंचुआ खाद और बायो–पेस्टीसाईडस (जैविक कीटनाशक) की समय पर उपलब्धता न होना एक बड़ी समस्या है।
- **खरपतवार प्रबंधन** – रासायनिक खरपतवार नाशकों का उपयोग न होने के कारण जैविक खेती में मजदूरी लागत बढ़ जाती है।

निष्कर्ष –

छत्तीसगढ़ में अब स्वस्थ उगायेंगे, स्वस्थ खिलाएंगे के साथ खेती की जा रही है जो आर्थिक रूप से भी फायदेमंद साबित हो रही है। छ.ग. में जैविक कृषि के बदलते आयाम यह दर्शाते है कि यह केवल स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि कम लागत और बेहतर लाभ की खेती बन रही है। भविष्य में, जैविक उत्पादों की ब्रांडिंग, कोल्ड

स्टोरेज की सुविधा और डिजिटल मार्केट से जोड़कर इसे एक टिकाऊ आजीविका का साधन बनाया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ :

- छत्तीसगढ़ कृषि विभाग (AGRIPORTAL)
- इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय (IGKV) के शोध पत्र।
- ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनायें (एच. आर. पटेल)
- जन संपर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़।
- कृषि एवं जैव प्रोद्योगिकी विभाग संचालनालय कृषि, रायपुर छत्तीसगढ़।
- इंटरनेट द्वारा प्राप्त जानकारियां।

मो. 7489850265

इमेल– pradhansunita12008@gmail.com

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 14, Issue 5-6
पृष्ठ : 194–199

Bhu-Kanoon and Post COVID Land Rights Movement in Uttarakhand: Demands, Mobilisation, and Limits of Protest

Rakesh Joshi
Research Scholar, Department of Public Administration
Uttarakhand Open University, Haldwani.

Abstract :

The paper examines the resurgence of Bhu-Kanoon (land law) movement in Uttarakhand following the COVID 19 pandemic. It analyses the central demands of the protesters, primarily the enactment of stringent land laws restricting agricultural land sales to non-residents and the implementation of a 1950 cut off for domicile certificates, within the context of accelerated land alienation, reverse migration, and tourism-driven development. Drawing on reports from Down To Earth, Mongabay, and local media, the study evaluates the extent and structural limits of public mobilisation, arguing that while the movement successfully pressured the state government into legislative amendments in-, its efficiency remains constrained by political co-option, legal loopholes, and the absence of a unified ideological framework.

Keywords : *Bhu-Kanoon, Uttarakhand, land rights, post-COVID protest, domicile, Himalayan land laws, public mobilisation*

Introduction :

The COVID 19 pandemic exposed structural vulnerabilities across India's labour, land, and livelihood systems. In Uttarakhand, a state carved out of Uttar Pradesh in 2000, the decades old demand Bhu-Kanoon regained momentum. Thousands of migrant workers returned to their villages during the 2020-2021 lockdowns. Many discovered that ancestral properties had been sold to outsiders in their absence, often for tourism and real estate development (Mongabay, 2024).

This paper argues that the post COVID Bhu-Kanoon protests constitute a distinct phase in Uttarakhand's land rights struggle. Broader social participation, the formalisation of umbrella

organisations like Mool Niwas Bhu Kanoon Samanvay Sangharsh Samiti, and direct engagement with electoral politics characterise the phase. Yet the movement also reveals the limits of protest in a policy environment where state governments prioritise investment and tourism over ecological and land rights.

Historical Context: From Statehood to Land Liberalisation :

Uttarakhand inherited the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 (UPZALR); The Kumaon and Uttarakhand Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1960 (KUZA); and The Uttar Pradesh Tenancy Act, 1939 at its formation in 2000. No state specific land code suited to its mountainous ecology was drafted. Neighbouring Himanchal Pradesh had enacted Himanchal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972, whose section 118 bars non-agriculturists from purchasing agricultural land sales to outsiders (MediaLit, 2021; Down To Earth, 2024).

The timeline of land law amendments shows a progressive erosion of protections :

- In 2003 the N.D. Tiwari government introduced a 500 sq. m. cap on agricultural land purchases by outsiders (Down To Earth, 2024; MediaLit, 2021).
- The B.C. Khanduri government reduced this to 250 sq. m. in 2007 (Down To Earth, 2024).
- In 2018 the Trivendra Singh Rawat government removed all ceiling limits under Section 154(2), enabling large-scale land acquisition for tourism, industry, and horticulture (Kumaon Planner, 2026; Down To Earth, 2024).

The 2018 amendment proved to be the tipping point. Non-residents could now purchase unlimited agricultural land and facilitate easy land use changes, effectively converting farmland into commercial resorts, hotels, and educational institutions.

The Post COVID Protests : Demands and Mobilisation :

The post COVID Bhu-Kanoon protests, which gained significant visibility from 2022 onwards, centred on four primary demands :

- **Enactment of a Himanchal Pradesh model land law :** Complete prohibition on the sale of agricultural land to non-domiciles, with strict land use regulations (Down To Earth, 2024; MediaLit, 2021; Mongabay, 2024).
- **1950 cut-ff for domicile certificates :** Protestors demanded that the 1950 Presidential Notification which is used across India to determine state domicile to be applied to Uttarakhand, instead of current 1985/2000 cut-offs that have allowed post-statehood migrants to claim local status (Down To Earth, 2024; Hindi Down To Earth, 2023).
- **Reversal of the 2018 amendment :** Restoration of the 205 sq. m cap and removal of District Magistrate discretionary powers in land sales (Down To Earth, 2024; Hindi Down To Earth, 2023).

- **Reclamation of illegally acquired land :** Action against land-use violations and repossession of land acquired under fraudulent pretences (National Herald, 2025; NewsClick, 2025).

The movement coalesced under the Mool Niwas Bhu Kanoon Samanvway Samiti, an umbrella body of approximately 200 organisations formed in mid-2023 (Mongabay, 2024).

Mobilisation strategies included :

- **Mass rallies :** The December 24, 2023, rally in Dehradun drew thousands, pressuring Chief Minister Pushkar Singh Dhami to impose an Interim ban on agricultural land sales to outsiders (Down To Earth, 2024).
- **Hunger Strikes :** Youth activists staged hunger strikes at the Shaheed Smarak in Dehradun on Constitution Day (November 26, 2024), linking land rights symbolically to constitutional guarantees (News18 Hindi, 2024).
- **Village level resistance :** In Dharsal village, Tehri Garhwal, residents erected warning boards declaring that selling land to non-residents would result in social boycott (Bhaskar English, 2025).
- **Symbolic Protests :** A 50-year-old army veteran, Suresh Payal, participated in protests dressed as a bridegroom to highlight that unemployment and landlessness had made marriage impossible for hill youth (News18 Hindi, 2024).

The 2023-24 agitation became popular in both Kumaon and Garhwal and earned the support of people. Social media amplified the discourse locally, forcing mainstream political parties to address the issue.

The Limits of Protest: Structural Constraints and State Response :

Under sustained pressure, the Dhami government enacted amendments in February 2025, widely termed the 'Bhu-Kanoon 2025". Key provisions included :

- Prohibition on outsider purchase of agricultural/horticultural land in 11 of 13 districts (exempting Haridwar and Udham Singh Nagar) (Indian Express, 2025; National Herald, 2025).
- Restoration of the 250 sq. m. residential plot limit for non-residents (Indian Express, 2025; NewsClick, 2025).
- Mandatory affidavits and online monitoring via a dedicated portal (Kumaon Planner, 2026; SquareFoot Investor, 2026).
- Removal of District Magistrate discretionary powers (Kumaon Planner, 2026; SquareFoot Investor, 2026).

These amendments contain significant loopholes that illustrate the limits of protest efficacy:

- **The 30-year lease loophole :** Section 156 permits 30-year leases for agriculture, horticulture, and alternate energy projects, effectively allowing long term control without purchase

(NewsClick, 2025).

- **Industrial land-use automaticity :** Section 143 provisions allowing automatic land-use change for industrial purposes (NewsClick, 2025).
- **Weak enforcement mechanisms :** Despite 572 cases of land-use violation initiated since 2018, only 9.4 hectares had been repossessed by early 2024, with 23 high profile cases pending in Courts (National Herald, 2025).

Political parties have selectively appropriated the movement's demands. The BJP, which liberalised land laws in 2018, positioned itself as the protector of hill interests by passing the 2025 amendments. Opposition parties and activists have argued that the amendments are "electoral stunts" designed to neutralise protest without addressing structural issues (ETV Bharat, 2025).

The movement mobilised effectively around the immediate demand for land-law reform, but it has struggled to articulate a coherent alternative development model. The tension between ecological preservation and economic development remains unresolved. Historian Shekhar Pathak observes :

"Our land serves as the foundation of our identity...If we lose it, we risk becoming displaced persons" (Down To Earth, 2024). The movement has not yet developed policy frameworks for sustainable alternatives to the present working development style.

The demand for a 1950 domicile cut-ff also faces legal and demographic obstacles. The 2012 Uttarakhand High Court ruling that anyone resident since November 9, 2000 (state formation day) qualifies as domicile was accepted by the then Congress government without Supreme Court appeal (Hindi Down To Earth, 2023). Reversing this would require constitutional amendments and risk alienating nearly 4 million post-2000 migrants who now form a voting bloc (Down To Earth, 2024).

Comparative Perspective: Why Uttarakhand Differs?

Uttarakhand differs from other state due to its topography and political economy. Only 14% of its geographical area is designated as agricultural land, and over 65% of the population depends on agriculture (Mongabay, 2024; Down To Earth, 2024),

The comparison with Himanchal Pradesh is instructive. Himanchal's Section 118 has limited outsider land acquisition and preserved local control over resources. Uttarakhand's failure to enact similar legislation reflects not merely policy differences but the political economy of a state where Dehradun, Haridwar, and Udham Singh Nagar have been integrated into the National Capital region's real estate market, creating powerful lobbies opposed to land restrictions.

Conclusion :

The post COVID Bhu-Kanoon protests in Uttarakhand brought out important issues of the state regarding land ownership and livelihood. The movement transformed a marginal issue into a

central electoral concern and forced legislative action in 2025. Yet the extent of mobilisation has not translated into comprehensive structural change. The 2025 amendments, while symbolically important, retain loopholes.

The limits of the protests are structural. They reflect the dominance of neoliberal development paradigms, the electoral arithmetic of migration, and the absence of a unified ideological alternative. For the movement to move beyond reactive protest to transformative politics, it must address the underlying question of sustainable development, develop enforceable mechanisms for land repossession, and build coalitions that transcend the binary of "insider" versus "outsider".

As the state confronts climate change, glacial retreat, and accelerating urbanisation, the Bhu-Kanoon movement's ultimate test will be whether it can evolve from a defensive struggle for land restriction into proactive vision for ecological and social regeneration in the Himalayas.

References :

- Bhaskar English. (2025, February 27). *'Outsiders not allowed to buy land': Uttarakhand villages put up warning boards, demand a Himachal-like law to protect local identity.* https://www.bhaskarenglish.in/originals/news/uttarakhand-land-law-outsiders-ban-village-protest-134556062.html
- Down To Earth. (2024, January 16). *Fight for land*. https://www.downtoearth.org.in/governance/fight-for-land-93917
- ETV Bharat. (2025, February 21). संशोधित सख्त भू कानून का विरोध शुरू, संघर्ष समिति ने फाड़ी. .. https://www.etvbharat.com/hi/!state/mool-niwas-bhu-kanoon-sangrsh-samiti-mohit-dimri-protest-against-land-law-uttarakhand-news-uts25022106344
- Hindi Down To Earth. (2023, December 23). फिर क्यों आंदोलित हैं उत्तराखंड के लोग, क्या है भू–कानून और मूल निवास का मुद्दा? https://hindi.downtoearth.org.in/development/why-are-the-people-of-uttarakhand-agitating-what-is-the-issue-of-bhu-kanoon-and-mool-niwas-93551
- Kumaon Planner. (2026, April 21). *Uttarakhand land laws for outsiders 2026*. https://kumaonplanner.com/uttarakhand-land-laws-for-outsiders/
- MediaLit. (2021, August 5). *Landscape of resistance: Roots of Uttarakhand Bhu-kanoon agitation.* The Voices. https://medialit.in/thevoices/landlaws-uttarakhand-agitation/
- Mongabay. (2024, October 15). *Uttarakhand limits agricultural land sales amid protests & tourism development*. https://news.mongabay.com/2024/04/uttarakhand-limits-agricultural-land-sales-amid-protests-tourism-development/
- National Herald. (2025, March 1). *Uttarakhand: The gaping loopholes in the new land law*.

https://www.nationalheraldindia.com/national/uttarakhand-the-gaping-loopholes-in-the-new-land-law

- News18 Hindi. (2024, November 26). उत्तराखंड में भू–कानून की मांग...आंदोलन में शामिल हुआ 50 साल का 'दूल्हा'. https://hindi.news18.com/news/uttarakhand/dehradun-hunger-strike-at-shaheed-smarak-demanding-domicile-and-strong-land-law-local18-8860371.html
- NewsClick. (2025, February 22). Uttarakhand: Opposition, local groups debunk govt claims on 'stricter' land laws for outsiders. https://www.newsclick.in/uttarakhand-opposition-local-groups-debunk-govt-claims-stricter-land-laws-outsiders
- Nainital Samachar. (2025, March 26). भू कानून : आवश्यकता एक जन आंदोलन की. https://nainitalsamachar.org/bhoo-kanuun-avshykata-ek-jan-andolan-ki/
- SquareFoot Investor. (2026, January 27). *New land law in Uttarakhand: Key changes you need to know!* https://squarefootinvestor.in/bhu-kanon-in-uttarakhand-new-land-law/
- The Indian Express. (2025, March 3). *How Uttarakhand's new land law amendment restricts sale to non-residents*. How Uttarakhand's new land law amendment restricts sale to non-residents | Explained News - The Indian Express

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 14, Issue 5-6
पृष्ठ : 200–207

Mystics, Monarchs, and Messiahs : Cultural Landscapes of Early Modern Iran

SANJAY KUMAR
Research Scholar, Department of History, University of Delhi.

The book by Kathryn Babayan, entitled Mystics, Monarchs, and Messiahs: Cultural Landscapes of Early Modern Iran, offers a comprehensive, evaluative survey of the Safavid dynasty (1501–1736) that explores the intense relationship between political authority and spiritual mysticism and messianic belief systems. Babayan develops a unique method to understand how these factors helped the Safavid state gain political power while defining both religious expressions and cultural patterns in early modern Iran. Traditional Safavid political history receives less attention in this book, as the author examines how cultural, religious, and social elements helped build the Safavid empire.[1]

The opening section of the book lays the foundation for knowledge of Safavid Iran through Persianate Ways of Being and Sensing Time. The Safavids viewed time as cyclical rather than linear because their deep Persianate traditions shaped their religious and political beliefs, according to Babayan. Time followed a cyclical pattern because religious traditions from pre-Islamic Persian culture combined with Islamic mystical doctrines, especially Sufism. Through his analysis, Babayan demonstrates that this worldview permeated religious practices and shaped the Safavid understanding of their political position in the world. During the Safavid mystical era, time operated in cycles, with religious and political transformations following as part of an eternal spiritual pattern, with the Safavids representing divine renewal forces.[2]

The second section of this book explores Alid Memory and Ritual Drama: Religious Paradigms of Political Action by examining how the Safavid political and religious agenda utilised the Alid memory. Babayan stresses that the Shi'a devotion for Ali and his heirs became a vital component of Safavid royal claims to authority. Shah Isma'il I presented himself to his subjects as both a political ruler and a divine being by claiming descent from the Alids to support his position of power. Babayan investigates how the Safavids used religious ceremonies and historical remembrances to advance their political purposes while merging political power with religious devotion.[3]

The third section analyses how Safavid monarchs Shah Isma'il and Shah Abbas I drew on both Persianate traditions and Shi'a mystical elements to develop their imperial identities. Babayan analyses the Safavid rulers' use of sacred symbols and their divine role as representatives of the Hidden Imam to enhance their political authority. As Safavid monarch Shah Abbas I continued Safavid mystical traditions, he established a centralised, orthodox political system while preserving those traditions. According to Babayan, the Safavid rulers modified their governing system to ensure stable political conditions and improved governance over their multi-ethnic domain.[4]

Introduction :

Mystics, Monarchs, and Messiahs : Cultural Landscapes of Early Modern Iran by Kathryn Babayan is a crucial academic work that traces religious mystical elements, political power, and mesianic beliefs across Safavid Iran between 1501 and 1736. Babayan utilises a comprehensive examination of the Safavid dynasty to understand how religious elements, alongside political power and mystical narratives, brought about significant transformations in Iran during its most influential historical era. Babayan departs from traditional historical interpretations by showing how Safavid political and military power relied heavily on the combination of mystical practices and Alid religious memory and mesianic beliefs. Through their fusion, Iran's contemporary identity emerged, while its society experienced ongoing cultural and political consequences.[5]

Shah Isma'il established the Safavid Empire in 1501, which developed into both an armed political formation and a religious-spiritual institution. The Safavid dynasty was founded on the mystical Safavid Sufi order, which had previously ruled much of the area. The religious order evolved into a political dynasty that established Twelver Shi'ism as the state religion, thereby ushering in a radical religious transformation in Iran. Religious transformation in Iran expanded beyond the introduction of new sects because it built a religious-political system that integrated mystical beliefs with state governance and royal divinity. Safavid rulers exercised political and spiritual authority during their period to express Islamic traditions, serving as both worldly and sacred guides to their subjects on matters of justice and divine truth.[6]

The Safavid monarchs, particularly Shah Isma'il I, exemplified this dual role. Shah Isma'il's reign is often described as a period when the monarch transcended his political function to become a messianic figure. This messianic vision was central to the Safavid movement and was embodied in Isma'il's self-image as the representative of divine justice on earth. This spiritual authority, however, did not remain static throughout the Safavid period. As Babayan carefully demonstrates, it evolved as the Safavid rulers, particularly under Shah Abbas I, sought to stabilise the empire by moving toward a more centralised, orthodox Shi'a political structure, thereby gradually distancing themselves from

earlier, more mystical and messianic interpretations of their divine kingship.[7]

A key component of Babayan's analysis is her examination of the Qizilbash, the Turkic-speaking tribes that played a critical role in the early success of the Safavids. Originally members of the Safavid Sufi order, the Qizilbash were mystics who viewed Shah Isma'il not merely as a king but as a divine agent tasked with bringing justice and truth to the world. For these followers, Isma'il embodied the characteristics of a messiah. The Qizilbash warriors, bound by religious loyalty and mystical devotion, were instrumental in securing the Safavid dynasty's early victories. However, as the Safavid state grew more powerful and centralised, the Qizilbash's influence began to wane, particularly during the reign of Shah Abbas I, who sought to reduce their power in favour of a more centralised royal administration. Babayan's exploration of the Qizilbash illustrates how mystical devotion, political power, and military service were intricately intertwined, influencing both the Safavid military and political structures.[8]

Shi'a religious scholars, known as ulama, occupied a vital position in shaping the political-religious dynamics of Safavid Iran. Shah Isma'il received their support while they established Twelver Shi'ism as the state religion and grew into a strong political force through the Safavid patronage of Shi'a religious institutions. Babayan analyses Safavid political and religious authority through a study that examines architectural expression during the Safavid era.[9] City architecture in Isfahan served as a vital tool for communicating both Safavid political doctrine and the mystical beliefs of the Safavid monarchy. The Shahnameh-inspired mosque designs of the Safavid period, such as the Sheikh Lotfollah Mosque, embody both the Safavid state's greatness and its political and mystical elements. The architectural achievements functioned beyond aesthetics because they physically embodied the Safavid rulers' theological aims and political goals, namely the establishment of a Shi'a Islamic utopia.[10]

The primary concept in Mystics, Monarchs, and Messiahs revolves around genealogies of power as Babayan investigates how the Safavid rulers employed religious and cultural frameworks to establish their political authority. Through Michel Foucault's concept of power, Babayan examines how the Safavids employed the Alid memory, especially the martyrdom of Imam Husayn and his family, to develop a religious-political discourse that supported their authority. Babayan develops his theory by referencing Pierre Nora, who stressed that cultural memory helps form national identities, as he analyses political legitimacy through Safavid dynastic rule. Through her integration of theoretical perspectives, Babayan presents an advanced comprehension of how religious discourse enabled Safavid rulers to defend their political control.[11]

Babayan proves that the Safavid dynasty implemented Twelver Shi'ism as a political instrument that strengthened their claims to power. Political goals were the main reason the Safavid dynasty

depicted Shah Isma'il as a divinely chosen leader through messianic symbolism. The Safavid dynasty relied on its messianic vision to gain power, and that vision then guided its religious and political culture throughout its reign. Babayan demonstrates through his analysis of Safavid religious symbolism and mysticism that spiritual and political authority united to establish a long-enduring state.[12]

Babayan's study reveals how Safavid political and religious principles evolved. The Safavid dynasty under Shah Isma'il and his successors interpreted royal power through mystical and messianic beliefs as they ruled during the early period. State centralisation with the establishment of an orthodox Shi'a state became the choice of the Safavid dynasty under Shah Abbas I as the Persian empire matured. Political stability in the multi-ethnic empire demanded a reevaluation of religious and mystical ideology to manage the changing political environment.[13]

The book Mystics, Monarchs, and Messiahs examines the Safavid dynasty's methods of consolidating power through mystical elements, political authority, and messianic ideologies to achieve religious unity across their state. The investigation of Safavid history through this study enables a better understanding of Safavid history and crucial insights into Iran's cultural and political developments in the early modern period. The examination of Qizilbash, ulama, mystical practices, and architectural construction in his work allows Babayan to explain how the Safavids built their enduring dynasty, which shaped Iranian historical growth, by combining political and religious methods.[14]

Significance of the Study :

This book is significant for its original examination of the Safavid dynasty, offering scholarly insights that transcend traditional political historiography. Babayan establishes a thorough understanding of the Safavid authority's consolidation by analysing the network of mystical and messianic beliefs alongside political power structures.[15] The approach demonstrates that mysticism played an essential role in Safavid political strategies, beyond its recognised countercultural role. Babayan's research focuses on Safavid state legitimacy through an investigation of religious memory rituals, Safavid architectural expressions of ideology, and the complex relationships among Safavid followers. The extensive research expands our knowledge about religious and political matters in early modern Iran.[16]

Definition of Key Terms in *Mystics, Monarchs, and Messiahs* by Kathryn Babayan :

1. Mysticism : Babayan investigates mysticism as a religious practice in Safavid Iran, which allows believers to experience divine truths through meditation and ritual practices. The practice is deeply connected to Sufism because it provides the basis for political legitimacy and royal authority in the domain[17]

2. Monarchs : The Babayan examined the dual political and religious power of Safavid rulers

Shah Isma'il and Shah Abbas I. Both temporal and spiritual leadership roles were fundamental to the establishment of the Safavid state.[18]

3. Messianism : Messianic beliefs about a divine figure stood as a fundamental principle of the Safavid dynasty because the return of the Hidden Imam remained central to their faith. The political and religious power of the Safavid dynasty increased as the dynasty's founding monarch, Shah Isma'il, manifested himself as a messianic leader.[19]

4. Qizilbash : Under early Safavid rule, the Qizilbash functioned as Shi'a Turkic-speaking tribal supporters who developed into the fundamental military and political backing. Through their spiritual beliefs and support for Safavid rulers, combined with their distinctive red headwear, the Qizilbash achieved major success within the dynasty.[20]

5. **Alid Memory** : Alid memory serves to honour the descendants of Prophet Muhammad who hold a central position in Shi'a Islam. Shah Isma'il, along with the Safavid dynasty, employed the Alid memory as a means to establish divine authorisation of their rule while strengthening their role as both Shi'a religious authority and the state.

6. Shi'a Islam : Shi'a Islam stands as a Sunni Muslim division that gives precedence to the Muhammad family leadership. The Safavids made Twelver Shi'ism their official state religion while merging it with Persian cultural heritage to form an independent religious-political identity.[21]

7. Sufism : Through Sufism, as the mystical part of Islam, people reached God through spiritual practices, which included meditation and chanting. During the early Safavid dynasty, the rulers functioned as spiritual administrators who played an essential part in Sufism.[22]

8. Cultural Memory : Cultural memory, a collective remembrance of past events, shapes a society's identity and worldview. Babayan demonstrates that the Safavid rulers established their political authority through religious narratives, art, and rituals.[23]

Theoretical Perspectives :

Babayan uses cultural-historical analysis, which combines methods from religious studies, political science, and historical sociology. Through the notion of "genealogies of power", Babayan investigates historical practices that demonstrate religious and political ideology connections. Through this method, we explored how the Safavid rulers strengthened their power by using religious and mystical traditions. Within the analytical framework, Babayan employs cultural memory as a tool to analyse how Safavid rulers achieved political legitimacy through the controlled deployment of religious symbolism.[24]

Historical Narratives :

The historical framework of Mystics, Monarchs, and Messiahs presented by the author is

analysed across multiple dimensions. The book analyses the Safavid period by exploring political structures and religious systems to demonstrate how Safavid rulers achieved their authority through mysticism, Alid loyalty, and messianic beliefs. Through its analysis, the book examines both Iran's conversion to Twelver Shi'ism and the Safavid state's political unification. Babayan delivers a detailed examination of the Safavid era through his analysis of historical developments, religious beliefs, and political systems.[25]

Overview of Historical Periods Relevant to the Study :

The book examines in depth the Safavid period, which spanned from Shah Isma'il's ascension in 1501 until the beginning of Shah Abbas I's reign in the early seventeenth century. Babayan positions this historical era within both Islamic world history and Iranian political and cultural developments alongside the development of Shi'a Islam. The author covers both the history of the Timurid Empire and the development of early modern Iran's intellectual culture, Islamic mysticism, and messianism in earlier periods.[26]

Key Events and Figures Influencing the Archives :

Key figures in the book include Shah Isma'il, the founder of the Safavid dynasty, who is portrayed as both a political and religious leader with divine authority. Shah Abbas I, the greatest of the Safavid monarchs, is also central to the narrative, as his reign marked the shift from a messianic, mystically inspired monarchy to a more centralised and orthodox Shi'a state. Other figures include the Qizilbash, the mystical warriors who supported the Safavids, and various mystics and messianic figures who shaped the religious and political landscape of the Safavid era.[27]

Challenges and Limitations :

The main obstacle Babayan encounters stems from insufficient primary source materials, especially those that represent the Qizilbash and mystical groups. The majority of sources Babayan uses are court chronicles and religious writings created by the elite, which reflect their political stance. Babayan recognises the restrictive nature of her source materials, which leads her to use various literary forms and art elements, in addition to historical documents, to create a detailed image of Safavid Iran's religious world.[28]

Conclusion/Summary of Key Findings :

Babayan's Mystics, Monarchs, and Messiahs provides an extensive analysis of the Safavid period by examining mystical, political, and messianic relationships. The book shows that Safavid Iran did not view mysticism as a marginal or oppositional force, as it served as a political instrument that granted both religious power and political authority. Through her work, Babayan confronts established Safavid history to expose a fresh understanding of Iran's religious and political forces

during the early modern era.

References :

1. O'Donnell, B. (2011). Rise of the Safavids: From mystics to shahs. Retrieved April 10, 2025, fromhttps://cas.umw.edu/dean/files/2011/08/Odonnell-altikriti-rise-of-the safavid-dynasty.pdf
2. Heger, N. (1997). The status and the image of the Persianate artist (Doctoral dissertation, Princeton University).
3. Morimoto, K. (2010). The earliest 'Alid genealogy for the Safavids: New evidence for the pre-dynastic claim to Sayyid status. Iranian Studies, 43(3), 447–469.
4. Melville, C. P. (1996). Shah Abbas and the pilgrimage to Mashad. In Safavid Persia: The history and politics of an Islamic society. I.B. Tauris.
5. Melville, C. P. (1996). The early years of Shah Isma'il in the Afzal al-tavarikh and elsewhere. In Safavid Persia: The history and politics of an Islamic society. I.B. Tauris.
6. Babayan, K. (2002). Mystics, Monarchs, and Messiahs: Cultural Landscapes of Early Modern Iran. Harvard University Press.
7. Karamustafa, A. T. (1994). God's unruly friends: Dervish groups in the Islamic later middle period, 1200–1550. University of Utah Press.
8. Babayan, K. (2002). Mystics, Monarchs, and Messiahs: Cultural Landscapes of Early Modern Iran. Harvard University Press.
9. Babaie, S., Babayan, K., Baghdiantz-McCabe, I., & Farhad, M. (2003). Slaves of the Shah: New elites of Isfahan. I.B. Tauris.
10. Daniel, E. L. (1979). The political and social history of Khurasan under Abbasid rule, 747–820. Bibliotheca Islamica.
11. Nora, P. (1996). Realms of memory: Rethinking the French past (A. Goldhammer, Trans.). Columbia University Press.
12. Babayan, K. (2002). Mystics, Monarchs, and Messiahs: Cultural Landscapes of Early Modern Iran. Harvard University Press.
13. Roemer, H. R. (1986). The Safavid period. In P. Jackson & L. Lockhart (Eds.), The Cambridge history of Iran, Vol. 6: The Timurid and Safavid periods (pp. 189–350). Cambridge University Press.
14. Haneda, M. (1987). Le Chah et les Qizilbash: Le système militaire safavide. Klaus Schwarz Verlag.
15. Karakaya-Stump, A. (2019). Mysticism and imperial politics: The Safavids and the making of the Kizilbash milieu. In The Kizilbash-Alevis in Ottoman Anatolia: Sufism, Politics and Community (pp. 220–255). Edinburgh University Press. https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9781474432702-012/html.
16. Herrera, R. (1992). Situating Islamic mysticism: Between written traditions and popular spirituality. In

Typologies of mysticism: The quest for God in Judaism, Christianity and Islam. Catholic University Press.
17. Herrera, R. (1992). Situating Islamic mysticism: Between written traditions and popular spirituality. In Typologies of mysticism: The quest for God in Judaism, Christianity and Islam. Catholic University Press.
18. Babayan, K. (2002). Mystics, Monarchs, and Messiahs: Cultural Landscapes of Early Modern Iran. Harvard University Press.
19. Bashir, S. (1997). Between mysticism and messianism: The life and thought of Muhammad Nurbakhsh (d. 1464) (Doctoral dissertation, Yale University).
20. Haneda, M. (1987). Le Chah et les Qizilbash: Le système militaire safavide. Klaus Schwarz Verlag.
21. Mazzaoui, M. M. (1972). The origins of the Safavids: Shi'ism, Sufism, and the Ghulat (Vol. 3). Steiner.
22. Karakaya-Stump, A. (2019). Mysticism and imperial politics: The Safavids and the making of the Kizilbash milieu. In the Kizilbash-Alevis in Ottoman Anatolia: Sufism, politics and community (pp. 220–255). Edinburgh University Press. https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9781474432702-012/html
23. Sewell, W. (1999). Geertz, cultural systems, and history: From synchrony to transformation. In S. Ortner, The fate of "culture": Geertz and beyond. University of California Press.
24. Babayan, K. (2002). Mystics, Monarchs, and Messiahs: Cultural Landscapes of Early Modern Iran. Harvard University Press.
25. Roemer, H. R. (1986). The Safavid period. In P. Jackson & L. Lockhart (Eds.), The Cambridge history of Iran, Vol. 6: The Timurid and Safavid periods (pp. 189–350). Cambridge University Press.
26. Babayan, K. (2002). Mystics, Monarchs, and Messiahs: Cultural Landscapes of Early Modern Iran. Harvard University Press.
27. Babayan, K. (1993). The waning of the Qizilbash (Doctoral dissertation, Princeton University).
28. Babayan, K. (1993). The waning of the Qizilbash (Doctoral dissertation, Princeton University).

Email- Skumar.phd@history.du.ac.in

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 14, Issue 5-6
पृष्ठ : 208–214

Cybersecurity and National Sovereignty in the Digital Age : Challenges, Threats, and Strategic Responses

RAKESH KUMAR SHARMA
PhD Research Scholar
University Department of Political Science, Veer Kunwar Singh University, Ara, Bihar.

Abstract :

In the digital era, cybersecurity has emerged as a critical component of national sovereignty, as modern states have become heavily reliant on digital infrastructure for governance, economic activities, defense systems, and communication networks. Accompanying this growing dependency has been a rapid surge in cyber threats-such as hacking, cyber espionage, ransomware attacks, and information warfare-which transcend geographical boundaries to challenge traditional impacting a nation's internal security, policymaking processes, and citizens' privacy. This article analyzes the intricate nexus between cybersecurity and national sovereignty, elucidating the nature of emerging threats, the roles played by both state and non-state actors, and the imperative for effective governance mechanisms. It posits that in the 21st century, ensuring the security of cyberspace is indispensable for safeguarding national sovereignty-a goal that necessitates prioritizing robust policy frameworks, the development of technical capabilities, and international cooperation.

Keywords : Cybersecurity, National Sovereignty, Cyber Threats, Cyber Warfare, Information Warfare, Data Security, Digital Governance, Cyber Espionage, Global Governance, Technology and Security.

Introduction :

Traditionally, national sovereignty has been understood as a state exercising absolute control over its own geographical territory, resources, and political decisions. This concept was premised on the idea that a state exercises supreme authority within its borders and remains free from external interference. However, in the 21st century, the digital revolution-characterized by the rapid advancement of technologies such as the Internet, artificial intelligence, cloud computing, and big data-has challenged this traditional notion. Today, cyberspace has emerged as a new domain of power where borders are not physical but virtual, and where maintaining state sovereignty has become increasingly

complex. In this context, the concept of "cyber sovereignty" assumes significance, wherein states endeavor to establish control over their digital infrastructure, data, and networks, and to safeguard them against external interface and cyberattacks (Kello, 2017).

In the contemporary era, the growing reliance on digital platforms across critical sectors-such as governance, banking, defense, healthcare, and communication-has elevated cybersecurity to a central issue of national policy. Cyberattacks-including data theft, hacking, ransomware, cyber espionage, and disinformation campaigns-can severely undermine a nation's internal stability, economic security, and democratic processes (Singer & Friedman, 2014). For instance, an attack on energy supply systems, financial networks, or government databases not only disrupts services but also erodes public trust. Furthermore, influencing public opinion and interfering in electoral processes through information warfare have emerged as major challenges of our time. Thus, cybersecurity is no longer merely a technical security concern; rather, it has evolved into a critical issue inextricably linked to national sovereignty, political stability, and the global balance of power.

Understanding Cybersecurity and Sovereignty :

Cybersecurity refers to the measures, techniques, and policies employed to safeguard digital systems, networks, and data against unauthorized access, cyberattacks, and damage. This encompasses the protection of computer systems, internet networks, cloud services, and critical information infrastructure. National Sovereignty, on the other hand, pertains to the supreme authority of a state, under which it exercises complete control over its geographical territory, resources, and internal affairs. Traditionally, this concept was confined to physical borders and territorial control; however, in the digital age, its scope has expanded significantly. A nation's sovereignty is no longer limited solely to its physical borders; the security of its digital resources and information systems has now become an integral component of it.

In the digital era, the scope of sovereignty has extended into cyberspace, making it imperative for a state to establish control over data, networks, and digital infrastructure. This very transformation has given rise to the concept of "Cyber Sovereignty", under which nations strive to regulate internet activities, govern data flows, and ensure protection against cyber threats within their respective jurisdictions. For instance, many nations are emphasizing the protection of their citizen's data within their own borders by adopting data localization policies. Furthermore, cybersecurity is no longer merely a technical issue; it has evolved into a critical strategic subject inextricably linked to national security, economic stability, and political control. Thus, in the modern era, a deep and interdependent relationship has been established between cybersecurity and national sovereignty.

Emerging Cyber Threats :

In the digital age, the nature of cyber threats has evolved rapidly, posing a grave challenge to national security, economic stability, and political order. Foremost among these threats is Cyber Warfare, wherein states employ cyber technologies to achieve their strategic objectives. This entails attempts to disrupt or neutralize a hostile nation's critical infrastructure-such as power grids, communication networks, defense systems, and transportation networks. Compared to conventional warfare, cyber warfare is more covert and cost-effective, thereby emerging as a potent weapon in modern international politics. Furthermore, Cyber Espionage constitutes a major threat, involving the acquisition of sensitive information from governments, military organizations, and private institutions through hacking and surveillance. Such activities can have serve impact on national security and diplomatic relations.

Similarly, Ransomware Attacks rank among the fastest-growing cybercrimes today; in these incidents, perpetrators encrypt the data of an organization of government entity and demand a ransom for its recovery. This can disrupt critical services-such as healthcare, banking, and administrative operations-consequently having a widespread impact on the general public (ENISA, 2022). Moreover, Disinformation and Information Warfare have emerged as serious challenges, utilizing social media platforms to disseminate false or misleading information. The objective is to sway public opinion, foment political instability, and influence electoral processes. These various cyber threats underscore the fact that, in the moder era, the concept of security is no longer confined solely to physical borders but has expanded to encompass the digital and informational realms as well.

Role of State and Non-State Actors :

In the realm of cybersecurity, threats are not limited solely to states; rather, they emanate from both state and non-state actors. Nation-states frequently employ tools such as cyber warfare and cyber espionage to advance their strategic and geopolitical interests. In doing so, they may target the critical information systems, military infrastructure, and government networks of other nations, thereby directly impacting their security and sovereignty. Conversely, non-state actors-such as hacker groups, cybercriminal networks, and terrorist organizations-primarily execute cyberattacks for financial gain, ideological objectives, or to foment political instability. These groups often exploit vulnerable digital infrastructure and security loopholes, rendering their activities highly unpredictable and difficult to control.

Furthermore, the private sector-particularly technology companies-plays a pivotal role in the field of cybersecurity. Companies such as Microsoft and Google are at the forefront of securing digital infrastructure, identifying cyber threats, and developing advanced security solutions. These

companies not only provide software and security tools but also collaborate with governments to strengthen cybersecurity policies and strategies (Nye, 2017). However, the expanding role of private companies also brings to the fore issues concerning data privacy, control, and accountability, given that these entitles hold vast quantities of sensitive data. Thus, cybersecurity has evolved into a multi-stakeholder process in which states, non-state actors, and the private sector all play significant roles.

Cybersecurity and National Sovereignty :

Cybersecurity shares a direct and profound relationship with national sovereignty, as the governance systems, administrative capacities, and security mechanisms of any nation have now become heavily reliant on digital infrastructure. Consequently, cyberattacks can undermine a state's effective governance capabilities and challenge its sovereignty. For instance, cyberattacks targeting critical infrastructure-such as power grids, healthcare services, banking systems, and communication networks-not only disrupt services but also impact social and economic stability. Such attacks can foster an atmosphere of fear and mistrust among citizens, thereby negatively affecting the state's legitimacy and capacity for control (Signer & Friedman, 2014). Furthermore, the leakage of sensitive government information through cyber espionage and data theft can pose a grave threat to national security (Kello, 2017).

Concurrently, the growing reliance on foreign technologies and digital platforms has brought the issues of data sovereignty and digital self-reliance to the forefront. Many nations are concerned that, because their citizens' data is stored on foreign companies' servers or platforms, it may fall under the purview of external control and surveillance. Consequently, countries are now placing special emphasis on the development of indigenous technologies, data localizations policies, and the construction of secure digital infrastructure. These efforts not only bolster cybersecurity is no longer merely a technical necessity; it has emerged as a critical pillar of national sovereignty, strategic autonomy, and the global balance of power.

Global Governance and Cyber Regulation :

Efforts toward the global regulation of cyberspace are currently in a nascent stage, and a coordinated and comprehensive international framework in this domain has not yet been fully established. Due to the globalization of digital technology, cyber activities transcend national borders, resulting in their impacts being felt on a global scale. In this context, international organizations such as the United Nations are striving to develop norms for responsible state behavior within cyberspace. Through various expert groups and forums under the aegis of United Nations, deliberations and held regarding regulations concerning cybersecurity, data protection, and cyber warfare. The objective of these initiatives is to ensure that cyberspace is utilized to foster peace, stability, and cooperation.

However, despite these efforts, a comprehensive and binding cyber governance framework remains absent at the global level. The divergence in national interests, security concerns, and technological capabilities among various nations makes it difficult to forge a consensus. While some nations advocate for the freedom and openness of the internet, others prioritize greater control and surveillance under the principle of cyber sovereignty. Furthermore, the complexities involved in the attribution of cyberattacks, coupled with legal ambiguities, also pose obstacles to effective global regulation. Thus, cyber governance has evolved into a complex and multi-layered process, wherein international cooperation, transparency, and shared norms are of paramount importance.

Challenges to Cyber Sovereignty :

Ensuring cyber sovereignty has become an extremely complex task in today's digital age, as it faces numerous structural and technical challenges. The most prominent challenge is the lack of international legal frameworks. Currently, there is no comprehensive, binding, and universally accepted global law governing cyberspace; consequently, establishing accountability and initiating local action in the event of cyberattacks becomes difficult. Furthermore, the rapid and continuous evolution of technology poses a significant challenge. Emerging digital technologies-such as Artificial Intelligence, the Internat of Things (IoT), and Quantum Computing-cause cyber security threats to constantly evolve, making it difficult to keep policies and security mechanisms up to date.

Another significant issue relates to the "attribution problems", wherein identifying the actual source of perpetrator of a cyberattack is extremely difficult. Attackers often employ sophisticated techniques to mask their identities, making it challenging to hold a specific state or organization accountable. Additionally, increasing reliance on global digital networks impacts cyber sovereignty, as the internet and digital services are globally interconnected, making it impossible for any single nation to exercise complete control over them. Finally, striking a balance between security and freedom constitutes a major challenge. While states, on one hand, seek to increase surveillance and control to bolster cyber security, such measures, on the other hand, may impinge upon citizens' privacy and freedom of expression. Thus, a balance and coordinated approach to addressing all these challenges is essential to strengthen cyber sovereignty.

Way Forward :

To strengthen cybersecurity and effectively defend national sovereignty, states must adopt multifaceted and long-term strategies. First and foremost, the development of robust cybersecurity policies and secure digital infrastructure is imperative to safeguard critical information systems against cyberattacks. Concurrently, increasing investment in indigenous technology and innovation is crucial to reduce dependence on foreign technologies and ensure data sovereignty. Governments

must also prioritize advanced research, cybersecurity training, and the development of skilled human resources to effectively counter evolving cyber threats.

Furthermore, fostering international cooperation and norm-building is essential, given that the nature of cyber threats is global and their resolution is achievable only through collective efforts. In this context, platforms such as the United Nations can play a pivotal role in developing shared norms for responsible behavior shared norms for responsible behavior within cyberspace. Simultaneously, strengthening public-private partnerships is vital, as private technology companies play a leading role in developing cybersecurity solutions. Ultimately, the enactment and effective implementation of robust laws regarding data protection and privacy are indispensable to safeguard citizens' rights and strike a balance between security and liberty. Thus, only a coordinated, multi-stakeholder, and balanced approach can effectively bolster both cybersecurity and national sovereignty.

Conclusion :

In the digital era, cybersecurity has emerged as an indispensable and central element of national sovereignty, as a state's governance systems, economic activities, defense infrastructure, and social communication all rely on digital networks today. Alongside this growing dependence, the complexity and intensity of cyber threats are also constantly escalating-factors that can impact any nation's internal stability, security, and decision-making capabilities. Consequently, it becomes imperative for states to update their strategies, policies, and institutional frameworks in line with the times, enabling them to effectively counter emerging cyber threats. The security of cyberspace is no longer merely a technical issue; rather, it has evolved into a critical dimension of national power, strategic autonomy, and global competitiveness.

Furthermore, strengthening cybersecurity necessitates international cooperation, the development of shared norms, and multilateral dialogue, given that the nature of cyber threats is global and their resolution is achievable only through collective efforts. Concurrently, states must ensure that the implementation of security measures upholds democratic values-such as freedom of expression, privacy, and human rights. Thus, it is essential to adopt a balanced approach that strikes an appropriate equilibrium between security and liberty. Ultimately, the creation of a secure, inclusive, and trustworthy digital environment is the key to ensuring the robustness and sustainability of national sovereignty in the 21st century.

References :

1. Betz, D. J., & Stevens, T. (2011). *Cyberspace and the state: Toward a strategy for cyber power*. Routledge.

2. Clarke, R. A., & Knake, R.K. (2010). *Cyber war: The next threat to national security and what to do about it*. HarperCollins.
3. Deibert, R. (2013). Black code: Surveillance, privacy, and the dark side of the Internet. *Millennium: Journal of International Studies, 41(3)*, 531-546.
4. Dunn Cavelty, M. (2014). *Cybersecurity and threat politics: US efforts to secure the information age.* Routledge.
5. European Union Agency for Cybersecurity (ENISA). (2022). *ENISA threat landscape 2022*. European Union.
6. Farwell, J. P., & Rohozinski, R. (2011). Stuxnet and the future of cyber war. *Survival, 53(1)*, 23-40.
7. Kello, L. (2017). *The virtual weapon and international order*. Yale University Press.
8. Libicki, M. C. (2009). *Cyber deterrence and cyberwar*. RAND Corporation.
9. Mueller, M. (2010). *Networks and states: The global politics of Internet governance*. MIT Press.
10. Nye, J. S. (2017). Deterrence and dissuasion in cyberspace. *International Security, 41(3)*, 44-71.
11. Rid, T. (2013). *Cyber war will not take place*. Oxford University Press.
12. Schmitt, M. N. (Ed.). (2017). *Tallinn manual 2.0 on the international law applicable to cyber operations*. Cambridge University Press.
13. Singer, P. W., & Friedman, A. (2014). *Cybersecurity and cyberwar: What everyone needs to know*. Oxford University Press.
14. UN Group of Governmental Experts (GGE). (2015). *Report on developments in the field of information and telecommunications in the context of international security*. United Nations.
15. World Bank. (2021). *World development report 2021: Data for better lives*. World Bank Publications.

Complete Postal Address: Village-Gangadhi, P.O.-Saisar, P.S.-Dinara, Dist.-Rohtas, Pin-802213
Email: rockrakeshsharma96@gmail.com
Contact & WhatsApp Number: 8709625817

PRINTED MATTER/PRINTING BOOK CLAUSE 121 (A) P & T GUIDE

गुगनराम एजुकेशनल एण्ड सोशल वैलफेयर सोसायटी (रजि.)
द्वारा भिवानी (हरियाणा), काठमाण्डू (नेपाल) से प्रकाशित

ISSN : 2395-7115
Impact Factor : 8.642

बोहल शोध मंजूषा

Bohal Shodh Manjusha

AN INTERNATIONAL MULTI DISCIPLINARY, MULTIPLE LANGUAGES
PEER REVIEWED, REFREED RESEARCH JOURNAL

UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 2018)

Website :
www.bohalshodhmanjusha.com
Email : grsbohal@gmail.com

Editor :
Dr. Naresh Sihag, Adv.
M. : 8708822674, 9466532152

गीना देवी शोध संस्थान
द्वारा श्रीगंगानगर, (राजस्थान), पटियाला (पंजाब) व नेपाल से प्रकाशित

ISSN : 2321-8037
Impact Factor : 7.834

Gina Shodh SANGAM

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL

UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Website : www.ginajournal.com
Email : grngobwn@gmail.com
Office : 8708822674

Editor :
Dr. Rekha Soni, Vice Principal
Education, Tantia University
M. 9828531975

गिरधारीलाल घासीराम शोधपीठ
द्वारा नई दिल्ली, आगरा, गाजियाबाद एवं नेपाल से प्रसारित

ISSN : 2348-5639
Impact Factor : 6.521

SHODH SAMALOCHAN

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES QUARTERLY RESEARCH JOURNAL

UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Website : https://ginajournal.com/shodh-samalochan/
Executive Editor : Dr. Varsha Rani M. 9671904323
Managing Editor : Dr. Mukesh Verma M. 9627912535

Editor :
Dr. Naresh Sihag, Advocate
M. 8708822674

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक गीना देवी शोध संस्थान भिवानी के लिए डॉ. नरेश सिहाग एडवोकेट ने मनभावन प्रिन्टर्ज भिवानी से छपवाकर कार्यालय #202, पुराना हाऊसिंग बोर्ड, भिवानी-127021 (हरियाणा) से वितरित की।

ISSN 2321:8037

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate* of Publication for the paper titled

साहित्यिक पत्रकारिता और आधुनिक संदर्भ

Authored by

डॉ. रेखा कुमारी त्रिपाठी

अतिथि प्राध्यापिका (हिंदी एवं अनुवाद विभाग)
हिंदी विश्वविद्यालय, हावड़ा।

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037
Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-1, Page No. 8-19

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate of Publication for the paper titled*

Constitutional Morality and Juvenile Justice : A Preventive Legal Framework for India

Authored by

Ashwani Kumar Singh, Research Scholar
Dr. Sandip Kumar Baghel, Associate Professor
Department of Law, Nehru Gram Bharati
(Deemed to be University)

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037

Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-1, Page No. 20-28

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate* of Publication for the paper titled

'ॐ' सृष्टि का आदि स्वर

Authored by

डॉ. शिव दर्शन दुबे

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037
Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-1, Page No. 29-34

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate* of Publication for the paper titled

रांगेय राघव के उपन्यासों में पारिवारिक संबंधों का स्वरूप

Authored by

लक्ष्मण कुमार

शोधार्थी– हिन्दी विभाग, प० दी० द० उ० राज० बालिका महाविद्यालय सेवापुरी वाराणसी (mgkvp)

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037
Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-1, Page No. 35-40

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate* of Publication for the paper titled

भूमंडलोत्तर हिंदी उपन्यासों में श्रमिक जीवन और संघर्ष
(मुन्नी मोबाइल और अमर देसवा उपन्यास के सन्दर्भ में)

Authored by

जितेन्द्र कुमार मीणा, शोधार्थी,

प्रो. संजीव कुमार दुबे, शोध निर्देशक,

हिन्दी अध्ययन विभाग, भाषा, साहित्य एवं संस्कृति अध्ययन संकाय,
गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कुंढ़ेला, वड़ोदरा, गुजरात, भारत।

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037

Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-1, Page No. 41-49

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate* of Publication for the paper titled

आधुनिक युग में टोपोलॉजिकल डेटा विश्लेषण (TDA) : गणितीय आधार, पद्धतियां और अनुप्रयोग

Authored by

श्रीमती सरिता आचार्य

सा. प्रा. गणित, श्री उमा कन्या महाविद्यालय हाटपीपल्या
जिला देवास (मध्य प्रदेश)

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037

Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-1, Page No. 50-52

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate* of Publication for the paper titled

'नागफनी' आत्मकथा में सामाजिक परिवेश

Authored by

मोनिका

पीएच. डी. शोधार्थी, हिन्दी–विभाग
पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़। पिन कोड–160014

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037
Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-1, Page No. 53-56

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate of Publication for the paper titled*

The Paradox of the Feminine : A Historical Analysis of Gender, Agency, and Social Stratification in Vedic India (c. 1500–500 BCE)

Authored by

Koshinder Singh
Research Scholar, Department of History,
Meerut College, Meerut

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037
Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-1, Page No. 57-60

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate of Publication for the paper titled*

Standardization of Marking Procedures and Its Role in Fair Play, Sportsmanship, and Training Effectiveness in Physical Education and Sports

Authored by

Ram Krishan Saran, Research Scholar
Dr. Surjeet Singh Kaswan (Professor),
Research Supervisor, Faculty of Physical Education,
Tantia University, Sri Ganganagar (Raj.)

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037
Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-1, Page No. 61-66

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate* of Publication for the paper titled

असुर जनजाति का आर्थिक जीवन : एक अध्ययन

Authored by

डॉ. प्रणय रंजन
जय गिरि निवास,
जादो बाबू चौक, हजारीबाग।

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037
Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-1, Page No. 67-72

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate* of Publication for the paper titled

Impact of Body Mass Index on Athletic Performance : A Physiological and Comparative Analysis

Authored by

Shrawan Kumar Prajapat, Research Scholar
Dr. Kamal Vijayvargia, Research Supervisor &
Assistant Professor, Faculty of Physical Education,
Tantia University, Sri Ganganagar (Raj.)

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037

Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-1, Page No. 73-74

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate* of Publication for the paper titled

Impact of Coaching on the Personality Development of the Athlete

Authored by

Motiram, Research Scholar
Dr. Kamal Vijayvariga,
Research Supervisor & Assistant Professor)
Tantia University, Sri Ganganagar (Raj.)

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037
Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-1, Page No. 75-77

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate of Publication for the paper titled*

COMPARATIVE STUDY OF SPEED PERFORMANCE AMONG ATHLETES OF DIFFERENT SPORTS

Authored by

Shiv Prakash, Research Scholar
Dr. Kamal Vijayvargia, Research Supervisor &
Assistant Professor, Faculty of Physical Education,
Tantia University, Sri Ganganagar (Raj.)

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037
Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-1, Page No. 78-80

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate* of Publication for the paper titled

स्वामी विवेकानंद का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान

Authored by

लोकेश कुमार, शोधार्थी,
प्रोफेसर डॉ० गोपेश कुमार शर्मा, शोध पर्यवेक्षक,
लॉर्ड्स यूनिवर्सिटी, अलवर (राज.)

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037
Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-1, Page No. 81-85

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate* of Publication for the paper titled

देवनागरी लिपि, हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति का संबंध

Authored by

डॉ. अमलपुरे सूर्यकांत विश्वनाथ

एसोसिएट प्रोफेसर, अध्यक्ष हिंदी विभाग,
डॉ. श्री. नानासाहेब धर्माधिकारी कॉलेज कोलाड, तहसील–रोहा,
जिला–रायगड, महाराष्ट्र, पिन–402304

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037

Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-1, Page No. 86-91

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate of Publication for the paper titled*

VEDANTIC VIEW OF EVOLUTION

Authored by

Pulak Chan Das
M.A. in Philosophy, B.Ed., NET
School Teacher (Assistant Teacher)

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037
Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-1, Page No. 92-95

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate* of Publication for the paper titled

भारतीयार और माखनलाल चतुर्वेदी के बीच समानता बाल साहित्य के संदर्भ में

Authored by

के. आर. गुरू गोविंद विश्वत,
शोधार्थी (UP24P9650003)
डॉ. अनुराधा पाकलपाटी, शोध निर्देशिका एवं सहायक प्राध्यापक
हिंदी विभाग, वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एडवांस्ड स्टडीज (विस्टस)

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037
Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-1, Page No. 96-103

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate* of Publication for the paper titled

क्षेत्र रक्षण से दिशा रक्षक तक : यक्ष और दिक्पालों का सांस्कृतिक इतिहास

Authored by

शुभम् दुबे, शोध छात्र,
प्रो. इन्दुभषण द्विवेदी, शोध निर्देशक एवं विभागाध्यक्ष,
प्राचीन इतिहास विभाग, के.बी.पी.जी. कालेज, मिरजापुर।

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037
Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-1, Page No. 104-107

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate* of Publication for the paper titled

वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में उपयोगिता

Authored by

श्रीमती रतनी, शोधार्थी

डॉ. सुमन रानी, रिसर्च सुपरवाइजर

शिक्षा विभाग, टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर, राजस्थान।

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037

Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-1, Page No. 108-112

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate* of Publication for the paper titled

Indian Influence on Myanmar's Buddhist Architecture

Authored by

Wasfi Fatima
Research Scholar, Department of History
Babasaheb Bheemrao Ambedkar University,

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037
Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-1, Page No. 113-120

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL

UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate of Publication for the paper titled*

THE MEDIATION ACT, 2023 : INSTITUTIONAL CHALLENGES AND PRACTICAL IMPLEMENTATION IN PROMOTING PRE-LITIGATION MEDIATION FOR COMMERCIAL DISPUTES IN INDIA

Authored by

Himanshu Choudhary, Research Scholar,
Dr. Sarita Bhawani Malviya, Assitant Professor
Department of Law, RKDF University.

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037

Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-1, Page No. 121-128

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate* of Publication for the paper titled

उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की अभिवृति एवं सामाजिक समरसता के सम्बन्ध में अध्ययन

Authored by

प्रेम कुमारी, पी.एच.डी. शोद्यार्थी
डॉ. राजेश शर्मा, आचार्य
टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर, राजस्थान।

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037
Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-1, Page No. 129-134

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate* of Publication for the paper titled

राजस्थान के नहरी क्षेत्र में सामाजिक एवं आर्थिक विकास : इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना के विशेष संदर्भ में

Authored by

तनिषा गोयल, पी.एच.डी. शोद्यार्थी
डॉ. श्रुति खारीवाल, सह आचार्य
टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर, राजस्थान।

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037

Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-1, Page No. 135-139

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate of Publication for the paper titled*

वैश्वीकरण के दौर में भारत में ई–शासन की चुनौतियां और संभावनाएं

Authored by

डॉ. अनुभा श्रीवास्तव

एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग

राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिंदकी, फतेहपुर।

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037

Impact Factor 7.834, May-June 2026,

Vol. 14, Issue 5-6, Part-1, Page No. 140-146

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021

8708822674
9466532152

https://ginajournal.com/

grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate* of Publication for the paper titled

आधुनिक शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा की प्रासंगिकता

Authored by

डॉ. प्रदीप कुमार

टीजीटी संविदा शिक्षक, हरियाणा।

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037

Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-1, Page No. 147-152

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate* of Publication for the paper titled

The Role of Technology in Teacher Professional Development : NEP 2020 and Beyond

Authored by

Dr Sachin Kumar Singh
Guest Lecturer (Commerce)
Govt. R.P.S.P.G. College, Baikunthpur Korea (C.G.)

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037

Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-1, Page No. 153-158

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate* of Publication for the paper titled

Women's Participation and Empowerment in Panchayati Raj : An Analysis

Authored by

Dr. Shushil Dubey, Assistant Professor
Bhaskar Kulaste, Research Scholar
Sociology, Rani Durgavati University Jabalpur (M.P.)

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037

Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-1, Page No. 159-170

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate* of Publication for the paper titled

A Study on Artificial Intelligence on E-Commerce And It's Impact on Digital Economy

Authored by

Anjali Shrivastava, Research Scholar,
Dr. Sanjay Sharkar Mishra, Professor and Head
Commerce Department, Govt. T.R.S. College,
Rewa (M.P.)

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037

Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-1, Page No. 171-179

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate* of Publication for the paper titled

नागपुरी और कुँड़ुख़ में बच्चों से संबंधित बालगीत में समानता एवं विषमता

Authored by

डॉ० इन्द्र भूषण भगत

नागपुरी भाषा।

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037

Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-1, Page No. 180-184

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate* of Publication for the paper titled

धार्मिक अनुष्ठानों में वृक्ष एवं वनस्पतियों का महत्व

Authored by

सुनीता कलौनी

असिस्टेंट प्रोफेसर– संस्कृत
राजकीय महाविद्यालय, बलुवाकोट।

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037

Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-1, Page No. 185-189

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate* of Publication for the paper titled

छत्तीसगढ़ में जैविक कृषि के बदलते आयाम

Authored by

डॉ. सुनीता प्रधान

अतिथि व्याख्याता (समाजशास्त्र)
शासकीय नवीन महाविद्यालय हसौद, जिला सक्ती (छ.ग.)

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037

Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-1, Page No. 190-193

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate* of Publication for the paper titled

Bhu-Kanoon and Post COVID Land Rights Movement in Uttarakhand: Demands, Mobilisation, and Limits of Protest

Authored by

Rakesh Joshi
Research Scholar, Department of Public Administration
Uttarakhand Open University, Haldwani.

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037

Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-1, Page No. 194-199

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate* of Publication for the paper titled

Mystics, Monarchs, and Messiahs : Cultural Landscapes of Early Modern Iran

Authored by

SANJAY KUMAR
Research Scholar, Department of History,
University of Delhi.

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037
Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-1, Page No. 200-207

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate of Publication for the paper titled*

Cybersecurity and National Sovereignty in the Digital Age : Challenges, Threats, and Strategic Responses

Authored by

RAKESH KUMAR SHARMA
PhD Research Scholar
University Department of Political Science,
Veer Kunwar Singh University, Ara, Bihar.

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037

Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-1, Page No. 208-214

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com